# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

**अंक : 2]   चौदहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का ग्यारहवां दिवस   [संख्या : 8**

**सोमवार,**

**21 जुलाई, 2014**

**(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)**

**(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)**

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष**: सबको प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम स्वीकारा आपने? आपने प्रणाम स्वीकार कर लिया कि नहीं?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): जी हां।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्नकाल। श्री मोहन लाल गुप्ता।

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में भूमि सर्वे के भुगतान में हुई अनियमितता की जांच

**97. श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में जेडीए की भूमि सर्वे के नाम पर कंसलटेंसी फर्मों को सौंपे गये कार्यों एवं इनके भुगतान में हुई अनियमितता की जांच के लिए कोई समिति का गठन किया गया है। यदि हां, तो कब व समिति में कौन-कौन सदस्य हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है? यदि हां तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) समिति ने अपनी रिपोर्ट में किस-किस अधिकारी को दोषी पाया तथा किस-किस फर्म को कितनी राशि का अधिक भुगतान किया गया एवं इस अधिक राशि की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री** (श्री गुलाबचन्द कटारिया): अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। आदेश क्रमांक प.10 (10) जयपुर विकास

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

प्राधिकरण/जांच/2011 दिनांक 26.02.2013 (परिशिष्ट 'अ') द्वारा समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी थे:-

| | | |
|---|---|---|
| 1- | श्री अनिल कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम) | अध्यक्ष |
| 2- | श्री एन.के. सिंघल, अधीक्षण अभियन्ता-5 | सदस्य |
| 3- | श्रीमती स्मिता सरीन, उप निदेशक (व्यय एवं बजट) | सदस्य |

उक्त आदेश में समसंख्यक आदेश दिनांक 06.03.2013 के द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए क्रम संख्या-3 में अंकित श्रीमती स्मिता सरीन का पदनाम उप निदेशक (व्यय एवं बजट) के स्थान पर मुख्य लेखाधिकारी (पीएण्डए) किया गया (परिशिष्ट 'ब')

पुन: समसंख्यक आदेश दिनांक 02.04.2013 के द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए क्रम संख्या-3 में अंकित श्रीमती स्मिता सरीन, मुख्य लेखाधिकारी (पीएण्डए) के स्थान पर श्री हुलास राय पंवार, उप निदेशक (व्यय एवं बजट) को कमेटी का सदस्य बनाया गया (परिशिष्ट 'स')

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट दिनांक 27.05.2013 को प्राप्त हुई। प्रति परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(3) समिति ने अपनी रिपोर्ट में जिस-जिस अधिकारी को दोषी पाया, उनकी सूची परिशिष्ट 'य' पर संलग्न है और जिस-जिस फर्म को अधिक राशि का भुगतान किया गया, उसका विवरण परिशिष्ट 'र' पर संलग्न है। जिस फर्म को अधिक राशि का भुगतान किया गया है, उसकी वसूली के लिये निदेशक (वित्त) एवं सम्बन्धित अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित कर दिया गया है। वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जांच समिति बैठी है इसमें जिन लोगों ने बिल पास किया उनको पदनाम से कहा है कि यह निदेशक वित्त हैं, यह अधिशासी अभियंता है, यह जांच करने वाला है, यह जे.ईएन., ए.ईएन. है। लेकिन उनके नाम कौन-कौन अधिकारी हैं? मैंने नाम के लिए पूछा था कि कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं, उन नामों का उल्लेख नहीं किया गया है। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनके नाम भी बताने का कष्ट करें।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

दूसरा, इसमें जिन्होंने बिल पास किया उन अधिकारियों के नाम दिये हैं लेकिन जिस व्यक्ति ने आर्डर दिया, यह कार्यादेश जो दिया गया वह अस्पष्ट है। जांच समिति भी यह कह रही है कि इस समिति के द्वारा रेट कांट्रेक्ट का जो आदेश है वह स्पष्ट नहीं है। इसमें डीओ का प्रयोग भी अस्पष्ट है। जिस अधिकारी ने आर्डर दिया उस अधिकारी की भी जिम्मेदारी बनती है। क्या मंत्री महोदय उस अधिकारी के खिलाफ भी जांच करेंगे?

तीसरा, मेरा यह निवेदन है कि इस कार्य को अन्य जो फर्में थीं, एक ही फर्म को दोषी पाया गया, क्या अन्य फर्मों को भी काम दिया गया? उन अन्य फर्मों के खिलाफ भी जांच बैठाने का आप विचार रखते हैं?

**श्री अध्यक्ष**: मंत्री महोदय।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न खड़ा किया वह वास्तव में बहुत गम्भीर भी है और हमारी कार्य पद्धति पर एक प्रश्न चिन्ह है। मैं इसके लिए तो माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूं। लेकिन जो कुछ भी प्रयत्न हो सका इस समय इसमें लगभग 41 लोग हैं, जिनको एक से अधिक जुर्म में भी लिस्टेड किया है। अगर इन 41 को करूं तो 30 लोग ऐसे हैं जो इस प्रकरण में दोषी पाये गये, या जिन पर दोष आता है। आप अगर चाहें तो मैं नाम पढ़ सकता हूं श्री रतन लाल चौधरी, तत्कालीन वरिष्ठ लेखाधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता-12, प्रकोष्ठ जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, हाल निदेशक कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर, श्री मांगीलाल सोलंकी, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार, अधिशासी अभियन्ता-12, प्रकोष्ठ जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, हाल निदेशक कोष एवं लेखा, श्री नवल किशोर मीणा, श्री रक्षपाल सिंह, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार, श्री प्रेमप्रकाश आर्य, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार, श्री गोपाल जाट, श्री कृष्ण कुमार यह पूरी सूची मेरे पास है जिनमें 41 नाम जरूर लिखे हैं।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): पूरे नाम पढ़ दीजिये ताकि सदन पटल पर आ जायें।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): श्री कृष्ण कुमार अडानिया, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, श्री भगवान दत्त शर्मा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, श्री विजय कुमार सक्सेना, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, श्री रविन्द्र कुमार विश्नोई, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, श्री विजय

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कुमावत, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, श्री अजय प्रताप सिंह राठौड़, श्री आर.के. माथुर, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, श्री अजीत गजराज, श्री हरीश कुमार विश्नोई, श्री ओ.पी. सैनी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, श्री ताराचन्द्र अग्रवाल, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, श्री पारसमल नवल, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, श्री अमिताभ शर्मा, श्री महेन्द्र प्रसाद, श्री प्रताप सिंह, तत्कालीन सहायक, श्री सुनील सिंघल, श्री बी.एल.जाटव, श्री अशोक काला, श्री अशोक काला डबल बार नाम है, यह 41 की जगह 30 बनते हैं। श्री गोविन्द गोयल, श्री गोविन्द गोयल 2 बार नाम है, फिर तीसरी बार भी गोविन्द गोयल, श्री इन्द्रजीत सिंह, श्रीमती स्मिता सरीन जिनको हमने जांच कमेटी में डाला था और जिनसे जांच करायी और बाद में उनको बदलकर के उनके स्थान पर दूसरा लिया। वह स्वयं भी इसमें दोषी हैं। श्री एम.एल. छाबड़ा, सी.एम. अग्रवाल, सी.एम. अग्रवाल, फिर सी.एम. अग्रवाल और श्री एम.एल. छाबड़ा, तत्कालीन विशेषाधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण हाल में वित्त विभाग में हैं। श्री सी.एम. अग्रवाल फिर हैं, यह 41 लोगों को सूचीबद्ध किया उनमें से नाम डबल होने से 30 लोग इनमें से दोषी हैं। जिन पर पहली जो रिपोर्ट आयी है उसके आधार पर उन पर दोष बनता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न उनका था कि अधिकारी जिसने इसका आदेश दिया, इस प्रकरण में वैसे मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि इसकी गम्भीरता को देखते हुए वास्तव में इसमें कई प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं। इन्होंने तो केवल एक ही प्रश्न पूछा था लेकिन इसके अतिरिक्त भी इसमें 4 कम्पनियों को सर्वे का काम दिया था, क्वालिफाई किया था लेकिन जो भी अधिकारी था उन्होंने 2 को ही काम दिया। एक है बी.एल.जी. कंस्ट्रक्शन और एक है एन.के. बिल्डान, यह दो नाम की कम्पनियां हैं इनको काम दिया गया था।

माननीय सदस्य का जो प्रश्न था वह केवल बी.एल.जी. कंस्ट्रक्शन तक ही सीमित था और उसमें लगभग 60 लाख का वर्क आर्डर दिया और उसमें से जो काम हुआ उसमें से 16 लाख की रिकवरी इस रिपोर्ट के आधार पर निकली और हमने वह रिकवरी शुरू कर दी अभी, इस प्रश्न के आने के बाद ही 9 लाख रुपये की रिकवरी हमने कर ली है। 7 लाख की जो रिकवरी है, बहुत जल्दी ही रिकवरी कर लेंगे। जो 30 अधिकारी थे वह इसमें दोषी पाये गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें वास्तव में शिकायतकर्ता को भी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

धन्यवाद देता हूं कि श्री सुरेश शर्मा ने यह शिकायत की जिसके कारण से आज आप और मैं इस अनियमितता को यहां पढ़ रहे हैं। ऐसे सैकड़ों प्रकरण होंगे जिनकी कोई शिकायत नहीं करता और वह सब दफ्तर दाखिल हो जाते हैं। वास्तव में यह दुर्भाग्य की स्थिति है, अपने वर्किंग कल्चर पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। यह तो इन्होंने एक प्रश्न पूछा। पहली शिकायत सुरेश शर्मा ने की 30.12.2010 को और जांच कब शुरू हुई 2013 में, इसका मतलब अधिकारियों द्वारा जिस लेवल पर भी इसको डिले किया जा सकता है उतना डिले करने का प्रयास किया। बाद में इसकी जांच शुरू हुई।

ऐसे ही एन.के. बिल्डान जो है, इसकी शिकायत भी 07.07.2012 को सुरेश शर्मा ने ही की और उसके आधार पर भी एन.के. खन्ना जो रिटायर्ड आईएएस हैं, उनसे इसकी जांच कराई तो इसमें बहुत ही गम्भीर आरोप निकलकर के आये। यह बहुत ही अफसोसजनक है कि जिस प्रकार की रेट्स उन्होंने दी, उस रेट्स से कई गुणा उन्हें, यानि 200 हैक्टेयर में जो सर्वे होना था उसकी जगह 4 हजार हैक्टेयर का सर्वे करके उसका पैसा उठाया।

टैण्डर की अगली तारीख है 2 मार्च की, उन्होंने एक दिन पहले एक मार्च में आदेश देकर पुराने टैण्डर पर जो रेट थी यह नये टैण्डर की रेट भी उसका मालूम था कि रेट बहुत कम आ गई इसलिए उसने एक दिन पहले देकर के टैण्डर में और इस तरह से इतने लाखों रुपयों का नुकसान जान बूझकर पहुंचाया। यह विषय गम्भीर है इसमें कोई दोराय नहीं। मैं माननीय सदस्य और सदन को आश्वस्त करता हूं कि मैं इस सारे प्रकरण को तीन महीने में हाउस के सामने फिर लाकर रखूंगा कि इसमें कौन-कौन दोषी था और उसके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही हो सकती है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप चाहते थे उससे अधिक दे दिया जवाब इसलिए नैक्स्ट क्वश्चन।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और मेरा प्रश्न।

**श्री अध्यक्ष**: बहुत आ गया।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): इस प्रश्न के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अनियमितता उजागर हुई है। जेडीए में, नगर निगम में, पीडब्ल्यूडी में इन्जीनियरिंग विंग के माध्यम से अरबों रुपया खर्च होता है। यह तो एक सर्वे के कन्टोनिंग, वह काम हुआ है...

**श्री अध्यक्ष**: पर्याप्त जवाब आ चुका है।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह इन्जीनियरिंग विंग द्वारा जो काम किये जाते हैं उनकी क्वालीफिकेशन की, क्वालिटी की प्री पोस्ट आडिट, यह बहुत जरूरी है। करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये आप।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): यह सारा पैसा कमीशनबाजी के द्वारा जा रहा है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। इंजीनियरिंग विंग पर बहुत बड़ा पैसा जा रहा है लेकिन क्वालिटी की सड़कें नहीं बन रही हैं, सरकार की इमेज खराब होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: आप जनरल बात पर आ गये।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): हो क्या रहा है, सड़कें बन रही हैं, खुद रही हैं, हम भी परेशान हैं, जन प्रतिनिधि परेशान है, जनता परेशान है, खड्डे हो रहे हैं, क्वालिटी का काम तो होना चाहिए न?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मेरा एक सुझाव है माननीय मंत्री महोदय को।

**श्री अध्यक्ष**: हां, बोलिये।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): जो लोग दोषी पाये गये हैं इस इन्क्वायरी में, अगर वह अभी भी जेडीए में कार्यरत हैं तो अग्रिम जांच प्रभावित नहीं हो तो क्या उनको हटाने का आपके मन में कोई विचार है या आप आदेश देने की कृपा करेंगे, जिससे अग्रिम जांच प्रभावित न हो, आप कह रहे हैं कि अगले तीन माह में और भी जांच होनी है। तो अग्रिम जांच प्रभावित न हो तो क्या आप जो दोषी पाये गये हैं जेडीए में उनका वहां से ट्रांसफर करके बाहर करेंगे?

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनमें से कई आज की तारीख में निदेशक के पद पर बड़े सचिवालय में और बाकी जगह सुशोभित कर रहे हैं। प्रकरण इतना गम्भीर है लेकिन जो जेडीए में आज हैं और इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं उनको एक तरफ रख कर कोई स्वतंत्र ऐसी बनाकर निश्चित रूप से इनके

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कारनामें जो भी इन्होंने किए हैं, जो भी दोष बनेगा, निश्चित रूप से वह दण्ड का भागीदार बनेगा, एक भी व्यक्ति इसमें से निकल नहीं सकता।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

## राजसमन्द में माडा क्लस्टर योजना में व्यय राशि

**98. श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में माडा क्लस्टर योजना एवं बिखरी जनजाति योजना के अन्तर्गत विगत 5 वर्षों में क्या-क्या विकास कार्य किए गए हैं एवं कितनी राशि व्यय की गई?

(2) उक्त क्षेत्र में जनजाति विकास के लिए वर्ष 2014-15 में कितनी राशि के क्या कार्य प्रस्तावित है?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जनजाति वर्ग के व्यक्तियों हेतु स्वरोजगार के लिए विगत 5 वर्षों में क्या कार्य एवं योजनाएं क्रियान्वित की गईं?

**जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री** (श्री नन्दलाल मीणा): अध्यक्ष महोदय, (1) विधान सभा क्षेत्र में माडा क्लस्टर योजना एवं बिखरी योजना के तहत विगत 5 वर्षों में विकास कार्य एवं व्यय की स्थिति निम्नानुसार है:-

**माडा क्लस्टर**

| वर्ष | स्वीकृत कार्यों की संख्या | स्वीकृत राशि (लाख रुपये) | व्यय राशि (लाख रुपये) |
|---|---|---|---|
| 2009-2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 3 | 13.22 | 13.19 |
| 2012-2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | 02 | 10.00 | 8.00 |
| 5 वर्ष का योग | 05 | 23.22 | 21.19 |

(श्री नन्दलाल मीणा)

**बिखरी आबादी**

| वर्ष | स्वीकृत कार्यों की संख्या | स्वीकृत राशि (लाख रुपये) | व्यय राशि (लाख रुपये) |
|---|---|---|---|
| 2009-2010 | 3 | 12.50 | 12.28 |
| 2010-2011 | 2 | 5.25 | 5.10 |
| 2011-2012 | 7 | 26.89 | 26.88 |
| 2012-2013 | 5 | 25.00 | 24.95 |
| 2013-2014 | 17 | 61.00 | 57.94 |
| 5 वर्ष का योग | 34 | 130.64 | 127.15 |

विकास कार्य एवं व्यय (कार्यवार) सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राजसमन्द जिले में जनजाति विकास हेतु वर्ष 2014-15 में विकास कार्य हेतु राशि का आबंटन निम्नानुसार रखा गया है:-

| क्षेत्र | राशि (लाख रुपये) |
|---|---|
| माडा क्लस्टर (विशेष केन्द्रीय सहायता) | 4.00 |
| माडा क्लस्टर (जनजाति कल्याण निधि) | 0.31 |
| बिखरा क्षेत्र (विशेष केन्द्रीय सहायता) | 58.65 |
| बिखरा क्षेत्र (जनजाति कल्याण निधि) | 20.25 |

(3) उक्त क्षेत्र में जनजाति वर्ग में स्वरोजगार के लिये विगत 5 वर्षों में कोई कार्य संचालित नहीं किया गया है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को भी यह जानकारी मिली कि यह पांच साल जो पूर्ववर्ती सरकार थी और उसका असली चेहरा, जनजाति विकास के लिए बहुत ढिंढोरा पीट रहे थे कि हम जनजाति के लिए बहुत काम कर रहे हैं, इससे बहुत सारी चीजें सामने आईं। पांच वर्षों में मात्र पांच काम माडा क्लस्टर में, पांच वर्षों में मात्र बिखरी आबादी में मात्र 34 काम स्वीकृत हुए, यह जो स्थिति है उसमें में मैं यह पूछना चाहता हूं कि प्रपोजल्स कितने आये? मंत्रीजी

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

मुझे आपके माध्यम से जानकारी दें कि कितने प्रपोजल्स माडा क्लस्टर में आये और कितने प्रपोजल्स बिखरी आबादी में आपके पास आये और उसमें से कितने स्वीकृत हुए वह आपने बताये।

दूसरी बात यह है कि जनजाति क्षेत्र के अन्दर स्वरोजगार के लिए पिछले पांच वर्षों में कोई भी ऐसा कार्य इन्होंने ऐसा नहीं किया, माडा क्षेत्र के अन्दर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूं कि क्या जनजाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देने जरूरी नहीं है? एक तरफ हम चाहते हैं कि यह जनजाति वर्ग हमारा और अच्छे तरीके से ऊपर आये, इनके युवा पढ़े लिखे हैं, यह स्वरोजगार का प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने पैरों पर खड़े हो सकें लेकिन स्वरोजगार की कोई भी योजना जबकि इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं। मैं यह भी यहां सदन के अन्दर रखना चाहूंगा कि उदयपुर सम्भाग जो हमारा है टीएसपी एरिया जो वहां है उसमें जो टोटल राजस्थान के पांच सौ करोड़ इसमें आते हैं प्लान में, उसमें से साढ़े तीन सौ करोड़ उदयपुर डिवीजन के अन्दर यहां पर हमें टीएसपी एरिया में मिलते हैं, अगर हम देखें तो यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बिखरी आबादी में पिछले पांच साल के अन्दर पूर्ववर्ती सरकार ने मात्र 34 कार्य स्वीकृत किए हैं तो यह कार्य और स्वीकृत करने की क्या योजना है इसके अलावा स्कूल में, उप स्वास्थ्य केन्द्र में, पंचायतीराज में सोशल सैक्टर स्कीम्स के तहत, इनमें कहीं पर भी खर्चा नहीं होता। इसका मतलब है कि जो टीएसपी एरियाज हैं उनमें यह जो स्कूल्स, एजुकेशन, मेडिकल और सोशल सैक्टर्स के अन्दर, स्वरोजगार के अन्दर जिससे कि उनका जीवन स्तर ऊपर आ सकता है उसमें यह पैसा कम खर्च होकर सड़क, नाली और यह भवन बनाना यह इसमें हो सकता है कि सोशल सैक्टर्स पर हमें खर्च बढ़ाना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष**: सवाल कीजिये।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): गवर्नमेंट के आने वाले समय में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि ये जो स्कीम्स हैं इनके ऊपर क्या सरकार विचार रखती है, यह आपके माध्यम से बतायें।

तीसरी बात है कि यह जो क्षेत्र हैं यहां कर्मचारी हैं वह इतने कम हैं, इतनी वेकेंसीज वहां पर रखी हुई हैं तो यह जो कर्मचारी कम हैं उनके बारे में क्या इसे प्रतिबंधित एरिया के रूप में रखा जा सकता है कि जो कर्मचारी लगा

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

है वह छह महीने में ट्रांसफर कर लेता है तो उन्हें पाबन्द किया जाये कि पांच साल तक, सात साल तक कि वह उस एरिया से न जाये ताकि विकास के काम और दूसरे सारे काम वह बराबर रुचि से कर सके, यही मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी।

**श्री नन्दलाल मीणा** (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पिछले पांच वर्षों में केवल पांच काम के लिए 23.22 लाख रुपये स्वीकृत किये और उसमें भी 21.19 लाख रुपये खर्च किये। भविष्य में, चालू वित्तीय वर्ष में इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आदिवासी माडा क्षेत्र, बिखरी आबादी का क्षेत्र है इसमें 20.25 लाख रुपये इस साल प्रावधान किया गया है। जिसमें विशेष केन्द्रीय सहायता, जनजाति कल्याण निधि और विशेष केन्द्रीय सहायता, इस तरह से पैसा व्यय किया जाएगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं माननीय सदस्या को कि यदि आप यह अनुभव करते हैं कि इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए, आदिवासियों के चहुंमुखी विकास के लिए और कोई धन की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार गम्भीरता से विचार करके उस राशि में बढ़ोतरी करेगी।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): वेकेन्सीज।

**श्री नन्दलाल मीणा** (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): जहां तक वेकेन्सीज का सवाल है वेकेन्सी के लिए तो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि वेकेन्सी को भरना है। आदिवासी क्षेत्र में यह हालत है, माडा क्षेत्र में, टीएसपी एरिया में, सहरिया परियोजना जो शाहबाद किशनगंज में चलती है, कई पद पिछले 5 साल से, लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों के जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, आर्थिक व सामाजिक उत्थान में जो योजनाएं हाथ में लेनी चाहिए उन पर प्रभाव पड़ रहा है। इस पर अभी वर्तमान सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है और यह भी यहां सदन में माननीय नेता महोदय ने घोषणा की है कि दीपावली के पहले-पहले जो पद रिक्त हैं उनको पूर्णत: भरने का प्रयास किया जायेगा, जिसमें यह माडा और टीएसपी क्षेत्र भी सम्मिलित है।

**श्री अध्यक्ष**: पर्याप्त जवाब आ गया। सारे विषय का आ गया।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): आपके माध्यम से एक और

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

प्रश्न माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगी कि जनजाति यूनिवर्सिटी पिछली सरकार ने आपाधापी में इस यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी। इसकी क्या प्रगति है, जमीन और यूनिवर्सिटी के अस्तित्व के सम्बन्ध में जरा जानकारी देने का कष्ट करें।

**श्री नन्दलाल मीणा** (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कई यूनिवर्सिटीज पिछली सरकार ने राजस्थान में घोषित कीं उनमें से एक आदिवासी यूनिवर्सिटी की भी घोषणा की गयी है, परन्तु इसमें मात्र एक वाइस-चांसलर के रूप में डामोर साहब का पदस्थापन किया गया है। इस पर इसकी गतिविधियां क्या होंगी, इसमें कौन-कौन से विषय लिये जाएंगे, इसके लिए कोई रूपरेखा, मापदण्ड निर्धारित नहीं है। आने वाले विधान सभा सत्र के पश्चात ट्राइबल एडवाइजरी कौंसिल की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में यह विषय रखा है कि कौन-कौन से सब्जैक्ट पर विचार किया जाय, खोले जाएं, कहां स्थापित की जाय, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो उदयपुर में वर्तमान में चल रहा है उसके मुकाबले में इसमें और क्या-क्या चीज जोड़ी जा सकती है। हिन्दुस्तान के और जो जनजाति विश्वविद्यालय खुले हैं उनकी क्या गतिविधियां हैं, इन सबका अध्ययन करके राजस्थान में आदिवासी यूनिवर्सिटी के बारे में विचार किया जाएगा।

**श्री अध्यक्ष**: नैक्स्ट, राव राजेन्द्र सिंहजी।

**श्री किशनाराम** (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, दो ही प्रश्नों में काफी समय हो गया है। हजारों रुपया खर्च हुआ है, थोड़ा-थोड़ा समय सबको मिलना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष**: आप विराजो। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में ज्यादा समय लगता है। मैं चाहता हूं कि कम समय लगे। राव राजेन्द्र सिंहजी। आपका कहना ठीक है, चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ज्यादा प्रश्न निपटें।

## स्वचालित कम्प्यूटर जनित पर्ची से कैंसर होने के खतरे के सुरक्षात्मक उपाय

**99. श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वचालित कम्प्यूटर जनित पर्चियों से कैंसर उत्पन्न होने की सम्भावना हो सकती है?

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(2) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई सुरक्षात्मक उपाय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री** (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) जी नहीं। इस तरह के प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वचालित कम्प्यूटर जनित पर्चियों से कैंसर रोग उत्पन्न होने की सम्भावना हो सकती है। किन्तु कुछ शोध दर्शाते हैं कि Bisphenol A (BPA) and Bisphenol B (BPS) कोटेड पर्चियां कैंसर का कारण हो सकती हैं।

(2) शोध के उपरान्त पुष्टि होने पर कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न।

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने फरमाया कि इस प्रकार का कोई कंक्लूजिव रिसर्च नहीं आ सका, लेकिन कंक्लूजिव रिपोर्ट्स आयीं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा Evaluation of potential of geotical nis-cargel microbicide. (Funded by the Department of Science and Technology, Govt. of India and Indian Council of Medical Research.) यह इण्डियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च से फण्डेड अथोरिटी है और इन्होंने इस बायफिनोल-ए और बायफिनाल-एस के सम्बन्ध में धात्री महिलाओं के या इस जेण्डर की जो ह्यूमन्स हैं उनको जब इससे ट्रीटमेंट करते हैं या उनका जब एक्सपोजर इसमें होता है तो ह्यूमन फीटीसाइड पर किस प्रकार का विपरीत असर पड़ता है, उसका कंक्लूडिंग पैरा मैं अगर आपकी अनुमति हो तो पढ़कर सुना दूं।

**श्री अध्यक्ष**: आप पढ़ें। सुनाइए, सुनाइए।

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा): यह रिजल्ट इसी की वेल्युएशन का था बीपीए के एक्सपोजर का

"These results demonstrate that micronucleus induction, chromosomal aberration in bone narrow erythrocytes as well as DNA damage in lymphocyte of rat treated with different oral doses of BPA showed a significant increase of micronuclei, chromosomal aberrations and DNA damage confirming that BPA has genotoxic activity."

किसी भी चीज का अगर टोक्सिक करेक्टर होगा तो वह कैंसर को जन्म देगा। अब मुझे नहीं मालूम है मंत्री महोदय को यह जानकारी है, यह 2007-08 का रिसर्च है और रिसर्च पेपर की एनुअल रिपोर्ट 2007-08 की है।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

एक और मैं आपको निवेदन कर दूं। मई-जून, 2014 में डा. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद, मराठवाड़ा रिजन में, उन्होंने यह बात कही है कि

"Investigations say that the chemical coating that exists on the papers which is also used excessively in malls, petrol pumps, bus tickets, online lotteries can cause far reaching harm to the health of thermal printer users." अब इसको ध्यान में रखना पड़ेगा थर्मल प्रिंटर किसको कहते हैं। थर्मल प्रिंटर वो होता है जब इस प्रकार का कोटेड बायफिनाल को हीट से ट्रीट किया जाता है तो वह प्रिंट ले लेता है। उन्होंने यह कहा है, मैं दो प्रश्न सीधे से पूछना चाहता हूं क्योंकि यह बेसिकली ह्यूमन हैल्थ से कंसर्ड है। किसी के पास में, डिपार्टमेंट के पास में अपना रिसर्च एलिमेंट नहीं है, क्योंकि कोई चीज ध्यान में आयी है इसलिए मैं सदन के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं। मंत्री महोदय, पहले तो यह बात सुनिश्चित की जाय कि प्रत्येक व्यक्ति को कितनी परसेंट टीडीआई का लिमिट होना चाहिए? क्या इस लिमिट में कोई अथोराइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने इसके इनटेक पर और इसके एक्सपोजर पर कोई टिप्पणी की है? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने और सम्पूर्ण संसार के कितने ऐसे देश हैं जिन्होंने बायफिनाल और बायफिनाल-एस के उपयोग पर अध्यादेश और एक्ट लाकर इसको सम्पूर्ण रूप से बैन किया है? पहले इसका जवाब दे दें उसके बाद मैं फिर निवेदन करूंगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इस बायफिनाल के उपयोग के बारे में अब तक 91 अलग-अलग शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं इनमें से 53 इसी वर्ष प्रकाशित हुए हैं। यह भी सही है कि अम्बेडकर मराठा विश्वविद्यालय के डा. प्रवीण ने जो लेटेस्ट अपना रिसर्च पेपर प्रकाशित किया है उसमें उन्होंने माना है कि इस बायफिनाल-ए का उपयोग जब एटीएम से निकलने वाली पर्ची से जो पेपर निकलता है उसको हाथ में लेने से उसकी कुछ मात्रा अन्दर चली जाती है। अध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि यह पैट्रोलियम बाई-प्रोडक्ट है और यह कार्बन सिंथेटिक कम्पाउंड है और यह भी सही है कि इसमें फार्मल डिहाइड जो कि कार्सेजनिक है उसका उपयोग होता है। अब तक का जो अध्ययन आया है उसके अन्दर ऐसी कोई स्पष्ट मान्यता नहीं बनी है ताकि उसके बारे में कोई कदम उठाये जाए। यह सही है माननीय सदस्य, यूएसए, फ्रांस, स्वीडन और कनाडा ने इस एटीएम से निकलने वाले थर्मल पेपर पर पाबंदी लगायी है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही निवेदन करूंगा कि जब तक कोई पूरी स्टडी होकर यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निश्चित न हो जाय कि इससे किसी प्रकार का कैंसर फैलने का खतरा है तब तक किसी नतीजे पर पहुंचा नहीं जा सकता।

यह सही है अध्यक्ष महोदय कि अबडोनोलोजिकल स्टडी हुई है उसके अन्दर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, टैस्टिकल कैंसर, बच्चों में मोटापा, डाइबिटिक, इम्युनिटी का कम होना, ये कई चीजें, कई रिसर्च पेपर्स में अलग-अलग आथर्स ने अलग-अलग बात कही है। इसलिए माननीय सदस्य, यह पूरा टैक्निकल विषय आपने उठाया है, निश्चित तौर पर आपकी चिन्ता भी वाजिब है और आप जैसे प्रबुद्ध माननीय सदस्य ही इस तरह के विषय उठा सकते हैं। मैं चाहूंगा, मैं एक विशेषज्ञों की समिति बना दूंगा जो इस पूरे टैक्निकल इश्यू पर देख लेगी। यह भी सही है कि इसका उपयोग प्लास्टिक में होता है। यह प्लास्टिक का बाई-प्रोडक्ट है। सर्वाधिक उपयोग इस प्रोडक्ट का हो रहा है, चाहे सीडी हो, चाहे डीवीडी हो, चाहे एयर टाइट प्लास्टिक के डिब्बे हो, चाहे स्पोर्टस का सामान हो, चाहे पानी की टंकियां हों, इन सबमें इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन हाल-फिलहाल विभाग के पास ऐसी कोई ओथेन्टिक सूचना नहीं है। फिर भी मैं एस.एम.एस. मेडिकल कालेज के इस विभाग के प्रोफेसर की अध्यक्षता में एक समिति बनाकर इसको दिखवा लूंगा।

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न के लिए तो इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं।

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा): मैंने आपसे एक निवेदन किया था कि इंटरनेशनल एजेंसीज मानिटरिंग पब्लिक हैल्थ चाहे यूरोपियन फूड सेफ्टी अथोरिटी हो चाहे अपन इण्डियन मेडिकल कौन्सिल की कर लें, उन्होंने इस मात्रा को, इसके यूज की मात्रा को कम करने के लिए निर्देश दिये। मैं आपका ध्यान सिर्फ इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले जो परमिसिबल टी.डी.आई. का मतलब होता है, टोटल डैली इंटेक, जितना एक्सपोजर डैली हो सकता है और यह शरीर उसको किस प्रकार से कितनी हद तक ग्रहण करने के बाद में अपने इम्यून सिस्टम से न्यूट्रलाइज कर सकता है। उस मात्रा को इन्होंने 0.05 मिलीग्राम यानि 0.5 माइकोग्राम से घटाकर 0.005 मिलीग्राम यानि 0.05 माइकोग्राम पर किया है और यह बात यूरोपियन फूड सेफ्टी अथोरिटी ने भी कर दी है। जहां तक रेगुलेशन और एक्ट की बात है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि न्यूयार्क काउंटी ने ला नम्बर 1/2013 में एक्ट लाकर, मैं पूरा इसको पढ़ ही देता हूं–"This Legislature also finds and determines that BPA is a synthetic estrogen which disrupts healthy development and can lead to an altered immune system, hyperactivity, learning disabilities,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

reproductive health problems, increased risk of breast and prostate cancer, obesity and diabetes." And they have banned it totally. इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट लेवल पर आप अपने स्तर पर एक कमेटी का गठन करें और जितने रिसर्च पेपर्स हुए हैं उन रिसर्च पेपर पर आप टोटल बैन नहीं लगायें लेकिन इसकी लिमिटेशन और इसकी यूजेबिलिटी को और एक क्योंकि यह पाली कार्बनेट बोटल्स को जो अपन बेबी को फीड करते हैं, फ्रांस ने तो बिल्कुल बैन लगा दिया कि 6 साल की उम्र तक का जो बच्चा है उसको किसी प्रकार की पाली कार्बनेटेड कोटेड जिसमें यह यूज होता है, किसी भी चीज का उपयोग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और अगर उसमें बीपीए है तो वहां वार्निंग आयेगी जैसे आपके सिगरेट और तम्बाकू पर वार्निंग आती है। क्या राजस्थान सरकार इस प्रकार की चीज रखने का मानस रखती है? यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: आपका सुझाव पहले ही मंजूर कर लिया है। उन्होंने कमेटी बनाने का कहा है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि इस विषय पर अब तक 91 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। लेटेस्ट जिन डा. प्रवीण का आपने उद्धरण दिया है, उन्होंने भी अपने शोध पत्र में यह कहा है कि जब थर्मल पेपर को हाथ में लेते हैं तो उंगलियों के पोर से उसमें से कुछ चीज इंटेक हो जाती है। इसमें भी शक नहीं कि जो आपने परमिशेबल डैली इंटेक बताया उसके बारे में भी अलग-अलग विद्वानों का मत है और इसमें भी शक नहीं कि कुछ देशों ने इस पर बैन किया है। मैंने आपसे निवेदन किया है कि यह चूंकि ऐसा टैक्निकल विषय है, अध्यक्ष महोदय, मैं भी डाक्टर नहीं हूं परन्तु फिर भी मैं आश्वस्त करता हूं कि इस पूरे मामले में हम क्या कर सकते हैं क्योंकि पूरे राजस्थान के साथ-साथ अन्य प्रदेश भी इससे जुडे हुए हैं, आज एक चीज को अगर हम बैन करते हैं या एक चीज पर हम किसी तरह का प्रतिबन्ध लगाते हैं तो उसके बारे में कई तरह के प्रभाव-कुप्रभाव और कई तरह की बातें हैं पर फिर भी एक कमेटी बनाकर इस सारे मामले की जांच करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: बिलकुल, विराजिये। श्री कैलाश चौधरी। इसके साथ ही माननीय मंत्री महोदय, 113 नम्बर का प्रश्न है वह बिल्कुल ऐसा ही है जो डाक्टर जसवंत सिंह का है। दोनों के ही जवाब आप एक साथ दे दें।

## नयी गौ-शालाओं की स्वीकृति के मानदण्ड

**100. श्री कैलाश चौधरी** (बायतू): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में गौ वंश के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए नई गौ-शालाएं खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां तथा कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) सरकार द्वारा नई गौ-शालाओं की स्वीकृति के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं तथा कितनी गौ-संख्या नई गौशाला की स्वीकृति के लिए आवश्यक हैं?

**पशुपालन मंत्री** (श्री प्रभू लाल सैनी): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा गौशालाएं नहीं खोली जाती हैं।

(2) स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत गौशाला के पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्रों में आवेदन करने पर रजिस्ट्रार गौशाला द्वारा नि:शुल्क पंजीकरण किया जाता है।

**श्री अध्यक्ष**: डा. जसवंत सिंह यादव।

## प्रदेश में संचालित गौ-शालाओं को अनुदान

**113. डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितनी गौ-शालाएं कहां-कहां संचालित हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में उक्त गौ-शालाओं को कुल कितना अनुदान दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि समुचित देखरेख एवं चिकित्सा के अभाव में गौ-शालाओं में गायें मर रही हैं? यदि हां, तो इस हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**पशुपालन मंत्री** (श्री प्रभू लाल सैनी): अध्यक्ष महोदय, (1) प्रदेश में राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत कुल 1407 गौ-शालाएं पंजीकृत हैं। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) गत पांच वर्षों में प्रदेश की गौ-शालाओं को रु. 349.68 करोड़ का अनुदान वितरित किया गया।

(3) जी नहीं।

**(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)**

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न।

**श्री कैलाश चौधरी** (बायतू): अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, मंत्रीजी ने जैसा जवाब दिया कि नि:शुल्क पंजीयन किया जाता है इसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन अभी मैं धन्यवाद दूंगा हमारी माननीय मुख्य मंत्री वसुंधराजी को कि उन्होंने गौशाला के लिए अलग से मंत्रालय की घोषणा की। दूसरा, आज हमारी गाय को गौ माता कहा जाता है और कई जगह देखते हैं तो उसकी दुर्दशा है। जब शहर में जाते हैं तो शहर में भी ऐसी कई गायें हैं और ऐसी गौ माताएं हैं वो क्योंकि दूध देती नहीं है और ऐसे कई सांड हैं, तो उनका कोई उपयोग नहीं है जिसकी वजह से न तो उनको गौशाला वाले लेते हैं और जो उनके मालिक हैं वो भी उनको नहीं रखते हैं। उसके बाद में वो कहां जाएं और बाजार में कहीं चरने के लिए जाती हैं या कुछ खाती हैं तो कई बार मैं भी देखता हूं कि हमारी गौ माता पर कई लोग लट्ठ भी मारते हैं। जो हमारी गौ माता है उसको आवारा गाय, आवारा सांड कहा जाता है। आवारा वो नहीं हैं, आवारा गाय नहीं हैं, आवारा वो लोग हैं जिन्होंने उस मां को छोड़ दिया तो उस मां के लिए, ऐसी जो गौ माता है उसके लिए मेरा सुझाव रहेगा, मेरा प्रश्न भी है कि सरकार के स्तर पर भी ऐसी अलग से गौशाला चाहे नगरपालिका में हो चाहे पंचायत समिति स्तर पर भी हो, इसका अलग से कोष निर्धारित रखें। जैसा कि मुख्य मंत्रीजी के द्वारा एक योजना चलाई जाती है मुख्य मंत्री सहायता कोष, उसी तरह इस गौ माता के लिए मुख्य मंत्री गौ संवर्धन कोष अलग से रखा जाए। मेरा यह सुझाव है। दूसरा प्रश्न भी मैं लगतार ही पूछ लेता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न के रूप में पूछिये, सुझाव नहीं।

**श्री कैलाश चौधरी** (बायतू): प्रश्न के रूप में ही पूछ लेता हूं। ऐसी गोचर भूमि जिस पर आज कई लोग अतिक्रमण करके बैठे हैं। मेरा यही प्रश्न है कि चरागाह के विकास के लिए सरकार क्या कर रही है और चरागाह विकास के लिए सरकार के स्तर पर भी और स्वयं सेवी संस्था भी विकास करने के तैयार है। तो उनके लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि क्या सरकार इस तरह का विचार रखती है कि स्वयंसेवी संस्था द्वारा उनका विकास किया जा सके?

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये, जवाब आ रहा है। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की यशस्वी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चुनाव के दौरान, सुराज संकल्प यात्रा के

(श्री प्रभू लाल सैनी)

दौरान एक घोषणा की थी और उसको कैबिनेट में हम लोगों ने एक नीति पत्र के रूप में भी स्वीकार किया है। गौ वंश के संवर्द्धन और संरक्षण के लिए, उनके उन्नयन के लिए ठोस उपाय किये जायेंगे और उसके लिए सरकार एक कार्य योजना बना रही है। इसी क्रम में गौशाला विभाग का भी गठन सरकार द्वारा किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, निश्चित रूप से अभावग्रस्त क्षेत्र और गैर अभावग्रस्त क्षेत्र, दो प्रकार के अनुदान की मांगें अक्सर उठती रही हैं और जब अभावग्रस्त होता है तो उनको डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्पोंस फण्ड के अन्तर्गत सहायता दी जाती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि गैर अभावग्रस्त क्षेत्र में सरकार उनको अनुदान दे यह मांग अभी पिछले दिनों भी माननीय सदस्यगण ने उठाई थी। मेरा आपसे यह निवेदन है, मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 की धारा 2 (ख) में यह प्रावधान किया है कि गौशाला क्या होती है इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने इसकी परिभाषा में लिखा है कि गौशाला से तात्पर्य ऐसी धर्मार्थ संस्था से है जो गौ वंशों को रखने के लिए, उनके प्रजनन के लिए, उनके पालन-पोषण के लिए और अशक्त, वृद्ध और रोगग्रस्तों की भर्ती करके उनका संरक्षण, संवर्द्धन और उनकी चिकित्सा की व्यवस्था गौशाला करेगी। ऐसी गौशालाओं को धारा 2 (ग) के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि अभी जिस प्रकार अनुदान की बात कही है, यह राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1964 और गौशाला अधिनियम, 1960 में किसी भी प्रकार के अनुदान देने का प्रावधान नहीं है। इसीलिए राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, हम इस अधिनियम में इसमें संशोधन करने की कार्यवाही हम कर रहे हैं और जब इस कानून का स्वरूप आयेगा तो निश्चित रूप से गैर अभावग्रस्त क्षेत्र में भी जो सरकार की मंशा है उसी के आधार पर देशी जो गौ वंश है, राठी, थारपारकर, गिर, कांकरेज और साईवा हैं, इन वैराइटीज के संरक्षण, संवर्द्धन और उन्नयन के लिए हम लोगों ने एक कार्य योजना भी स्वीकृत की है।

मैं आपके माध्यम से सदन को इतना आश्वासन देना चाहूंगा कि निश्चित रूप से गौ वंश के संरक्षण के लिए सरकार और पूरा सदन और पूरे राजस्थान की जनता चिंतित है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि हम जिस प्रकार कानून में संशोधन करेंगे, जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी यह कहा है कि आवारा कौन है, आवारा गाय नहीं होती है, आवारा वो लोग हैं तो एक मास्टर लाइबिलिटी तय होनी चाहिये कि हम उन गौ वंशों का पंजीयन कराने

(श्री प्रभू लाल सैनी)

का काम करने के साथ-साथ उनके टैगिंग की व्यवस्था भी करेंगे। यदि ऐसे मालिक उनको सड़कों पर छोड़ते हैं और फिर आवारा कहलाने लायक होती हैं उन गौ स्वामियों के खिलाफ भी हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: डाक्टर जसवंत सिंह यादव।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़): सीधा पूछ लूं या पढ़ेंगे? पढ़ दो ना, और क्या है। मंत्री महोदय, पूछ ही लेता हूं। नहीं नहीं, मैं पूछ लेता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: आपका पूरा जवाब आ गया है, आपने जो सवाल पूछा था। पूरा जवाब आ गया है। विराजिये, विराजिये।

**श्री कैलाश चौधरी** (बायतू): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राज्य में गोचर भूमि जो सरकारी स्तर पर या अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम चरागाह विकास करने का विचार रखती है, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? क्योंकि कई ऐसी गोचर भूमि हैं, जिसके ऊपर अगर हम कुछ बोयें और उसके ऊपर ऐसा हो जाये तो गायों के लिए हम चरागाह के रूप में विकसित कर सकें, इसके लिए क्या सरकार विचार रखती है?

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में गोचर भूमि होती है और गोचर भूमि राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायतों के खाते में होती है और गोचर भूमि का सही रूप से तात्पर्य यह है कि उन गौ-वंशों के लिए या किसी भी प्रकार के हमारे कैटल्स हैं, पाश्चर लैण्ड के रूप में वह जानी जाती है। अभी हाल में ही और पिछली सरकार ने या सभी सरकारों ने चरागाह संवर्द्धन के लिए, चरागाह के उत्थान के लिए नरेगा योजना में कई प्रकार की स्वीकृतियां भी जारी की जाती हैं लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर दायित्व बनता है कि वह ऐसे चरागाह जिन पर लोगों ने अतिक्रमण किये हैं, उनको हटाने की कार्यवाही यदि ग्राम पंचायत स्तर पर की जाती है, कलक्टर को भेजी जाती है तो निश्चित रूप से सरकार उनको सहयोग करेगी।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़): पढ़ दो, मेरा भी पढ़ दो। ये पढ़ रहे हैं क्या? मेरा भी पढ़ दो ना।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब तक माननीय मंत्रीजी ने कहा, 1960 के किसी कानून का हवाला दिया, 1964 का दिया, उनके तहत गौशालाओं को अनुदान देने की व्यवस्था नहीं है। अगर मैं सही हूं तो आप मुझे बता दीजिये, आपने यही कहा है अभी। प्रश्न

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
यह उत्पन्न होता है कि फिर आप किस कानून के तहत गौशालाओं को अनुदान दे रहे हैं? आपका कब अमेंडमेंट होगा? आज चारे का जो भाव है, चारे की कीमत बाजार में बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं? गौ-वंश का इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़): सैनीजी, हम क्या करें?

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): मैं इनका दे दूं? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: यह पूरक प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़): पहले अध्यक्षजी, मेरा तो हो जाये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): आप बाद में पूछ लीजिये। मेरा इतना ही पूरक प्रश्न है, मैं मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि आपने गोपालन विभाग बना दिया, गायों के प्रति आपकी श्रद्धा है। मेरा छोटा सा प्रश्न है, आपने कहा कि अनुदान देने का प्रावधान नहीं है तो पिछली सरकार ने अप्रैल-मई और जून, तीन महीनों का 36 रुपया बड़ी गाय का और 18 रुपया छोटी गाय का देने का प्रावधान किया था और सभी गौशालाओं को मिला था, वह प्रावधान किस कारण के अन्तर्गत था और मंत्रिमण्डलीय समिति ने चुनाव के समय जो निर्णय लिये थे, उनको रोककर, उस पर कुछ बातों को रोककर अपना फैसला करना था, इस अनुदान पर मंत्रिमण्डलीय समिति ने क्या फैसला किया? सरकार यह तीन महीने का अनुदान देने के पक्ष में है या नहीं है?

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य और सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस अधिनियम और कानून की बात जानना चाही है, मैं फिर सदन में इसको दोहराते हुए कहना चाहूंगा, राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 एवं गौशाला नियम, 1964 में जब यह प्रावधान किया गया था तो सैक्शन 2(ख) में यह प्रावधान किया गया था कि जो भी गौशाला खोलेगा, यह उसकी मेंडेटरी जिम्मेदारी होगी कि वह उसका संरक्षण, संवर्द्धन और उसके मेडिकल की व्यवस्था करेगा, इसलिए गौशालाओं का पंजीयन इस अधिनियम में किया जाता है।

जहां तक अनुदान की बात आई है, अनुदान के बारे में मैंने पहले भी कहा, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का शायद नहीं रहा होगा, अभावग्रस्त और गैर अभावग्रस्त, मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया था।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

अभावग्रस्त क्षेत्र तब होता है, जब डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्पोंड फण्ड द्वारा गौशालाओं को अनुदान देने का, चारा डिपो खोलने का और चारा परिवहन करने के अधिकारों का उसके अन्तर्गत लिया जाता है। लेकिन इसी बात में चिंता करते हुए राजस्थान की यशस्वी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने और हम लोगों ने संवर्द्धन और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में जो प्रावधान नहीं था, उनका प्रावधान करने के लिए ही सुराज संकल्प में इसकी घोषणा की है। हम शीघ्र ही इस व्यवस्था को करेंगे और करने के बाद राजस्थान का गौ-वंश, जो गौशालाओं में संरक्षित, संवृद्धित किया जायेगा, उनको निश्चित रूप से करेंगे। जिस प्रकार की चारे की, उनके संरक्षण की, ब्रीड कन्फर्मेशन की, उनको आगे बढ़ाने की जो भी कार्यवाही होगी, राजस्थान सरकार करेगी।

**श्री अध्यक्ष**: डाक्टर जसवन्त सिंहजी। (व्यवधान) मैं डाक्टर जसवन्त सिंह को पहले पुकार चुका हूं। (व्यवधान) मैं डाक्टर जसवन्त सिंह को पुकार चुका हूं। कृपया मानिकजी।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़): पहले मेरे प्रश्न का जवाब आ जाये।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): मैं अर्ज करना चाहता हूं...

**श्री अध्यक्ष**: वरिष्ठ सदस्य हैं।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): ...राजस्थान में अभाव घोषित करने की एक निश्चित प्रक्रिया है। अभाव तो 15 अक्टूबर के बाद घोषित होगा अध्यक्ष महोदय, 15 अक्टूबर से पहले गिरदावरी नहीं बनेगी और 15 अक्टूबर का इंतजार हम क्यों कर रहे हैं? जबकि पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं हुई है, अनेक जगहों पर चारे के भाव आठ रुपये किलो हो गये हैं। गाय को मेंटेन करना, साधारण जो दूध देने वाली गाय है, उसके लिए भी मुश्किल है। आपका 300 करोड़ का गौपालन विभाग आपने बनाया है और इधर आपातकाल में भी बड़े भारी प्रावधान, माननीय मुख्य मंत्रीजी कह चुके हैं कि 700 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इन प्रावधानों के बावजूद यदि धरातल में गायों के लिए, जो सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि 36 रुपये और 18 रुपये, इसकी व्यवस्था नहीं होती है तो माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सारे नियमों का चाहे अध्ययन करें, पर अनुदान देने में कोई बाधा नहीं है नियमों की और पूर्व सरकार ने किया है, जो गौपालन में ज्यादा

(श्री मानिक चन्द सुराना)

विश्वास नहीं करती थी, उस सरकार ने किया है। फिर आपके सामने कौनसे नियमों की कठिनाई आ रही है कि आप यह कह रहे हैं कि हम करेंगे, करेंगे। आप करने की ठोस घोषणा माननीय मंत्री महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए करें कि अभी अभाव नहीं है। (व्यवधान) फिर भी आप करने की व्यवस्था करें, यह मेरा नम्र निवेदन है आपसे।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल गौमाता का नाम लेकर चुनाव जीतते हैं, गौमाता के खिलाफ हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी।

**श्री अध्यक्ष**: अब इस पर बहुत पूरक सवाल आ गये हैं। नहीं नहीं। (व्यवधान) एक सीमा होती है पूरक प्रश्नों की। (व्यवधान) डाक्टर जसवन्त सिंहजी।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्षजी, ये वैल में बैठे थे इसी मुद्दे के लिए, इसलिए इनको थोड़ा समय दिया जाये।

**श्री अध्यक्ष**: बैठिये आप। (व्यवधान) मैं आपकी रिक्वेस्ट पर नहीं दूंगा। मैं यहां की व्यवस्था के हिसाब से दूंगा ना।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़): अध्यक्षजी, पहले मेरा नम्बर है। (व्यवधान) मेरा प्रश्न है।

**श्री छोटू सिंह** (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, पशुपालन में राजस्थान मे जैसलमेर नम्बर वन है। वहां हालात ऐसे हैं हुकुम कि गाय तो ब्याती है तो कोई रस्सी डाल देता है, लेकिन उन बैलों का क्या हाल होगा हुकुम, इसको न तो विचरण को जगह है, न पानी पिलाने को जगह है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये, विराजिये।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, एक छोटा सा सवाल आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं।

**श्री अध्यक्ष**: मैंने जसवन्त सिंह यादव को पुकारा है, बैठिये आप। हां, जसवन्त सिंहजी। (व्यवधान) बोलो आपका सवाल। इतने पूरक प्रश्न अलाउ नहीं करता। (व्यवधान) एक घंटा इसी में चला गया। नहीं, नहीं, इसके बाद रामलालजी का पूरक प्रश्न होगा। उसके बाद। (व्यवधान)

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़): अध्यक्षजी, यह सही है कि गौ-वंश को बचाने के लिए हमारी मुख्य मंत्रीजी और सरकार तो चिंतित है तभी तो गौ मंत्रालय का निर्माण करने की घोषणा की है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): करने से क्या होता है।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़): अब माननीय मंत्री महोदय से मैंने प्रश्न पूछा कि गत पांच वर्षों में गौशाला को कुल कितना अनुदान मिला? मैंने अभावग्रस्त या कुछ नहीं पूछा है। मेरा सीधा प्रश्न यह था कितना अनुदान मिला? सरकार ने मुझे जवाब दिया है कि टोटल 1,407 तो गौशालाएं हैं और पांच साल में अनुदान दिया 349.68 करोड़ रुपये का। तो अनुदान की बात के लिए अभी तो मना कर रहे थे, अब हमने कह दिया कि दिया है। मेरा जो प्रश्न है कि गौ-वंश को बचाने के लिए एक तो समय पर राशि मिल जाये, जो गौशाला में समय पर राशि नहीं पहुंचती है। दूसरा, उसका सदुपयोग हो जाये। सरकार की तरफ से क्या कोई ऐसा प्रावधान हो सकता है क्योंकि सदुपयोग तो तभी हो सकता है तब सरकार की तरफ से उसकी मानिटरिंग की जाये।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये, विराजिये। माननीय मंत्रीजी।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़): मैं पूरा ही पूछ लूं एक बार में। एक बार में ही पूछ लूं, फिर बार-बार ये बीच में खड़े हो जायेंगे। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: बैठिये, बैठिये।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़): आप बैठिये। मैं जब बोल रहा हूं तो बीच में क्यों बोल रहे हो? अध्यक्षजी, इनको बैठाओ। बैठिये आप।

**श्री अध्यक्ष**: बैठिये आप। मैं इतने पूरक प्रश्न अलाउ नहीं कर सकता। तीन अलाउ करने थे, आठ-दस अलाउ कर चुका हूं। (व्यवधान) हां, इनका जवाब दीजिये। इनके बाद रामलालजी। उसके बाद कोई सवाल नहीं होगा। (व्यवधान) बैठिये आप। केसारामजी, बैठिये आप, बैठिये।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़): अध्यक्षजी, एक तो मंत्रीजी कोई ऐसा इसके अन्दर संशोधन कर रहे हैं जो महीने के अन्दर जो अनुदान दिया जाता है, जो भी राशि सहायता के लिए दी जाती है...

**श्री अध्यक्ष**: आप रिपीट कर रहे हैं, मंत्री महोदय। विराजिए आप, मंत्रीजी जवाब देंगे।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़): उसकी सरकार द्वारा मानिटरिंग की जाएगी या नहीं? दूसरा, इसी के अन्दर गौशाला के अन्दर मैंने पूछा था कि गौशालाएं उपचार के अभाव में मौत का शिकार हो जाती हैं। ऐसी कई गौ-

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

शालाएं हैं जिनके अन्दर गायें उपचार के अभाव में मरी हैं। टीवी में भी आया है, अख़बारों में भी आया है तो मंत्रीजी से कि हमारी गौ-शालाएं रजिस्टर्ड हैं, सरकार उनको अनुदान देती है, सहायता करती है तो क्या मंत्रीजी ऐसा कोई अपना नियम बनाएंगे कि यहां जो हमारे वेटेनरी डाक्टर हैं वो गौ-शाला की मंथली जांच कर लें जिससे गौ-शाला के अन्दर बीमारियां नहीं फैलें और गौ-शाला के अन्दर गायें उपचार के अभाव में नहीं मरें।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, अब विराजिए मंत्रीजी जवाब दीजिए। इसी से, इसी से करते हुए आप बढ़ाते जा रहे हैं।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़): इसी में ही, गौ-शाला के अन्दर, गौ-वंश का मतलब उसमें गाय भी होती है और बछड़े भी होते हैं। अब गौ-शाला के अन्दर जो हमारी तरफ के लोग हैं, मैं तो अपने यहां कि गौ-शाला को जानता हूं। वो गायों की देखरेख तो सही कर लेते हैं और जो बछड़े पैदा हो जाते हैं उनको या तो कसाई के हाथ बेच दिया जाता है या जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है तो सरकार इस पर भी कुछ उपाय करने की योजना बना रही है क्या?

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए, मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आप स्थान ग्रहण कीजिए। इतने पूरक प्रश्न अलाउ नहीं किए जा सकते। विषय गम्भीर था इसलिए मैंने बहुत समय दे दिया। अंकित नहीं होगा।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): ×××

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बारह पूरक प्रश्न पूछे गए हैं, मंत्री महोदय कैसे जवाब देंगे? (व्यवधान)

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: इतने पूरक प्रश्न मैं अलाउ नहीं कर कर सकता, बैठिए आप। माननीय मंत्री महोदय, आप विराजिए। मंत्री महोदय, अपना जवाब दें।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बताया कि गश्त गिरदावरी का समय देर से होता है और अभी अभावग्रस्त की स्थिति हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा 15 सितम्बर से लेकर 16 अक्टूबर तक राजस्थान में गश्त गिरदावरी की जो हमारी व्यवस्था की गई है। लेकिन सरकार को जहां ऐसा लगता है पिछली बार, कई बार भी हुआ है यदि

(श्री प्रभू लाल सैनी)

ऐसा लगता है तो समय से पहले से भी उसकी गश्त गिरदावरी करवाकर अभावग्रस्त की स्थिति का जायजा लिया जा सकता है। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गौ-सदन दो राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है कोडमदेश्वर और दौसा में। वहां पर ऐसे अपंग गौ-वंश होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता है। उनके लिए सरकार की तरफ से 75 हजार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से देते हैं और उपचार के लिए जैसा कि बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि गौ-शालाओं में इलाज के अभाव में कोई मृत्यु होती है तो मैं आज सदन को यह कहना चाहूंगा कि सारे राजस्थान की 1407 गौ-शालाएं वहां पर उपचार के लिए चाहे मोबाइल यूनिट्स भेजनी पड़ेगी, चाहे मेरे अधिकारी भेजने पड़ेंगे, चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। चिकित्सा के अभाव में एक भी गौ-वंश नहीं मरेगा, यह सदन में कहता हूं।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़): बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री रामलाल। आप बैठिये, धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पशुपालन, किसान और मण्डी इन तीनों को अलग नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से किसान के दुर्घटना होती है तो उसमें किसान कल्याण कोष मण्डी द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कराता है। क्या मंत्री महोदय भौगोलिक क्षेत्र में जो मण्डियां हैं और उन मंडियों के अन्दर जो गौ-शालाएं आती हैं क्या मण्डी शुल्क का जो पैसा आता है उस पैसे से इन गौ-शालाओं के अन्दर सहायता उपलब्ध करवाने का मन रखते हैं?

**श्री अध्यक्ष**: मंत्री महोदय, आप जवाब दीजिए। मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं। अंकित नहीं होगा। आप जवाब दीजिए मंत्रीजी। मंत्रीजी के जवाब के अलावा कुछ भी अंकित नहीं हो।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): ×××

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): ×××

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की चिंता की है कृषि उपज मण्डी अधिनियम में ऐसे कोई प्रोविजन नहीं हैं। लेकिन फिर भी सरकार ने एक बहुत बड़ा समुचित फैसला माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है कि हम लोग संरक्षण,

(श्री प्रभू लाल सैनी)

संवर्द्धन पर काम करेंगे और उसका एक फण्ड जिसके बारे में सुराज संकल्प यात्रा में कहा कि साढ़े तीन सौ करोड़ की एक व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो मैं समझता हूं कि किसी अन्य व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है। सारी व्यवस्था सरकार उसमें करेगी।

**श्री अध्यक्ष**: नैक्स्ट, श्री चन्द्रभान सिंह।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्षजी...

**श्री अध्यक्ष**: प्रतिपक्ष के नेता मैं आपसे निवेदन करूं, आप यहां व्यवस्था कर दीजिए कि मुझे कितने पूरक प्रश्न अलाउ करने चाहिए। यह आप कर दीजिए।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): एक मौका दीजिए आप।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, विराजिए आप। अंकित नहीं होगा।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): ×××

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: जैसे चल रहा है। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): ×××

**श्री अध्यक्ष**: श्री चन्द्रभान सिंह। अंकित नहीं होगा।

## चित्तौड़गढ़ जिले में जे.एल.एन. सोलर मिशन से लाभान्वित गांव

**101. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'** (चित्तौड़गढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में जवाहर लाल नेहरू सौलर मिशन के अन्तर्गत वर्तमान में कौन-कौनसी योजनाएं कहां-कहां पर संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं में गत 5 वर्षों में जिला चित्तौड़गढ़ में कितने लाभार्थियों को कहां-कहां पर लाभान्वित किया गया? लाभार्थियों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से कितने ग्रामों में कितने आवासों को विद्युतीकृत किया गया है तथा कितने ग्रामों व ढाणियों को विद्युतीकृत किया जाना शेष है? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

(4) क्या सरकार विद्युतीकरण से वंचित ग्रामों व ढाणियों को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो, क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**ऊर्जा मंत्री** (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) प्रदेश में जवाहर लाल नेहरू सौलर मिशन के अन्तर्गत वर्तमान में निम्न योजनाएं संचालित हो रही हैं :-

1. ग्रिड इंटरएक्टिव सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की स्थापना

2. सौलर वाटर हीटिंग सिस्टम

3. आफ ग्रिड सोलर एप्लीकेशन कार्यक्रम

(अ) सोलर पम्प

(ब) सोलर घरेलू लाइट सिस्टम

विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

उपरोक्त योजनाएं राजस्थान के भिन्न-भिन्न जिलों में संचालित की जा रही है।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत गत 5 वर्षों में लाभार्थियो का योजनावार विवरण निम्नानुसार है:-

1. ग्रिड इंटरएक्टिव सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की स्थापना सूचना शून्य

2. सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम योजना में 14 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। जिनका विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

3. आफ ग्रिड सोलर एप्लीकेशन कार्यक्रम (अ) सोलर पम्प कार्यक्रम गत 5 वर्षों में लाभान्वित किये गए 268 लाभार्थियों का विवरण प्रपत्र 'स' पर उपलब्ध है।

(ब) सोलर घरेलू लाइट सिस्टम इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 प्रतिशत अनुदान पर सोलर घरेलू लाइट (37 वाट) उपलब्ध कराये गये। 8 लाभार्थियों का विवरण प्रपत्र 'द' पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 20 अविद्युतीकृत गांवों, 101 ढाणियों के विद्युतीकरण सहित सभी गांवों/ढाणियों में 3493 बीपीएल आवासों को विद्युतीकृत किया गया। उनका ग्राम पंचायतवार विवरण प्रपत्र 'य' पर उपलब्ध है। विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनानुसार सभी गांव विद्युतीकृत हैं।

(श्री गजेन्द्र सिंह)

(4) चितौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सभी गांव विद्युतीकृत हैं। पूर्व में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत से वंचित रहे 100 से अधिक आबादी वाली ढाणियों का सघन विद्युतीकरण कर 12वीं पंचवर्षीय योजना में बीपीएल परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किये जायेंगे। 100 से कम आबादी वाली ढाणियों के विद्युतीकरण के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्नकाल समाप्त।

**(12.00 बजे)**

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से हाल ही में अलवर के सदर थाना अन्तर्गत ग्राम सिरमौली में पुलिस द्वारा रात्रि में फायरिंग कर घरों में घुस कर मारपीट करने तथा 20/7/2014 को थाना रामगढ़ (अलवर) में पुलिस ज्यादती से जुम्मा तेली की मौत की घटना के सम्बन्ध में।

(2) श्री रमेश, सदस्य की ओर से राज्य में विद्युत आपूर्ति में घोर अव्यवस्था एवं कटौती तथा कनेक्शन जारी नहीं करने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल एवं श्री रमेश को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

## नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणी के विद्युत कनेक्शनों की मीटर रीडिंग समय पर एवं सही नहीं होने से उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(2) श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के स्कूलों में अध्यापकों की कमी होने से नामांकन की संख्या घटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री मदन राठौड़, सदस्य की ओर से सुमेरपुर उप परिवहन कार्यालय को जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(5) डा. बालू राम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की गंगापुर स्पिनफेड को-आपरेटिव मिल लिमिटेड काफी समय से घाटे में चलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री नन्दकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से जिला सीकर के फतेहपुर में राजकीय कालेज खोलने के सम्बन्ध में।

(7) श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य की ओर से अजमेर विकास प्राधिकरण का एक ही मास्टर प्लान बनाकर उसमें किशनगढ़, पुष्कर को शामिल करने के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती अमृता मेघवाल, सदस्य की ओर से जालौर जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों आदि के रिक्त पदों को भरने तथा ट्रोमा सेन्टर शुरू करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई के कतिपय ग्रामों में बजरी के अवैध खनन पर रोक लगाने के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती अनीता, सदस्य की ओर से गो-तस्करी रोकने हेतु कतिपय सीमावर्ती जिलों में पुलिस चौकियां स्थापित करने के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से अजमेर शहर के राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के स्वयं के भवन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से ईंट मिट्टी पर वसूली जाने वाले रायल्टी, 12 माह के स्थान पर 8 माह की वसूलने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

चिट के द्वारा श्रीमती शिमला बावरी, श्री सुखराम विश्नोई, श्री छोटू सिंह और श्री सुरेश धाकड़ अपना वक्तव्य देंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल।

# स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

## अलवर जिले के सिरमौली ग्राम में मेव समुदाय के व्यक्तियों को पुलिस द्वारा प्रताड़ना

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अलवर जिले के इस्माइल का बास सिरमौली में अलवर जिले के एस.पी. द्वारा गठित कोबरा टीम के साठ-सत्तर जवानों ने चार तारीख की रात को दस बजे गांव में घुस कर घरों में नमाज पढ़ रही महिलाओं व बच्चों के साथ संगीन मारपीट की। अध्यक्ष महोदय, कल डा. किरोड़ी लालजी मीणा के नेतृत्व में चार विधायक गोलमाजी, गीताजी और मैं स्वयं उस घटनास्थल पर गये थे और वहां लोग अलवर के एस.पी. और उसकी कोबरा टीम से इतने डरे हुए हैं कि लोगों ने कहा कि हालात को ठीक नहीं किया तो हम राजस्थान से पलायन कर जाएंगे। हम यहां नहीं रुक सकते। महिलाओं के साथ इतना अभद्र व्यवहार किया गया। उनके कपड़े फाड़ दिये गये और एक बारह साल के बच्चे के मुंह में गन डाल कर उसको मां-बहन की गालियां दीं और एक पांच साल की बच्ची को पीटा जिसके निशान उसके शरीर पर मौजूद थे। अध्यक्ष महोदय, कल की घटना देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि अलवर कहीं राजस्थान से अलग तो नहीं जहां एकछत्र अलवर के एस.पी. का राज चल रहा है। इस घटना की जितनी निन्दा की जाए उतनी ही कम है। हो सकता है कि मेवात में गो-तस्करी में कई लोग लिप्त पाये जाते होंगे लेकिन इस तरह अपराधियों को पकड़ने की आड़ में पुलिस अगर कोबरा टीम के जरिये निर्दोष महिलाओं पर, निर्दोष बच्चों पर इस तरह की निरंकुश कार्यवाही करे इससे बड़ी शर्मनाक बात हो नहीं सकती।

**श्री अध्यक्ष**: समाप्त कीजिये।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि इस पूरी घटना की उच्चस्तरीय जांच करके उन लोगों के मन में विश्वास पैदा हो कि सदन चल रहा है और सदन में हमारी बात उठाई गई। विधायकों का दल भी आया, मानवाधिकार आयोग के लोग भी गये, अल्पसंख्यक आयोग के लोग भी गये और महिला आयोग के लोग भी वहां जा

(श्री हनुमान बेनीवाल)

रहे हैं तो उनके मन में यह विश्वास पैदा करना होगा कि राजस्थान की सरकार संवेदनशील है। इस तरह किसी एस.पी. को सरकार इजाजत नहीं देती कि वो चाहे जिसको मारने के लिए उतारू हो जाए। ठीक है उनकी कोबरा टीम को लेकर पहले भी जो भी अखबारों में छपा था कि पुलिस मुख्यालय भी कोबरा टीम को लेकर सहमत नहीं था लेकिन एस.पी. की...(व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): ×××

**श्री अध्यक्ष**: मेरी बिना अनुमति के आप बोल रहे हैं अंकित नहीं हो। वो बोल रहे हैं आप उनको डिस्टर्ब मत कीजिये। अंकित नहीं हो। ये आप अपना देते, आप अपनी तरफ से देते। आप विराजिये। नहीं, अंकित नहीं हो। किरोड़ी लाल जी मीणा बिना मेरी इजाजत के बोल रहे हैं बिना किसी नोटिस के, अंकित नहीं हो। हां आप समाप्त कीजिये।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, रात को पुलिस जब कहीं रेड करती है अपराधियों को पकड़ने के लिए तो महिला पुलिस को साथ लेकर जाना होता है उस पूरी टीम में एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। वीडियोग्राफी नहीं करायी गई और मस्जिद का दरवाजा तोड़ कर शराब के नशे में धुत कोबरा टीम के सदस्य मस्जिद में घुस गये और मस्जिद के...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: अब समाप्त कीजिये। दो मिनट की बजाय आपने...

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): एक मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी शर्मनाक घटना हो नहीं सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कल आंखों से देखा ...(व्यवधान)

**श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर): ×××

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): ×××

**(माननीय सदस्य डा. किरोड़ी लाल सदन कूप में आकर बोलने लगे)**

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं हो रहा है उनका भी। आसन पैरों पर है। अपना स्थान ग्रहण करें। हो गया, नहीं पर्याप्त हो गया। मैं निवेदन करूं आपसे पर्याप्त हो गया दो मिनट के बजाय, नहीं बैठिये अब। अब सरकार रेस्पोंड कर रही है।

**श्रीमती गोलमा** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): ×××

**श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर): ×××

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): ×××

**श्री धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर): ×××

**श्रीमती गोलमा** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): ×××

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): ×××

**श्री अध्यक्ष**: आसन पैरो पर है। (व्यवधान) माननीय प्रतिपक्ष के नेता, अंकित करना चालू कर दो, प्रतिपक्ष के नेता,...(व्यवधान) आसन पैरों पर है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय...(व्यवधान)

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता प्रतिपक्ष) माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य ने रखा ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, मैंने मना कर दिया, बैठिये आप। (व्यवधान) दो मिनिट के बजाए आप 12 मिनट ले चुके हैं, बैठिये। (व्यवधान) इनका अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): ×××

**श्री अध्यक्ष**: किसी का अंकित नहीं हुआ है।

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): ×××

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: प्रतिपक्ष के नेता...

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): ×××

**श्री अध्यक्ष**: हाउस को आर्डर में लाना है मुझे। ...(व्यवधान)... मैं हाउस को आर्डर में लाना चाहता हूं। बैठो आप। प्रतिपक्ष के नेता ...(व्यवधान)

**श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर): ×××

**श्री धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर): ×××

**श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़ बास): ×××

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): ×××

**(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लाइये, मंत्री महोदय, जवाब दे रहे हैं। आपकी बात का माननीय मंत्री महोदय जवाब देना चाहते हैं, सरकार जवाब देना चाहती है। एक बार माननीय मंत्री महोदय से सुन लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुनें तो सही, माननीय मंत्री महोदय जवाब देना चाहते हैं, जवाब तो सुनें। (व्यवधान) मंत्री महोदय का जवाब सुनें।

**श्री अध्यक्ष**: गुलाबजी।

**(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, केवल हल्ला करके गलत काम को सही काम साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कोई घटना ...(व्यवधान) मैं आपके सामने रख रहा हूं। ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। यह सारा बनावटी खेल है। (व्यवधान) मैं एक-एक चीज का जवाब देने के लिए तैयार हूं।

**श्री अध्यक्ष**: आसन पैरों पर है। सब अपने-अपने स्थान पर जाइये। मनमानी नहीं चलेगी। इस किताब की मनमानी चलेगी। (व्यवधान) खड़ा हो जाए और बोलना चालू कर दें और कुछ लोग यह समझते हैं कि उनकी मोनोपोली इस सदन में, तो नहीं चलने दी जाएगी, यह किताब चलेगी। स्पीकर की चलेगी...(व्यवधान)...इस किताब के साथ ही चलेगी। मैं कहना चाहता हूं अपने-अपने स्थान पर जाइये। सरकार की ओर से गुलाबचन्दजी जवाब दे रहे हैं उसको सुनिये ...(व्यवधान)

# शासकीय वक्तव्य (स्थगन प्रस्ताव)

## अलवर जिले के सिरमौली ग्राम में मेव समुदाय के व्यक्तियों को पुलिस द्वारा प्रताड़ना

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दिनांक 13.07.2014 को श्री अली अनवर राज्यसभा सदस्य पटना (बिहार) के नेतृत्व में अलवर जिले के मेव समुदाय के मौजूजास व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि मण्डल पुलिस अधीक्षक जिला अलवर से मिला और एक ज्ञापन प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि अलवर जिले में मेव समुदाय के व्यक्तियों को कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है... (व्यवधान) कि रमजान के महीने में इबादत करती महिलाओं पर जुल्म ढाये गये। गर्भवती महिलाओं के साथ मारपीट की गई और महिलाओं के गले से पुलिस वाले सोने के जेवरात ले गये। अत: दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। पुलिस अधीक्षक जिला अलवर द्वारा उक्त ज्ञापन एवं प्राप्त परिवाद...(व्यवधान) और प्रेस कान्फ्रेंस में उक्त जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच करवाई गई एवं अभियोग संख्या इनकी शिकायत पर अभियोग संख्या 489/2014, 490/2014, 491/2014 पुलिस थाना सदन जिला अलवर की अनुसंधान पत्रावलियों का निरीक्षण किया गया।

जांच/अनुसंधान, जिस आईपीएस प्रशिक्षु को पूरे घटनाक्रम के केन्द्र

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बिन्दु में रखकर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने, श्री आदर्श सिद्धू ने, मौके पर खड़े होकर यह तथाकथित अत्याचार कराया, मौके पर उपस्थित ही नहीं था, मौके पर उपस्थित ही नहीं था पुलिस दल...(व्यवधान) पुलिस का नेतृत्व गश्ती दल में शामिल एक पुलिस उप निरीक्षक के स्तर के अधिकारी द्वारा किया जा रहा था।

घटनास्थल पर पुलिस द्वारा 4 राउंड हवाई फायर किया जाना बताया गया है जो पूर्णतया तथ्यहीन, मनगढ़ंत एवं असत्य है। (व्यवधान)

घटनास्थल पर पुलिस द्वारा मस्जिद में जूते पहनकर घुसना बताया जा रहा है जो पूर्णतया तथ्यहीन, मनगढ़ंत एवं असत्य है।

पुलिस द्वारा एक बच्चे के मुंह में राइफल की नाल डालना बताया जा रहा है जो पूर्णतया तथ्यहीन, मनगढ़ंत एवं असत्य है। (व्यवधान)

शिकायतकर्ता महिलाएं पुलिस द्वारा दर्ज किये गये प्रकरण के मुख्य आरोपी इस्माइल के परिवार की निकट सदस्य हैं जो हितबद्ध होकर मुख्य आरोपी के बचाव हेतु मिथ्या दोषारोपण कर रहे हैं। (व्यवधान) आरोपी को बचाने के लिए मिथ्या दोषारोपण कर रहे हैं।

पांच महिलाओं का चिकित्सीय परीक्षण तथाकथित घटना के एक दिन बाद कराया गया है जिसमें रिपोर्ट के अनुसार मामूली खरोंच है तथा वह भी तीन से पांच दिन पुरानी है। (व्यवधान)

जिस गांव को शांतिप्रिय एवं अपराध मुक्त बताया जा रहा है वह पुलिस रिकार्ड के अनुसार अपराधियों का गढ़ रहा है तथा पिछले 10 वर्षों में 124 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं जिनमें 207 व्यक्तियों का चालान हो चुका है जिसमें 2 मुकदमे पुलिस के साथ मजाहमत के भी हैं।

पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरण में जिन आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही वांछित है तथा जिन्हें पूर्णतया निर्दोष एवं बिना किसी आपराधिक इतिहास का बताया जा रहा है उनमें से एक आरोपी इस्माइल के विरुद्ध 13 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। दूसरे आरोपी रूजदार के विरुद्ध 16 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। (व्यवधान) आरोपी सब्बा खान के विरुद्ध 4 प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी इसरा खां के विरुद्ध 5 प्रकरण दर्ज हैं तथा नवाब खां, मौसम खां एवं कासम खां के विरुद्ध भी पूर्व से प्रकरण दर्ज हैं। (व्यवधान)

**(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे व शोरगुल)**

किसी भी गर्भवती महिला व छोटे बच्चे के साथ मारपीट का कोई

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

प्रमाण नहीं है। मौके पर जो भी तोड़फोड़ दिखाई जा रही है वह पुलिस के द्वारा नहीं की गई है बल्कि किसी सोची समझी साजिश के तहत पुलिस को बदनाम करने व फंसाने हेतु बाद में की गई प्रतीत होती है।

जांच के अनुसार पूरे प्रकरण में किसी भी उच्चाधिकारी द्वारा कोई गैर कानूनी, गैर जिम्मेदाराना या उकसाने वाला वक्तव्य, बयान या निर्देश किसी भी स्तर पर व किसी भी समय प्रसारित किया जाना नहीं पाया गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस के साथ मारपीट में वांछित आरोपियों के बचाव हेतु सोची समझी साजिश के तहत यह षड्यंत्र तैयार करके पूरी व्यूह रचना उनके परिवार की महिलाओं तथा समाज के निकट सम्बन्धियों के द्वारा रची गई है।

एक पुलिस थाना में मुकदमा नं. 291/14 धारा 143, 302, पी.एस. रामगढ़, जिला अलवर में मुकदमा दर्ज हुआ, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई।

दिनांक 20.07.2014 को श्री सपात खां पुत्र इसमाइल जाति मेव निवासी खिलोरा थाना रामगढ़ ने उपस्थित थाना रामगढ़ होकर बताया कि मैंने दिनांक 05.07.2014 को जुम्मा, कम्मू, समसू वगैरह जाति मेव निवासी खिलौरा के खिलाफ मेरे पट्टेशुदा प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश की व उसके परिवार वाले मेरे प्लाट में नींव खोद रहे हैं।

उक्त रिपोर्ट पर थाना रामगढ़ से एक उप निरीक्षक मय पुलिस जाब्ता के खिलौरा पहुंचे, जहां पर दोनों पक्षकार सपात खां पुत्र इस्माइल मेव एवं जुम्मा पुत्र ईदी मेव निवासी खिलौरा मौजूद मिले। सपात खां ने बताया कि इस जमीन का मेरे पास पट्टा है, जबकि जुम्मा ने बताया कि पंचायत ने इसके पट्टे को निरस्त कर दिया है।

सरपंच द्वारा जानकारी पर कहा कि पंचायत का काम मेरे पति कालूराम देखते हैं जिस पर सरपंच पति से इस सम्बन्ध में थाने पर बातचीत की गई तो बताया कि सपात खां को प्रशासन गांव के अभियान के दौरान गलती से पट्टा जारी किया गया था। जिसे निरस्त कर दिया गया है। मैं इन दोनों पक्षों में राजीनामा करवा दूंगा और सरपंच पति कालूराम दोनों पक्षों को लेकर तहसील रामगढ़ की तरफ चला गया।

चिकित्सा अधिकारी सी.एच.सी., रामगढ़ ने दोपहर 2.00 बजे जरिये टेलीफोन बताया कि जुम्मा खां पुत्र ईदी मेव निवासी खिलौरा को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां उसकी मृत्यु हुई है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जिस सूचना पर थानाधिकारी रामगढ़ मय जाब्तेशुदा सी.एच.सी. रामगढ़ पहुंचे। जहां पर पप्पू पुत्र जुम्मा मेव, निवासी खिलौरा ने एक तहरीर रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि हमारा पुश्तैनी बाड़ा गांव खिलौरा में है। आज मैं, मेरा पिता जुम्मा प्लाट में सफाई का काम कर रहे थे, करीब 10 बजे गांव के सपात, अशरफ मिसरा व इस्माइल आये व मेरे पिता के साथ हाथापाई की। सपात ने कहा कि हमारे पास इस जमीन का पट्टा है। जिस पर सपात ने कालूराम पुत्र हरबक्श जाटव सरपंच पति को मौके पर बुला लिया। जिन्होंने पुलिस बुला ली व मेरे पिता को थाने ले गई।

प्रार्थी व अन्य, यह कोई मृत्यु नहीं हुई है। यह सारा आपस में एक झगड़े के कारण से हुआ है। बिना किसी कारण से मनगढ़ंत आरोप लगाकर पुलिस को डिमोरलाइज कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं। यह हल्ला करने से काम नहीं चलता है। कानून कानून के हिसाब से चलेगा, +++ गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। समझ में आया ना। (व्यवधान)

यह कोबरा टीम क्या होती है, बताता हूं कोबरा टीम क्या होती है। पुलिस एक्ट की धारा 16 के तहत जहां बहुत अधिक अपराध होता है, वहां पुलिस का जो एस.पी. होता है, वह अलग से ट्रेनिंग देकर के कुछ अपने पुलिस कांस्टेबल्स को तैयार करता है जो इस प्रकार के अपराधों से मुकाबला करे। यह कोबरा टीम के नाम से जाना जाता है। यह स्पेशली, यह गुण्डागर्दी से अलवर को आपने डूबो कर रख दिया। अलवर जिस एस.पी. की मर्दानगी से आज काबू में है, अपराध घटे हैं, मैं आंकड़ों के साथ, विभाग का जब आयेगा, तब मैं आपको बताऊंगा। आपकी चीं इसलिय बोल रही है कि ...(व्यवधान) आप सबको घेंटा मरोड़कर खड़ा कर दिया है ना, यह सारे कैसेज अपराधियों को जिस ढंग से उसने दबोचा है ना, जिस ढंग से उसने काबू किया है अपराध को, आप उससे तिलमिला रहे हो। अलवर आज शांत जिला है। और अलवर पुलिस की मर्दानगी के कारण, अलवर पुलिस के एस.पी. की बहादुरी के कारण, अलवर आज काबू में है। कानून व ला एण्ड आर्डर बना हुआ है, केवल +++ गुण्डागर्दी के आधार पर कानून व्यवस्था को किसी जाति विशेष का पक्ष लेकर, जिस प्रकार का आप वोट बटोरने का धंधा करते हो, अपराधियों को बचाने का प्रयास करते हो। अपराध पर काबू कौन करेगा, पुलिस नहीं करेगी तो कौन करेगा। अपराधियों की वकालत करते हो। इस मंच का उपयोग इसलिये करते हो। यह राजस्थान की विधान सभा सात करोड़ लोगों की सभा है, इसका दुरुपयोग करते हो, और दुरुपयोग करके अपनी बात साबित करने का प्रयास कर रहे हो। यह हल्ला,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
आप सब भी आ जाओ ना, तो मैं अकेला ही आपकी आवाज को दबा दूंगा। आप क्या समझते हो। गुण्डागर्दी के आधार पर, पुलिस का मोरल नहीं दबाया जा सकता है। पुलिस जो काम कर रही है, वह बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है। पुलिस का मोरल बढ़ाना तो नहीं रहा, पुलिस को बदनाम करने का प्रयास करते हो। अगर आप चाहो तो अलवर की जनगणना करवा दो। लोगों से वोट ले लो, आज की तारीख में एस.पी. ने जिस ढंग से अलवर को काबू किया है, वह उसकी तारीफ करने के काबिल है। केवल बदनाम करते हो। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: श्री रमेश, अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलिये। श्री रमेश। (व्यवधान)

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): ×××

**श्री ओमप्रकाश** (महुवा): ×××

**श्री अध्यक्ष**: नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री जोगाराम पटेल। बोलिये।

**श्री ओमप्रकाश** (महुवा): ×××

**श्री अध्यक्ष**: मैं जिस किसी का नाम पुकारुं, केवल उसी का नोट कीजिये, अंकित कीजिये। श्री जोगाराम पटेल।

**श्री ओमप्रकाश** (महुवा): ×××

**श्री अध्यक्ष**: आप शांत रहिये। मैंने जोगारामजी को पुकारा है।

**श्री ओमप्रकाश** (महुवा): ×××

**(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे व शोरगुल)**

## नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

### लूणी के विद्युत कनेक्शनों की मीटर रीडिंग समय पर एवं सही नहीं होने से उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणी में आने वाले राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जितने भी मीटर लगे हुए हैं उन मीटरों की न तो नियमानुसार मीटर रीडिंग हो रही है और न ही उनके जो बिल हैं, वे नियमानुसार ही वितरण हो रहे हैं।

(श्री जोगाराम पटेल)

मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान व्याप्त भाई-भतीजावाद की वजह से समय पर मीटर रीडिंग के कार्य लगभग बंद हो गये थे। मीटर रीडर कीमत मर्जीनुसार कभी चार महीने में, छह महीने में या साल, दो साल बाद जब उसके जंचती है तब वह मीटर रीडिंग लेने जाता और इस कारण वह अपनी मन-मर्जीनुसार रीडिंग नोट करता और अक्सर अंदाज से मीटर रीडिंग ले लेता। जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अनेक उपभोक्ताओं के बिल उनके उपयोग से भी कई गुणा अधिक आते और इस वजह से बार-बार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। गरीब व साधारण उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त राशि वसूल होती जा रही है जिससे आम उपभोक्ताओं में अत्यधिक रोष है।

बिल वितरण का कार्य भी समय पर नहीं हो रहा है और हर उपभोक्ता को उसके घर पर नियमानुसार बिल वितरण नहीं हो रहे हैं। बिल वितरण समय पर नहीं होने से उपभोक्ता समय पर बिल जमा नहीं करा पा रहे हैं जिससे उस पर एक साथ भार बढ़ जाता है, कनेक्शन कट जाते हैं और उससे भी अतिरिक्त भार बढ़ जाता है, विवाद बढ़ जाते हैं।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): ×××

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): विधान सभा क्षेत्र लूणी में साधारणत: हर क्षेत्र में बिजली के तार अत्यधिक ढीलें हैं जिससे दुर्घटनाएं होने की हर समय आशंका रहती है। पूर्व में भी इस सम्बन्ध में दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। इस सम्बन्ध में अनेक बार शिकायत लिखित में दी गई परन्तु कोई यथोचित परिणाम नहीं निकला है। विधायक आपके द्वारा कार्यक्रम के दौरान जो जन-सुनवाई हो रही है, उसमें अक्सर हर गांव में उपरोक्त वर्णित शिकायत प्राप्त हो रही है, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि जनहित का अत्यन्त ही ज्वलंत मुद्दा है, ऐसी स्थिति में इस सम्बन्ध में मुनासिब स्टाफ लगाकर तुरन्त कार्यवाही की जाए। धन्यवाद।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: श्री पूरणमल सैनी। आप विराजिए।

आप बोल रहे हो? आप बोलिए, रिकार्ड होगा आपका। आपका रिकार्ड होगा, आप बोलिए। नहीं बोलना?

(माननीय सदस्य श्री पूरणमल सैनी बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: श्री धर्मपाल चौधरी। इनका एक भी शब्द अंकित नहीं होगा। इनका एक भी शब्द अंकित मत कीजिए। (व्यवधान)

## मुण्डावर के स्कूलों में अध्यापकों की कमी होने से नामांकन संख्या में कमी

**श्री धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों में अध्यापकों की कमी होने के कारण सरकारी स्कूलों में नामांकन की संख्या घट रही है। माध्यमिक विद्यालयों में विषय के व्याख्याता एवं अध्यापकों की कमी है। जिससे गरीबों के बच्चों की पढ़ाई की बहुत ही बड़ी समस्या होती है क्योंकि, आज के समय में सरकारी स्कूलों में या तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं या बेटियां पढ़ती हैं।

जो अध्यापक सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। पढ़ाई की व्यवस्था जब ही ठीक हो सकती है कि इन सरकारी अध्यापकों के बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, जिससे वह गरीब बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देंगे तथा अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी करने की कार्यवाही करें ताकि गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सकें।

**श्री अध्यक्ष**: श्री मदन राठौड़।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): ×××

## सुमेरपुर उप परिवहन कार्यालय का जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नयन

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-295 के तहत सुमेरपुर उप परिवहन कार्यालय को जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में निवेदन है कि पाली जिले की भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर सुमेरपुर तहसील का सुदूरवर्ती क्षेत्र जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जिससे आम आदमी को वाहन लाइसेंस, पंजीयन व फिटनेस आदि मूलभूत आवश्यकताओं के लिए करीब 200 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है और कई बार रात्रि को ठहरना भी पड़ता है जो कि आम जनता की जेब पर भारी पड़ता है। सुमेरपुर नगर में ही 08 कम्पनियों की चार से छह पहिया वाहनों की डीलरशिप, 10 से अधिक दोपहिया वहानों की एजेंसीज और 05 ट्रैक्टर की एजेंसीज हैं जिनसे लोग नए वाहन खरीदते हैं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): ×××

**श्री अध्यक्ष**: अपने माननीय सदस्यों को बैठाइए पहले।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): यानी, सुमेरपुर से वाहनों की बिक्री अधिक है। वर्तमान में सुमेरपुर में उप परिवहन कार्यालय है जहां निरीक्षक स्तर के अधिकारी कार्यरत हैं लेकिन जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय की आवश्यकता शिद्दत से महसूस की जा रही है। लेकिन, नव पंजीकृत वाहनों की नम्बर प्लेट लगाने व भौतिक निरीक्षण करवाने आदि कार्य के लिए बार-बार पाली आना पड़ता है जो 100 किलोमीटर दूर है। सुमेरपुर, बाली, तखतगढ़, सादड़ी, देसूरी एवं फालना इन क्षेत्रों में वाहनों का अधिक संचालन होने से इस क्षेत्र का राजस्व अर्जन भी सर्वाधिक मात्रा में होता है। सुमेरपुर क्षेत्र की कृषि मण्डी प्रसिद्ध है जहां राजस्थान की नामचीन ट्रक यूनियन है।

अत: यहां पर जिला परिवहन कार्यालय खोला जाना राजस्व की दृष्टि के साथ-साथ आम जन के भी हित में होगा। सुमेरपुर क्षेत्र के स्थानीय जन-प्रतिनिधियों व प्रबुद्ध वर्ग द्वारा भी सुमेरपुर उप परिवहन कार्यालय को क्रमोन्नत कर जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में बार-बार आग्रह किया जाता रहा है। अत: निवेदन है कि जनहित में जिला परिवहन कार्यालय सुमेरपुर में स्थापित कराने के आदेश प्रदान कर कृतार्थ कराएं। धन्यवाद।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): ×××

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: डा. बालू राम चौधरी।

## सहाड़ा की गंगापुर स्पिनफैड को-आपरेटिव मिल लिमिटेड में घाटे से उत्पन्न स्थिति

**श्री बालू राम चौधरी** (सहाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में गंगापुर में सहकारी क्षेत्र की मिल गंगापुर स्पिनफैड को-आपरेटिव मिल लिमिटेड कार्यरत है। उक्त मिल द्वारा क्षेत्र के कई व्यक्तियों को रोजगार दिया जा रहा है जो कि एक अच्छा कदम है। परन्तु, यह मिल बहुत लम्बे समय से घाटे में चल रही है जिसके कारण इस मिल के मजदूरों अपितु, स्वयं मिल की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। यह मिल शुरू में काफी लाभ में चल रही थी लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह घाटे में चल रही है। घाटे में चलने का मुख्य कारण मुख्य रूप से मिल का कु-प्रबंधन है।

(श्री बालू राम चौधरी)

लम्बे समय से मिल में जी.एम. का पद रिक्त चला आ रहा है जिसकी वजह से मिल का रोजमर्रा का प्रबंधन सही नहीं चल रहा है। कोई भी आदमी प्रबंधक की हैसियत से वहां पर निर्णय नहीं लेता है। मजदूरों की समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है। जिस कारण मिल का वित्तीय घाटा बढ़ता जा रहा है।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मिल के कुप्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया एवं मिल को घाटे से उबारने के लिए कोई गम्भीर प्रयास नहीं किए जिससे मिल की माली हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। मिल में कई आधुनिक मशीनें जो विदेशों से आयात की गई थीं उनका अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। या तो मशीनें खरीदनी नहीं चाहिए और अगर खरीदी गई हैं तो उनका मिल के लिए पूरा सदुपयोग होना चाहिए।

इससे मिल से सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही साफ झलकती है। कांग्रेस सरकार ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई एवं कभी इस विषय को गम्भीरता से नहीं लिया जिससे न केवल राजस्व घाटा हुआ अपितु मजदूरों के रोजगार पर भी कुठाराघात हुआ। अधिकारियों ने कभी आकर मिल का निरीक्षण नहीं किया एवं मजदूरों की समस्या को भी अनदेखा किया। इससे मजदूरों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, जिससे मिल के अस्तित्व को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है।

अत: सहकारिता मंत्रीजी से अनुरोध है कि मिल में प्रबंधन के जो पद रिक्त हैं उनको तुरन्त भरा जाए, मजदूरों की समस्या को दूर किया जाए, मिल का उत्पादन बढ़ाया जाए एवं मिल को घाटे से उबार कर लाभ की श्रेणी में लाया जाए, जिससे क्षेत्र की जनता व मजदूरों को पूरा लाभ एवं रोजगार मिल सके। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री नन्दकिशोर महरिया। (अनुपस्थित)

श्री भागीरथ चौधरी।

**(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे व शोरगुल)**

## अजमेर विकास प्राधिकरण का एक ही मास्टर प्लान बनाकर किशनगढ़ व पुष्कर को शामिल करना

**श्री भागीरथ चौधरी** (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष

(श्री भागीरथ चौधरी)

उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गत कांग्रेस राज में अजमेर विकास प्राधिकरण का गठन कर इसके अन्तर्गत अजमेर, किशनगढ़, पुष्कर व उसके आस-पास के परिक्षेत्रों के विभिन्न राजस्व ग्रामों को अधिसूचित कर सम्मिलित किया गया था।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): ×××

**श्री अध्यक्ष**: आप वरिष्ठ सदस्य हैं, इनको अपने स्थानों पर बैठायें।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): ×××

**श्री भागीरथ चौधरी** (किशनगढ़): मान्यवर, गत कांग्रेस राज में स्थानीय नेताओं द्वारा भू-माफियाओं से मिलकर उनकी सुविधा अनुसार प्रस्तावित मास्टर प्लान को गलत तरीके से तोड़-मरोड़ कर तैयार करवाया गया। इस प्रकार भू-माफियाओं एवं दलालों ने अपना प्रभाव दिखाकर विभिन्न क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल कर मास्टर प्लान को बनवाया जिसमें व्यापक उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार हुआ है। इस मास्टर प्लान में इन शहरों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्णत: अनदेखी की गयी है, जिससे भविष्य में इन शहरों के सुनियोजित एवं सुदृढ़ विकास की योजनाओं पर विराम लग जायेगा। उदाहरणार्थ किशनगढ़ के मास्टर प्लान में वेयर हाउस का स्थान किशनगढ़ के पश्चिम में प्रस्तावित एयरपोर्ट के पास दर्शाया गया है वहीं दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट नगर हेतु किशनगढ़ पूर्व में स्थान दर्शाया गया है। इन दोनों के मध्य की दूरी लगभग 6 कि.मी. है, जिससे भविष्य में यहां की यातायात व्यवस्था एवं प्रस्तावित एयरपोर्ट पर आने जाने वाले वाहनों की यातायात व्यवस्था चरमरा जायेगी। जबकि नियमानुसार वेयर हाउस ट्रांसपोर्ट नगर के समीप ही होना चाहिये। इससे स्पष्ट है कि मास्टर प्लान में शहर की मूलभूत सुविधाओं के मापदण्डों को पूर्णत: अनदेखा किया गया है।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप अजमेर विकास प्राधिकरण के गठन से लेकर आज तक चल रही उक्त मास्टर प्लान की विसंगतियों को दृष्टिगत रखते हुए इसका संशोधन कराकर नई आपत्तियां मांगकर तत्पश्चात् आपत्तियों का निराकरण कराने की कार्यवाही कराएं एवं अजमेर विकास प्राधिकरण को एक ही यूनिट (इकाई) मानकर अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा ही अपने समस्त क्षेत्र का एक ही मास्टर प्लान तैयार कर उसे एक साथ लागू कराने की कार्यवाही कराएं, क्योंकि

(श्री भागीरथ चौधरी)

किशनगढ़, पुष्कर एवं अजमेर के शहरी क्षेत्र के साथ-साथ अन्य काफी क्षेत्र इस प्राधिकरण की जद में आता है।

**(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी शोरगुल एवं नारे)**

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती अमृता मेघवाल।

## जालौर चिकित्सालय में चिकित्सकों आदि के रिक्त पद तथा ट्रोमा सेंटर का प्रारम्भ

**श्रीमती अमृता मेघवाल** (जालौर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जालौर में चिकित्सा व्यवस्था के नाम पर जिले का एकमात्र कहा जाने वाला राजकीय चिकित्सालय जिला मुख्यालय पर स्थित है, जहां की स्थिति अधिक अच्छी नहीं है। चिकित्सालय में कुछ चिकित्सकों के 45 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल 17 चिकित्सक ही कार्यरत हैं। जालौर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक नहीं हैं। यहां तक कि आधे से अधिक ए.एन.एम. के पद भी रिक्त हैं। सभी पंचायत मुख्यालयों पर ए.एन.एम. की व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरा जिला नागौर चिकित्सालयों के भरोसे है। आये दिन सड़क दुर्घटनाएं होने पर मरीजों को जोधपुर या गुजरात रैफर करना पड़ता है। जालौर जिले का एक ट्रोमा सेंटर चिकित्सकों के अभाव में बंद पड़ा है।

जालौर जिला चिकित्सालय में नेत्र रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में महिला एवं बच्चों को समय पर चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

जालौर जिला चिकित्सालय से सायला उपखण्ड लगता है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। वहां भी चिकित्सकों व नर्सिंगकिर्मियों की कमी के कारण सीधा जालौर जिला मुख्यालय रैफर करते हैं तथा नजदीक ही 20 कि.मी. आहोर विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जहां से भी बड़ी घटना घटित होने पर सीधा जालौर मुख्यालय पर रैफर करते हैं। लेकिन यहां पर चिकित्सकों के अभाव में जोधपुर या गुजरात रैफर किया जाता है, जबकि जालौर के लोग यही कहते हैं कि जालौर जिला मुख्यालय पर रैफर के अलावा कोई इलाज नहीं किया जाता है।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से चिकित्सा

(श्री अमृता मेघवाल)

मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि जालौर जिला चिकित्सालयों में नेत्र रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, लैब टैक्निशियनों, नर्सिंगकर्मियों व ए.एन.एम. से सम्बन्धी उपकरणों की उपलब्धता भी करवाई जावे। धन्यवाद।

**(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)**

**श्री अध्यक्ष**: श्री हीरालाल (निवाई)।

## निवाई के कतिपय ग्रामों में अवैध बजरी खनन पर रोक

**श्री हीरालाल** (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई में ग्राम पंचायत डोडवाड़ी, गेलोद, जेबडिया, ककराज कलां, मूंडिया, मारखेड़ा एवं पीपलू तहसील में अवैध बजरी खनन कार्य जोरों पर है जिससे क्षेत्र में कुओं का पानी सूखता जा रहा है। इससे आस-पास के गांवों में खेती की फसल भी चौपट होने लगी है। आये दिन कानून व्यवस्था की परेशानी भी प्रशासन के सामने उत्पन्न होती है।

मेरा अनुरोध है कि अवैध बजरी खनन पर रोक लगायी जाकर लाइसेंस व लीजधारी ठेकेदारों को नियमानुसार बजरी खनन की अनुमति दी जाये। निर्धारित सीमा की गहराई से अधिक बजरी खनन करने से बनास नदी में पत्थर भी निकल गये हैं। यदि इसी प्रकार अवैध खनन होता रहा तो इस क्षेत्र के किसान बरबाद हो जायेंगे।

अवैध बजरी खनन के कारण क्षेत्र में अपराध भी बढ़ गये हैं। ओवर लोडिंग की समस्या भी एक परेशानी बन गयी है। सड़कों पर बेतरतीब यातायात होने के कारण दुर्घटनाएं भी घटित हो रही हैं और सड़कें निर्धारित समय से पूर्व ही टूट रही हैं।

अत: मेरा आपके माध्यम से माननीय खान मंत्रीजी से निवेदन है कि इस अवैध बजरी खनन पर रोक लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने की कृपा करें। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती अनीता सिंह, पहले आप। फिर अनिता भदेल हैं। श्रीमती अनीता।

## गौ-तस्करी रोकने हेतु कतिपय सीमावर्ती जिलों में पुलिस चौकियों की स्थापना

**श्रीमती अनीता** (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत नगर विधान सभा क्षेत्र में गौ-रक्षा हेतु नवीन पुलिस चौकियां स्थापित करने बाबत निवेदन है कि भरतपुर जिला हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है और राजस्थान भर की गायों को इसी रास्ते से कत्लखाने ले जाने के लिये गौ-तस्कर इस्तेमाल करते हैं। इसी कारणवश यहां आये दिन गौ-तस्करी के कारण गांव में गुजरते वक्त गोली-बारी की घटना आम हो गयी है। गांवों के नवयुवक गाय को धार्मिक कारणों की वजह से पूज्य मानते हैं। उसे पूजा जाता है और जब गौ-तस्कर बेरहमी से गायों को वाहनों में लादते हैं और पुलिस के चैक करने पर भी वाहन नहीं रोकते और पुलिस पर भी फायरिंग करने से नहीं चूकते। इसलिये आवश्यक है कि भरतपुर रेंज में पुलिस चौकी बढ़ायी जाए, जिससे गौ-तस्करी रूक सके। गौ-तस्करी करने वाले अपराधी के खिलाफ कानून कड़े बनाने चाहिये जिसमें गौ-तस्कारों की कठोर सज़ा का प्रावधान होना चाहिये। गायों से भरे वाहन पकड़ में आ जाये तो पुलिस एफ आई आर दर्ज करती है, किन्तु बहुत से वाहन कच्चे रास्तों से गुजरकर उत्तर प्रदेश व हरियाणा के कत्लखानों में पहुंचते हैं। सरकार को इसे रोकने के लिये सख्त कानून के साथ नवीन पुलिस चौकियों की स्वीकृति देनी चाहिये। जैसे भरतपुर में चितौकरी चौराहा, सीकरी फाटक (नगर), दुदावल मोड़ (नगर), बेढ़म की प्याऊ (नगर), पास्ता मोड़ (नगर), धमारी मोड़, सहीदन मोड़ सीकरी (नगर), अमरूका चौराहा, सोनोखर चौराहा, ताजुल्लाबास में, यहां भी बहुत आवश्यक है। मेवात क्षेत्र की वजह से क्राइम भी यहां बहुत होते हैं। मोटर साइकिलों व अन्य वाहनों की लूट पर भी अंकुश लगेगा। इसलिये यहां पर पुलिस चौकी खोलना बहुत आवश्यक है। उक्त स्थानों पर दर्ज प्रकरणों की अपेक्षा कहीं ज्यादा संख्या में गौ-तस्करी के वाहन निकलते हैं, परन्तु पकड़ में ना आने के कारण आंकड़ों से पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। उपरोक्त वर्णित सभी प्रमुख स्थानों पर गौ-तस्करी के मामलों को रक्षित कर लेंगे एवं गौ-तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगेगा। इसी प्रकार धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में भी कई उचित स्थान तलाश कर चौकी स्थापित करनी चाहिये।

आज गाय कस्बों व गांवों में देखने को दुर्लभ है और इस प्रजाति को बचाने के लिये कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार प्रभावी कदम उठायेगी, ऐसा विश्वास भी है।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती अनिता भदेल।

## अजमेर शहर के भवनविहीन राजकीय विद्यालय

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए अजमेर शहर में स्थित राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के स्वयं के भवन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में निवेदन करना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय, अजमेर शहर में विभिन्न प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के स्वयं के भवन नहीं होने से आवश्यक शैक्षिक सुविधाओं व संसाधनों की कमी के कारण न तो हम बालकों का शैक्षिक स्तर सुधार पाये हैं और न ही उन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की क्षमता का लाभ उठा पाए हैं। स्वयं का भवन निर्माण होने से पूर्व विद्यालय के लिए भूमि आबंटन किया जाना आवश्यक है। अजमेर शहर में ऐसे अनेक विद्यालय हैं जिनके पास न तो स्वयं का भवन है न भूमि। कुछ विद्यालय की सूची निम्नानुसार है:- (1) राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय, नगर भजनगंज। (2) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीनगर रोड, अजमेर। (3) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, महात्मा गांधी, अजमेर। (4) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पीपल का कुआं, अजमेर। (5) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बालूपुरा रोड, नगरा अजमेर।

उपरोक्त विद्यालयों के सम्बन्ध में मेरा आपसे आग्रह है कि विद्यालयों के स्थायी भवन निर्माण हेतु चरणबद्ध रूप से भूमि का आबंटन कर स्थानीय प्रशासन से भवन निर्माण कराया जावे।

उपरोक्त विद्यालय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के होने के उपरांत भी खेल सुविधाओं, शौचालयों, पुस्तकालयों, कक्षा कक्षों एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं हेतु तरस रहे हैं। संसाधन पूरे नहीं होने से शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह है। उपरोक्त विद्यालय शहरी क्षेत्रों में स्थित होने से पद तो पर्याप्त मात्रा में हैं, आवश्यक शिक्षकों का पदस्थापन भी पर्याप्त है परन्तु बालकों की संख्या बहुत कम है।

उक्त विद्यालयों में से अनेक विद्यालय तो ऐसे हैं जो पिछले 55-60 सालों से संचालित हैं परन्तु स्वयं के भवन हेतु अभी तक प्रतीक्षारत हैं। अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि उपरोक्त विद्यालयों हेतु भूमि का आबंटन शीघ्रातिशीघ्र करवाया जावे अथवा जिन विद्यालयों में स्वामित्व का टाइटल

(श्रीमती अनिता भदेल)

निर्धारित नहीं है उन्हें अवाप्त किया जावे ताकि सुचारू रूप से विद्यालयों का संचालन किया जा सके। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: डा. फूलचन्द भिण्डा।

## ईंट भट्टे पर वसूली जा रही अधिक रायल्टी

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

राजस्थान में काफी बड़े क्षेत्र में चेजा पत्थर की कमी है जिसे ईंट भट्टों द्वारा पूरा किया जाता है। राजस्थान सरकार ईंट भट्टों को लाइसेंस जारी करती है तथा मिट्टी की रायल्टी 12 माह की चार किश्तों में प्राप्त करती है। सामान्य तौर पर वर्षा के समय जुलाई से अक्टूबर तक ईंट बनायी एवं पकाई नहीं जाती हैं।

ईंट भट्टा उद्योग गरीबों के रोजगार का भी महत्वपूर्ण साधन है परन्तु 12 महीनों की रायल्टी वसूली एवं नरेगा के कारण मजदूरी निरन्तर बढ़ने के कारण ईंट भट्टा उद्योग हतोत्साहित हो रहा है। अत: 12 महीने के स्थान पर वास्तविक उपभोग के आधार पर 8 माह की रायल्टी वसूली की व्यवस्था करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: पर्चियों से निकाली गयी चिट। श्रीमती शिमला बावरी।

# पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

## अनूपगढ़, घड़साना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के रिक्त पद

**श्रीमती शिमला बावरी** (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि मेरी अनूपगढ़ विधान सभा भारतीय सीमा के ऊपर स्थित है और मेरे घड़साना और अनूपगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनमें कई पद रिक्त पड़े हैं। एक भी सर्जन डाक्टर नहीं है और एक भी महिला डाक्टर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, वहां दुर्घटना होने पर या कोई गम्भीर बीमारी होने पर या कोई डिलीवरी वाली महिला को समस्या आने पर बीकानेर या फिर गंगानगर रैफर किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, 150 किलोमीटर बीकानेर पड़ता है और 160 किलोमीटर गंगानगर पड़ता है, इसमें जनता के समय और धन की

(श्रीमती शिमला बावरी)

बरबादी होती है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि वहां पर जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरें और सर्जन और महिला डाक्टर अतिशीघ्र लगाए जाएं।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा यह निवेदन है कि रावळा मण्डी के अन्दर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वहां पर वर्तमान में इस केन्द्र पर प्रतिदिन लगभग 400-500 मरीज देखे जाते हैं और कस्बे की आबादी व आसपास के गांव व ढाणियों के लोगों को चिकित्सा सुविधा के अभाव को देखते हुए यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाने की मांग करते हैं और अगर इसको क्रमोन्नत करते हैं तो वहां की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और जनता को बहुत राहत भी मिलेगी। तो मैं मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि उसको क्रमोन्नत करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री सुखराम विश्नोई। (अनुपस्थित) श्री छोटू सिंह ।

## उपनिवेशन क्षेत्र की चक आबादी को ग्राम पंचायतों को सौंपा जाना

**श्री छोटू सिंह** (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चक आबादी के ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण राजस्थान में ही नहीं वरन पूरे भारत में सभी सरकारें ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार दे रही हैं एवं सभी सरकारों का यह प्रयास रहता है कि देहात गांव में शासन प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में हो परन्तु कई लोगों को यह मालूम नहीं कि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में आज भी उपनिवेशन मौजूद है।

अध्यक्ष महोदय, बीकानेर और जैसलमेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र के सभी गांवों में रहते हैं जबकि राजस्थान के शेष हिस्सों में आबादी ग्राम पंचायत के अधीन रहती है। मान्यवर, उनके नियंत्रण में रहते हुए भी चक आबादी उपनिवेशन विभाग के पास रही, उसमें भी निवास कर रहे लोगों को न तो सही रूप से आवासीय पट्टे मिल पाते हैं और न ही मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, शिक्षा और रोजगार आदि सही रूप से नहीं मिल पाते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसके फलस्वरूप आज भी जैसलमेर जिले की चक आबादी सूनी पड़ी है। न तो वहां लोग रहना चाहते हैं और न ही उन्हें सुविधा मिल पाती है। सरकार एक तरफ पंचायत राज संस्थाओं को अधिक अधिकार की बात करती है परन्तु दूसरी ओर आबादी भूमि के अधिकार ग्राम पंचायतों से छीन रही है।

(श्री छोटू सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि उपनिवेशन क्षेत्र की सभी चक आबादियों को ग्राम पंचायतों को सौंपा जाए जिससे कि न-केवल आबादियों में लोग रहने लगेंगे, उससे मूलभूत सुविधाओं का भी विकास होगा। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार पर उन सब आबादियों को विकसित करने का दबाव कम होकर ग्राम पंचायतों को चला जायेगा।

इसके अलावा भी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नहरों की कुछ और भी समस्याएं हैं। नहरों में आज खरीफ की खेती होते हुए नहरों में चार में से दो पारी का पानी दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर, जो आलरेडी अंतिम छोर पर है लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि खरीफ की फसल में वहां नहरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। आज लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सदन से निवेदन है कि जैसलमेर का जो अंतिम छोर है उसमें नहर में पानी छोड़ा जाए। खरीफ की फसल के लिए जो हमारी मीटिंग में यह ऐलान किया गया था कि चार में से दो बारी आपको मिलेगी, आज स्थिति यह है कि नहरों का गेज बिलकुल कम है और अंतिम छोर तक तो पानी पीने को भी नहीं जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह भी निवेदन है कि जो चक आबादियां हैं, चक आबादियों में जो लोग रहते हैं यदि उनके निवास स्थान की, जगह की हालत देखी जाए तो 30 साल में वहां नहर पहुंची है और 30 साल में नहर पहुंचने के बावजूद भी वहां के रहवासियों को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। रहने के लायक जगह नहीं है, सड़क नहीं है। यहां तक कि वहां अंतिम छोर में पीने को पानी नहीं है।

मैं आपके माध्यम से पुन: निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदयजी विराजे हैं, जैसलमेर की स्थिति को देखते हुए अंतिम छोर को देखते हुए, जो अंतिम छोर पर विराजे हुए हैं उनके लिए मौजूदा स्थिति में पानी की व्यवस्था कराएं।

इसके साथ ही निवेदन है कि जो भी चक आबादियों में रहते हैं, पानी मिलता भी है तो आज जो कैंसर का मुद्दा इस हाउस के अन्दर चला था, उसको सीधा पाइप लाइन से पानी पीना पड़ रहा है, वो लोग पीते हैं। इसके अलावा जो पशुपालक वहां रहते हैं, नहर के अन्दर बहुत गहराई में पानी है और उसके पास

(श्री छोटू सिंह)

में किसी भी प्रकार की डिग्गी की व्यवस्था नहीं है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, मंत्री महोदयजी विराजे हैं कि हर नहर के 10 से 15 आर.डी. की दूरी पर एक-एक डिग्गी को भी स्थापित किया जाए। ताकि वहां डिग्गी स्थापित

**(13.00 बजे)**

होने से जो भी वहां के मवेशी पालक हैं वह पानी पी पायेंगे। नहीं तो आज हालात इस प्रकार हैं, माननीय मंत्रीजी आप विराजे हुए हैं, जैसलमेर के अंतिम छोर पर जो आपका गेज होना चाहिए वह गेज नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मुख्य उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं एसएमजी के 90 आरडी के ऊपर जो गेट बना हुआ था वह जब बना था उसी टाइम टूट गया था और आज हालत यह है कि यदि गेट रह जाता है तो उसका गेज पूरा रहता है, गेट टूटा हुआ है, पिछले 5 साल में खूब बोला लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहां 90 आरडी के पास में एक अर्चना माइनर भी चलती है, एक आई माइनर भी चलती है, एक और दूसरी माइनर चलती है। उसका गेज नहीं रहने के कारण पानी उसमें चल नहीं पाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले उसका गेट पूरा किया जाये ताकि उन नहरों में पानी चले। लोगों को खेती में पानी मिले। लोगों को पीने के लिए मिले। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी विराजे हैं। कृपया इसका उत्तर देने की व्यवस्था करायें। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: मंत्रीजी रेस्पोंड कर रहे हैं।

**श्री सांवर लाल** (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वास्तव में वाजिब है और मैं यह कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं कर रहा हूं कि वास्तव में पानी जो सैकण्ड स्टेज में आता है यहां पर जैसलमेर तक, उसमें फ्लक्युएशन बहुत होता है। इस वजह से कई बार किसान प्रभावित होते हैं, इस बात की हमको भी चिंता है। हम बार-बार कोशिश यही करते हैं कि इनको नियमित और पर्याप्त पानी मिले। मैं यह भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में सरकार इस दिशा में कारगर कार्यवाही करेगी और जैसलमेर वालों को इनके हक का पानी पूरा मिले, इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: विराजें। श्री सुरेश धाकड़।

## विद्यार्थी मित्रों को नियुक्ति

**श्री सुरेश धाकड़** (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान में वसुंधराजी की सरकार बनी, उनके नेतृत्व में हमने 15 लाख नौकरियां देने का एलान किया। बजट में भी आया है कि हम 8 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और 7 लाख अन्य माध्यमों से हम नौकरियां देंगे।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उद्योग मैदान पर सैकड़ों विद्यार्थी मित्र धरना दे रहे हैं। इसके बारे में सरकार को भी जानकारी है और पूर्व में जब हमारी ही यह सरकार थी तभी हमने इन विद्यार्थी मित्रों को नियुक्ति दी थी। उसमें इनका इंटरव्यू लेकर, इनकी डिग्रिया जांच कर कि एसटीसी है, बीएड है या हाई प्रोफाइल है, ऐसे लोगों को हमने विद्यार्थी मित्रों के रुप में नियुक्तियां दीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो शिक्षा व्यवस्था है विशेषकर के कामर्स सब्जैक्ट की, पिछले 20 वर्षों से इसमें कोई भर्ती नहीं हुई है और अधिकतर विद्यार्थी मित्र ऐसे हैं जो उनकी व्यवस्था देख रहे हैं। जहां कामर्स में उनकी जरुरत भी है। पूर्व में भी जब भैरोंसिंहजी शेखावत की सरकार थी, तब हमने शिक्षाकर्मियों के रूप में लोगों की भर्ती की युवा बेरोजगारों की। उसके बाद वापस बीच में यह लोग आते हैं, चले जाते हैं, इन्होंने कुछ किया नहीं और अब यह हैं भी नहीं, लेकिन जब वसुंधराजी की सरकार वापस बनी तो उन्हीं शिक्षाकर्मियों को हमने प्रबोधकों के रूप में नियुक्ति दी और सरकार ने उन्हें रैगुलराइज किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थी मित्रों को हम प्रति वर्ष 1 जुलाई को रैगुलर कर देते हैं, वापस वह स्कूलों में पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। मेरा सरकार से भी आपके माध्यम से आग्रह है कि इन विद्यार्थी मित्रों के प्रति सहानुभूति रखते हुए, विचार करते हुए, अभी बरसात का मौसम चल रहा है और पसीने से तर किसान बादलों की तरफ देखता है और उसको एक उम्मीद होती है कि आज अगर बरसात हो जायेगी तो मेरे खेत में बुवाई हो जायेगी और मेरे परिवार की रोजी-रोटी चल जायेगी। इसी प्रकार की उम्मीद लेकर के विद्यार्थी मित्र और अन्य बेरोजगार हमारी सरकार के प्रति एक आशा भरी नजर से देख रहे हैं। मैं उम्मीद और अपेक्षा रखता हूं मंत्री महोदय से और सरकार से कि हम इन लोगों का भला करने में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इनकी मदद करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी): जवाब दिलवायें ना ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप रेस्पोंड कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस कार्य सूची में किये ...

**श्री अध्यक्ष**: धाकड़जी का रेस्पोंड कर रहे हो आप। हां तो विराजें आप। सारी।

**श्री कालीचरण सराफ** (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भी यह मामला उठ चुका है। उस समय हमने यह कहा था कि सरकार एडवोकेट जनरल और ला सैक्रेटरी से राय लेकर के इस पर कोई निर्णय करेगी। 15 तारीख को माननीय मुख्य सचिवजी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा, प्रमुख शासन सचिव, न्याय और राजकीय महाधिवक्ता को बुलाया गया। उस बैठक में सब कोनों से विचार करके यह निर्णय हुआ कि न्यायालय के निर्णय के कारण इन विद्यार्थी मित्रों को आगे नहीं लगाया जा सकता। इसलिए विद्यार्थी मित्रों को शैक्षणिक सत्र 2014-15 में रखे जाने हेतु आदेश जारी किया जाना सम्भव नहीं है।

**श्री सुरेश धाकड़** (बेगूं): सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

**श्री कालीचरण सराफ** (शिक्षा मंत्री): मैंने बताया ना कि सम्भव ही नहीं है तो क्या करें। कोर्ट का निर्णय ऐसा है। कोर्ट ने यह निर्णय दिया 21.10, एक विद्यार्थी मित्र गया कोर्ट में ...(व्यवधान)

**श्री सुरेश धाकड़** (बेगूं): कोई बात नहीं अपनी सरकार है, 5 साल में समय देकर कम से कम इनका भला हो जाये ...(व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (शिक्षा मंत्री): कोर्ट ने विद्यार्थी मित्र योजना को अवैध एवं असंवैधानिक, इल्लीगल एवं अनकांस्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि वह विद्यार्थी मित्रों को आगे नहीं रखे। अब कैसे करें? यह है प्राब्लम।

**श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी): जो काम कर रहे हैं उनका तो करें ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: पूरी सहानुभूति से विचार हो रहा है। श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्री कालीचरण सराफ** (शिक्षा मंत्री): मना ही कर दिया तो क्या करें।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी): माननीय मंत्रीजी, मेरा भी निवेदन है कि देखिये, विद्यार्थी मित्रों के हित में होगा। वह लगातार हमारे जो अध्यापक हैं उनसे भी ज्यादा मेहनत करके पूरा समय स्कूलों में देते हैं और ईमानदारी से अध्यापन करवाते हैं। मेरा निवेदन है कि इनको हम जितनी सहायता दे सकें, उतनी मदद करें। धरने पर बैठे हुए हैं वह लोग।

**श्री अध्यक्ष**: स्थान ग्रहण कीजिये।

**श्री ललित कुमार** (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि 2008 में हमारी सरकार के द्वारा ही लगाये गये थे तो इसमें कोई रास्ता निकालकर अगर प्रावधान करके, शिक्षा मित्र किया जाये इस प्रावधान को ...(व्यवधान)

# सदन पटल पर रखे गये पत्र

## अधिसूचनाएं

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री राजेन्द्र राठौड़।

### वित्त विभाग

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित 7 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-69 दिनांक 18.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया हैं;
2. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-70 दिनांक 18.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-V में संशोधन किया गया हैं;
3. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-71 दिनांक 18.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है;
4. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-72 दिनांक 18.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत तम्बाकू पर प्रवेश कर की दर में आंशिक छूट प्रदान की गई है;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-73 दिनांक 18.7.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-32 दिनांक 14.7.2014 में संशोधन किया गया है;

6. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-74 दिनांक 18.7.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-33 दिनांक 14.7.2014 में संशोधन किया गया है; एवं

7. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-75 दिनांक 18.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटरयान के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत हाइड्रोलिक एस्केवेटर्स (अर्थ मूविंग और माइनिंग मशीनरी) मोबाईल क्रेन्स और हाइड्रोलिक डम्पर्स पर देय प्रवेश कर से छूट प्रदान की गई है।

## याचिका

**श्री अध्यक्ष**: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री हीरालाल।

**श्री हीरालाल** (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

### राणोली से बिसानू तक सड़क निर्माण

(1) राणोली से बिसानू तक सड़क निर्माण बाबत।

### निवाई में नला ग्राम से पंचायत सिरस मुख्यालय तक सड़क निर्माण

(2) विधान सभा क्षेत्र निवाई में नला ग्राम से पंचायत सिरस मुख्यालय तक सड़क निर्माण बाबत।

**श्री अध्यक्ष**: श्री सुखराम विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री छोटूसिंह।

**श्री छोटू सिंह** (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित 3 याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

### जैसलमेर जिले में मुख्य नहर के पास पशुओं हेतु डिग्गियों का निर्माण

(1) जैसलमेर जिले में मुख्य नहर के पास साइफन पद्वति से पशुओं हेतु डिग्गियों का निर्माण करने बाबत।

(श्री छोटू सिंह)

**जैसलमेर जिले की बाबा रामदेव उप शाखा (गडरा रोड)**
**का निर्माण कार्य**

(2) जैसलमेर जिले के अंतिम छोर की बाबा रामदेव उप शाखा (गडरा रोड) का निर्माण कार्य पूर्ण करने बाबत।

**जैसलमेर शहर स्थित जवाहर चिकित्सालय में ट्रोमा सेंटर**

(3) जैसलमेर शहर स्थित जवाहर चिकित्सालय में ट्रोमा सेंटर शुरू करने बाबत।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती राजकुमारी।

**हिण्डौन के जगर बांध में चम्बल का पानी**

**श्रीमती राजकुमारी** (हिण्डौन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के जगर बांध में बने एनिकट में पेयजल योजना के माध्यम से चम्बल का पानी उपलब्ध करवाने बाबत याचिका का उपस्थापन करती हूं।

## विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

**श्री अध्यक्ष**: विधायी कार्य। श्री युनुस खान, प्रभारी मंत्री।

**ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन)**
**विधेयक, 2014**

**श्री युनुस खान** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

पुर:स्थापित भी कीजिये आप।

**श्री युनुस खान** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: दूसरा, कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2014, यह भी पेश कर दीजिये।

**कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014**

**श्री युनुस खान** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

**श्री युनुस खान** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करता हूं।

## अनुदान की मांग

**श्री अध्यक्ष**: अनुदान की मांगों पर श्री अजय सिंह, सहकारिता, राज्य मंत्री, अनुदान की मांग संख्या-36 सहकारिता प्रस्तुत करेंगे।

### मांग संख्या 36-सहकारिता की प्रस्तुति

**श्री अजय सिंह** (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,74,22,10,000/- (तीन अरब चौहत्तर करोड़ बाइस लाख दस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

**(कटौती प्रस्ताव के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)**

### मांग संख्या 37-कृषि की प्रस्तुति

**श्री अध्यक्ष**: श्री प्रभुलाल सैनी।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,86,75,76,000/- (तेइस अरब छियासी करोड़ पिचहत्तर

(श्री प्रभू लाल सैनी)

लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

**(कटौती प्रस्ताव के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)**

**श्री अध्यक्ष**: तीसरी मांग।

## मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा की प्रस्तुति

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,34,00,80,000/- (छह अरब चौंतीस करोड़ अस्सी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

**(कटौती प्रस्ताव के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)**

**श्री अध्यक्ष**: सत्ता पक्ष की ओर से मुझे सूची प्राप्त हो गई है, प्रतिपक्ष की ओर से कोई सूची नहीं है इसलिए इधर से आज की बहस को प्रारम्भ करेंगे। श्री जीतमल खांट प्रारम्भ करेंगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन मांग हैं लेकिन आप अनुमति दे देंगे तो तीनों मांगों पर एक साथ माननीय सदस्य विचार प्रकट कर देंगे।

**श्री अध्यक्ष**: तीनों मांगों पर एक साथ ही विचार प्रकट करेंगे।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): यह व्यवस्था पहले से दी हुई है।

**श्री अध्यक्ष**: यह व्यवस्था पहले दे दी।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे भी जिस दिन दो-तीन मांगें होती हैं, तो माननीय सदस्य एक साथ ही बोलते हैं, इसलिए वही ठीक है।

## मांग संख्या 36, 37 व 39 पर विचार

**श्री जीतमल खांट** (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अनुदान की मांगों पर मांग संख्या 36, 37 व 39 के सम्बन्ध में मैं अपने विचार सदन के सामने रखना चाहूंगा। जैसा कि पूरा हमारा प्रदेश अधिकांशत: गांवों में रहता है और यहां जैसा कि पूरे देश भर में किसान की 80 प्रतिशत

(श्री जीतमल खांट)

गांवों में रहने की अपनी परम्परा है। कोई आबादी में किसान रहते हैं, कुछ बिखरी हुई आबादी में। जैसा कि हमारे प्रदेश राजस्थान के भौगोलिक हालात हैं, कुछ हिस्से में मरु प्रदेश है, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में रहने वाला किसान, पूरे राजस्थान की सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक स्थितियां भिन्न-भिन्न हैं, यहां पर भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में रहने वाला किसान उनके अपने खेती करने का अलग-अलग ढंग है। मैं आपके माध्यम से हमारे कृषि मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि राजस्थान के दक्षिणी वृत्त में और हमारे क्षेत्र में ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में कभी अनावृष्टि तो कभी अल्पवृष्टि होने के कारण हमारे वहां के किसानों को कई परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। पिछली बार पूरे प्रदेश के अन्दर ओला वृष्टि हुई, उसी के क्रम में बांसवाड़ा जिले के डूंगरपुर के हिस्से में, उदयपुर सम्भाग में अलग-अलग क्षेत्रों के अन्दर ओलावृष्टि हुई। मैं माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूरे राजस्थान के किसानों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई में मुआवजा दिया लेकिन बांसवाड़ा जिला एक ऐसा जिला रहा जहां जिला कलक्टर ने समय पर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी और कम प्रतिशत में भेजी जिसकी वजह से बांसवाड़ा जिले के किसानों को अपने नुकसान के मुआवजे का लाभ नहीं मिला। मैं माननीय

**(13.19 बजे)**

**(श्रीमती किरण माहेश्वरी, सभापति, पदासीन)**

कृषि मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आप इस ओर चूंकि बांसवाड़ा जिला सम्पूर्ण रूप से जनजाति क्षेत्र है और ऐसे समय में पूरे राजस्थान को मुआवजा मिलता है और बांसवाड़ा जिले में 73 प्रतिशत हमारे वहां पर नुकसान हुआ जिसका हमें मुआवजा नहीं मिला, वहां के जिला कलक्टर ने राज्य सरकार को क्या रिपोर्ट भेजी और क्या नहीं, आप हमें जब जवाब दें तो स्पष्ट करें। माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा चूंकि हमारा यह क्षेत्र बहुत ही पहाड़ी क्षेत्र है और इस इलाके में अधिकतर इस तरह की घटनाएं होती हैं। सांप के काटने से अपना उपचार करते हुए अगर उस किसान की मौत होती है, दिन में या रात में किसी भी समय और मौत होने के बाद पूरे घर परिवार और गांव में मातम छा जाता है। वहां पर एक व्यवस्था की हुई रहती है कि मेडिकल रिपोर्ट और सबसे पहले एफआईआर और एफआईआर कटने के बाद उसका मेडिकल मुआयना। माननीय कृषि मंत्रीजी, आज उस पूरे क्षेत्र में यह

(श्री जीतमल खांट)

स्थिति है कि बांसवाड़ा जिले में कई सारे पीएचसी पिछली सरकार ने खोल दिये, डाक्टर तक वहां नहीं है, बीस-बीस, तीस-तीस किलोमीटर तक आप यह कल्पना कीजिये कि किसी के घर परिवार में उस मुखिया की मौत होने पर उसको थाने में ले जाना, मेडिकल बोर्ड बैठाना और इस तरीके की जो जटिल प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मैं कृषि मंत्रीजी, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस हालत में उस घर परिवार पर पूरा का पूरा पहाड़ टूट पड़ता है और इन सारी जटिल प्रक्रियाओं से निकले, यह कैसे सम्भव है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए माननीय कृषि मंत्रीजी का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें मात्र किसान का सांप काटना ही नहीं, वहां पर प्राकृतिक आपदा, जिस तरीके से बिजली गिरने से मौत होती है, उसी प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार यह देखने में आया है कि सिर्फ एक ही जिले में नहीं, पूरे देश और दुनिया में जब प्राकृतिक आपदा किसी पर आ पड़ती है तो किसी को न्यौता नहीं देती है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी के माध्यम से जानना चाहूंगा कि अपने जवाब में इस प्रक्रिया को इसके साथ में जोड़ने का प्रयास करें कि कम से कम बिजली गिरने वाले उस किसान की जब मौत होती है तो उसका मुआवजा 50 या 70 हजार रुपये आपने निर्धारित कर रखा है कम से कम उस मुआवजे की राशि उस परिवार के मुखिया की मौत होने के बाद, उस परिवार का सारा का सारा भार जिसके ऊपर पूरा घर परिवार चल रहा था,

वो सारा परिवार तहस-नहस हो जाता है उसकी राशि कम से कम दो-ढाई लाख बढ़ायी जाय ताकि जिसके परिवार में इस तरीके से अप्राकृतिक रूप से मौत हुई उस परिवार को सहारा मिले।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जब हमारा गर्मी का समय होता है और अनहोनी घटना जब होती है तो किसी को कहकर या न्यौता देकर नहीं आती है। अज्ञात कारणों से किसी व्यक्ति का घर जलता है, मकान जलता है या फसल जलती है तो उसकी पटवारी और तहसीलदार के माध्यम से सूचना आती है और जिला कलक्टर को सारी रिपोर्ट पहुंचने के बाद जो मुआवजा मिलता है उस पूरे मुआवजे की राशि बड़ी मुश्किल से 35-40 हजार के आसपास मिलती है।

मैं माननीय मंत्रीजी आपसे आग्रह करना चाहूंगा किसी किसान का घर अज्ञात कारणों से जलता है या उसके खेत की फसल जलती है तो कम से कम

(श्री जीतमल खांट)

उसको समुचित मुआवजा राशि मिले। मुआवजा राशि कब मिलती है उस किसान के खेत की, घर की माली हालत ऐसी हो जाती है जिसका धणी-धोरी कोई नहीं रहता है। अगर फसल जल जाती है तो उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं रहता है। तहसील में जाकर, कलैक्ट्री में जाकर अपनी अर्जी पेश करता है तो उसको कहते हैं कि ऊपर से मुआवजा आएगा, राशि मिलेगी तब मिलेगी। उस राशि को मिलने में साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल लग जाता है। माननीय कृषि मंत्रीजी आपसे मेरा निवेदन है कि कम से कम उस गरीब व्यक्ति की तकलीफों को दूर करने का प्रयास करें और प्रक्रिया जो अपनायी जा रही है उसको सरल किया जाये।

आज हम देखते हैं, पूरे देश और दुनिया में किसान इस देश का और इस दुनिया का सबसे बड़ा मालिक है। किसान का कमाया हुआ, किसान का किया हुआ परिश्रम और किसान की तकलीफ, जिस ढंग से वह दिन-रात मेहनत करता है, चाहे सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, किसी भी मौसम में पूरी ताकत के साथ में, कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलने के बाद भी पूरी ताकत के साथ में अपने खेत में फसल पैदा करने के लिए हर तरीके का परिश्रम करता है, हर तरीके की सारी परिस्थितियों से गुजरने का प्रयास करता है। ठण्ड के अन्दर किसान जब अपने खेत में फसल बोता है, लाइट दिन को नहीं मिलती, रात को अपने खेत में जाकर पानी पिलाता है। कड़ाके की सर्दी गिरती है, हम तो दो-दो रज़ाई ओढ़कर सोते हैं और किसान उस कड़ाके की ठण्ड में खेत में जाकर पानी पिलाने का काम करता है। जब वह किसान सब तरीके से इस देश और प्रदेश के लिए, आमजन के लिए तकलीफ उठाता है, इतनी मेहनत करता है, अपने खेत का कमाया हुआ अनाज, चाहे कोई भी अनाज हो, अपने कोठे में रखने के बाद में बाकी का शेष अनाज मण्डी में ले जाकर बेचता है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे किसान जिनकी उम्र 50 साल हो जाती है और 50 साल के बाद उसके हाथ-पैर काम करना बंद कर देते हैं तब उसका अगर कोई अच्छा सपूत पैदा हो जाय तो अपने मां-बाप की देखभाल करने वाला कोई मिलता है, वरना स्थिति यह होती है कि ऐसा कोई बेटा निकल जाय तो अपने मां-बाप को 50 साल की उम्र में भी उसको धान-पानी नहीं देता है, दाल-रोटी के लिए उसे मोहताज होना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर एक नया इतिहास लिखा गया है, 200 में से 163 सीट जीतकर इस राजस्थान का एक नया इतिहास लिखने का काम किया है। माननीय कृषि मंत्रीजी, आपके माध्यम से

(श्री जीतमल खांट)

यह भी कहना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान के अन्दर एक नया संदेश देने का काम करें। राजस्थान के किसानों में इस सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद है। मैं चाहूंगा कि 50 साल की उम्र पार करने के बाद में किसानों को पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे वह हजार रुपया दो, चाहे 700 रुपया दो, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद जगेगी कि यहां पर सरकारी महकमे में काम करने वाले को 55 साल के बाद पेंशन दी जाती है और हिन्दुस्तान नहीं दुनिया में परिश्रम करने के बाद वो जो परिश्रम करता है उस परिश्रम से पैदा किया हुआ अन्न, धरती पर चलने वाली चींटी है वह भी अपना पेट भरती है और इंसान भी पेट भरता है। सब तरीके के लोग उससे पैदा किया हुआ अन्य का कहीं न कहीं जलपान करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं तब जाकर अपनी दिनचर्या चलती है। मैं पूरे सदन और माननीय कृषि मंत्रीजी, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान की जनता हमारी सरकार के प्रति बहुत बड़ी आशा लेकर चल रही है। मैं चाहूंगा कि 50 की उम्र पार करने के बाद हमारे किसान को पेंशन की राशि मिलनी चाहिए। हमारी महिला मुख्य मंत्री है, दरियादिल मुख्य मंत्री है, पूरे राजस्थान के अन्दर 14 हजार किलोमीटर की यात्रा पूरी करके पूरे जन-जन की, पूरे क्षेत्र की भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थितियों से रूबरू होने का उन्होंने काम किया है, उसी का परिणाम है कि 163 सीटें जीतकर इतना बड़ा प्रचण्ड बहुमत राजस्थान की जनता ने हमें दिया है। इसलिए आग्रह करना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी, निश्चित रूप से हमारे किसानों के प्रति आप संवेदनशील हैं, आप पूर्व का अनुभव रखते हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सिर्फ दो मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा।

मैं सहकारिता मंत्रीजी का भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान में भी सहकारिता के प्रति हमारे किसान भाइयों का बहुत बड़ा जुड़ाव है। पूर्व की सरकार द्वारा आनन-फानन में कई तरह की प्रलोभनकारी योजनाओं के माध्यम से उनको समय-समय पर इस तरह के प्रोग्राम देते रहे, लेकिन आशा के अनुरूप किसानों के प्रति उन्होंने जो हमदर्दी दिखायी वैसा उन्होंने करके नहीं दिखाया। इसलिए किसानों में बहुत बड़ा एक उपेक्षा का भाव है। मैं चाहूंगा सहकारी समितियों के माध्यम से, क्योंकि उदयपुर डिवीजन के अन्दर हमारा पूरा उदयपुर सम्भाग टीएसपी क्षेत्र में आता है। सभापति महोदय, आप उस क्षेत्र से आते हैं पूरे राजस्थान में जनजाति के उस क्षेत्र का पूरा एरिया पिछड़ा हुआ है। उस एरिया में रहने वाले सारे जनजाति हो या गैर जनजाति हो समय-समय

(श्री जीतमल खांट)

पर हमें खाद-बीज के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे खरीफ का समय हो, चाहे रबी का मौसम हो, खरीफ व रबी के समय से पहले वहां के काश्तकारों को खाद व बीज की समुचित व्यवस्था कराए। साथ ही साथ पिछली सरकार ने खाद-बीज मुफ्त बांटने की योजना शुरू की, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं वहां उस क्षेत्र में रहने वाला चाहे जनजाति हो, गैर जनजाति हो हम सब लोग, चूंकि वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ माना जाता है उस क्षेत्र में रहने वाले बीपीएल के लोगों को 5 किलो मक्का वितरित कर दी जाती है, 20 किलो खाद दिया जाता है। बीपीएल, एपीएल, अन्य लोगों के बीच में इस प्रकार से वातावरण दूषित हो रहा है। मैं चाहूंगा उदयपुर डिवीजन के अन्दर बीपीएल, एपीएल, जनजाति, गैर जनजाति सब लोगों को, आप दे तो रहे हो 5 किलो और 5 किलो में भी हमारे सामान्य वर्ग, जनजाति, एससी के लोगों में इस प्रकार का असंतोष पैदा होता है। मैं चाहूंगा कि वहां पर बीपीएल, एपीएल या कोई भी हो किसान मात्र को, उदयपुर सम्भाग में रहने वाले सारे लोगों को, किसानों को आप मुफ्त में खाद-बीज की जो व्यवस्था करते हैं, समय से पहले हम लोगों के लिए यह व्यवस्था करें। एक मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि लैम्प्स में 15-15, 20-20 साल से आपके व्यवस्थापक बैठे हुए हैं और उनके स्थानान्तरण की कोई नीति नहीं है। उस लैम्प्स में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है जिसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप कोई न कोई इस तरीके की व्यवस्था करें कि पांच साल बाद में उन लैम्प्स की आडिट होनी चाहिए। आज किसानों के नाम पर बहुत बड़ी लूट मची हुई है उस लैम्प्स के माध्यम से। उस लैम्प्स में काम करने वाला व्यवस्थापक और उससे जुड़े हुए कार्मिक 20-20 साल से बैठे हुए हैं और कोई देखने वाला नहीं है। अगर कहीं इस तरह से आडिट हो भी जाती है तो चोर-चोर मौसेरे भाई, आपस में मिलकर उसका कहीं न कहीं रास्ता निकाल देते हैं। माननीय सभापति, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि हमारे लैम्प्स में जो इस तरह की अव्यवस्था चल रही है उसको भी देखने का आप काम करें।

आखिर में मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। पशुपालन के अन्दर हमारे इस पूरे प्रदेश में पशुधन हमारे किसानों का सबसे बड़ा अमूल्य धन है। मैं माननीय कृषि मंत्रीजी और पशुपालन मंत्रीजी, आप दोनों ही विभाग देख रहे हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे उदयपुर सम्भाग में छोटे-छोटे किसान हैं, लघु और सीमान्त काश्तकार हैं, मैं आपसे आग्रह करना

(श्री जीतमल खांट)

चाहूंगा कि उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी किसान हैं, सभी किसानों के पास में ट्रैक्टर नहीं हैं, अपने खेत जोतने के लिए बैलों का उपयोग करते हैं। हमारे कई किसान भाई नीमच या आस-पास जहां पर भी मेला लगता है वहां से बैल लाने का काम करते हैं। आज एक मछली सारे तालाब को गन्दा करती है, कुछ लोग यहां का माल उठाकर सीधे बूचड़खाने में गुजरात की ओर ले जाते हैं लेकिन जब किसान अपना खेत जोतने के लिए बैल लाता है, माननीय कृषि मंत्रीजी इस ओर ध्यान दें कि ऐसे काश्तकारों के लिए जिला कलक्टर के माध्यम से कोई न कोई परमिट जारी कराने की व्यवस्था करें जिससे जहां से भी बैल अपन खरीद कर लायें तो जिला कलक्टर या तहसीलदार वहां प्रमाण पत्र बनाकर दे और किसान उस मेले से बैल खरीद कर लाये और अपनी खेती कर सके। इस तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

माननीय कृषि मंत्रीजी, मैं आपका इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछली सरकार में जितने भी हमारे पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र थे, इन्सान अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको खाट में उठाकर इस हास्पिटल से लेकर उदयपुर, जयपुर कहीं भी लाया जा सकता है।

**श्री युनुस खान** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने खाट बोला या खांट बोला।

**श्री जीतमल खांट** (गढ़ी): माननीय मंत्रीजी, जैसा भी आप चाहेंगे, मैं खांट ही हूं और खाट का उपयोग तो सभी लेते हैं। मैं खांट हूं उस पर चन्द्र बिन्दु है इसलिए आप चिंता नहीं करें। माननीय कृषि मंत्रीजी, आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि हमारी पिछली सरकार में जो हमारे पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र थे वो सारे समाप्त कर दिये। बांसवाड़ा जिले में बागीदोरा, गढ़ी, घाटोल, यहां सबसे ज्यादा दूध की डेयरियां हैं, सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन होता है। उस क्षेत्र में जाकर आप देखेंगे कि 20-20, 30-30 किलोमीटर की दूरी पर एक-एक उप स्वास्थ्य केन्द्र है और वहां भी अधिकतर पोस्टें खाली पड़ी हैं। मैं माननीय मंत्रीजी, आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि आप पूरा सर्वे करा लें कि सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन कहां होता है और कितने किलोमीटर पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलना चाहिए। वहां पर चिकित्सकों के पद लम्बे समय से खाली पड़े हैं और पूरे जिले में, बांसवाड़ा-डूंगरपुर हमारा दक्षिणी भू-भाग है, माननीय मंत्रीजी, आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप उदयपुर सम्भाग, जहां जनजाति क्षेत्र है, इस बार पूरे जनजाति क्षेत्र में कांग्रेस का सफाया कर दिया,

(श्री जीतमल खांट)

मात्र एक रह गया है बाकी सबको साफ कर दिया। हमारी सरकार का 15 अगस्त के बाद में उदयपुर सम्भाग का दौरा भी होने वाला है। मैं सरकार से चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा दरियादिली दिखाकर पूरे उदयपुर सम्भाग के जनजाति क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोगों को, सवर्ण, गैर सवर्ण, आदिवासी, ओबीसी, सबके लिए अच्छे से अच्छा आपकी तरफ से पूरा योगदान दें, विकास की जितनी भी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं वो हमारे उस क्षेत्र में देने का प्रयास करें। धन्यवाद, जय हिन्द।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य श्री बालूरामजी चौधरी।

**श्री बालू राम चौधरी** (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, सांकेतिक कटौती के इस कटौती प्रस्ताव पर पशु चिकित्सा के क्षेत्र में बोलते हुए कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में पशु चिकित्सा के क्षेत्र में मैन पावर की भारी कमी है। क्षेत्र में 6 फर्स्ट ग्रेड के पशु चिकित्सालय हैं, 6 में से 5 चिकित्सालयों में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। 11 हास्पिटल सैकण्ड ग्रेड के हैं, उनमें 6 पद रिक्त चल रहे हैं। क्षेत्र में कर्मचारियों के टोटल कर्मचारियों के 107 पदों में से 46 पद रिक्त चल रहे हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि न केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र में, पूरे भीलवाड़ा जिले में जिला स्तर पर एवं अलग-अलग सारी कांस्टीट्युएंसी में पशु चिकित्सा अधिकारियों के 39 पद रिक्त हैं। मंत्री महोदय से निवेदन है कि पशुओं को समय पर उचित इलाज उपलब्ध हो सके उसके लिए इन पदों को जल्दी से जल्दी भरवाने का कष्ट करें। जो ग्राम पंचायतें पशु चिकित्सालय के एप्रोच में नहीं हैं वहां मोबाइल यूनिट के माध्यम से या नया पशु चिकित्सालय खोलकर वहां चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। काफी पशु चिकित्सालय ऐसे खुल गये हैं फिर भी वहां भवन की कमी है इसलिए भवन निर्माण क्षेत्र में कार्य करके उनके भवन का निर्माण किया जाए ताकि इन औषधालयों का, इन हास्पिटल्स का विधिवत् अच्छा संचालन हो सके।

डेयरी के क्षेत्र में मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, मेरे क्षेत्र में भीलवाड़ा डेयरी कार्यरत है जिसमें पशुपालक और दुग्ध उत्पादक जो दूध बेचते हैं उसमें प्रति लीटर सरकार की तरफ से दो रुपये अंशदान या अनुदान राशि दी जाती थी। 16 मार्च, 2014 के आदेश से यह अंशदान बन्द कर दिया गया है इससे किसानों में भारी रोष है। राजस्थान के सारे 21 डेयरी संघों में 30 अप्रैल से यह अनुदान देना बन्द कर दिया गया है। चुनाव के

(श्री बालू राम चौधरी)

दौरान काश्तकारों और पशुपालकों को यह वादा दिलाया गया था कि जो अंशदान आपको 2 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, कोशिश होगी कि इसको बढ़ाकर हम 4 रुपये प्रति लीटर कर दें लेकिन 4 रुपये के बजाय उनका 2 रुपया भी बन्द हो गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों और दुग्ध उत्पादकों का हित ध्यान में रखते हुए यह अनुदान वापस जारी रखा जाए तो किसानों का इसमें काफी हित होगा।

भीलवाड़ा डेयरी में भी वेटेरिनरी डाक्टर्स के काफी पद रिक्त चल रहे हैं और पैराफेरी में उनकी जो मोबाइल यूनिट्स हैं या जहां-जहां भी उन्हें सर्विसेज देनी होती हैं, प्रोपर सर्विस नहीं मिल पा रही है इसलिए पशुधन सहायकों की नियुक्ति की जाए। एक विशेष मेरा आग्रह है कि भीलवाड़ा डेयरी में पहले एक स्पर्श ट्रस्ट की स्थापना की गई थी उस ट्रस्ट का बिना रजिस्ट्रेशन कराये भवनों का निर्माण कर दिया गया था। जब रजिस्ट्रेशन कराने गये थे तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। उसकी जांच की गई और उस समय के जो भी अधिकारी थे उन पर कार्यवाही की गई पर वह कार्यवाही अभी भी लम्बित और अधूरी है। इसलिए इसकी पूरी जांच कराकर तत्कालीन जो भी अधिकारी या एम.डी. हैं उन पर कार्यवाही कराई जाए।

मेरे क्षेत्र में जो गौशालाएं चल रही हैं उन गौशालाओं के लिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, जैसा अभी पूर्व के भाषण में उन्होंने बताया था कि अनुदान के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं। लेकिन जिस रूप में भी आपका नया विभाग जो चालू होने वाला है, उस विभाग के माध्यम से गौ-संरक्षण, उनकी उचित चिकित्सा, उनका सारा ध्यान रखने के लिए कोई व्यवस्था की जाये और कोई नीति बनाई जाये जिससे गौशालाएं केवल सहायता से ही नहीं चलें, स्वयंसेवी संस्थाएं और उस डेयरी की अपने को-प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए ताकि असली नस्ल सुधार हो सके, दुग्ध उत्पादन हो सके और वह गौशालाएं अपने पांवों पर खड़ी हो सकें।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पशुपालकों के लिए बीमा योजना का शुभारम्भ किया जाये। इसके लिए पशु बीमा को सरकारी स्तर से बढ़ाकर क्लेम राशि में विस्तार किया जाये, जिससे पशुपालकों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके।

मैं माननीय मंत्री महोदय से गोबर गैस प्लांट के बारे में भी जिक्र

(श्री बालू राम चौधरी)

करना चाहूंगा। इस प्लांट के लिए भी सरकार कोई नीति बनाये जिससे कि गोबर गैस प्लांट का निर्माण बढ़े और उनमें जितना भी खर्च आता है, सरकार के माध्यम से कुछ सब्सिडी प्रोवाइड की जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान गांवों की एक प्रमुख समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान में गांवों में चरागाह की भूमि की कमी एक प्रमुख समस्या है और चरागाह की भूमि निरन्तर अवैध अतिक्रमणों के कारण से कम होती जा रही है। उसके लिए ऐसी कोई कार्य योजना राज्य लेवल पर बने, जिनसे चरागाह की भूमि का संरक्षण हो सके और इनका सीमांकन हो सके, नये चरागाह विकसित किये जा सकें एवं जिन चरागाहों पर अतिक्रमण किया हुआ है, उनको हटाया जा सके।

जितने भी वेटेरिनरी अस्पताल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, सैन्टर्स हैं, उन पर चिकित्सा के लिए नि:शुल्क दवाइयां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए सुनिश्चित किया जाये।

पशुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण समस्या पशु आहार की होती है। पशु आहार के क्षेत्र में अभी राजस्थान में चार प्लांट काम कर रहे हैं नदबई, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर, लेकिन इन चारों प्लांट्स के पूर्ण क्षमता से काम करने के बावजूद भी जितने पशु आहार की डिमांड है, उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी लेवल पर अभी तीन प्लांट और पाइप लाइन में हैं, एक प्लांट पाली में है, एक भीलवाड़ा में है और एक कालाडेरा जयपुर में निर्माणाधीन है। भीलवाड़ा प्लांट में आलमोस्ट 90 प्रतिशत काम हो चुका है, बहुत कम काम बचा है। मैं मंत्रीजी से यह प्रार्थना करूंगा कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करायें ताकि पशु आहार की जो समस्या है, इस प्लांट के माध्यम से पूरे मेवाड़, हाड़ौती और बागड़ क्षेत्र में पूरी सप्लाई की जा सके। पशु आहार का जो मूल्य अभी 800 रुपये प्रति 50 किलो का लिया जाता है एवं चारे का भाव सात रुपये प्रति किलो बिक रहा है। मैं सभापतिजी के माध्यम से आग्रह करूंगा कि इनमें ऐसे अनुदान की या सब्सिडी की व्यवस्था करें जिससे किसानों को यह पशु आहार और चारा सस्ता मिल सके।

भीलवाड़ा डेयरी में पशु आहार वितरण में पूर्व में जो ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हो चुके थे, उन्हीं से माध्यम से वापस अभी कार्य कराया जा रहा है।

(श्री बालू राम चौधरी)

मैं मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि इनके टेण्डर करवाकर किसी और एजेंसी के माध्यम से पशु आहार वितरण का कार्य करवाया जाये।

दूसरा, नस्ल सुधार के लिए सैंट्रल सीमन बैंक की स्थापना की जाये जिससे अच्छी नस्ल तैयार की जा सके एवं दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके।

आदरणीय सभापति महोदय, कृषि के क्षेत्र में माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में उन्नत बीज एवं अच्छी खाद उपलब्ध कराने के लिए, जिससे अच्छा उत्पादन हो सके, गंगापुर और हमीरगढ़ में सीड बैंक खोले जाएं ताकि किसानों को दूर-दूर तक सीड्स के लिए नहीं जाना पड़े। उनको अपने ही क्षेत्र में इस सुविधा का लाभ मिल सके।

दूसरा, मंत्रीजी से मेरा यह आग्रह है कि कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाओं की घोषणा की जाती है। लेकिन काश्तकारों को उन सारी योजनाओं का पूरा ज्ञान नहीं मिल पाता या उन तक पूरी सूचनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। मैं मंत्रीजी से आग्रह करूंगा, ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन करें जिनमें किसानों के लिए जो लाभकारी योजनाएं हैं, उनकी जानकारी किसानों तक पहुंच सके और किसान उन लाभकारी योजनाओं का उचित लाभ उठा सकें।

मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि फसल बीमा के पुनर्भरण के स्केल को बढ़ाया जाये और किसानों को उनकी खराब फसल का उचित मुआवजा दिलाया जाये।

राजस्थान में पानी की भारी कमी को देखते हुए कृषि के क्षेत्र में ड्रिप इर्रिगेशन, फव्वारा पद्धति, फलदार पौधे लगाने, बगीचे लगाने और सोलर पम्पसैट से सिंचाई करने के लिए सरकार को काश्तकारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इनके लिए कोई कार्य योजना बनानी चाहिए और इसमें सब्सिडी देनी चाहिए ताकि अपन पानी को बचा सकें और खेती कर सकें।

**श्री सभापति**: थोड़ा शीघ्र करें। सम-अप करें।

**श्री बालू राम चौधरी** (सहाड़ा): किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए गंगापुर और रायपुर में वेयरहाउस खोले जाएं ताकि वह अपनी फसल को उचित समय पर बेचकर उचित लाभ कमा सकें।

कृषि उपज मण्डी के माध्यम से खेती करते हुए किसानों की मौत होती है, इसमें कई मामले ऐसे हैं जिनका अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है

(श्री बालू राम चौधरी)

और उनको उचित पैसा नहीं मिला है। इन सारे प्रकरणों की जांच करवाकर उनको उनका पैसा दिलाया जाये। मेरी मंत्रीजी से प्रार्थना है कि इस मुआवजे की राशि को और बढ़ाया जाये।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर चने की खरीद का केन्द्र खोला जाये। विगत वर्षों में काफी प्रयास के बाद भी यह सैन्टर नहीं खुल पाया हैं।

एक मुख्य समस्या जो किसानों की है, मैं विशेष रूप से मंत्रीजी का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि गांवों में रोजड़ों की और नील गाय की समस्या है। किसान काफी मेहनत करके फसल तो उपजा लेता है, लेकिन रातों-रात ये नील गाय आकर उनको नष्ट कर देती है। इसके बारे में कोई नीति बने या इस कार्य को महानरेगा के माध्यम से जोड़कर किसी भी रूप में किसानों के खेतों की तारबंदी करवाने में सरकार कोई कार्य योजना बनाए।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए नरेगा को कृषि विभाग से जोड़ा जाए ताकि किसानों को मजदूरों की प्रचुर उपलब्धता हो सके और उनको इसका लाभ मिल सके।

भीलवाड़ा में दो साल से कृषि महाविद्यालय खोला हुआ है लेकिन वह एक छोटे से भवन में चल रहा है, स्टाफ की बहुत कमी है, न लेबोरेट्रीज हैं, न क्लासरूम्स हैं, न पढ़ाने वाली फैकल्टीज हैं, कोई सुविधा नहीं है तो मंत्रीजी से विशेष आग्रह है कि उसके लिए अलग से वित्तीय प्रबन्धन करके कालेज के लिए भवन बनवायें और उसको फुल-फ्लेज चलाया जाये ताकि उस क्षेत्र के विद्यार्थियों को उस महाविद्यालय का पूरा लाभ मिल सके।

सहकारिता मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में 65 पंचायत हैडक्वार्टर्स में से 63 पर समितियां बन चुकी हैं, दो समितियां ढुढिया एवं रामपुरा में जो अभी तक नहीं बनी हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए हमने काफी समय से लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। मैं मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि इसकी जांच कराई जाये कि इन समितियों का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया जा रहा है और कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है? जांच कराकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

मेरा निवेदन है कि रसद का वितरण प्राइवेट डीलर्स के बजाय इन सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जाये तो जनता को ज्यादा फायदा होगा और भ्रष्टाचार भी कम होगा।

(श्री बालू राम चौधरी)

सहकारिता के क्षेत्र में व्यवस्थापकों की भारी कमी चल रही है। एक-एक व्यवस्थापक को दो-दो, तीन-तीन जगह समितियों का चार्ज दे रखा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 60 सोसायटीज में केवल 35 व्यवस्थापक ही काम कर रहे हैं।

ऐसी कोई कार्य योजना बनाकर नए व्यवस्थापकों की भर्ती करके उनको ट्रेनिंग दिलाकर इन सारी समितियों पर व्यवस्थापकों की पूरी व्यवस्था कराने की कृपा करें। जो-जो भी हमारी समितियां बनीं, जिसमें नए सदस्य बने हैं पिछले दो वर्ष में, उन दो वर्ष में मेरे विधान सभा क्षेत्र में नए सदस्यों को किसी तरह का कृषि ऋण उपलब्ध नहीं हो रहा है। जब हमने इसकी जानकारी चाही तो उन्होंने यही कहा है कि पहले हमारा इसमें जो बजट 350 करोड़ का था उसको घटाकर के 340 करोड़ कर दिया गया है। दो साल से जो-जो भी नए सहकारिता के सदस्य बन रहे हैं उनको किसी तरह का ऋण उपलब्ध नहीं हो रहा है। मैं मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि ऋण की सीमा बढाकर सारे किसानों को जो नए बने हैं उनको भी ऋण मिले, ऐसी आप व्यवस्था कराएंगे।

दूसरा, जो सोसायटी के माध्यम से नरेगा का पेमेंट होता है, सोसायटी उसमें काफी मेहनत करती है लेकिन उस सोसायटी को उसके एवज में कुछ भी नहीं मिलता है तो मेरी राय में मंत्रीजी को जो भी सोसायटी नरेगा का भुगतान करती है उनको श्रम शुल्क दें ताकि सोसायटियों की माली हालत थोड़ी सुधर सके। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दरीबा, सेतुरिया, बरड़ौद, बोरियापुरा, डूडिया, रामपुरिया इन सारी ग्राम पंचायतों में जो सोसायटियां बनी हैं उनके अभी भी भवन एवं गोदाम नहीं हैं। इनका जल्दी से जल्दी गोदाम और भवन निर्माण कराया जाए ताकि समितियों का विधिवत संचालन हो सके और किसानों को उसका उचित लाभ मिल सके। जो सहकारी दवा केन्द्र आपके विभाग के अन्तर्गत आते हैं उन सहकारी दवा घरों पर नियंत्रण करने के लिए विशेष सैल बनाया जाए। क्योंकि इन सहकारी दवा घरों में काफी घोटाले होते हैं, काफी गबड़बड़ियां होती हैं। इसके लिए विशेष कोई कार्य योजना बनाकर, विशेष सैल बनाकर उनकी मानिटरिंग की जाए। ताकि वहां पर भ्रष्टाचार और इस तरह के घोटाले नहीं हो। मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी वर्षों से गंगापुर स्पिन मिल भी चल रही है। वह मिल जो पहले वर्षों तक प्रोफिट में चल रही थी पिछले कई वर्षों से लगातार घाटे में चल रही है और घाटे का मुख्य कारण है वहां का कुप्रबंधन। वहां जीएम का पद पिछले कई वर्षों से रिक्त है। आज दिन तक

(श्री बालू राम चौधरी)

जीएम के पद को नहीं भरा गया है। कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वह पद अभी तक रिक्त है और सीनियर आफिसर्स जो इससे सम्बन्ध रखते हैं। उन्होंने पिछले पांच वर्ष में एक भी बार आकर के उसका निरीक्षण नहीं किया है। मजदूरों की कोई समस्या का समाधान नहीं किया है, मिल को सुधारने के लिए कोई कोशिश नहीं की है, घाटे से उबारने के लिए कोई कोशिश नहीं की है। उस मिल में विदेश से आयातित मशीनें पड़ी हुई हैं। जिनका अभी तक एक बार भी उपयोग नहीं हो पाया है। या तो उन मशीनों की आवश्यकता नहीं थी तो क्यों खरीदी गईं और खरीदी गईं तो उनको क्यों नहीं उपयोग में लिया गया है? इसकी पूरी जांच कराकर के कार्यवाही की जाए और वहां जीएम का पद भरा जाए। मिल जो घाटे में चल रही है उसमें प्रबंधन को सुधार कर उसको लाभ में लाया जाए। ताकि वहां के मज़दूरों को फायदा हो सके, क्षेत्र की जनता का फायदा हो सके। माननीय सभापति महोदय, हमारे पास के विधान सभा क्षेत्र मांडल का भी निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर भी काफी पंचायतों पर समितियां नहीं बनी हुई हैं। मंत्री महोदय आपसे हर पंचायत पर समिति जल्दी से जल्दी बनाने का आग्रह करता हूं। एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा सी.सी.बी. में जो एमडी का पद, जिसका सारे जन प्रतिनिधियों ने राजनीतिक विरोध भी किया था और उन पर गम्भीर भ्रष्टाचार का आरोप थे, फिर भी उन्हें दुबारा चार्ज दे दिया गया है। उसकी जांच कराकर के तुरन्त वहां के एमडी को हटाया जाए ताकि वहां स्वच्छ और अच्छा कार्य हो सके। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: इससे पहले कि मैं दूसरा नाम पुकारूं, मेरा माननीय सदस्यों से कहना है कि इसमें अभी कुल 40 लोग हैं जो बोलना चाहते हैं। इसलिए समय की एक अपनी सीमा है और हम अपने वक्तव्य को जितना शोर्ट कर सकें, दस मिनट पर्याप्त है। इसके अलावा भी कुछ पाइन्ट्स हैं तो उसे लिखित में भी माननीय मंत्रीजी को दिया जा सकता है और माननीय मंत्रीजी का भी उसके बाद उत्तर आएगा। इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से कहना है कि अपना जो वक्तव्य है उसको थोड़ा सा, आप वाद-विवाद भाग ले रहे हैं, बहुत अच्छे सुझाव आपके आ रहे हैं लेकिन उसे थोड़ा छोटा करें और दस मिनट में अपनी बात को सम-अप करने की कोशिश करें। अगले सदस्य माननीय श्री राजकुमारजी रिणवां।

**श्री राज कुमार रिणवां** (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपकी कृपा से आज मैं सहकारिता, कृषि और पशुपालन चिकित्सा की मांग पर बोल रहा हूं। सहकारिता में कोई खास नहीं बोलना है। सहकारिता में तो मंत्रीजी से निवेदन है कि जो पद खाली हैं उनको भरें और भ्रष्टाचार पुराना जो चला आ रहा है उसको ठीक करें। कृषि के बारे में मैं प्रेक्टिकल भी हूं, मैं किसान भी हूं, मेरी मां की जिस दिन मृत्यु हुई उसके पहले दिन खेत जाकर आया हूं तो मैं जानता हूं। गायें भी रखते हैं, पशु भी रखते हैं तो मैं काफी इस बात को ग्राउण्ड से जानता हूं कि वास्तव में कृषि क्या है? जीविकायापन के लिए तीन चीज़ें मानी गई हैं पहला खेती, दूसरा व्यापार और तीसरा नौकरी। अपने वेदों में लिखा गया है कि जीवनयापन के लिए सबसे श्रेष्ठ अगर कोई कार्य है तो वह खेती। खेती से जीविकोपार्जन होता है, लाखों जीव-जंतुओं का पेट भरता है, कितनी मेहनत होती है, खून पसीना एक करना होता है तो इसका एक आनंद ही अलग आता है। इसलिए खेती के लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। बरसात हो गई है, मानसून आ गया है, चारों तरफ किसानों के मन में आनंद हो रहा है। मैं माननीय कृषि मंत्रीजी को बहुत ही बधाई देता हूं। वे बहुत ही सज्जन और विद्वान हैं। पांच साल पिछली बार भी, हम सरकार में नहीं थे तो उनके पास बैठा रहता था और पिछली बार जब बीजेपी की सरकार थी। जब सरसों प्रदेश को हिन्दुस्तान में उसका पुरस्कार प्रभुलालजी को मिला है। वह भी अपने लिए गौरव की बात है तो एक बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति को यह मंत्रालय मिला है।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, एक मिनट, आपकी बात को बीच में कह रही हूं, आप राजस्थानी में बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यहां पर हमें हिन्दी में ही अपनी बात रखनी होगी।

**श्री राज कुमार रिणवां** (रतनगढ़): ...(व्यवधान) सब लोगों की इच्छा होती है कि मैं राजस्थानी में बोलूं। अभी समस्या तीन तरह की हैं पहली समस्या बीज टाइम पर मिले और बीज शुद्ध मिले। बीजों की यह स्थिति है सभापति महोदय, आज अख़बार में पढ़ा है कि राजफैड है उसकी लैबोरेट्री में जिन बीजों को टैस्ट किया है वह भी फेल हुए हैं सब, तो इस बात को देखने की बहुत जरूरत है। कितनी मेहनत करने के बाद में किसान खेत जोतता है। एक-एक बीज इकट्ठा करता है और उसके बाद में पिछली सरकार में मैंने देखा है कई खेतों में डेढ़-डेढ़ फीट बाजरा, कितनी बड़ी उनकी आत्मा दुःखी होगी, कितनी मेहनत के बाद जिन खेतों को उन्होंने बोया था उनकी आज यह

(श्री राजकुमार रिणवां)

स्थिति हो रही है तो बीज सही मिले, टाइम पर मिले और पक्षपात नहीं हो, गांवों में पक्षपात बहुत ज्यादा होता है। इसलिए मेरा निवेदन मंत्री महोदय से कि इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। सबसे बड़ी बात है माननीय सभापति महोदय, रतनगढ़ के आसपास की सारी तहसीलों में कृषि उपज मण्डी हैं। मेरे रतनगढ़ का दुर्भाग्य है कि हमारे लिए जगह पास हुई है। वह शहर के बीच में जगह होने के कारण उस पर विवाद चल रहा है। 15 वर्षों से हाई कोर्ट के अन्दर केस चल रहा है और अगर उसके लिए हाई कोर्ट आदेश भी देता है तो वह किसी भी तरह से फिजिबल नहीं है कि वहां कृषि उपज मण्डी चल सके। क्योंकि वह शहर की लिंक रोड पर है। अगर पांच ट्रैक्टर टोली आ गईं या पांच गाड़ियां आ गई तो वहां खड़े रहने की जगह नहीं है। तो वहां किसी भी तरह से कृषि उपज मण्डी नहीं बन सकती। मैंने जब हमारी लोकप्रिय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी जब वहां गईं तो उनसे निवेदन भी किया था और मंत्री महोदय को भी निवेदन किया था रीको के अन्दर एक बहुत बड़ी जगह पड़ी हुई है। जिस पार्टी ने यह जगह दी थी वह किसी केस में फंस गई, 22 वर्षों से वह जगह ऐसे ही पड़ी है। वह मेगा रोड पर है अगर वह जगह कृषि मण्डी के लिए दे दी जाए तो बहुत बढ़िया उसका काम हो जाएगा। जैसे हमारे साथ पक्षपात होता है, आज मेरे यहां से कोई भी किसान फसल लेकर सुजानगढ़, सरदारशहर जाए

**(14.00 बजे)**

उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा वो आप समझते हो। तो मेरा यही निवेदन है कि आप हमारे यहां कृषि मण्डी का कार्य करवायेंगे। किसानों की स्थिति तो अपन देखते ही हैं, मैंने तो केवल एक बार देखा जब ग्वार के भाव अच्छे हो गये थे तब तो किसानों की स्थिति जरूर ठीक हुई थी बाकी वैसे बड़ी विचित्र स्थिति है।

अब रही बात पशुपालन की, पशु और खेती लगभग एक ही है। किसानों के पास दो ही धन होते हैं एक तो खेती और एक पशु। आज अपन देखते हैं कि महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के किसान लाखों की संख्या में आत्महत्या करते हैं लेकिन राजस्थान का किसान नहीं करता है। राजस्थान के किसानों की स्थिति महाराष्ट्र के किसानों से अच्छी नहीं है लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण है उसके पास पशु हैं। ये पशु उसके मित्र हैं वो उनसे बात भी करता है उन पर हाथ फेरता है। अपने दुख दर्द की बात भी बताता है। मैंने तो

(श्री राजकुमार रिणवां)

प्रत्यक्ष में देखा है जिनको अपन पशु कहते हैं इनमें भी वो तत्व हैं जो अपने में है। एक विवेक नाम की चीज है। चार चीजें होती हैं भय, मैथून, आहार, विहार जो अपन भी करते हैं और पशु भी करते हैं केवल विवेक ऐसी चीज जो अपने को अलग से दी हुई है। तो, मैं तो यह देखता रहता था कि मां जब खेत में जाती तो कोई भी पशु भाग कर आ जाते थे, इतना प्रेम रखते थे और जिस दिन उनकी डेथ हुई तो मैंने देखा कि रात भर किसी ने भी चरा नहीं। जो इनको प्रेम से रखता है, तरीके से रखता है तो पशु भी सब चीजों को समझते हैं। परमात्मा के भी जो चौबीस अवतार हैं उनमें आप देखें आधे अवतार पशु अवतार हैं जैसे मत्स्य अवतार है, भृगु अवतार है, हंस अवतार है, वराह अवतार है, हिरण्यकश्यप अवतार है तो पशु का भी अपने को सम्मान करना चाहिए। पशु अपने लिए कम नहीं होता है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

मैं परम सम्माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी का बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और ब्राह्मण होने के नाते उनको बहुत-बहुत आशीर्वाद देता हूं कि उन्होंने गौपालन विभाग की अलग से स्थापना की है। यह एक बहुत बड़ी बात है। गाय को कभी भी अपने को लाभ-हानि में नहीं देखना चाहिए कि इससे क्या लाभ और क्या हानि हो रही है। गाय अगर पांच किलो दूध देती है, सौ रुपये का दूध देती है और डेढ़ सौ रुपये का चारा खा जाती है यह बात गाय पर लागू नहीं होनी चाहिए। गाय अपना एक आदर्श है। अपने माता-पिता अगर बुजुर्ग हो गये, कमा नहीं रहे हैं, रिटायर हो गये तो क्या अपन यह कहेंगे कि ये काम के नहीं रहे? नहीं। अपना ज्यादा दायित्व बन जाता है कि इनको तीर्थ करायें, इनको व्रतों के उद्यापन करायें, इनको दवाई दें, इनकी सेवा करें क्योंकि वे अपने आदर्श हैं। तो गाय अपने लिए आदर्श है। एक बार एक व्यक्ति ने रामसुख दासजी को पूछा कि महाराज राम-राम भजने से क्या लाभ है तो उन्होंने कहा कि तू व्यापारी है क्या, तो वह बोला कि हां, तो बोले कि जीवन में कोई काम बिना लाभ के नहीं करता है क्या? तो जीवन में बहुत से काम ऐसे हैं जो अपने आदर्श हैं वे बिना लाभ के भी करने चाहिए। आज गाय का कितना महत्व है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। अपन लोग तो कोई रिसर्च नहीं करते हैं लेकिन आज ब्राजील, डेनमार्क, आस्ट्रेलिया है कितने राष्ट्र हैं जो पशुओं के चलते आज दुनिया के सबसे सम्पन्न राष्ट्र हैं, वह रिसर्च करते रहते हैं। गाय दूध ज्यादा कैसे दे सकती है, भेड़ ऊन ज्यादा कैसे दे सकती है इन सब चीजों में उन लोगों का

(श्री राजकुमार रिणवां)

इन्ट्रेस्ट रहता है तो मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि वह भी इस तरह से करें। एक बार आपको पता है कि रामचरित मानस में जब बाली को छिप कर भगवान ने तीर मारा तो बाली ने कहा कि 'मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, नाथ दोष कवन मय मारा' मुझे किस दोष में मारा है भगवान? तो उन्होंने कहा, 'अनुज वधु भगिनी सुत नारी..' से सब चारों कन्या के समान हुआ करती हैं। इनको कुदृष्टि से देखने पर मारने में पाप नहीं होता है। तो बाली बोला कि भगवान क्या बात कर रहे हो, आप ये पुरुषों पर लागू होती है, हम पशु हैं, वानर हैं, हमारे ऊपर यह मर्यादा लागू नहीं होती है। तो भगवान ने उनको सारी कहा कि मैं आपको दुबारा जीवित कर देता हूं तो वह बोला अब क्या जीवित करोगे आपके दर्शन हो रहे हैं और मैं शरीर छोड़ रहा हूं इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो ये पशु हैं इनको पता नहीं है। आज गाय जिसके संतान उत्पन्न हुई है बाछो है या बाछी है वो उसको पता ही नहीं, जो बेटा है उसको पता ही नहीं कि यह मेरी मां है कि बहन है, वह उनके साथ भी व्यवहार कर लेते हैं क्योंकि पशु तो है ही न। इस कारण से उनकी जो स्थिति बननी चाहिए वो बनती नहीं है। क्रोस ब्रीड जब तक नहीं होती तब तक जो उनका दूध बनना चाहिए, जो उनकी हेल्थ रहनी चाहिए, बीमारियों से प्रोटेक्शन का पावर है वो नहीं बनता है इस कारण से निवेदन है कि आज जैसे जिसका बाछा जन्मा है तो गौशाला में अगर व्यवस्था है तो उसको ट्रांसफर करो दूसरे जिले में, वहां के यहां लाओ। तो उससे आप देखना दूध में कितनी तगड़ी वृद्धि होगी। संतान उनकी होगी वो श्रेष्ठ होगी।

तो इस कारण आपसे निवेदन है कि गाय ब्राजील में कटने के लिए गयी थी आज से चालीस-पचास वर्ष पहले, तो जो लेकर गया था उसने मालिक को दूध पिलाया। तो वो दूध पीकर बोला कि इतना बढ़िया दूध तो उन लोगों ने गायें पालना शुरू कर दिया और अभी मैंने एक दिन राष्ट्रदूत में एक चित्र देखा कि दस करोड़ रुपये में ब्राजील की एक गाय बिकी तो आज वो लोग कहां पहुंच गये। आज आस्ट्रेलिया की भेड़ों की तीन-चार बार ऊन उतारते हैं। अपने को देखना चाहिए कि निश्चित रूप से इन पशुओं के प्रति अपन क्या रिसर्च कर सकते हैं इनके लिए क्या अपन बढ़िया कर सकते हैं तो यह अपने लिए भी बढ़िया रहेगा उनके लिए भी बढ़िया रहेगा। आज गाय की जहां तक बात है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पूर्ण धर्म की हानि होती है तो भगवान राम और कृष्ण अवतार लेते हैं पर जब आंशिक हानि होती है तब लोक देवता के रूप में भगवान आते हैं। आज अपने जितने भी लोक देवता हैं, उनको देख

(श्री राजकुमार रिणवां)

लो। रामदेवजी हैं, गूगाजी हैं, पाबूजी हैं, तेजाजी हैं, हरिरामजी हैं, जीवण माता हैं, करणी माता हैं ये आज अगर लोक देवता हैं तो ड्यू टू काऊ है, गाय माता की कृपा से हैं। आपने देखा कि जिस दिन पाबूजी फेरे ले रहे थे तो चौथे फेरे के समय गाय ने पुकारा कि हम गायों को काटने के लिए ले जा रहे हैं तो उन्होंने चौथे फेरे में गठजोड़े का बंधन काट लिया और चले गये। आज वह परिपाटी बन गयी, सात फेरे अपन कहते ही हैं, फेर चार ही होते हैं। पाबू जी उसके बाद गायों की रक्षा के लिए गये और अपना बलिदान किया। तेजाजी को अपन जानते हैं कि जो उनकी भावज है वह भोजन लेकर आयी तो लेट हो गयी तो उन्होंने कहा 'इत्तो मोड़ो भातो कियां लायी भावज म्हारी ए, औरां रो दोपारो म्हारो जीमणो' तो उसने कहा कि, 'थारी परण्योड़ी बाप क बैठी है ज्यादा भूख लागे तो बी ने लिया' उस बात पर वे ससुराल गये लेने के लिए और पहली रात अपनी पत्नी के पास गये तो गायों ने पुकारा रक्षा के लिए तो वीर जाकर के अपना बलिदान कर देते हैं। तो जितने भी लोक देवता अपने होते हैं इन सबके पीछे भी गाय की कृपा रही है।

मेरा निवेदन है कि गाय आज आत्मा है भारत की। गाय अगर दूध नहीं देती है कुछ भी नहीं करती है, इसके बछड़े कुछ भी नहीं करते हैं तो यह सोचो कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपन। धर्म रक्षो रक्षितः धर्म की रक्षा अगर अपन करेंगे तो धर्म अपनी रक्षा करेगा। 1946 में काशी की सभा में गांधीजी ने कहा कि जिस दिन भारत स्वतंत्र होगा तो पहली कलम से अगर कोई बात लिखी जाएगी तो यह लिखी जाएगी गौ हत्या बंद हिन्दुस्तान में। जब भारत स्वतंत्र हो गया नेहरूजी जब बैठे शासन पर तो गांधीजी ने इशारा किया कि पहली कलम से गौ हत्या बंद। तो वो बोले कि नहीं करूंगा। तो गांधी इतने दुःखी हुए और बोले कि कांग्रेस को खतम कर देनी चाहिए। मैं भी मोदीजी को एक लैटर देकर आया हूं कि अगर सम्भव हो आपसे कैसे भी तो आप गौ हत्या बंद करवाओ। हिन्दुस्तान में गौ हत्या बंद अगर हो गई तो फिर अमरीका वगैरह अपने सामने कहीं नहीं टिकेगा अपन इतने ऊंचे हो जाएंगे। दो तरह के भय हुआ करते थे एक राम का और एक राज का। तो राम का भय तो ऐसे हुआ कि नैतिक पतन हो गया अपना। नैतिक पतन के कारण ये सब पापाचार है, आज राजस्थान में छह सौ से ऊपर कत्ल है तो फिर क्या होगा। तो भूपेन्दर यादवजी से मेरी बात हुई कि बीजेपी वाले राज्यों में कहीं भी गौ हत्या नहीं होगी और चेष्टा करेंगे कि राज्य सभा में भी अपना बहुमत आ जाए तो पूरे हिन्दुस्तान में करने के लिए मोदी साहब से कहेंगे। मैंने वो पत्र

(श्री राजकुमार रिणवां)

दिया तो पीएम ने यादव साहब को कहा कि इनको मेरे से मिलाएं एक बार। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि गाय का नाम लेने के लिए पीएम ने मिलने का टाइम दे दिया, यह कितनी बड़ी बात है। गाय की रक्षा करके देखो, गाय के लिए खर्चा शब्द मत सोचो। तो गाय के लिए इसके आशीर्वाद से अपने राजस्थान में इतनी उन्नति होगी, समय पर बरसात होनी है, कितनी होनी है यह सब काम होंगे। ये जो नकली कीटनाशक है मैं बताना चाहता हूं कि ये कैंसर, हार्ट फेल, बीपी आदि सारी बीमारियां उनसे हो रही तो गाय का गोबर है और है उनका यूज करो ज्यादा से ज्यादा। आपको बताना चाहता हूं कि एक आनन्द आएगा, एक बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। समय की कमी के कारण अब मैं और क्या बताऊं मेरा नम्बर आया तब समय का चक्कर हो गया। आज अख़बार में आया कि शपथ के बाद में बोले ही नहीं तो मैं सोचता था कि नये जो सदस्य आये हैं उनको मौका मिले तो ज्यादा सही रहेगा इस कारण से कम बोलने की कोशिश करता हूं। बाकी ऐसी बात नहीं है कोई भी आदमी अगर नहीं बोलता है तो वो योग्य नहीं है ऐसी बात नहीं है। यहां जो भी पहुंचता है उसमें एक बड़ी विशेषता होती है उसको ऐसे पूछते नहीं हैं इलाके के लोग। वोट देना बहुत बड़ा दुर्लभ काम है। आदमी पैसे दे दे, कुछ भी दे दे पर वोट आत्मा में जंचने पर देता है तो यहां जो भी विभूतियां पहुंची हैं वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी विशिष्टता से पहुंची हैं। मेरा दस मिनट का समय हो गया। अब मैं पुन:-पुन: सभापति महोदय को धन्यवाद देकर मेरा स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्या, श्रीमती अलका सिंह।

**श्रीमती अलका सिंह** (बांदीकुई): माननीय सभापति महोदय, आज हम यहां कृषि, कापरेटिव और पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही दुःख का विषय है कि कांग्रेस की सीटें बिलकुल खाली हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इस तरफ देख रही है और यह देख रही है कि कांग्रेस के बंधु कितने हितैषी हैं। बाहर जाकर तो यह मीडिया के सामने बहुत दनदना रहे होंगे लेकिन वास्तविक रूप में जो नीति निर्धारण का स्टेज है, जहां वह अपनी राय दे सकते हैं या फिर किसानों के हित में कुछ कह सकते हैं वहां उनकी उपस्थिति बिलकुल भी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मैं कृषि मंत्री महोदय को

(श्रीमती अलका सिंह)

बताना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक माधोगंज पुरानी मण्डी है, पिछले 100 वर्षों से व्यापारियों को वहां दुकानें आबंटित हैं। पुरखों से, व्यापारियों की चौथी या पांचवी पीढ़ी वहां व्यापार अभी तक कर रही है। वहां पर अभी तक नोमिनल रेट उन व्यापारियों से वसूली जाती थी लेकिन 1988 के बाद सरकार द्वारा रेट काफी बढ़ा दी गई। उसके बाद व्यापारियों और सरकार के मध्य थोड़ा विवाद हो गया। उसके बाद से यह काम बिलकुल बंद है। लेकिन अभी पिछले दिनों सरकार की तरफ से कलक्टर के पास आदेश गए और कलक्टर के आदेश से उनको नोटिस दे दिए गए हैं, बेदखली के। सभापति महोदय, आपके माध्यम में मैं कृषि मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि वहां पर रहने वाले व्यापारी बहुत छोटे व्यापारी हैं, छोटा-मोटा व्यापार करके अपना पेट पाल रहे हैं, 100 साल से वह वहां काबिज है, तो 100 वर्षों से काबिज है तो वैसे भी उनको मालिक मान लिया जाता है। वह व्यापारी 25 से 30 परसेंट तक डीएलसी रेट है उसका पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि सहानुभूतिपूर्वक इन पर विचार किया जाए।

इसके अतिरिक्त, मेरे वहां पर एक नई कृषि उपज मण्डी 2001 में बनी है। वहां भी डीएलसी की रेट्स बहुत ज्यादा है। बांदीकुई में सी श्रेणी की मण्डी है। किसान भी इतने ज्यादा वैलआफ नहीं है कि वहां जो डीएलसी रेट 33 हजार रुपये बताई गई है उसका भुगतान कर सकें। 2007 में वहां के प्रशासन ने जो रोड की तरफ की जमीन थी उसकी रेट 850 वर्गफीट और उसके 100 मीटर अन्दर 250 वर्गफीट निर्धारित की थी लेकिन यह सारी रेट्स कन्वे नहीं हो पाई किसानों को, इस वजह से किसान उसका भुगतान नहीं कर पाए। धीरे-धीरे करके यह रेट आज 33 हजार वर्गफीट हो गई है जो कि बहुत ज्यादा है। किसानों की आर्थिक स्थिति इस तरह की नहीं है। उस मण्डी में सिर्फ कृषि जिंसों का ही व्यापार होता है, कोई बहुत बड़ी मण्डी भी नहीं है। दूसरी तरफ दौसा जिला हैडक्वार्टर है वहां बी श्रेणी की मण्डी है, वहां पर डीएलसी रेट 18 हजार रुपये वर्गफीट से 600 रुपये वर्गफीट अभी कर दी गई है क्योंकि कृषि उपज मण्डी का डीएलसी अलग से निर्धारित किया गया है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस बारे में भी सिम्पैथेटिकली विचार करें। बांदीकुई कृषि उपज मण्डी की भी डीएलसी रेट अलग से निर्धारित करें ताकि जो छोटे व्यापारी वहां काम कर रहे हैं उनका भी हित हो और सरकार को भी उससे लाभ हो।

(श्रीमती अलका सिंह)

2001 के बाद जो मण्डी वहां बनी है, 13 वर्षों से वहां की सड़कों का निर्माण भी नहीं हुआ है, तो माननीय मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगी कि सड़कों के निर्माण के लिए भी थोड़ा सा बजट पास करवाएं जिससे वहां मण्डी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। पिछले समय से वहां 40 लाख रुपये की आय उस मण्डी की होती थी लेकिन पिछले सात महीनों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है मण्डी की आय बढ़कर 2.25 करोड़ हो गई है। मण्डी की आय निश्चित रूप से और बढ़ेगी यदि वहां पर मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त कापरेटिव का जो मूवमेंट है, एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, उस बारे में मैं सिर्फ एक बात कापरेटिव मंत्री महोदय को कहना चाहूंगी कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारी योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं लेकिन क्रियान्विति की समस्या आती है, डिलीवरी सिस्टम थोड़ा पूअर होता है, उस वजह से जो लाभ मिलना चाहिए वह आम आदमी को नहीं मिल पाता है। मैं मंत्री महोदय को यही कहना चाहूंगी कि एमडी और बाकी जो पोस्ट हैं, जिलों पर लगाई गई है उनमें थोड़ा आप यह निर्धारित कर लें कि एसीबी की जांच जिन अधिकारियों के खिलाफ चल रही है उनको यह महत्वपूर्ण पद नहीं दिये जाएं।

पशुपालन की मांग के सम्बन्ध में मेरे क्षेत्र में काफी जगह ऐसी हैं जहां भवन के लिए विभाग द्वारा पैसा स्वीकृत है लेकिन जमीन का आबंटन नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगी कि इनकी व्यवस्था करा दी जाए। पशु चिकित्सालय एक-एक कमरों के भवन में चल रहे हैं, जो सुविधा आम आदमी को, पशुपालकों को मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है, अगर भवनों का निर्माण हो जाएगा तो निश्चित रूप से पशुपालकों को भी फायदा होगा। राज्य की आय भी बढ़ेगी और जो हम लोग संकल्प लेकर आए हैं आम आदमी की सरकार बनाने का वह संकल्प भी पूरा हो पाएगा। आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य श्री जगसीरामजी कोली।

**श्री जगसी राम** (रेवदर): सभापति महोदय आज मांग संख्या 36, 37 और 39 सहकारिता कृषि और पशुपालन एवं चिकित्सा। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेश में अभी बजट भाषण के दौरान किसानों के लिए, सहकारिता के क्षेत्र में और पशुपालन एवं चिकित्सा के क्षेत्र में काफी

(श्री जगसी राम)

सराहनीय कदम उठाया है। आज पूरे प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में, मेरा विधान सभा क्षेत्र रेवदर मूलभूत कृषि क्षेत्र, तहसील मुख्यालय है। वहां पर रोजड़े, जिसे नीलगाय कहते हैं, वहां किसान जब अपनी फसल बोते हैं, बोने से कटाई तक हमेशा उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे कृषि मंत्री महोदय विराजमान हैं, काफी चिंता करने वाले हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के खेतों पर अगर तारबंदी की व्यवस्था की जाए तो किसान हमेशा के लिए, जो नरेगा के माध्यम से पैसा जा रहा है वह पैसा उसके अन्दर अगर लिया जाए तो किसानों को राहत मिलेगी मेड़बंदी के माध्यम से। इसी तरह रेवदर विधान सभा क्षेत्र जो गुजरात से लगता हुआ एरिया है वहां पर टमाटर और आलू की खेती अच्छी तरह से हो रही है। पूरे राजस्थान के अन्दर रेवदर का टमाटर बिक रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि गुजरात पैटर्न पर, वहां पर आलू के कोल्ड स्टोरेज के लिए, सरकार टमाटर और आलू के भण्डारण के लिए अनुदान यदि सब्सिडी के माध्यम से किसानों के लिए, तो बहुत बड़ा फायदा रहेगा, मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन रहेगा। जिस तरह से पिछली सरकार से भी, अपने किसानों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था ड्रिप इर्रिगेशन बूंद-बूंद सिंचाई, अनुदान जो किसानों को दिया जाता है, इसी तरह लघु किसान अपने कृषि यंत्र खरीदते हैं, इसी तरह से जो छोटे काश्तकार हैं वह खेती करने के लिए ट्रैक्टर खरीदते हैं, बैंकों से ऋण लेते हैं, कई बार वापिस बैंक उनके ट्रैक्टर को खींचकर ले जाती है, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि यदि किसानों के लिए लघु किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में अनुदान या सब्सिडी दी जाए तो आने वाले समय के अन्दर राजस्थान का किसान आगे बढ़ेगा और आगे बढ़कर अपने परिवार के लिए और इस प्रदेश के लिए अच्छा कदम उठाएगा।

इसी तरह पशुपालन पर भी आज चर्चा की जा रही है। पशुपालकों के लिए सरकार काफी चिंता कर रही है।

अपनी गौ-माता के लिये भी अभी हाऊस में भी कई माननीय सदस्यों ने चिन्ता जताई है। अच्छी नस्ल की गाय-भैंस खरीद कर पशुपालक अपना जीवन यापन कर रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पूरे जिले के अन्दर रेवदर तहसील के अन्दर जो पशुपालक हैं, सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादक हैं। पहले जालौर डेयरी जो है, दूध की डेयरी और रेवदर ब्रांच में वहां से यहां पर, रेवदर से जालौर लेकर जा रहे थे लेकिन 15 वर्ष होने आये हैं, उस डेयरी को बंद कर रखा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रेवदर में पहले जो दूध की डेयरी चालू

(श्री जगसी राम)

थी, उसको वापस चालू कराया जाए ताकि पूरे रेवदर, सिरोही जिले का जो दूध है, वह गुजरात में जाता है और राजस्थान का फायदा गुजरात सरकार ले रही है। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सिरोही जिले के लिये, दुग्ध उत्पादकों के लिये आप चिंता करेंगे तो क्षेत्र की जनता, सरकार की और विशेष तौर से आपकी आभारी रहेगी। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

इसी तरह से आज सहकारिता के क्षेत्र पर चर्चा हो रही है। किसानों के लिये रबी की फसल हेतु जो ऋण दिया जाता है, वह ब्याज नहीं के बराबर हो तो किसान अपने आप में सक्षम होगा और आगे बढ़ेगा। सहकारिता के क्षेत्र में, जो सहकारी समितियां हैं उनमें कई जो ऐसी समितियां हैं, मैं पर्टिकूलर सबके लिये नहीं बताना चाहूंगा पर कई ऐसी जो समितियां हैं, वहां पर जो व्यवस्थापक हैं, वहां पर किसानों के साथ में अनियमितता करते हैं। जो किसान अनपढ़ हैं, उनको भी ऋण लेने और देने के अन्दर ऐसी अव्यवस्था करते हैं, उनके साथ में व्यवहार भी सही नहीं रहता है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि पंचायत स्तर पर सहकारी समितियों का गठन हो तो आने वाले समय के अन्दर प्रत्येक पंचायत के जो किसान भाई हैं उनको सीधा-सीधा फायदा मिल पायेगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि क्रय सहकारी समिति, आबू रोड जो है, और आबू रोड और रेवदर दोनों अलग-अलग तहसील स्तर है, उप खण्ड कार्यालय अलग है, यदि रेवदर और आबू रोड को रेवदर में यदि स्थापित किया जाए तो पूरे रेवदर ब्लाक में सहकारी समिति में जो आने वाले किसान भाई हैं उनको वहां का फायदा मिलेगा वह रेवदर स्तर पर ही किसानों को मिलेगा। सहकारी बीज भण्डारण की व्यवस्था है, किसानों को जो बीज वितरण किया जाता है, यदि समय पर किसानों को बारिश से पहले और समय पर यदि वितरण किया जाए तो किसानों के हित में रहेगा।

अभी मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण के अन्दर खाद के लिये जो डी.ए.पी. और यूरिया के लिये व्यवस्था अच्छी की है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन समय पर यदि किसानों को खाद मिले, ताकि कई ऐसे जो व्यवस्थापक हैं, जो समय पर अन्य स्थानों पर वह खाद खाली कर देते हैं, फिर ज्यादा पैसे लेकर कई बार किसानों को खाद उपलब्ध कराते हैं। समय पर किसानों को खाद मिले और समय पर ही उसकी बुवाई हो सके, इन सारी बातों को मैं ज्यादा न कहते हुए मैं माननीय

(श्री जगसी राम)
मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि मैंने मेरे क्षेत्र की जो बात बताई है, उन पर आप विशेष गौर करें। खूब-खूब धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य श्री राजेन्द्रजी गुर्जर।

**श्री राजेन्द्र गुर्जर** (देवली-उनियारा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, सहकारिता पर अपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय, मैं पशुपालन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस तरह से कृषि में कार्य करते समय किसान की मृत्यु हो जाती है और उसे हम कृषि मण्डी से एक लाख रुपये का अनुदान देते हैं, उसी प्रकार जब पशुपालन करने वाला जंगल में जाता है, जब वन भूमि में या चरागाह में जाता है, या गैर-मुमकिन नदी-नालों में जब जानवर चराता है, उस वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिलता। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि किसानों को भी इस प्रकार का लाभ मिले ताकि वह अपने परिवार का लालन-पालन, या उसको सहायता मिले। मैं जो मेरे क्षेत्र में, मंत्री महोदय ने जो अभी देवली-उनियारा में मोबाइल यूनिट का जो शुभारम्भ किया है, उसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने जिस तरह से हमें सौगात दी है, यह बहुत अच्छी बात है, और जगह भी दें, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा में जो डाक्टर्स हैं, पशु चिकित्सक, उनकी कमी है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि उनको जल्दी भरें, ताकि अब आने वाले समय में बरसात के मौसम में जानवर बरसात में जब चरने जाता है तो उनके पांव में, खुर में कांटें लग जाते हैं, या खुर कच्चे पड़ जाते हैं, ऐसे में कई बीमारियां होने की आशंका है। तो अगर चिकित्सक वहां रहेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको उनका लाभ मिलेगा।

माननीय मंत्री महोदय से एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो किसान है, अपने जो गाय है, गाय पहले जब हमारे पूर्वज थे तो गौधन के नाम से इसको जाना जाता था। आज सब इसको घर से निकाल देते हैं। ऐसा क्यो हुआ? क्योंकि हम इस गौ-माता के दूध का महत्व नहीं समझते। अगर हम इसका प्रचार-प्रसार करें और लोगों को बतायें क्योंकि इसकी जानकारी का अभाव है कि गौ-माता का जो दूध है, कितना शक्तिवर्धक है, इसका दूध पीने से क्या-क्या लाभ हैं, बीमारियों का बिलकुल अंत है, गौ-माता का दूध पीने से मेरा ऐसा मानना है। सब लोग जानते भी हैं। लेकिन इसका प्रोपर

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

प्रचार-प्रसार नहीं होता। उसके कारण हमारी गौ-माता का दूध, जो लोग पतला समझकर हल्का समझ कर इस्तेमाल कम करते हैं। क्योंकि भैंस का दूध जाड़ा होता है तो कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि हम भैंस का दूध या अन्य जानवर का दूध लेते हैं, पर जो गौ के दूध में गुणवत्ता है आज हम पानी की पन्द्रह रुपये की बोतल ले लेते हैं। पर दूध हम या हमारे लोग, जो भी इस क्षेत्र में दूध का उपयोग नहीं करते हैं, उनसे आप अधिक से अधिक प्रचार करें कि दूध का क्या महत्व है। गाय के दूध से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो मेरा मंत्री महोदय को सुझाव है, आपके माध्यम से कि इसका प्रचार-प्रसार अधिक होना चाहिए। क्योंकि इससे कई बीमारियों का अंत होता है।

मैं सहकारिता मंत्रीजी से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में अभी सोसायटियां नहीं बंटी हुई हैं कहीं। पुराने जो सदस्य हैं, उनको भी नहीं मिली, अभी तक। वे सब परेशान हैं, वे बार-बार आग्रह करते हैं। हमने भी मंत्री महोदय को पहले भी आग्रह किया, और आग्रह कर रहे हैं कि उनको सोसायटियां बंटें ताकि आज उनके बुवाई के लिये पैसों की जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति हो सके। अभी इन्होंने, हमारे किसानों ने जो चना खरीदा है, नेफेड ने, उसका पैसा भी नहीं आया। दो करोड़ रुपये का चना खरीदा है, बाकी 30 लाख रुपये ही वहां मिले हैं। उसके लिये भी किसान बहुत परेशान हैं। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उसकी व्यवस्था कराएं। हालांकि आपने आश्वासन दिया है, जल्दी होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य श्री रामलालजी गुर्जर।

**श्री राम लाल गुर्जर** (आसींद): माननीय सभापति महोदय, जैसा कि आप सब जानते हैं, यहां सदन में बैठे सब भाई भी जानते हैं कि कृषि, जब कृषि की डिमाण्ड आई, बाकी तो अमूमन सदन भरा रहता है लेकिन सदन खाली-खाली दिख रहा है जबकि यह मालूम नहीं कि भारत कृषि प्रधान देश है। 80 प्रतिशत कृषि पर ही निर्भर है। लेकिन इससे क्या लेना-देना। क्योंकि काश्तकार भाई भोले भाले होते हैं, जबकि उनको अन्नदाता कहते हैं, धीरे-धीरे भूलते जा रहे हैं कि अन्नदाता भी कोई चीज है। जब अन्न पैदा करने वाला रुठ गया तो फिर क्या होगा, यह आप सब जानते हैं। सबसे मोटी बात यह कहना चाहता हूं कि किसान कर्ज में ही जन्म लेता है और कर्ज में ही वह मरता है। क्योंकि उसके सामने कई संकट हैं। ऊपर वाला भी कभी-कभी कृपा

(श्री राम लाल गुर्जर)

नहीं करता है और राज भी जब कृपा नहीं करता है तो काश्तकार के सामने सबसे मोटा धर्म-संकट होता है। अभी जैसे आपदा प्रबंध से फसलें चौपट हो गई थीं। मान लीजिए कभी बरसात ज्यादा हो गयी तो भी फसलें चौपट हो जाती हैं और अगर सूखे की मार पड़ जाए तो खेती नष्ट हो जाती है तो काश्तकारों को तो टोटल दु:ख ही दु:ख देखना है। इसमें अपना सबका और सदन में आये हुए भाइयों का भी फर्ज बन जाता है कि काश्तकारों का कितना, ज्यादा से ज्यादा भला कर सकें कि उनको क्या-क्या फायदे दे सकते हैं, वह देना चाहिए।

जैसा कि अभी माननीय वसुन्धरा राजेजी ने बजट के अन्दर जो प्रावधान किया। हर बार खाद-बीज की समस्या भी आती है लेकिन अग्रिम भंडारण हेतु जो साढ़े 28 करोड़ रुपए दिए, उसके लिए धन्यवाद देता हूं, इस नाते कि उन्होंने यह बहुत ही अच्छा काम किया।

यही नहीं, जल ग्रहण के लिए अभी 2014-15 की जो कार्य योजना बनाई उसमें 1392 करोड़ का प्रावधान रखा। यह बहुत ही अच्छी बात है। तो इस बार जो भी मेरे यहां पर काश्तकारों को नुकसान हुआ है, आपदा प्रबंधन से कुछ को सहायता राशि मिली और बाकी ज्यादातर किसान अभी तक वैसे ही हैं। कृषि का काम करते हुए आपको मालूम है कि बिजली आती है, नहीं आती है, वह रात को अंधेरे में भी खेत की पिलाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब उनको सांप काटे, चाहे बिच्छू काटे, चाहे अंधेरे में पैर किसी खड्डे में चला जाए, फ्रैक्चर हो जाए, उसकी सुने तो कौन सुने लेकिन संकट है उसके सामने, मजबूरी है तब रात को वह इतना संकट देखता है, बाकी संकट कौन देखें? तो इस नाते भी मैं कहना चाहता हूं कि जब काश्तकार भाइयों को कोई फ्रैक्चर हो जाता है, कृषि का काम करते हुए तो उस टाइम पर कृषि मण्डी द्वारा उसको सहायता नहीं दी जाती है। जैसे सांप और बिच्छू, जहरीले जानवर के काटने से तो दिया जाता है लेकिन यह अंग-भंग होने पर दिया जाता है। जैसे कृषि मण्डी के अन्दर कोई मान लीजिए जो मजदूरी करता है श्रमिक, उसको सहायता राशि मिलती है कि अंगुली का फ्रैक्चर हो गया तो 10,000 दो का हो गया तो 20,000 तीन का हो गया तो 30,000 चाहे हाथ में फ्रैक्चर हो गया, चाहे शरीर, चाहे रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने पर मिलेगा लेकिन काश्तकारों को अगर कृषि का काम करते हुए कुछ हो गया तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। ओनली मृत्यु पर ही मिलेगा या पूरा अंग-भंग होगा तब ही, चाहे एक हाथ, एक पैर कटे तो ही उसको बेनिफिट मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। जबकि, मिलना चाहिए

(श्री राम लाल गुर्जर)

अगर, फ्रैक्चर कृषि का काम करते हुए हुआ है तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आगे के लिए एक तो यह जोड़ा जाए।

दूसरा, आज रोजड़ों की भयंकर समस्या है। खेती नष्ट कर देते हैं तो रोजड़ों के लिए तार की बाड़-बंदी की जाए। इसके लिए महानरेगा के तहत बाड़ की जाए या छूट लेकर पत्थरों की दीवार की चुनाई का काम कुछ काश्तकार लगायें, कुछ और महानरेगा के तहत मिलें ताकि वह उसकी बाड़ वगैरह का निर्माण कर सकें।

इसके सिवाय जैसा कि खाद पर भी, यह ब्याज पर भी 4 परसेंट का जो अनुदान दिया लघु ऋण के लिए तो इससे भी काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके सिवाय सरकारी, गैर-सरकारी पर 13-14 परसेंट ब्याज का जो बोझा है उस पर 5 परसेंट की जो यह सहायता राशि अनुदान की दी है, सहारा मिलेगा। 50 करोड़ का जो प्रावधान रखा है वसुन्धरा राजेजी इसके लिए धन्यवाद की पात्र हैं।

जैसा कि पशु-पालन के लिए, अच्छी नस्ल के लिए जो साढ़े पांच करोड़ रुपए दिए, जन सहभागिता के तहत तो यह भी बड़ी समस्या में सहारा मिलेगा अब तक आ रही है क्योंकि अच्छी नस्ल के जानवर वगैरह नहीं रखते हैं। जबकि अच्छी नस्ल के गिर, थारपारकर अच्छी किस्म के जानवर रखने चाहिए और देशी जानवर भी रखने चाहिए। देशी गाय, गौ-माता है और गौ-माता की जो पूजा करता है, खाली उसके हाथ फेरने से भी हार्ट की बीमारी चली जाती है और यह ही नहीं जैसे, गौ-मूत्र वगैरह लें तो गौ-मूत्र से कैंसर जैसी गम्भीर बीमारियां भी खतम हो जाती हैं। सबसे मोटी बात मैं बताना चाहता हूं आपको क्योंकि मैंने आयुर्वेदिक का भी थोड़ा अनुभव है जैसे अब मान लीजिए कि उसका गौ-मूत्र ही काम लेना है, प्रैक्टिकली आप भी जानकारी कर सकते हैं कि अगर गौ-मूत्र को एक बार छान कर पी जाओगे तो एक बार दस्त लगेंगे। दो बार छन कर पी जाओगे तो दो बार दस्त लगेंगे और तीन बार छान कर पी जाओगे तो तीन बार दस्त लगेंगे। अब इससे मोटा आश्चर्य क्या हो सकता है? चार बार पी जाओगे तो चार बार लगेंगे। जब प्रैक्टिकल अपने को मालूम है और देशी गौ-माता का तो कितना महत्व है? चाहे दूध ले लो, हिन्दुस्तान में कोई शक्तिशाली चीज गौ-माता के दूध के मुकाबले आज तक नहीं आयी है। गौ -माता का दूध शक्तिशाली है। उसका दूध पीने पर स्मरण शक्ति तेज होती है और दूसरे दूध को पीने से तो बताते हैं कि हार्ट ब्लाक है लेकिन उससे ब्लाक

(श्री राम लाल गुर्जर)

नहीं होता है। यह आजकल भैंस का दूध ज्यादा और भैंस का यह सब, घी वगैरह खाने लग गये इसलिए ज्यादातर यह अड़चन आई है।

सहकारिता के मामले में माननीय मंत्री महोदय को मैं बताना चाहता हूं कि जो यह लघु ऋण 4 परसेंट है, यह अच्छी बात है और इसके सिवाय जो 100 कमजोर सहकारी समितियां हैं उनके भवन के लिए 10-10 लाख दिए हैं, इसके लिए माननीय वसुन्धराजी भी बधाई की पात्र हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जहां पर भी भवन नहीं बने हैं सहकारी समिति के वहां पर भवन बनाये जाएं। इसके सिवाय जो भवन बन रहे हैं वह पंचायत हैडक्वार्टर पर बनें, वहीं पर बनें, हैडक्वार्टर पर बनें। कई-कई बार इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। जैसे प्रैक्टिकली मेरे ही इस बार बड़ला पंचायत ले लो, बड़ला पंचायत हैडक्वार्टर है लेकिन वहां पर नहीं बनकर के जयसिंहपुरा, राजनीति की वजह से वह भवन वहां पर गया और उसकी खींचातानी होती ही रही जबकि पंचायत हैडक्वार्टर पर बनना चाहिए लेकिन टोटल राजनीति। चाहे वह फर्जी प्रस्ताव ले लिया, हस्ताक्षर फर्जी, लेकिन, उनकी अनदेखी की गई। वह पेंडिंग रह गया लेकिन अभी यथा-स्थान बड़ला ही भवन बने और सहकारी समिति गड़वालों का खेड़ा है तो प्रोपर जहां पर है वहीं पर बने। इस जगह राजनीति सहकारिता के मामले में किसी को भी नहीं खेलनी चाहिए।

गौ-पालन विभाग जो खोला है। वसुन्धराजी राजे धन्यवाद की पात्र हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार बधाई की पात्र है कि पहली बार गौ-पालन विभाग खोला है। माननीय मंत्री महोदयजी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि गौ -शाला के लिए जहां पर भूमि आबंटित है और जिस गौ-शाला को कुछ भूमि आबंटित ही नहीं है तो कम से कम उनकी भी जानकारी, जांच कराई जाए कि जहां-जहां पर मोटी-मोटी ज्यादा जमीन, 200-200, 500-1000 बीघा भी जमीन है और गौ-शाला उस ढंग से चल नहीं पाती है और एक और जब जिनके पास नहीं है वह अच्छी गौ-शाला चलाते हैं तो उनकी भी समय-समय पर जांच होती रहनी चाहिए। वह चरागाह भूमि जो धीरे-धीरे खतम हो रही है तो चरागाह भूमि पर अपने को भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि जानवरों के लिए तो सब कुछ चरागाह भूमि ही है।

बीज भण्डारण का मामला ले लीजिए। बीज भण्डारण के लिए भी अभी व्यवस्था जो पूरी होनी चाहिए, वह व्यवस्था की थोड़ी कमी है तो इस पर भी विशेष ध्यान देकर भण्डारण व्यवस्था ठीक की जाए।

(श्री राम लाल गुर्जर)

काश्तकार भाइयों के लिए भी जो अपना चाहे फल है, सब्जी है, बीज है या स्टाक रखना चाहें तो भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था हो ताकि उनका हो जाए।

अब डेयरी वाला मामला है। डेयरी पर तो कहना ही क्या है क्योंकि डेयरी में आजकल टोटल एक तरह से राजनीतिकरण हो रहा है, डेयरी का धीरे-धीरे तो इस पर विशेष ध्यान देकर इनकी जानकारी करनी चाहिए। कभी जो डेयरी की जो सहकारी समिति होती है, कभी तो वोट देने के लायक हो जाती है और जब यह मालूम पड़ जाता है कि वोट देंगे और अपन नहीं जीत पाएंगे तो इन डेयरियों का क्या करें कि ए श्रेणी को बी श्रेणी की, बी श्रेणी वोट देगी। बी श्रेणी नहीं तो सी श्रेणी देगी। कैसे यह अपनी राजनीति में अपनी नैया पार हो और अपन जीतें। बाकी डेयरियों का कोई लेना-देना नहीं है। समान अधिकार होना चाहिए। चाहे डेयरी छोटी है या चाहे बड़ी है लेकिन, वोट देने का राइट सबको समान है, समान देना चाहिए और डेयरी में कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके सिवाय हमारे भीलवाड़ा डेयरी में क्या हो रहा है? कितना क्या है, समय-समय पर पहले भी कितना घोटाला हुआ, क्या हो रहा है, उनकी जांचें अभी तक अधूरी पड़ी हैं लेकिन सुनें तो कौन और देखे तो कौन? डेयरी के काश्तकार भाई जो इतना महंगा दूध देते हैं तो कम से कम उसकी रखवाली करना भी तो अपना फर्ज है, उस डेयरी को, वह डेयरी अपनी है।

'एक सबके लिए, सब एक के लिए' होता है न कि अनदेखी में किसी को छोड़ा जाए। तो भीलवाड़ा डेयरी की भी भली-भांति जांच हो और वर्षों से जो अधिकारी जमे हुए हैं एक ही पद पर, एक ही जगह पर, यहां पर अलग-अलग जगह पर बैठे हैं। तो क्या यह ठेकेदारी प्रथा थोड़े ही है जो कि एक ही आदमी वहां पर सरकारी सर्वेंट रहे या वहां पर रहे। टाइम टू टाइम इनकी जानकारी होनी चाहिए और निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। मैं भी डेयरी में हमेशा, मैं तो किसी मामले में वैसे विशेष राजनीति नहीं करता लेकिन जहां पर सही बात है तो सही बात को कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

इसके सिवाय चिकित्सा के क्षेत्र को ले लें। चिकित्सा के क्षेत्र में नि:शुल्क दवा है लेकिन अभी जैसे दवा है उसकी व्यवस्था पूरी मेनटेन नहीं हो पा रही है, पूरी व्यवस्था हो। इसके सिवाय यह कम्पाउंडर और नर्स के जो-जो पद रिक्त पड़े हैं, चिकित्सा अधिकारी के तो उन पदों को भी पूरा भरा जाए ताकि वे उसकी देख-रेख कर सकें। इसके लिए अपनी मोबाइल यूनिट है।

(श्री राम लाल गुर्जर)

मोबाइल यूनिट भी जा-जाकर जानकारी करें। पशु-धन की जो भी बीमारी है, उस बारे में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। पशुधन ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके।

अब कृषि मण्डी के मामले में ले लें। कृषि मण्डी के मामले में भी काश्तकारों को वरीयता के आधार पर दुकानें आबंटित की जाएं क्योंकि व्यापारी भाई तो वैसे ही सजग होते हैं। वे तो ले लेते हैं लेकिन, काश्तकारों की अनदेखी की जाती है। इसके सिवाय कृषि मण्डी में से वह 99 साल की लीज के लिए जो भूखण्ड के पट्टे नहीं दिए जाएं किन्हीं फैक्ट्री वगैरह, इनको लगाने के लिए, उद्योग-धंधे के लिए क्योंकि धीरे-धीरे कृषि मण्डी खतम हो जाएगी इस तर्ज पर तो इसलिए वह अगर फैक्ट्री लगाना चाहे तो बाहर से जमीन खरीद लें लेकिन अपनी भूमि 99 साल की लीज पर नहीं दी जाए। देने के बाद तो स्थाई तौर से एक तरह से उन्हीं की हो जाती है। कृषि मण्डी के भूखण्डों के बारे में विशेष ध्यान रखा जाए और इसके सिवाय भी मेरे जो कृषि मण्डी है, कृषि मण्डी जो गौण मण्डी है। आसींद अच्छी मण्डी चलती थी। पिछली बार भी करीब 34 लाख की आय हुई थी लेकिन 40 लाख की आय होने पर उसको कृषि मण्डी मानते हैं, बाकी गौण मण्डी मान लेते हैं। तो गौण मण्डी नहीं, जब बाहर माल बिक जाता है, तो अन्दर जब माल जाएगा ही नहीं, जब बिकेगा ही नहीं तो इन्कम कहां से होगी? तो फिर मण्डी कहां से रहेगी वह? यही मेरे गुलाबपुरा का हाल हुआ है। तो मेरे आसींद और गुलाबपुरा को एक मण्डी बना दिया जाए, एक मण्डी, कृषि मण्डी बनायें। अभी जो गुलाबपुरा की मण्डी है उसको तो अजमेर जिले में दे रखा है विजय नगर में। और जो आसीन्द की मण्डी है, उसको भीलवाड़ा में दे रखा है। जब दोनों सक्षम मण्डी है। हाइएस्ट माल मेरे गुलाबपुरा में आता है। हाइएस्ट माल मेरे आसीन्द में आता है, तो फिर यह अनदेखी नहीं की जाये, दोनों मण्डी हों।

कृषि मण्डी के सिवाय किसान कल्याण कोष से इसकी भी पूरी-पूरी चौकसी रखकर काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।

इसके अलावा मैं कुछेक सुझाव देना चाहता हूं। फसली बीमा के लिये जो तहसील हैड क्वार्टर को इकाई मानते हैं तो तहसील हैड क्वार्टर को इकाई नहीं माना जाये। हर पंचायत हैड क्वार्टर को इकाई माना जाये, क्योंकि कहीं बरसात ज्यादा हो जाती है, कहीं ओले ज्यादा गिर जाते हैं, और कहीं कम होता

(श्री राम लाल गुर्जर)

है तो इसलिये पंचायत हैडक्वार्टर को दिया जाये। इसके अलावा जो समर्थन मूल्य की खरीदी है, यह टाइम पर की जाये। ज्यादातर और भी जिंस है, उनकी की जाये। जैसे चने की इस बार की खरीददारी देरी से हुई। हर बार ही ऐसा जनरल होता है। इसकी समय पर खरीदी जाये, ताकि काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। क्योंकि छोटे काश्तकार हैं, छोटे काश्तकार अपनी फसल को पहले ही बेच देते हैं और फिर सेंटर खुलते हैं तो सेंटर में तो बड़े-बड़े व्यापारी फिर स्टाक किये हुए वाया मीडिया अपना माल पहुंचाने में लग जाते हैं। लेकिन काश्तकारों को बेनिफिट नहीं मिल पाता है।

इसके अलावा ड्रिप इर्रिगेशन बूंद-बूंद सिस्टम योजना पर जो छूट है, उस छूट को थोड़ा और बढ़ाया जाये, क्योंकि छूट थोड़ी कम है।

सौर ऊर्जा पर यह जो 30 प्रतिशत राशि सौलर मिशन के तहत जवाहर लाल नेहरू, जो दिल्ली की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से 30 प्रतिशत दिया जाता है, 30 प्रतिशत राज्य सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है तो यह अनुदान थोड़ा और बढ़ाया जाये, ताकि काश्तकारों के पम्प सैट वगैरह लगाने में सौर ऊर्जा वाला इजी-वे में काम हो जाये। इसके अलावा कृषि कनेक्शन थोड़े जल्दी हो। इसे और भी आसान किया जाये ताकि काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले और धीरे-धीरे यह भी होना चाहिये कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिये। कृषि को जो बेनिफिट मिलने चाहिये, वह भी पूरे नहीं मिल पा रहे हैं।

इसके अलावा मेडिशनल प्लांट हैं, जैसे आंवला, अनार, सेव, नींबू, ग्वारपाठा है। अपन इसमें जैसे आंवला ही ले लें, आंवला के कई प्रोडक्ट पैदा किये जा सकते हैं, लेकिन इस ओर ध्यान देकर अब अपन सोचेंगे। जब आंवले के पेड़ के नीचे संत-महात्मा जो सोये रहते हैं और 100-150 साल की उम्र जीते हैं, आंवले से च्यवनप्राश वगैरह लेकर के, और भी कई बेनिफिट हैं, कई उसके फायदे हैं। लेकिन धीरे-धीरे आंवले के पौधों को काटा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, क्योंकि आमदनी का कोई साधन नहीं है। दो-चार, पांच-दस रुपये किलो आंवले के कौन दे? वैसे आंवले प्रैक्टिकली मैंने भी लगा रखे हैं, दस साल से लगा रखे हैं, लेकिन दो बार थोड़े बहुत बेचे होंगे, वह भी दिल पर पत्थर रखकर के बेचे होंगे। बाकी मन से उसको बेचा नहीं। आंवले के भाव में कोई नहीं, इसलिये

(श्री राम लाल गुर्जर)

मेडिशनल प्लांट की तरफ ध्यान दें और बाहर अपन निर्यात भी करें। हमारी यहां सप्लाई नहीं हो तो चाहे सप्लाई करनी पड़े, लेकिन वह सप्लाई हो।

इसके अलावा जिला हैड क्वार्टर पर अपने 33 कृषि भवन तो बन चुके हैं, लेकिन उसमें व्यापारीकरण हो रहा है। काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। वहां पर काश्तकारों के ठहरने की व्यवस्था हो और रेगुलर वे में आगे बढ़ोतरी ओर ओर जाये। इसकी भी पूरी देखरेख हो। वहां लाइब्रेरी बने जिससे काश्तकार थोड़े सजग रहें, एग्रीकल्चर के लिये उनमें जागरूकता आये। इसके सिवाय कृषि मण्डी वाला जो मैटर बताया, यह विशेषकर ध्यान रखने का है। बाकी तो सभापति महोदयजी ने समय की पाबन्दी तो पहले ही लगा दी, इसके लिये मैं तीनों मांग संख्या को यहीं पर विराम देता हूं। गौ-पालन विभाग खोला, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद वसुन्धरा राजेजी को और राज्य सरकार को। जय भारत। जय गौ-माता की।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य श्री लादूरामजी।

**श्री लादूराम** (गुढामालानी): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 36-सहकारिता, मांग संख्या 37-कृषि एवं मांग संख्या 39-पशुपालन चिकित्सा पर मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। को-आपरेटिव डिपार्टमेंट में सोसायटी मैनेजर एक ऐसी पोस्ट है, जिस पर 60 साल से मेरे हिसाब से किसी का भी कंट्रोल नहीं है। सोसायटी मैनेजर जो मनमानी करता है जगह-जगह, उस पर को-आपरेटिव डिपार्टमेंट के बाई-लाज और इनके नियम ऐसे बना रखे हैं जिनका सरलीकरण किया हुआ नहीं है और अध्यक्ष की मर्जी से सोसायटी मैनेजर चलता है और अध्यक्ष और सोसायटी मैनेजर मिलकर चाहे गबन हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, सारे के सारे मामले यह दबाकर रखते हैं और गांव वाले शिकायत करते हैं। कलक्टर को कोई अधिकार नहीं है, एम.एल.ए. को कोई अधिकार नहीं है, भूमि विकास और को-आपरेटिव के एम.डी. हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है। इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। अभी मेरे पड़ोस में जो शुभकरणजी बैठे हैं, यह कह रहे हैं कि इनका एक ही रास्ता है कि इनको घर भेज दिया जाये।

मैं सहकारिता मंत्रीजी से, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप को-आपरेटिव डिपार्टमेंट में इनके बाई-लाज और इनका इस तरह से सरलीकरण करें जिसके कारण इन सोसायटी मैनेजर की जितनी भी भ्रष्टाचार और गबन के मामले में पिछले 60 साल से दुनिया भर की शिकायतें किसान लोग कर

(श्री लादूराम)

रहे हैं। यह चाहे जितना लोनिंग नहीं होने पर भी दूसरे किसान के यहां ट्रांसफर कर देते हैं और यह आम शिकायत हर ग्राम पंचायत में आपको मिलेगी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि सोसायटी मैनेजर, यूं तो पोस्ट बहुत हल्की है, पर इनके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है और अपने बाई-लाज के नियमों में सुधार करें। मैं व्यक्तिगत किसी सोसायटी मैनेजर की शिकायत नहीं करना चाहूंगा परन्तु आपके डिपार्टमेंट का मामला है। आपके रजिस्ट्रार, आपके एडिशनल रजिस्ट्रार, आपके एम.डी. इन सबसे हमने पता लगा लिया, वह सारे के सारे कह रहे हैं, जोधपुर का एडिशनल रजिस्ट्रार कह रहा है कि हमारे पास भेज दो। अब वह गांव वाले जोधपुर क्यों जायेंगे? कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये, बाड़मेर का एम.डी. है, वह भी असमर्थता बताता है तो कहने का मतलब यह है कि इन सोसायटी मैनेजर की ऐसी क्या पोस्ट है जिसके ऊपर सरकार का और जन-प्रतिनिधियों का कोई कंट्रोल नहीं है तो इसके बारे में आप बाई-लाज का सरलीकरण कर इस तरह से नियम बनायें ताकि सोसायटी मैनेजर अगर कोई गड़बड़ करता है, या लोन दूसरे किसान के खाते में ट्रांसफर कर देता है, या गबन करता है तो उसके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही हो और बाई-लाज इस तरह से आप बनाइये ताकि जिले में तो कम से कम उसकी बदली हो। कहीं भी आप उनकी बदली नहीं कर सकते। सोसायटी मैनेजर के बारे में मैंने थोड़ी बात आपको कही है। आपके नियम और बाई-लाज क्या हैं, वह आप ज्यादा जानकार हैं। इसमें आप कृपया कार्यवाही करें।

आज मैंने अख़बार में पढ़ा कि आदरणीय गुलाबचन्दजी कटारिया साहब ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिये तीन साल से ज्यादा कर्मचारियों की बदली के लिये नियम बना रहे हैं। आप भी सहकारिता विभाग में ऐसे नियम बनाओ ताकि सोसायटी मैनेजर को भी वहां से हिलाया जा सके। कटारिया साहब का मैंने आज अख़बार में पढ़ा, मेरे को बड़ा पसन्द आया कि जहां भी तीन साल से ज्यादा समय से कर्मचारी लगे हुए हैं और उनके विरुद्ध शिकायत हो तो प्रशासनिक रूप से उन सबको हटाया जाये। यह कार्यवाही आपके सहकारिता विभाग में भी लागू होनी चाहिये, मेरा आपसे निवेदन है।

मांग संख्या-37 पर मैं कृषि मंत्रीजी को पहली बात तो मैं धन्यवाद देता हूं कि 2003-04 में बाड़मेर जिले में गुढामालानी, पचपदरा और सिवाना में

(श्री लादूराम)

कृषि फसल कटाई प्रयोग से बीमे की राशि बिलकुल गायब हो गयी थी, परन्तु आपके इंटरवेंशन से मैं यह दस साल पुरानी बात कर रहा हूं। उससे सभी किसानों को करोड़ों रुपये की आपने फसल कटाई प्रयोग से बीमे की राशि दिलाई थी और इसी प्रकार आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के इंटरवेंशन से 2004-05 की राशि भी 2006-07 में पूरे पश्चिमी राजस्थान में फसल कटाई प्रयोग से बीमे की राशि दिलाई थी। परन्तु मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के पूरे पांच साल में एक नया पैसा किसानों को फसल कटाई प्रयोग तो छोड़ दो, मौसम बीमे की जगह-जगह इन्होंने फोटो यंत्र लगा दिये और एक नये पैसे की राशि भी इन्होंने नहीं दिलाई। हमारे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने और कृषि मंत्रीजी ने जो अभी वापस फसल कटाई प्रयोग के बीमे की अधिसूचना जारी की है, उसके लिये भी मैं दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इसमें फसल कटाई प्रयोग का अभी, क्योंकि बरसात में देरी हो रही है और किसानों को बरसात में जरा सी भी अनियमितता हो गयी तो फसलों में नुकसान होने की गुजाइंश है। तो आप कृपा कर के इस फसल कटाई प्रयोग के लिए जिला लेवल के अधिकारियों को निर्देश दें।

एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं मैं अप्रैल महीने में गुजरात स्टेट में बनासकांठा में गया था भा.ज.पा. के लोक सभा उम्मीदवार के प्रचार में, वहां मैंने अनार की खेती का विस्तृत अध्ययन किया। डीसा, पालनपुर और थराज, इन सब जगह मैं दस दिन लगातार घूमा हूं और किसान अनार की खेती बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। एक-एक किसान के 50-50, 60-60 लाख के अनार की खेती होती है और अनुदान के रूप में अपने यहां 24 हजार का प्रोविजन है और गुजरात सरकार अपने से दोगुना-तिगुना अनुदान देती है क्योंकि अनार का जो पौधा है उसको पनपाने में तीन साल लगते हैं और उदई वगैरह नहीं लगे और पौधा बढ़िया ढंग से लग जाए। तीन साल तो किसान को उसकी रखवाली करनी पड़ती है इसलिए 24 हजार की जगह अनुदान राशि आप 50 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर करने का कष्ट करें। यह मेरी आपसे रिक्वैट है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की तहसील गुढामालानी एवं धोरीना मुख्यालय पर वर्तमान में गौण कृषि उपज मण्डी समिति सब यार्ड संचालित है, अभी दोनों सब यार्ड में

(श्री लादूराम)

कुछ ही जिंसों का व्यापार किया जाता है, इन दोनों मंडियों को कृषि उपज मण्डी समिति में क्रमोन्नत किया जाना आवश्यक है। मैंने आदरणीय कृषि मंत्री जी, श्री प्रभु लालजी सैनी से भी इस बारे में निवेदन किया, आपने फरमाया कि जो 50 लाख की आय होनी चाहिए, तो 50 लाख की आय भी वहां हो रही है तो जो यार्ड स्टिक है, दोनों जगह अगर आप इनको क्रमोन्नत नहीं करते हैं तो यहां का जीरा और अन्य सारी फसलें पड़ौस में गुजरात में ऊंझा मण्डी को जा रही है और आप टैक्स से वंचित हो रहे हैं, बाड़मेर जिले में और राजस्थान स्टेट को इसका नुकसान हो रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन दोनों मंडियों को क्रमोन्नत करके कृषि उपज मण्डी में घोषित कराएं ताकि जितना भी गुजरात में ऊंझा मण्डी में अपना माल जाता है वह वहां जाने से रुके और उसका फायदा कृषि महकमे को मिले, कृषि उपज मण्डी को इसका टैक्स मिले। तो आप मेहरबानी करके इन दोनों मंडियों को क्रमोन्नत करें।

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

सभापति महोदय, एक मिनट, मांग 39- पशुपालन एवं चिकित्सा पर अपने विचार रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के ग्राम राणासर कलां और मौखावा के पशुपालकों को दुधारू पशुओं के इलाज हेतु चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है जैसे मौसमी बीमारियां एवं संक्रामक रोगों के समय पर इलाज नहीं होने के कारण पशुपालकों के हजारों रुपये कीमत के पशु अकाल मौत के शिकार हो जाते हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से पशुपालन मंत्रीजी से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि इन दोनों जगह पशुपालन चिकित्सालय खोलने का कष्ट करें, नया स्वीकृत करने का कष्ट करें। इसी प्रकार धोलानाड़ा में पशु चिकित्सा उप केन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करना जरूरी है। भाखरपुरा एवं आडेल में दो जगह पशु चिकित्सालय संचालित हैं परन्तु इन पर जितने भी स्वीकृत पद हैं वो सारे रिक्त चल रहे हैं इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पशुपालन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि आडेल और भाखरपुरा में जितनी भी खाली पोस्टें हैं उनको आप भरने का कष्ट करें ताकि इन जगहों पर पशुओं का सही ढंग से इलाज हो।

मैं यह भी मांग करता हूं कि ग्राम पंचायत भलीसर, नेड़ीनाडी, खारी, सुदाबेरी, गांधव कला व मीठड़ाखुर्द में उप केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करें।

(श्री लादूराम)

सभापति महोदय, मेरे को बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार।

**श्री नरेन्द्र कुमार** (मण्डावा): आदरणीय सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। मैं आपके माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अच्छा लगे तो उनको रखें।

2011-12 में एक पशुपालन बीमा योजना लागू थी जिसमें पशुपालक को दो पशुओं की 50 प्रतिशत राशि में बीमा करवाया जा सकता था। वह राशि 750 रुपये जमा करवाकर 30 हजार तक की राशि वसूल की जा सकती थी, 2011-12 के बाद में 2013-14 से पशुपालन बीमा योजना बंद है, उसको मैं लागू करवाने की सिफारिश करता हूं।

दूसरा, किसी पशुपालक का जानवर बीमार होने पर पशु चिकित्सक घर पर बीमार पशु को देखने के लिए जाता है उस समय पशुपालक को भारी दवाइयां व डाक्टर की फीस से मुक्त करवाया जाए। इसके बदले में पशु चिकित्सक को सरकार दूसरे राज्यों की तरह, हरियाणा, पंजाब की तरह एन.पी.ए., नोन प्रैक्टिस अलाउंस देकर पशुपालकों को लाभ दिलवाया जाए।

रेगिस्तान का जहाज ऊंट प्राय: लुप्त होता जा रहा है, इसके लिए मुख्य मंत्री महोदया ने ऊंट को, राजस्थान के रेगिस्तान के जहाज को महत्व भी दिया है, इसके प्रजनन पर ऊंट पालने वाले को प्रोत्साहन राशि की सुविधा दी जानी चाहिए।

जिला स्तरीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय को उपचार के क्रम में एक्स-रे और सोनोग्राफी आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाए।

जिला बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में मादा प्रसूति, औषधि व शल्य चिकित्सा हेतु पी.जी. विशेष चिकित्सों की नियुक्ति की जाए। जो पी.जी. डाक्टर होते हैं उनको गांवों में लगा दिया जाता है और जिला स्तर पर उनकी जगह खाली रहती है तो जिला स्तर पर पी.जी. किये हुए चिकित्सकों को रखा जाए।

चीचड़ी जनित बुखार से हजारों बछड़ियां हर साल जिले में काल ग्रसित हो जाती हैं, इस हेतु व्यापक कार्य योजना बनाकर मादा बछड़ियों में उक्त रोग हेतु टीकाकरण करवाया जाए।

(श्री नरेन्द्र कुमार)

तहसील स्तरीय मोबाइल वेटेनरी यूनिट का लाभ पशुपालकों को दिलवाने हेतु विभाग के वाहन उपलब्ध करवाने हेतु वाहन चालक नियुक्त करवाये जाएं।

जिले में अधिकांश संस्था हेतु भवन उपलब्ध नहीं हैं अत: प्राथमिकता के आधार पर पशु चिकित्सा संस्थाओं के लिए भवन निर्माण हेतु बजट उपलब्ध करवाया जाए।

जिले में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालकों व सफाईकर्मियों के पदों हेतु बहुत लम्बे अर्से से भर्ती नहीं हुई है अत: पशु चिकित्सा संस्थाओं को सुचारु रूप से संचालित करने व इनका लाभ पशुपालकों को दिलवाने हेतु इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए।

किसान भवन के लिए मुख्य मंत्री महोदया ने बताया भी था, उसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले कार्यकाल में राज्य की मंडियों की सर्वप्रथम सम्भाग स्तर पर, बाद में जिला स्तर पर किसान भवनों का निर्माण करवाया गया, किसान भवनों का मुख्य उद्देश्य किसानों को ठहरने व प्रशिक्षण देने का है लेकिन पिछली सरकार द्वारा इन किसान भवनों को पीपीपी माडल पर पांच वर्ष के लिए ठेके पर देने का निर्णय करने से किसान भवनों का मूल उद्देश्य से भटकना है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि निर्मित किसान भवनों के कमरों, डोरमेट्री, सभाकक्ष, कैन्टीन का संचालन मंडियों द्वारा किया जाए तथा दुकान एवं शो-रूम को लीज या किराये पर दिया जाना उचित है।

आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य श्री अर्जुन लालजी।

**श्री अर्जुन लाल** (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-36 सहकारिता, मांग संख्या-37– कृषि और मांग संख्या-39– पशुपालन एवं चिकित्सा शिक्षा, इस पर मेरे को आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

मांग संख्या-36 पर मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि, मंत्री महोदय, आपके विभाग से एक सहकार समाचार पत्र निकलता है। जिसमें आपने मेरे क्षेत्र में पूरे प्रदेश की, जोधपुर जिले की बिलाड़ा समितियों की कार्य प्रणाली एवं उनके द्वारा अपने सदस्यों को दी जा रही सेवाओं का अध्ययन कर अपना प्रतिवेदन समिति के संचालक मंडल के समक्ष रखकर पूरे प्रदेश में इसका एक उदाहरण पेश किया।

(श्री अर्जुन लाल)

**(15.00 बजे)**

वास्तव में इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि प्रदेश के अन्दर कापरेटिव सैक्टर में प्रथम स्थान बिलाड़ा एलएसएस ने प्राप्त किया था। लेकिन इस वर्ष दुर्भाग्य की बात है कि यहां से एक सर्कुलर निकाला गया कि नाबार्ड जो अल्पकालीन ऋण देगा वह भूमि रहनयुक्त नहीं होनी चाहिए। उसके कारण प्रदेश में और विशेष तौर से जोधपुर जिलें में तो करीब 80 प्रतिशत काश्तकार केसीसी धारक थे जो विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से जमीन रहन रखी थी। उस रहन के कारण जो आपका जोधपुर जिले के लिए टार्गेट था 400 करोड़ का, उसमें से अभी तक करीब 80 करोड़ के लगभग ही लोन हो पाया है, अल्पकालीन ऋण हो पाया है। काश्तकार बुरी तरह से त्रस्त है क्योंकि जो खरीफ की फसल थी 2013 की वह खराब हो गयी थी। उसमें भी आपने उसका कोई कनवर्जन नहीं किया और अनुदान के रुप में कुछ राशि दी तो उस अनुदान की स्थिति भी ऐसी कर दी कि आज से 5 साल पहले अनुदान की जिन लोगों की सूचियां आपके पास आयी थीं, राजस्व डिपार्टमेंट ने भेजी थीं उसी की वापिस फोटो कापी करके आपको भेज दीं। 5 साल में उस जमीन का आदान-प्रदान किसी काश्तकार ने किया, जो वास्तव में आज उस जमीन का मालिक है किसान, उसको नहीं मिलकर 5 साल पहले जो मालिक था, उसको आपने अनुदान दे दिया।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा, मैंने आपसे व्यक्तिश: 2-3 बार इस मामले में चर्चा भी की थी कि आप जो गई रबी की फसल थी, जिसमें ओलावृष्टि के कारण, बिना मौसम बरसात के कारण बिलाड़ा में जहां गेहूं, सरसों, कामर्शियल क्रोप जीरा, मेथी, मिर्ची, सौंफ इत्यादि होती है, उसका पूरा नुकसान हो गया था। उसके बाद हमने आपसे निवेदन किया था कि अल्पकालीन ऋण की हम अदायगी नहीं कर पा रहे हैं उस ऋण का आप कन्वर्जन कर दें। लेकिन वह भी नहीं हो पाया। आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जो प्रथम स्थान दे रहे हो जिस सोसायटी सैक्टर को वह आज खतम होने जा रहा है। वह ना तो अपनी अदायगी कर पाया तो ओवर ड्यू हो गया 30 जून तक। 80 परसेंट काश्तकार वह भुगत रहा है कि हमें किसी तरह से अल्पकालीन ऋण मिल जाये।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम जो रबी का हमारा खराबा हुआ था, उस नुकसान की भरपाई के रुप में

(श्री अर्जुन लाल)

आप अल्पकालीन ऋण नहीं देते हो तो उसका जो ओवर ड्यू है काश्तकारों का, उनको आप कनवर्जन कर दें 2-3 किश्तों में। ताकि एक तो जो आपके नियम हैं कि जिस काश्तकार सदस्य के ओवर ड्यू हो गया, ना तो वह कापरेटिव में चुनाव लड़ सकता है, ना उसको वोट देने का अधिकार है। यह नहीं हो जाये कि हमारे बिलाड़ा का पूरा कापरेटिव सैक्टर खतम हो जाये।

दूसरा, भूमि विकास बैंक जो दीर्घकालीन लोन देता है, उसमें भी उनकी रहनयुक्त है तो आप हमें अपने जीएसएस के मार्फत नहीं देते हो तो कम से कम भूमि विकास बैंक के मार्फत वह अल्पकालीन ऋण दिला दो ताकि किसान जीवित रह सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा अभी माननीय सदस्य जो गुढामालानी से आने वाले हैं, इन्होंने कहा था कि व्यवस्थापक एक ऐसी कड़ी है जो कि ना तो किसी के काबू आती है, सहकारिता विभाग के व्यवस्थापक हैं वह तो काबू में आ जाते हैं लेकिन जो सोसायटी का व्यवस्थापक है उसको हटाने का अधिकार उस बोर्ड को ही होता है। बोर्ड के चेयरमैन और व्यवस्थापक का चोली-दामन का साथ होता है। वह उसको छोड़ते नहीं हैं। मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि आप उनके लिए कम से कम एक ऐसा नियम बना दें कि वह एक निश्चित समय तक उस स्थान पर रहें और बाद में उनका स्थानान्तरण हो जाये।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं मांग संख्या-37 कृषि पर निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय, पहले कहते थे 70 के दशक के पहले, 'उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी करे लाचार' और अब इसका उलटा हो गया है 'उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार, नीच खेती करे लाचार'। उनकी लाचारी हो गयी है अब तो क्योंकि उनके पास अन्य कोई आजीविका का साधन नहीं है।

मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कृषि के मामले में मैं अपने बिलाड़ा क्षेत्र की बात करुंगा कि चारा बीज है रिजका, जो चारा 3 साल से 5 साल की अवधि के लिए होता है। उसका बीज मात्र बिलाड़ा में ही निर्मित होता है। उन काश्तकारों को, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक बार बोने के बाद वह 5 साल तक अपनी खेती देता है। उस बीज के उत्पादन के लिए वहां के काश्तकारों को सब्सिडी के रूप में कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करायें ताकि यह पूरे प्रदेश में जहां भी सिंचाई के साधन हैं, सिंचित क्षेत्र है, वहां पर यह चारा इजीली पैदा हो

(श्री अर्जुन लाल)

सके और चारे की जो देश और प्रदेश के अन्दर डिमांड है उसकी आपूर्ति की जा सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा जो मौसम आधारित बीमा की बात थी तो उसमें मेरी आपसे यह रिकवेस्ट है कि जो पूर्व पद्धति थी क्रोप कटिंग, वह राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के तहत होता था, उसके आधार पर ही वापिस बीमे के लिए करें।

**श्री सभापति**: थोड़ा जल्दी करें।

**श्री अर्जुन लाल** (बिलाड़ा): बहुत जल्दी ही। मेरे पाइंट बिलाड़ा से सम्बन्धित ही हैं। वही बोलूंगा मैं।

**श्री सभापति**: हां, लेकिन अब थोड़ा फास्ट।

**श्री अर्जुन लाल** (बिलाड़ा): सूक्ष्म समय में। ग्राम पंचायतों के स्तर पर ग्राम पंचायत को इकाई मानकर मौसम यंत्र लगाने की जो बात थी जो अभी गिरदावर सर्किल पर है, यह जो भी यंत्र लग रहे हैं उन यंत्रों का प्रमाणीकरण किसी कृषि विभाग के अधिकारी की देखरेख में होना चाहिए। मेरी बिलाड़ा तहसील के अन्दर जो वर्षा मापक यंत्र है, टैम्परेचर मीटर है या ह्युमिडिटी की पैमाइश करता है उससे और जहां वह लगा हुआ है, उसके अन्दर कम से कम टैम्परेचर में 5 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। उसमें तो सारी हमारी जो बीमा की शर्ते हैं वह खतम हो जाती हैं। इसके लिए आप कम से कम जो यंत्र स्थापित करवायें उसका प्रमाणीकरण दूसरी एजेंसियों के जो मानक हैं उनके हिसाब से करवायें ताकि वहां के किसान को बीमा के मुताबिक बीमा राशि मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत स्वागत कि आपने 5 कृषि विश्वविद्यालय खोलने की बजट में घोषणा की थी। उसमें मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी का भी आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन माननीय मंत्री महोदय, जब कालेज और राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं और वहां एग्रीकल्चर सब्जैक्ट नहीं है तो उस कालेज में बच्चे कैसे आयेंगे। स्कूल ही नहीं हैं एग्रीकल्चर सब्जैक्ट के लिए। मेरा निवेदन है कि जितने भी सीनियर सैकण्डरी स्कूल अब खुलने हैं उनके अन्दर एग्रीकल्चर सब्जैक्ट की नितांत आवश्यकता है। चाहे आर्ट्स खोलें, नहीं खुले तो कोई बात नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर सब्जैक्ट जरुर खोलें वहां पर। नहीं तो यह 5 विश्वविद्यालय की जो घोषणा की है वह आगे कारगर साबित नहीं होंगी।

(श्री अर्जुन लाल)

हमारे यहां चने के समर्थन मूल्य के आधार पर आपने जगह-जगह खरीद की थी लेकिन आज तक उस काश्तकार को उसके भाव के मुताबिक पैसा नहीं मिला है। लोगों का करीब दो-दो, तीन-तीन महीनों से पैसा बाकी पडा है। वह भी आप दिलाने की व्यवस्था करेंगे।

मांग संख्या-39 पशुपालन पर मेरा आपसे निवेदन है कि अभी माननीय सदस्य, बालूरामजी चौधरी ने कहा था कि दो रुपये प्रति लीटर की दर के हिसाब से दुग्ध उत्पादकों को हम अनुदान के रूप में दे रहे थे और वह शायद अब बंद कर दिया है। मेरा निवेदन है कि वह बंद कर दिया क्योंकि बीस लाख, बाइस लाख, पच्चीस लाख लीटर दूध प्रतिदिन आता है और इतना पैसा देने में हो सकता है कि कोई न कोई ऐसी आपके ऐसी स्थिति बनी होगी लेकिन वह नहीं कर सकते तो कम से कम पशु आहार का दो रुपये प्रति किलोग्राम से उसको अनुदान दे दिया जाये तो काश्तकारों को और पशुपालकों को, दुग्ध उत्पादकों को कोई न कोई फायदा होगा। इतना कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं, जय हिन्द।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य श्री निर्मलजी कुमावत।

**श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-37 कृषि पर मैं अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय, बजट में हमारी सरकार ने काफी कुछ घोषणाएं की हैं, निश्चित तौर पर आप उनको सही तरीके से लागू करेंगे और हर वर्ग के कृषक को उसका लाभ मिले, उसकी ओर सरकार गम्भीरता से काम करेगी। परन्तु मैं एक प्रमुख बात बताना चाहूंगा जिससे माननीय सभी सदस्य भी अवगत होंगे कि जब कभी भी प्राकृतिक आपदा आती है चाहे खराबा हो, चाहे ओला वृष्टि हो, चाहे सूखा हो या कोई अतिवृष्टि हो, सरकार रिलीफ पैकेज की घोषणा करती है, परन्तु दुर्भाग्य की बात रहती है कि इसमें कहीं न कहीं कानूनी कमी है या क्या है कि एक पटवारी स्तर के व्यक्ति को या उप खण्ड स्तर के व्यक्ति को इसमें खराबे का आकलन करने के लिए अधिकृत किया जाता है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि कृषि विभाग के अधिकारी जब हम बीज वितररित करते हैं कि कितनी बुवाई हुई, कितना सिंचित एरिया है, कितना असिंचित है, वह सारी रिकार्ड में आपके पास बात रहती है परन्तु खराबे का आकलन करने का यह कौनसा मापदण्ड एक पटवारी के पास में होता है कि उसी के आधार पर पूरी रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है, माननीय सभी जन-प्रतिनिधियों को भारी

(श्री निर्मल कुमावत)

समस्या होती है और किसानों को उसका सही लाभ नहीं मिल पाता। हमेशा होता यह है कि 50 प्रतिशत, 70 प्रतिशत है 100 प्रतिशत है, कृषि विभाग की इसमें कितनी भूमिका है या नहीं है, यह आकलन तो मैं समझता हूं कि वह विभाग ही कर सकता है, रेवेन्यू का अधिकारी नहीं कर सकता। इसके लिए माननीय मंत्रीजी आप अपने स्तर पर पूरी कोशिश करें कि वाकई में किसानों को इसका लाभ मिले। अन्य किसान, बड़े किसान जो होते हैं वह तो फसल बीमा से कहीं न कहीं ले लेते हैं परन्तु जो लघु किसान होते हैं उनको इस प्राकृतिक आपदा से बड़ा नुकसान हो जाता है और लगातार हम पिछले चार-पांच साल के आंकड़े देखें तो हर साल ओला वृष्टि और अतिवृष्टि की घटनाएं भी ज्यादा हुई हैं तो आप इसकी ओर भी बड़ी गम्भीरता से विचार करेंगे।

दूसरा, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हाल ही में जोबनेर श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। सबकी भारी मांग थी और सरकार ने बड़ी गम्भीरता से बात रखते हुए यह कदम भी उठाया परन्तु उसमें अभी तक, इन्फ्रास्ट्रक्चर तो खूब मौजूद है वहां पर, जो भामाशाह हैं आदरणीय ठाकुर साहब, उन्होंने इतना छोड़ा है कि आने वाली सरकार को भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी परन्तु उसमें नये पद स्वीकृत नहीं हो पाये अच्छी तरह पूरे तरह संकाय नहीं खुल पाये। दुर्भाग्य की बात यह रही कि कहीं न कहीं सरकार की ओर से कोई प्रोविजन रहा या नहीं रहा या यूनिवर्सिटी की आपस में कोई बात रही कि अभी तक वहां पर वेतन की व्यवस्था भी सही ढंग से नहीं हो पायी है। जो पिछले हमारे कर्मचारी थे उनको भी पेंशन काफी लम्बे समय से नहीं मिल पा रही है। इसको भी आप थोड़ा गम्भीरता से लें क्योंकि जयपुर जिले की यह एकमात्र कृषि यूनिवर्सिटी है और पूरे संभाग में यूनिवर्सिटी है, राजधानी में होने के बावजूद, इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब है, बीसलपुर का पानी भी आने वाला है तो रिसर्च के माध्यम से हो सकता है कि आने वाले समय में यह अपनी एक अहम भूमिका रखे इसलिए आप इसको पूरी गम्भीरता से लें। हाल ही में केन्द्र सरकार के बजट में राजस्थान में कृषि यूनिवर्सिटी देने की घोषणा की है तो मैं मांग करूंगा माननीय मंत्रीजी से और सरकार से कि हमारे जोबनेर में ही यह खोली जाये, जोबनेर की यूनिवर्सिटी को ही केन्द्र की यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाये। इसी के साथ जो अभी वहां पर विसंगतियां चल रही हैं उन पर गम्भीरता से आप काम करें।

मांग संख्या-39 पशुपालन के तहत मैं यह बात कहना चाहूंगा कि

(श्री निर्मल कुमावत)

लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के लिए लोग ज्यादा दुग्ध उत्पादन की ओर अग्रसर है और सरकार भी अपनी भूमिका रखती है परन्तु इससे उत्पादन की दौड़ के अन्दर हमारी देशी नस्लें विलुप्त होती जा रही हैं। आज यदि कोई व्यक्ति, आप स्वयं भी चाहे कि हमारे देशी गाय या कोई अन्य प्रजाति के पशु का दूध लेना चाहे तो आज दुर्लभ ही हो गया होगा मेरे ख्याल से या तो उस पशु को आवारा छोड़ दिया जाता है या वह नस्ल लुप्त होने की कगार पर है। इसलिए इस पर भी आप गम्भीरता से कुछ ठोस निर्णय लें कि देशी हमारी राजस्थान की जो प्रजातियां हैं, नस्लें हैं वह जीवित रहें और कम से कम दूध बेचने वाले जो लोग नहीं हैं उनको तो वह उपलब्ध हो, बेचने वालों को तो ज्यादा दूध वाले पशु की आवश्यकता होती है। वह तो हो सकता है कि उसका उपयोग न ले और उनको पाले नहीं परन्तु जिन लोगों को आवश्यकता है और वह नस्ल बची रहे इसकी ओर आप गम्भीरता से कदम उठायेंगे। मैं समझता हूं माननीय मंत्रीजी दोनों-तीनों बिन्दुओं को अपने जवाब में जरूर शामिल करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, श्री भैरारामजी चौधरी।

**श्री भैराराम चौधरी** (ओसियां): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-36 सहकारिता पर आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं। सहकारिता में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना सर्वप्रथम भारत के महाराष्ट्र राज्य में दिनांक 25 मार्च, 1904 को हुई थी। राजस्थान में सबसे पहले वर्ष 1905 में अजमेर जिले से शुरूआत हुई थी। किसानों को सेठ, साहूकारों से उधार धन चुकारा करने के लिए अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी तो सरकार ने स्वयंसेवी संस्थाओं को स्थापित किया। किसानों को सस्ती एवं कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाकर खाद, बीज, रासायनिक उर्वरक, देशी खाद व डीजल खरीदने हेतु फसली अल्पावधि ऋण सुलभ करवाना इस संस्था का मूल उद्देश्य है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे ओसियां विधान सभा क्षेत्र में कुल 30 ग्राम सेवा सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। जिनमें कुछेक संस्थाओं में ही चयनित व्यवस्थापक कार्यरत हैं और आधे से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों का अचयनित व्यवस्थापकों के भरोसे कार्य संचालित हो रहा है।

ओसियां विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का मौजूदा स्वरूप, राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2003 के तहत मौजूदा

(श्री भैराराम चौधरी)

व्यवस्था संचालित है उसमें ग्राम सेवा सहकारी समिति के मूल उद्देश्यों की परिपूर्ति में कई कमियां दिखाई दे रही हैं। यथा-ऋण वितरण में जरूरतमंद सभी किसानों को सदस्य नहीं बनाया जाना। अपने चहेते लोगों को ऋण स्वीकृत करवाना। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लेखों का प्रभावी ढंग से अंकेक्षण (आडिट) नहीं होना। समितियों से जुडे सभी सदस्यों को अधिनियम की पूर्ण जानकारी के अभाव में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पनप रही हैं जिसका काश्तकार पूर्ण रूप से शिकार हो रहा है। इन संस्थाओं से जुडे किसानों को प्रभावी प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। समितियों में काटी गई हिस्सा राशि एवं प्राप्त लाभांश को आम बैठक में पारित न करवाना, ऋण पत्रावली तैयार करने में समस्त किसानों की सम्पूर्ण रूप से भागीदारी का अभाव साफ दिखाई पड़ता है। पूर्ववर्ती सरकार ने 2011-12 से विभागीय अंकेक्षण (आडिट) बंद कर चार्टेड अकाउण्टेंट (सीए) द्वारा अंकेक्षण (ऑडिट) व्यवस्था लागू की जो धरातल पर खरी नहीं उतर रही है।

ओसियां विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समिति पांचला खुर्द में गड़बड़ी की शिकायतें मिलने पर विभागीय जांच करवाई गई, जिसमें कई प्रकार की गड़बड़ियां पाई गईं। जिसमें इन संस्थाओं की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लग रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इसमें सुधार हेतु आवश्यक सुझाव देना चाहता हूं। ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सदस्यता हेतु प्रत्येक किसान को सदस्य बनाया जाये। किसानों को जागरूक करने हेतु ग्राम सेवा सहकारी समितियों के नियमों की प्रभावी जानकारी एवं उचित प्रशिक्षण दिया जाये। ताकि किसान अपनी पकी हुई फसल का भण्डारण कर सके। क्रय-विक्रय सहकारी समितियों द्वारा किसानों को कृभको एवं इफ्को के द्वारा निर्मित खाद एवं दवाइयां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करवायी जाएं। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के रिकार्ड की हर छह माह में विभागीय स्तर पर प्रभावी ढंग से अंकेक्षण करवाई जाए एवं आडिट रिपोर्ट की समयबद्ध पालना सुनिश्चित की जाए।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा किसानों की पकी फसल ग्रामीण गोदामों में भण्डारण कर 70 प्रतिशत अग्रिम भुगतान सहित भण्डारित कृषि जिन्सों का बीमा किया जावे जिससे किसान मजबूरी में अपनी फसल औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर नहीं होगा तथा बाजार में महंगाई एवं वस्तुओं के

(श्री भैराराम चौधरी)

कृत्रिम अभाव की मौजूदा समस्या पर लगाम लगायी जा सकेगी और साथ ही किसानों को बिचौलियों की मार से बचाया जा सकेगा।

वर्तमान में सहकारी समितियों से ऋण लेने वाले किसानों के लिए एक नया विकल्प पत्र भरवाया जा रहा है जिसमें विभिन्न प्रकार की औपचारिकताएं दर्शानी पड़ती हैं। सहकारिता का मूल मंत्र सर्वविदित है कि सहकारिता एक सबके लिए तथा सब एक के लिए। किसानों के हित में यह सिद्धान्त सही साबित नहीं हो रहा है क्योंकि पिछले 60-70 वर्षों से कृषकों को समितियों के माध्यम से ऋण दिया जा रहा था। ऋणी किसानों से समय-समय पर वसूली समिति द्वारा की जा रही थी। अब साहूकारों से छुटकारा दिलाने वाली सहकारी समितियों द्वारा अन्य बैंकों में भूमि रहन रखने वाले किसानों को फसली ऋण नहीं दिया जा रहा है जिससे क्षेत्र के समस्त काश्तकार वर्ग में भारी आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्र के सिंचित इलाकों में अधिकांश किसानों की भूमि अन्य बैंकों में रहन रखी हुई है तो उनके लिए सहकारिता का सिद्धान्त एक सबके लिए तथा सब एक के लिए गलत साबित हो रहा है। अत: जिन किसानों की भूमि अन्य वित्तीय बैंकों में रहन रखी हुई है उन किसानों को पूर्व की भांति ही ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पकालीन फसली ऋण देने की व्यवस्था करवायी जाए।

दी जोधपुर सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक ने केवल मात्र जोधपुर जिले में खरीफ तथा रबी फसलों पर अल्पकालीन फसली ऋण हेतु अधिकतम ऋण साख सीमा बनाने के लिए ऋण आवेदन-पत्र की प्रक्रिया को जटिल करने से समय तथा धन दोनों की फिजूलखर्ची तथा अधिकारियों के बीच बार-बार चक्कर काटने से काश्तकारों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऋण आवेदन-पत्र की प्रक्रिया का सरलीकरण कर काश्तकारों तथा सहकारी उपभोक्ताओं को राहत पहुंचायी जाय।

इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। हमारे विधान सभा क्षेत्र औसियां में जीएसएस ग्राम पंचायत पांचला में है। वहां वित्तीय अनियमितताओं, गबन तथा भ्रष्टाचार की विभागीय जांच होने के बाद जांच रिपोर्ट जारी नहीं की गयी है। माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जीएसएस पांचला खुर्द में वित्तीय अनियमितताओं के कारण हुए गबन तथा भ्रष्टाचार की शिकायत ग्रामीणों एवं समिति के सदस्यों द्वारा उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति, जोधपुर को करने पर राजस्थान सहकारी

(श्री भैराराम चौधरी)

सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 के तहत जांच करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी द्वारा 1 अप्रैल, 2012 से 4 जनवरी, 2014 के मध्य समिति के रिकार्ड की जांच करने पर जहां तक मालूम है करीबन 20 लाख रुपये की राशि का गबन प्रकाश में आया। जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट विभाग के उप रजिस्ट्रार, जोधपुर को प्रस्तुत कर दी। जांच रिपोर्ट विभाग में पेश करने के उपरान्त जांच रिपोर्ट जारी क्यों नहीं की गयी? विभागीय जांच रिपोर्ट शीघ्र जारी करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाही की जाय।

जीएसएस पांचला खुर्द के लेखों व रिकार्ड का सी.ए. आडिट के दौरान सी.ए. आडिटर द्वारा गबन राशि में हेराफेरी कर गबन राशि को छिपाने व कम करने तथा समिति के रिकार्ड की पुन: आडिट विभागीय अंकेक्षकों द्वारा करवाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय मंत्री महोदय को अवगत करवाना चाहता हूं कि जीएसएस पांचला खुर्द के नामजद प्रस्ताव से आडिट करवाने के लिए सहकारी विभाग का पैनल बना था जिसमें बाफना एण्ड सुराणा फर्म के सी.ए. आडिटर को अंकेक्षण के लिए नियुक्त किया। फर्म के सी.ए. आडिटर ने 1 अप्रेल, 2012 से 31 मार्च, 2013 के मध्य समिति के रिकार्ड की आडिट की। फर्म के सी.ए. आडिटर ने समिति के अध्यक्ष, व्यवस्थापक तथा अन्य कर्मचारियों के साथ मिली भगत कर करीब तीन लाख रुपये की राशि का गबन आडिट रिपोर्ट में उल्लेख किया है। अब यह बात समझ में नहीं आती कि उनके विभागीय अंकेक्षण के अन्दर उनका गबन 20 लाख का आ रहा है और जो उनका सी.ए. आडिट कर रहा है उसमें 3.5 लाख का हो रहा है। विभागीय जांच से तुलना करने पर करीब 17.5 लाख रुपये की गबन राशि को आडिट रिपोर्ट में छिपा दिया गया है। इस प्रकार से आडिट रिपोर्ट में गबन राशि को कम करना अवैधानिक तथा अन्यायसंगत है। इस तरह से गबन राशि में हेराफेरी करने वाली आडिट फर्म तथा सी.ए. आडिटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पैनल से ब्लैक लिस्टेड किया जाय तथा पांचला खुर्द जीएसएस के लेखों व रिकार्ड की गत पांच वर्षों की आडिट विभागीय अंकेक्षकों अथवा दो सी.ए. आडिटरों द्वारा करवाएं ताकि लाखों रुपये के गबन को पारदर्शिता के साथ उजागर कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।

समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लेखों व रिकार्डों का पूर्ववर्ती

(श्री भैराराम चौधरी)

सरकार ने 2011-12 से विभागीय अंकेक्षण बंद कर चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा अंकेक्षण व्यवस्था लागू की गई जो धरातल पर खरी नहीं उतर रही है। संस्थाओं की आडिट विभागीय अंकेक्षकों द्वारा पूर्व व्यवस्था के अनुसार शुरू की जाय।

मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा उस जीएसएस में भ्रष्टाचार तो है ही, इसके अलावा सम्पूर्ण औसियां विधान सभा क्षेत्र में जो 30 जीएसएस केन्द्र हैं उनके अन्दर करीब-करीब 80 से 90 प्रतिशत जीएसएस में सम्पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त है। उसका एक कारण है कि जीएसएस के अन्दर इलैक्शन की ऐसी पद्धति है कि ऋणी सदस्य, अऋणी सदस्य, इतनी जटिल प्रक्रिया है कि आम आदमी के लिए समझना काफी टेढ़ा है। यह देखा गया है कि उस जीएसएस में उस जीएसएस का अध्यक्ष और व्यवस्थापक दोनों ने मिलकर सम्पूर्ण रूप से घपले में अगले 5 साल तक किसानों को रखा है। जब यह देखा गया चुनावों के समय उनके चहेते प्रत्याशी के रूप में, क्योंकि इनके ऊपर इलैक्शन कमीशन की आचार संहिता नहीं लगती है, पूरे क्षेत्र के अन्दर किसी पर्टीकुलर पार्टी के लिए काम करें वह भी ठीक नहीं है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक या दो मिनट लूंगा।

माननीय सदन से मैं नम्र निवेदन करूंगा, पिछले कई दिनों से मैं सुन रहा था सत्ता पक्ष और विपक्ष से भी कि आपके वहां के जोधपुर के माननीय पूर्ववर्ती मुख्य मंत्रीजी हैं वह सारी योजनाएं जोधपुर ले गये। मैं एक चीज नम्र निवेदन करता हूं कि यह बात सुनकर मुझे बार-बार दुख होता है। अशोक गहलोत ने जोधपुर सम्भाग और जोधपुर जिले में कुछ भी नहीं करवाया। एक बहुत बड़े जादूगर आदमी थे, उनके पास 151 सीडी थी, एक सीडी को उजागर कर दिया, 150 अभी भी उन्हीं के पास है, किसी सम्भाग वाले या किसी जिले को चाहिए तो अशोकजी को हम भेजने के लिए जोधपुर वाले तैयार हैं। विकास के मामले में हमेशा जोधपुर अनदेखा रहा है।

मैं एक मिनट और लूंगा, मांग संख्या 37-कृषि पर निवेदन करूंगा, कृषि विश्वविद्यालय की जोधपुर के अन्दर बहुत मांग है और शायद पूर्ववर्ती सरकार ने उसको स्थापित किया या नहीं किया मेरी जानकारी पूरी अपडेट नहीं है। कृषि के क्षेत्र के अन्दर यदि यह विश्वविद्यालय रिसर्च व कृषि कार्यों में वहां काम करेगा तो सम्पूर्ण सम्भाग को लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा निवेदन है।

मांग संख्या 39 पर, कृषि एवं पशुपालन मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि

(श्री भैराराम चौधरी)

पिछली सरकार ने जोधपुर सम्भाग के 12 जिलों की गौशालाओं के अनुदान की फाइल कभी आपदा प्रबंधन में भेज दी और कभी पशुपालन में भेज दी। यह चीज समझ में नहीं आती कि पिछली सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने तीन-साढ़े तीन साल तो इस बात का निर्णय करने में लगा दिये कि इन गौशालाओं के अनुदान का भुगतान पशुपालन विभाग करेगा या आपदा प्रबंधन करेगा। आपदा प्रबंधन वाले पशुपालन में भेज रहे हैं और पशुपालन वाले आपदा में भेज रहे हैं। उस फाइल को कंपलीटली फुटबाल की तरह इस्तेमाल किया है और उन गौशालाओं का अब तक भुगतान नहीं हुआ है। माननीय पशुपालन मंत्रीजी यहां मौजूद हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जोधपुर सम्भाग की सम्पूर्ण गौशालाओं का जो अनुदान अभी तक नहीं मिला है वह दिलाने का कष्ट करें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य श्री संजीव कुमार। माननीय सदस्य श्री अमृत लाल।

**श्री अमृतलाल** (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 36, 37 और 39 के तहत मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी को निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की हालत काफी खराब है। व्यवस्थापकों और सहायक व्यवस्थापकों का ग्रामीण क्षेत्र की जनता के प्रति, किसानों के प्रति जो रूझान है वह ठीक नहीं है। वह काफी वर्षों से वहीं जमे हुए हैं, उसी गांव के हैं और खाद-बीज बरसात होने के बाद, 90 प्रतिशत बुवाई होने के बाद उस क्षेत्र के किसानों को बांटते हैं, यह बहुत बड़ी समस्या है। सभी माननीय सदस्यगण और अधिकारीगण भी जानते हैं। सहकारिता के सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा 2011 में मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सराड़ा क्रय-विक्रय और सलूम्बर क्रय-विक्रय के साथ-साथ झाड़ोल और गोगुन्दा के नये क्रय-विक्रय स्थापित हुए थे लेकिन उनका बोलबाला था, एक तरफा राज होने की वजह से केवीएस गोगुन्दा को सम्पूर्ण अधिकार दिये क्योंकि उनका बोर्ड वहां का कांग्रेस का था, अध्यक्ष उनके थे। सारे अधिकार उनको दे दिये और हमारे सलूम्बर और सराड़ा दोनों केवीएस, जिसमें सराड़ा में ऋषभदेव, खैरवाड़ा और सराड़ा का केवीएस सराड़ा और सलूम्बर और लसाड़िया का केवीएस सलूम्बर है, आज तक न तो उनको कोई अधिकार पत्र दिया है, न कोई उनकी बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दिया है और न ही पीडीएस लाइसैंस इश्यू किया है। मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इनको

(श्री अमृतलाल)

खाद्य सामग्री का, पीडीएस का लाइसेंस जारी किया जाए और गोगुन्दा केवीएस में जो अधिकार हैं वह सम्पूर्ण रूप से हमारे सराड़ा और सलूम्बर को दिये जाएं।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि राज्य भर में लैम्प्स और पैप्स चलते हैं, जहां लैम्प्स और पैप्स में स्थानीय उनको चैक पावर और लेनदेन के सम्पूर्ण अधिकार हैं लेकिन हमारे जो क्रय-विक्रय के चेयरमैन हैं सलूम्बर और सराड़ा के, उनको कोई अधिकार नहीं दिया है उसको भी मैं गलत मानता हूं। विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों में एरिया बहुत लम्बा है, पालों का एरिया है, गठारा जैसी पाल है जिसमें 28 किलोमीटर लम्बा एक ग्राम पंचायत का एरिया है, मेरा सोचना है कि सभी पंचायतों में लैम्प्स का कार्यालय खोला जाए ताकि वहां स्थानीय ग्राम पंचायत स्तर पर ही खाद-बीज और सारी व्यवस्था हो सके।

सभापतिजी, जहां तक अल्पकालीन ऋणों की बात है तो हमारे क्षेत्र में उनको सम्पूर्ण रूप से बन्द कर रखा है इसलिए पुन: माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि उनको चालू किया जाए। वहां जनजाति उपयोजना के अन्दर काफी रोष है। अभी जो पांच किलो मक्का बांटा है वहां जनजाति या बीपीएल परिवारों को देने की व्यवस्था की थी लेकिन उस एरिया में किसी को पूर्ण रूप से खाद-बीज मिला ही नहीं है और न पांच किलो का है। मेरा यह मानना है कि उस क्षेत्र में जितने भी किसान भाई हैं, पहाड़ी इलाका है, दूर-दराज का है और उसमें रहने वाले सब को उस मक्का का बीज दिया जाना चाहिए, यह मेरा सोच है, विचार है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मांग संख्या 37-कृषि पर मेरा निवेदन है कि उस क्षेत्र में किसानों की हालत बहुत खराब है। कृषि मंत्रीजी के माध्यम से मेरा कहना है कि हमारी जयसमन्द झील विश्व की बहुत प्रसिद्ध झील है पर उसकी नहरों की स्थिति बहुत खराब है और अब की बार व्यवस्था भी की है, उन तमाम नहरों का सुदृढ़ीकरण किया जाए। वहां मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीब 34-35 कृषि पर्यवेक्षकों के पद हैं लेकिन आज की तारीख में मात्र तीन ही हैं और अधिकारी के 6 में से 6 ही रिक्त हैं। माननीय कृषि मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप किसान हैं, नौजवान हैं, कृषि की पीड़ा को, किसान की पीड़ा को समझने वाले हैं और अन्य महकमे से भी ज्यादा खर्च कृषि पर किया जाना चाहिए और उसमें जितनी भी आधुनिकीकरण की

(श्री अमृतलाल)

व्यवस्था हो वह होनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि कृषि में काम करते हुए किसान भाई चाहे महिला भी हो सकती है, 90 प्रतिशत तो महिला ही खेतों में काम करती है और गाय भी ले जाते हैं, बैल भी ले जाते हैं, ट्रैक्टर भी ले जाते हैं और जाते हुए रास्ते में रस्सी की पाई पड़ जाती है और मौके पर किसान अगर मर जाता है या कुएं पर पानी लेने जाता है, पानी भरने जाता है तो वहां भी अप्रिय घटना हो सकती है, सांप के काटने से भी हो सकती है या किसानों के घास की कमी की वजह से पेड़ पर चढ़कर पाला गिराकर बैलों को खिलाने के लिए भी कुछ अप्रिय हो सकता है तो उसमें मुआवजा देने की जो भी प्रक्रिया है वह सरल की जाए और उनको कम से कम 5 लाख से ऊपर का मुआवजा दिया जाए, यह मेरा निवेदन है।

मेरा यह भी निवेदन है कि हमारे किसान भाई ज्यादातर उस एरिया में ग्वार की खेती करते हैं और उसको निकालने के लिए 15 दिन के लिए जो थ्रेशर का कनेक्शन है वह उनको अगर फसलवार दिया जाए और सस्ती दरों पर दिया जाये तो हमारे क्षेत्र में काफी आपकी कृपा होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उस एरिया में किसानों की हालत बहुत खराब है। जितने भी आधुनिक उपकरण जो खेती सम्बन्धित हैं, हमारे इस जयपुर के मुकाबले उस एरिया में काफी पीछे हैं। उनको जितनी भी खेती सम्बन्धी सब्सिडी दी जाये, वह आपकी अति कृपा होगी।

अभी सोलर के मामले में जो बात आई है, 85 पर्सेंट कुएं पर कनेक्शन लेने की सोलर की सब्सिडी थी, उसको घटाकर 60 प्रतिशत किया गया। मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि पूरे 100 परसेंट किसानों को फ्री सब्सिडी दी जाये।

हमको गुजरात में जाने का मौका मिला। विधान सभा और लोक सभा के चुनावों में भी जाने का मौका मिला। गुजरात के किसानों की जो व्यवस्था है, जो 20 फीट का कालका पाइप है, वहां मात्र 50 रुपये में मिलता है, जबकि हमारे यहां 400-500 रुपये से अधिक का मिलता है, यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए गुजरात चाहे वह पांच बीघा की जमीन हो चाहे 10 बीघा की जमीन हो, हर घर में ट्यूबवैल से लेकर, पाइपों को लेकर सारी सब्सिडी दी है, उससे वह आगे है।

जहां तक मामला रोजड़ों का है, पशु आवास का मामला है, कृषि

(श्री अमृतलाल)

कनेक्शन का मामला है, हमारे किसान भाइयों ने कनेक्शन लिया और किसी वजह से फ्लाईंग पार्टी ने हमारे समय में 6,000 रुपये में उसका रफा-दफा होता था, लेकिन कांग्रेस के समय में अभी उसको 48,000 से डेढ़ लाख रुपये के बीच में यह जो व्यवस्था की है, उसको पुन: वापस लिया जाय।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि हमारे उस एरिया में पूरे उदयपुर सम्भाग, मेवाड़ में दुग्धपालक पशुओं की हालत बहुत खराब है। सभी सैंटर्स खाली हैं। पूरी सराड़ा तहसील में एक डाक्टर है। जिस प्रकार मनुष्यों के डाक्टर्स की व्यवस्था की जाये, उससे ज्यादा इन पशुओं के डाक्टर्स की व्यवस्था की जानी चाहिए। जगह-जगह, हर गांव-ढाणी-मौहल्ले में सब सैंटर से लेकर, उप स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर मान्यता दी जाती है तो आपकी अति कृपा होगी।

मेरा यही निवेदन है और जो दूध डेयरी में दो रुपये माइनस किया है, काटा है, आज से, गनीमत से वापस रिफंड करके उनको दिया जाना चाहिए। उससे वहां मैसेज गलत जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन है...

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, अब थोड़ा सा जल्दी करें आप। हां, एक-आध-दो पाइंट बोल लें।

**श्री अमृतलाल** (सलूम्बर): बस एक मिनट में। हमारे उदयपुर में डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारिता हैं, उनके हाल बेहाल हैं। हर जगह अटकलें भिड़ाने में माहिर हैं और चौथ वसूली करने में माहिर हैं। यह छह विधायकों ने लिखकर दिया है कि तुरन्त प्रभाव से उप रजिस्ट्रार को वहां से हटाया जाये। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्रीजी से यह निवेदन है। धन्यवाद, जय हिन्द, जय राजस्थान।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य श्री फूलसिंहजी मीणा।

**श्री फूलसिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): सम्माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से आज मुझे इस मांग संख्या 36, 37 और 39 पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। हमारी मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धराजी ने वर्ष 2014-2015 में किसानों के लिए अवधि फसलों के ऋण चार प्रतिशत की रियायती दर पर उपलब्ध हो सके, इस हेतु सहकारी शाखा संस्थाओं की लागत को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सहकारी बैंकों को राज्य सरकार द्वारा 150

(श्री फूलसिंह मीणा)

करोड़ रुपये का ब्याज-अनुदान दिया जाना प्रस्तावित किया है, इसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं।

साथ में ही चालू वित्तीय वर्ष में आर्थिक दृष्टि से कमजोर राज्य की 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को उनके भण्डारण की क्षमता बढ़ाने के लिए गोदाम निर्माण हेतु राज्य द्वारा 10 लाख रुपये समिति की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। इस परियोजना के लिए बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, उसके लिए भी आदरणीया मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं।

साथ ही मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, वह आदिवासी एरिया, पूरा उदयपुर सम्भाग आदिवासी बहुल क्षेत्र है मगर सहकारी समितियों के प्रति लगाव कम है क्योंकि इन सहकारी समितियों के ऊपर सहकारी समिति के संचालनकर्ता और प्रभावशाली व्यक्ति कब्जा करके बैठे हुए हैं और हमारी आदिवासी भोली-भाली जनता को इस बात का डर लगता है कि हम ऋण ले रहे हैं और कितना हमको दे रहे हैं और कितना उस खाते में लिख रहे हैं।

सम्माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आज के 20 वर्ष पहले सहकारी समिति द्वारा ऋण लिया गया था। उस ऋण का उन भोली-भाली जनता को यह भी पता नहीं था कि हमको किसलिए यह दे रहे हैं या किसके खाते में जायेगा? उन्होंने ऋण तो ले लिया मगर उनको यह पता नहीं था कि यह किसका है। 20 साल पहले जो ऋण लिया, उसका ब्याज सहित जब उनके पास में वसूली का चिट्ठा आया, तब मालूम पड़ा कि हमने ऋण ले रखा है और उसका ब्याज बढ़कर, उनकी जमीन की कुर्की तक का आदेश आ गया था। सम्माननीय सभापति महोदया, उस भोली-भाली आदिवासी जनता को यह पैसा नहीं चुकाने की नौबत आई। मगर उनकी भगवान ने सुनी और सम्माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब की सरकार 1990 में जब आई तो माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने हमारे उन आदिवासी गरीबों के लिए 10-10 हजार रुपये का ऋण माफी का आदेश निकाला। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारे भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने उन आदिवासी गरीबों की सुनी और उनका ऋण माफ करके उनको राहत दिलाई।

सम्माननीय सभापति महोदया, हमारे आदिवासी भाई इस सहकारिता से आज भी डरते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कराना

(श्री फूलसिंह मीणा)

चाहता हूं कि राजस्थान में हमारी पिछली सरकार द्वारा बीपीएल आवासीय योजना चालू की और बीपीएल आवासीय योजना के बारे में सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं कि गरीब जनता को आवासीय योजना की किश्त दी, उसका उनको पता ही नहीं है। किसने साइन किया, किसने क्या किया, और वह पूरे के पूरे पैसे उठ गये हैं।

सम्माननीय सभापति महोदया, हमने अधिकारियों को भी यह अवगत कराया है कि इसके अन्दर बहुत ही घोटाला हो रहा है और जो वास्तव में हमारी इस भोली-भाली जनता का पैसा लिया है, उसकी जांच करोगे तो इसमें लाखों-करोड़ों रुपयों का घोटाला निकलेगा।

सभापति महोदया, मैं सम्माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारी आदिवासी जनता के लिए, सहकारिता के माध्यम से उनको विश्वास दिलाने का, जताने का आपका पूरा प्रयास रहे और ये लोन लेकर, कम पैसों में उनका कोई आवश्यक काम हो, वह कर सकें और वास्तव में सरकार इतना, इनके लिए जो योगदान कर रही है उसका फायदा पूरा मिल सके। यहीं नहीं, आदरणीय सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नरेगा के अन्दर इतना घोटाला हो रहा है। नरेगा के अन्दर जो मैट और सहकारिता की मिनी बैंक जो बनी हुई हैं उन मिनी बैंकों के आधार पर जो मस्टरोल ले लेकर फर्जी मस्टरोल भरकर के वह संचालनकर्ता और वहां का प्रभावशाली व्यक्ति मिलकर टोटल पेमेंट उठा लेते हैं, साइन भी फर्जी कर रखा है। मैं मेरी विधान सभा क्षेत्र की एक पंचायत का मैटर बात रहा हूं कि एक गिर्वा पंचायत समिति का जो बूजड़ा पंचायत में मिनी बैंक है उसके अन्दर डोडावली गांव का व्यक्ति का नाम जोड़ रखा था, उसके नाम से पैसे भी ले लिए, फर्जी साइन किया। उसका फोटो सहित मेरे पास प्रूफ है। जरूरत पड़ेगी तो मैं माननीय मंत्री महोदय के सामने भी उसको रखूंगा। ऐसा घोटाला हमारी नरेगा के अन्दर मस्टरोल के अन्दर बीस आदमी भरते हैं, पांच आदमी काम करते हैं। नपती के अन्दर आता है उनको बेचारों को पचास-पचास रुपये मिलते हैं, आधे आदमी तो काम पर ही नहीं आ रहे हैं। जब मेजरमेंट होता है तो मेजरमेंट तो जो काम होगा उसी के माध्यम से होगा। मैं बताना चाहूंगा कि जब आदमी ज्यादा मस्टरोल में होंगे और कम काम करेंगे तो उसके पैसा का तो बंटवारा हो जाएगा। सभी लैम्प्स को आनलाइन करने की मैं मांग करता हूं। क्योंकि यह घोटाला जब तक बंद नहीं होगा, हमारे आदिवासी

(श्री फूलसिंह मीणा)

भाइयों का भला नहीं हो सकता। मैं, यही नहीं, आपको बताना चाहता हूं कि राशन की दुकानें लगी हुई हैं। उसमें भी प्रभावशाली व्यक्ति जो लैम्प्स के माध्यम से या किसी कोपरेटिव सोसायटी के माध्यम से 15-15, 20-20 दुकानों के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। उसमें यहीं उनके चहेते, रिश्तेदार, भाई भतीजा या मिलने वालों को उस कोटे पर बिठा रखा है। कोई बेचारी वहां की जनता बोलने आगे नहीं आती है क्योंकि उनको यह डर लगता है कि हम इनके सामने बोलेंगे तो कल राशन नहीं देंगे। राशन नहीं देंगे तो हमारे बच्चों को कैसे पालेंगे। गरीब जनता है, आदिवासी मगरों में रहते हैं और उनको बेचारों को राशन अगर नहीं देंगे तो वो उनका पालन-पोषण करेंगे, महंगाई इतनी ज्यादा है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उदयपुर सम्भाग में हमारे आदिवासी बहुल जनजाति क्षेत्र हैं। जहां जंगलों में प्राकृतिक रतनजोत, डोलमा, मूड़ा, शहद, गोंद, सफेद मूसली आदि का उत्पादन लाखों क्विंटल में होता है। जिनका संग्रहण उत्पादन स्थानीय आदिवासी द्वारा किया जाता है। आजीविका भी उन्हीं से चलाई जाती है। परन्तु अत्यन्त विचारणीय बिन्दु है कि आजादी के इतने वर्षो पश्चात जहां अन्न, अनाज, दलहन, तिलहन उत्पादों को कृषि उपज मण्डी जैसी संस्थाओं के माध्यम से उचित प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य मिलता है। वहीं इन वन उपजों के क्रय-विक्रय के लिए आज भी कोई संगठित मण्डी का बाजार उपलब्ध नहीं हुआ है। वर्तमान में लघु वन उपजों की नाम मात्र की खरीद राजस्व संघ द्वारा की जाती है। बाकी ठेकेदार औन-पौने दामों में खरीदकर भारी मुनाफा कमाता है। जिससे आदिवासी का उत्थान, संग्रहणकर्ताओं को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि ठेकेदार अन्तरराष्ट्रीय बाजार में भारी मांग होने के कारण कई गुणा लाभ कमाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस क्रम में वर्ष 2008 एवं तत्पश्चात् कृषि उपज मण्डी समिति अनाज उदयपुर द्वारा प्रस्ताव संख्या-215 दिनांक 3.12.2012 प्रस्तावित कर लघु वन उपज को खुली नीलामी के क्रय-विक्रय कराकर आदिवासी एवं संग्रहणकर्ता लोगों को अन्य कृषि जिंसों की भांति प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाने हेतु उदयपुर मण्डी में लघु वन उपज को अधिघोषित कृषि जिंसों में शामिल कराकर लघु वन उपज की विशिष्ट मण्डी

(श्री फूलसिंह मीणा)

घोषित करने का निर्णय पारित किया। जो निदेशक महोदय, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर को प्रेषित किया गया था, जो अभी भी लम्बित है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं कि श्रीमान् आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं पदेन प्रशासन, राजस्व संघ लिमिटेड की मुख्य सचिव, राजस्थान के साथ दिनांक 11.2.2013 को बैठक में भी मण्डी समिति को लघु वन उपज बनाने पर सहमति हो चुकी है। इसके साथ ही श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर ने अर्द्ध शासकीय पत्रांक 8974 दिनांक 4.4.2013 से भी श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, जयपुर को निवेदन आदिवासियों के हितों के संग्रहण हेतु उदयपुर में लघु वन उपज हेतु विशिष्ठ मण्डी स्थापित करने के सम्बन्ध शासन स्तर पर स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया है।

**श्री सभापति**: बारह मिनट हो गए हैं। बिलकुल आप बोलें, लेकिन अभी आप इसको थोड़ा सा संक्षिप्त करें। कुछ मैटर आप लिखकर के भी दे सकते हैं, आप लिखकर के दे दीजिए और बाकी जो बोलना है वह दो तीन मिनट में जल्दी से समाप्त करें।

**श्री फूलसिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): दो मिनट और लूंगा सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदिवासियों को लाभ दिलाने के लिए माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्योंकि आदिवासियों को लाभ होगा व रोजगार बढ़ेगा, विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि यहां की लघु वन उपज रतनजोत, डोलमा, शहद, गोंद, सफेद मूसली आदि सम्पूर्ण भारतवर्ष में श्रेष्ठ किस्म की है तथा इसका उपयोग ग्वारगम बनाने, आयुर्वेदिक दवाइयां, कैमिकल तथा पशु आहार बनाने के साथ-साथ अन्य सैकड़ों प्रकार के उपयोग में होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-37 पर बोलना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, खाद बीज देने बारे में मेरे कई भाई यहां पहले बता चुके हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अन्दर जो शहर के नजदीक बीपीएल परिवार रहते हैं उनके पास में जमीन नहीं है। मगर उनको भी खाद बीज वितरित हो रहा है, वो बाजार में बेचते हैं। इसलिए उनको चिह्नित करके उनका यह अनुदान बंद किया जाए और वास्तव में जिनको जरूरत है उनको देने की कृपा करें। साथ में, माननीय सभापति महोदय के माध्यम से मांग संख्या-39 पर बोलना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के

(श्री फूलसिंह मीणा)

अन्दर हास्पिटल बंद पड़े हैं। गिर्वा पंचायत समिति की पाई पंचायत 33 किलोमीटर दूर पड़ती है। उस पंचायत में महीना डेढ़ महीना से हास्पिटल बंद पड़ा है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि वहां के कृषक गरीब परिवार अगर मवेशी बीमार हो जाए तो हास्पिटल कैसे लाये? यहीं नहीं डोडावली पंचायत के अन्दर हास्पिटल है वहां पर चार पद स्थापित हैं मगर वहां पर एक डाक्टर है और वह भी उदयपुर में बैठा हुआ है। मैंने जब इसके बारे में संचालनकर्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं। देखें क्या? डाक्टर तो उदयपुर में बैठा है और कम्पाउंडर को वहां पर लगा रखा है, तो कम्पाउंडर क्या दवाई देगा? वहां से 35 किलोमीटर दूर इस अरावली पर्वत को पार करके वहां पर रहते हैं अगर बीमार हो जाए मवेशी तो वो वहां से यहां उदयपुर कैसे लाए। माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं मंत्री महोदय जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उस हास्पिटल के अन्दर कर्मचारियों को लगाया जाए, मैं बोलता हूं कि हमारे पास कर्मचारी नहीं हैं। तो, सम्माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेकर मेरी बात को यहीं विराम दूंगा मगर मंत्री महोदय से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र का ध्यान रखें। हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी ने जो हमारे आदिवासियों के लिए अनुदान दिलाया है सहकारिता के माध्यम से और इसके माध्यम से हमारी जनता को पूरा लाभ मिले, आपने बोलने के लिए समय दिया इसके लिए धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

**(16.00 बजे)**

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य श्री नारायण सिंहजी देवल।

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, 14 जुलाई को 2014-15 का बजट आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया और इस बजट में समृद्ध एवं विकसित राजस्थान का मूल मंत्र दिया। भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज इस सदन में इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, सारा विपक्ष आज इस चर्चा में भाग नहीं ले रहा है, राजस्थान के किसानों के साथ यह बहुत ही अन्याय की बात हो रही है। मैं आपके माध्यम से सदन में यह बात कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश में 52 परसेंट लोग कृषि पर निर्भर हैं और इस बजट में हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। किसानों का उत्पादन कैसे ज्यादा बढ़े इसके लिए बजट में करीब दो लाख मैट्रिक टन यूरिया, पचास

(श्री नारायण सिंह देवल)

हजार मैट्रिक टन डीएपी और पचास हजार मैट्रिक टन फास्फेट का स्टाक करने का निर्णय लिया गया है जो बहुत स्वागत योग्य है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए करीब तीन लाख उनसठ हजार हैक्टेयर जो बंजर भूमि है उस पर खेती कैसे की जाए इसके लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है और किसानों का उत्पादन ज्यादा कैसे बढ़े इसके लिए खेती में जो इक्विपमेंट या टेक्नोलोजी के उपकरण खरीदे जाएंगे पहले उस पर ब्याज था 13 से 14 परसेंट जो इस बजट में करीब 5 परसेंट किया है इससे राजस्थान के किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। एक जो सुराज संकल्प यात्रा के समय में हमारे जिले जालौर में कई सारी गौशालाएं हैं उसमें एक पथमेड़ा गौशाला भी आती है। हमने गायों के गौसंवर्द्धन, चारे के लिए बात कही। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए इस बजट में गोपालन विभाग बनाकर उसमें बजट देने की बात कही है। इससे गायों के लिए बहुत सारी जो हमारे जिले में समस्याएं आती थीं निश्चित रूप से उन समस्याओं का समाधान होगा।

मैं मांग संख्या-36 पर अपने कुछ सुझाव देना चाह रहा हूं। वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को डेढ़ लाख रुपये का फसली ऋण शून्य ब्याज पर उपलब्ध कराया जा रहा है उसी के अनुरूप दीर्घकालीन कृषि ऋण राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान दिया जाकर अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ दिया जाए।

दूसरा मेरा सुझाव है कि किसानों की जो उपज है वो मार्केटिंग सोसायटी के माध्यम से उचित मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की जाए और वर्तमान में राज्य सरकार निजी बीमा कम्पनियों के द्वारा यंत्र लगाकर मौसम आधारित फसल बीमा किया जा रहा है। इस मौसम मापी यंत्र को हटाकर वास्तविक खराबे के आधार पर मुआवजा दिया जाए। कृषि आधारित बीमा हो जिससे जिस किसान द्वारा जितना ऋण लिया है वह पूरा क्लेम से मिले, ऐसी प्रणाली लागू की जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में करीब 26 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं उनमें से दो ग्राम सेवा सहकारी समिति में कोई गोदाम नहीं है और पांच ग्राम सेवा सहकारी समितियां जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं और आठ ग्राम सेवा समिति क्षतिग्रस्त हैं जिससे खाद और बीज संग्रहण में परेशानी हो रही है तथा खाद बीज की अग्रिम व्यवस्था नहीं होने से समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कठिनाई हो रही

(श्री नारायण सिंह देवल)

है। जालौर जिले के बारे में कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों में जो भर्ती प्रक्रिया है वो राइसम के द्वारा की जा रही है और मेरा निवेदन है कि इसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए।

मांग संख्या-37 में मेरे सुझाव आदरणीय सभापति महोदय, इस प्रकार हैं नरेगा को कृषि कार्य से जोड़ा जाए और मजदूरी का आधा पैसा किसान दे और आधा पैसा सरकार दे और कृषि कार्य के उपयोग में आने वाले जो भी उपकरण हैं उनमें छूट दी जाए।

मांग संख्या-39 में मैं सुझाव देना चाहूंगा। मेरा विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा पशुपालन के लिए जाना जाता है क्योंकि यहां सेवाड़िया का प्रसिद्ध पशु मेला लगता है जो गोड़वाड़ और मालानी में प्रसिद्ध है। हमारे यहां किसानों का मुख्य धन्धा पशुपालन कर अपनी जीविका चलाना है। मेरे यहां कई पशु चिकित्सा केन्द्र व उप केन्द्र खुले हुए हैं परन्तु वेटेरिनरी डाक्टर और कम्पाउंडर की काफी जगह पोस्ट खाली है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में सारी पोस्टें भरी जाएं। अभी दो महीने पहले रानीवाड़ा के आस-पास 6-7 गांवों में पशुओं में गलघोंटू बीमारी होने से करीब 50-60 भैंसें मारी गईं। एक ही गरीब किसान के यहां करीब पचास बकरियां भी मारी गईं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है अन्याय हुआ है उनको सम्भव हो तो मुआवजा भी दिया जाए और मेरे विधान सभा क्षेत्र में पांचला, गुंदाऊ, पंसेरी, सिलासण, बामनवाड़ा और मैत्रीवाड़ा जो पशुपालन में अग्रणीय है, पशु चिकित्सा केन्द्र या उप केन्द्र खोलने की भी मैं मांग करता हूं।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य श्री देवेन्द्रजी कटारा।

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, कृषि, पशुपालन, सहकारिता मांग संख्या-36, 37 और 39 पर बोलने की अनुमति आपने दी है मैं, मेरी तरफ से, डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र पूर्णतया 80 प्रतिशत आदिवासी आबादी से युक्त है और डूंगरपुर जिले में पूरी तरह से कोई उद्योग धन्धे नहीं हैं, पूरा जिला कृषि पर आधारित है। डूंगरपुर विधान सभा में विशेष

(श्री देवेन्द्र कटारा)

तौर से आजादी से लेकर अब तक पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सीट निकली, इसके पहले कभी जीते नहीं थे। इन सालों में डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र की कृषि पशुपालन और सहकारिता के जो हालात हैं उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। खास तौर से हमारे डूंगरपुर क्षेत्र में जो कृषि होती है वह साधारणतया मौसम पर आधारित है। वहां पर पर्याप्त सिंचाई, कुओं आदि का अभाव है। ऐसी स्थिति में राजस्थान के अन्य क्षेत्र, रेगिस्तान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, विभिन्न तरीके से वहां पर खेती किसान करता है। सभापति महोदय, पिछले लम्बे समय से मेरा क्षेत्र में काम करना हुआ, मैं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी गया, वहां पर किसानों के छोटे-छोटे खेत हैं, आधा बीघा से लेकर मैक्सिमम पांच बीघा तक जमीन होती है और वह छोटे-छोटे ढलान वाला क्षेत्र होता है। राजस्थान की समतल जमीन पर जो कृषि की तकनीक काम करती है, वह कृषि की तकनीक वहां काम नहीं आती है। वहां पर सिंचाई के लिए, हम देखते हैं थ्री फेस, फोर का कनेक्शन राजस्थान के अन्य हिस्सों में पाया जाता है लेकिन डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र की जमीन ऐसी है कि वहां काश्तकार ने अपना घरेलू कनेक्शन, सिंगल फेस का कनेक्शन ले रखा है उससे ही सिंचाई की व्यवस्था करता है। वह कनेक्शन काश्तकार को इतना अधिक महंगा पड़ रहा है कि उसका भुगतान करना उसको मुश्किल हो रहा है।

सभापति महोदय, जब क्षेत्र की जनता का आजीविका का मुख्य संसाधन कृषि है तो कृषि के क्षेत्र में विकास होना चाहिए। विकास के साथ कृषि की जो विभिन्न प्रकार की टैक्नोलोजी है, जो छोटे-छोटे जोत के काम आती है उसको लागू करने के लिए हमें सोचना चाहिए, उस पर नीति बनानी चाहिए। खास तौर से हमारा क्षेत्र पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में झाड़ वाले खेत हैं। यहां पर सिंचाई का पानी होता है वह समतल नहीं होने की वजह से बह जाता है। वहां पर परेशानी यह आती है कि छोटी-छोटी क्यारियां बनाकर खेती की जाती है, ऐसी स्थिति में काश्तकार बड़ा परेशान है। छोटी जोत होने की वजह से, छोटी खेती होने की वजह से, डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में 40 परसेंट वन क्षेत्र है वहां वन्य जीव भी इतना परेशान करते हैं कि छोटे खेत की आधी से अधिक फसल तो वह जीव ही खा जाते हैं। किसान के पास नहीं के बराबर उत्पादन रहता है।

सभापति महोदय, मैं खासतौर से हमारे डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र के काश्तकारों के उपयोग आने वाले, क्योंकि अभी कुछ क्षेत्र में किसानों ने

(श्री देवेन्द्र कटारा)

पशुपालन की ओर रूझान करना धीरे-धीरे कम कर दिया है। कारण यह है कि छोटा क्षेत्र, छोटी जोत और उत्पादन की कैपेसिटी कम होना और साथ में हमारे यहां मौसम पर आधारित खेती होने की वजह से आठ से दस महीने काश्तकार गुजरात जाकर मजदूरी करके जीवन यापन करता है, परिवार पालता है। दो-तीन महीने के लिए पशु को पालना, बैल को पालना, उनकी खुराक की व्यवस्था करना, उस काश्तकार के लिए महंगा पड़ता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि वास्तव में जब छोटी जोत रहे, छोटे खेत रहे, ऐसी स्थिति में हमारे यहां पर खेती के लिए छोटे ट्रैक्टरों को सब्सिडी की दर पर उपलब्ध कराकर उन्नत खेती और उन्नति की ओर किसानों को लाया जा सकता है।

सभापति महोदय, यह तीनों ही विषय सहकारिता, कृषि और पशुपालन, एक दूसरे के पूरक हैं। मैं तीनों ही विषयों पर एक साथ बात करना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में सिंगल फेस विद्युत कनेक्शन, यह पूरे क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी रहे हैं, ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में जो ढलान वाला एरिया है वहां पर कृषि हेतु सिंगल

**(16.15 बजे)**

**(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)**

फेस कनेक्शन की व्यवस्था के लिए भी हमको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हमारे क्षेत्र में छोटी जोत और छोटे खेत होने की वजह से पशुपालन की स्थिति, थोड़ी इच्छा कम रह गई है, ऐसी स्थिति में जब फसल का उत्पादन हो जाता है तो फसल के उत्पादन को निकालने के लिए थ्रेशर की आवश्यकता पड़ती है। छोटे ट्रैक्टर, छोटे थ्रेशर को खरीदने की किसान की क्षमता नहीं है ऐसी स्थिति में अनुदान पर छोटे थ्रेशरों को देने के लिए सरकार को सोचना चाहिए। सभापति महोदय, डूंगरपुर जिला और डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र का 40 प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र है। वहां पर वन्य जीव बहुत ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर फसलों को नुकसान से सुरक्षा के लिए सौलर सिस्टम से एक हल्का सा झटका लगता है, अगर उसके बाड़ लगा दी जाए तो निश्चित रूप से क्षेत्र में फसल का नुकसान नहीं हो पाएगा।

दूसरा, डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र की ज्यादातर जनता गुजरात से कपास की खेती सीखकर अपने क्षेत्र में खेती करती है। पूरा का पूरा डूंगरा

(श्री देवेन्द्र कटारा)

डिविजन क्षेत्र है वहां पर किसान सिर पर पानी थोपकर पहाड़ों पर लेकर जाता है और एक-एक पौधे को लोटा-लोटा पानी पिलाकर उस पौधे को जीवित रखता है। सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में बीटी काटन प्रोजेक्ट के तहत टंकियों का निर्माण और पतली पाइप लाइन होती है जो बूंद-बूंद सिंचाई की व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को अगर किया जाता है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के किसानों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। बीटी काटन उस क्षेत्र के किसानों के लिए आर्थिक रीढ़ मजबूत करने का बहुत बड़ा आधार है। पिछले वर्ष उस क्षेत्र में अधिकतर किसानों ने बीटी काटन का उत्पादन किया लेकिन राज्य सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उसका उत्पादन आज भी गुजरात की बड़ी-बड़ी कम्पनियों के हाथों में है। अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ और वह पैसा लेकर बैठे हैं। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि बीटी प्रोजेक्ट को और अधिक मजबूत करने के लिए, क्षेत्र में कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए टंकी और पानी की व्यवस्था निश्चित करने के बारे में विचार करें।

माननीय सभापति महोदय, खासतौर से डूंगरपुर जिला और उस जिले में चार विधान सभा क्षेत्र पड़ते हैं लेकिन नाबार्ड का कार्यालय वहां पर स्थापित नहीं किया गया है। डूंगरपुर के काश्तकार 110 किमी. बांसवाड़ा जिला है, बांसवाड़ा मुख्यालय पर उसका कार्यालय है। हमारे छोटे-छोटे काश्तकार बांसवाड़ा जाकर अपने खेत के लिए, समतलीकरण के लिए, पशुपालन के लिए, खेती से सम्बन्धित रीड लेने के लिए उसको बांसवाड़ा जाकर उस व्यवस्था को समझने में बड़ी परेशानी आती है। बहुत ही पिछड़ा हुआ काश्त्कार है। नाबार्ड की योजनाओं का लाभ काश्तकार को मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि नाबार्ड का कार्यायल डूंगरपुर में स्थापित हो जाता है तो निश्चित रूप से क्षेत्र के काश्तकारों को, पशुपालकों को, क्षेत्र की जनता को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ है, आजीविका संसाधन कृषि है उस पर निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, क्षेत्र की जनता को बहुत लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं सहकारिता के क्षेत्र में कहना चाहता हूं कि डूंगरपुर जिला पूरी तरह से पिछड़ा हुआ जिला है और लेन देन का काम अधिकतम लैम्प्स के माध्यम से हो रहा है लेकिन लैम्प्स की हालत यह है कि ज्यादातर लैम्पस, सरपंच तो अध्यक्ष और सरपंच भी वही और यह सब, सैक्रेटरी

(श्री देवेन्द्र कटारा)

सारे मिलकर, मतलब एक तरह से यह कहा जा सकता है कि पिछली सरकार ने लैम्प्स को भ्रष्टाचार का एक बहुत अड्डा बना दिया। पेमेंट की शीट भी वहीं तैयार की जाती है। खाते क्या मेंटेन करने हैं वह भी शीट तैयार करके पूरी तरह से, न तो रोजगार गांरटी में काम करने वाला मजदूर जानता है कि उसके खाते से पेमेंट उठा रहा है या जा रहा है। आवेदन करते हैं उसी समय विदड्रावल पर उनके अंगूठे करा लिये जाते हैं। पूरी तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मैं विशेष तौर से सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक लैम्प्स की स्थापना हम कर देंगे, हम मिनी बैंक की स्थापना कर देते हैं, हम सहकारी सोसायटी की स्थापना कर देते हैं। लेकिन उस पर भ्रष्टाचार रोकने के लिये अगर हमने पर्याप्त कदम नहीं उठाये तो जनता को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, विशेष करके कि जब हमारे राजस्थान में, हम तो कहते हैं, केन्द्र में, सब जगह जब राजनीतिक लोगों के लिये एक पद की गारण्टी होती है, एक पद पर रहना है, तो सरपंच भी वही, लैम्प्स का अध्यक्ष भी वही और पेमेण्ट भी वही उठा रहा है, जनता नहीं जान रही है। चाहे वह मुख्य मंत्री आवास का मामला हो, चाहे वह इन्दिरा आवास के भुगतान का मामला हो, सारा का सारा पेमेण्ट, चैक भी उनके पास ही रहता है। केवल अंगूठा लगवा लिया जाता है या साइन करा लिया जाता है। पेमेण्ट भी बाहर निकलते-निकलते पूरा खतम हो जाता है। इसलिये मैं सहकारिता मंत्री महोदय और राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में गम्भीरता से मंथन करके उसमें पारदर्शिता लाने के लिये, भ्रष्टाचार को खतम करने के लिये रूल्स एवं रेगुलेशन ऐसे बनाए जाएं और आनलाइन किया जाए जिससे कि भ्रष्टाचार रुके और क्षेत्र की जनता को बहुत ज्यादा फायदा मिले। जनता के नाम का जो पैसा है, वह जनता तक पहुंचे। इस तरह की व्यवस्था करने के लिये निवेदन करता हूं। सभापति महोदय, आर्थिक तंत्र जो हमारे वहां का चल रहा है, वह लैम्प्स के माध्यम से चल रहा है। पिछले समय लैम्प्स के माध्यम से, मैं कृषि के मामले में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां का खाद का वितरण भी लैम्प्स के माध्यम से होता है। अधिकतर लैम्प्स गठित तो कर दिये पिछली सरकार ने लेकिन गोदाम का निर्माण नहीं होने की वजह से खाद और बीज होता है, वह बिलकुल बारिश के दिनों में खुले आसमान के नीचे पड़ा रहता है, बारिश आने पर वह खराब हो

(श्री देवेन्द्र कटारा)

जाता है। ऐसी स्थिति में , सभी लैम्प्स के गोदाम निर्माण की भी आवश्यकता है। विशेषकर के, लैम्प्स में एक और बड़ा घोटाला चलता है कि लैम्प्स का जो खाद और बीज होता है, वह विशेष तौर से लैम्प्स के गोदाम तक नहीं पहुंचता है, लैम्प्स जहां है, वहां तक नहीं पहुंचता और सीधा ही बाहर वह तस्करों के हाथों में चला जाता है और तस्करी के जरिये दूसरे राज्यों में चला जाता है।

सभापति महोदय, ऐसा ही मामला, मेरी पंचायत का खुद का मामला, ऐसा आया कि मैं 10 तारीख के पांच बजे मैं लैम्प्स में जाता हूं, मुझे खाद चाहिए, वहां पर खाद अवेलेबल नहीं था, मात्र पांच कट्टे थे। तो उन्होंने कहा, यह रिजर्व कोटे में हैं, इसलिये आप कल जब आएगा उस टाइम लेना। पांच बजे अगले दिन जब मैं खाद लेने जाता हूं तब अवेलेबल नहीं होता है और दूसरे दिन एफ.आई.आर. दर्ज होती है कि हमारे यहां से खाद चोरी हो गया। हमने पता किया तो लैम्प्स से, वहां सरकारी सोसायटी से खाद ले जाकर रास्ते से ही सीधा का सीधा ट्रक के ट्रक उड़ा दिये गये और बचाव के लिये, क्योंकि जहां गोदाम है, वहां पर किसी भी तरह से ट्रक नहीं जाता है, न वह दूर खड़ा रहता है। न ताला टूटा है, न किसी प्रकार की चोरी हुई है। मतलब काश्तकारों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो खाद और बीज समय पर मिलना चाहिए, वह वास्तव में सोसायटी द्वारा, हमारा नियत तंत्र जो है, वह पूर्ववर्ती सरकार ने इस तरह से बिगाड़ रखा है कि इसको व्यवस्थित करने में समय लगेगा। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जितना भी व्यवस्थित किया जाता है तो काश्तकारों को बेनिफिट मिलेगा। सभापति महोदय, हमारे यहां पर अभी कृषि विभाग में बीज वितरण का कार्यक्रम जो चलाया था, यह बात निश्चित है कि बीज काश्तकारों को मिला, लेकिन मैं यह कहना चाह रहा हूं कि उसमें ए.पी.एल., बी.पी.एल. की शर्त है। ए.पी.एल. के अलावा कई ऐसे ए.पी.एल., बी.पी.एल. हैं, वास्तव में जिनके पास जमीन नहीं है, खेती की जमीन नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को बीज का किट दिया जाता है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में बीज जिनको वितरण किया जा रहा है, उनमें अनिवार्य शर्त जोड़नी चाहिए कि खेती की जमीन है, और वह बी.पी.एल. है, या ए.पी.एल. है, जैसा भी है, लेकिन खेती की जमीन है, उसको बीज दिया जाता है तो उसकी उपयोगिता रहेगी।

सभापति महोदय, खास तौर से हमारे क्षेत्र में खेती के साथ-साथ पशुपालन एक मुख्य आधार है, और जब पूर्ववर्ती हमारे भैरोंसिंहजी की सरकार

(श्री देवेन्द्र कटारा)

थी उस समय गौपालन परियोजना के माध्यम से, माननीय नन्दलालजी मीणा उस टाइम जनजाति मंत्री थे, उस विभाग द्वारा पशुपालन के लिये उन्नत किस्म की नस्लें दी गई थीं और उन गायों की वजह से क्षेत्र की जनता में दुग्ध उत्पादन बढ़ा। साथ ही देशी खाद खेतों को अवेलेबल हुआ। उस वर्ष उत्पादन की क्षमता बढ़ी थी। बाद में कांग्रेस सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। अभी गांवों में दुग्ध उत्पादन में कमी आई है। मैं निश्चित यह कहना चाहूंगा कि पशुपालन के मामले में वापस उन्नत नस्ल की गायों को काश्तकारों को उपलब्ध...

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

सभापति महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं। अब पशुपालन अकेला ही बचा है, दो मिनट लगेंगे। सभापति महोदय, उन्नत नस्ल की गायों को अगर उपलब्ध कराया जाता है तो निश्चितत: काश्तकार का आर्थिक आधार मजबूत होगा। साथ ही खेतों में देशी खाद उपलब्ध होगी। अच्छी फसल उत्पादित होगी, अच्छी सब्जियां उत्पादित होंगी। वह किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो जाएगा। उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरुरत नहीं पड़ेगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जब सहकारिता तंत्र भी मजबूत करने की हम पहल कर रहे हैं। उसके साथ-साथ में पशुपालन के लिये भी हम सोचते हैं तो पशुपालन के लिये पंचायत मुख्यालय पर जो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, वह भी हमारे क्षेत्र में नहीं है। मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हर पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए।

सभापति महोदय, डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर पशुओं का सबसे बड़ा हास्पिटल शहर के बीचों-बीच है। वहां पर पशु लाने, ले-जाने, क्योंकि मोटर साइकिल, यह वाहन होते हैं, वह हार्न बजाते हैं, पशु भड़कता है। वहां तक पशु इलाज के लिये पहुंच नहीं पाता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पशुपालन विभाग के माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उस शहर के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में जहां पैराफेरी एरिया है, जहां आसानी से पशु लाया जा सकता है, हास्पिटल को शहर के बीच से हटाकर वहां स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे कि क्षेत्र के पशुपालकों को बहुत ज्यादा फायदा मिले।

(श्री देवेन्द्र कटारा)

माननीय सभापति महोदय, विशेष करके दूध का उत्पादन हमारे क्षेत्र में हो रहा है। लेकिन दूध को कलक्ट करने के लिये कोल्ड-स्टोरेज और डेयरी का अभाव है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो राजस्थान का उत्पादन है, वह गुजरात में जाकर हमारा जो उत्पादक है, जो पशुपालक है, वह दूध बेचता है और पिछली बार जब योजना चालू की थी, उन्नत नस्ल की गायें दी थीं, उसका सारा दूध, क्योंकि स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होने की वजह से गुजरात के रेलावाड़ा, मोड़ासा और यहां तक कि सामराजी तक हमारा दूध जाता था। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सोलर सिस्टम से या बिजली कैसे भी करके हमको पंचायत मुख्यालय पर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करनी चाहिए, दूध कलैक्शन करने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह व्यवस्था भा.ज.पा. सरकार द्वारा पूर्व में संचालित की गई थी और इसको पुन: शुरू करवाने की व्यवस्था कराएं।

**श्री सभापति**: अब आप कन्क्लूड कर दें। You have been speaking for the last 20 minutes.

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री सभापति**: 20 मिनट हो गये। You are 18th speaker and I have got 36 speakers on the list.

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, केवल मेरे लिखे हुए हैं, वह पांच-पांच हैं, वह बोलना चाह रहा हूं। बस, इसके अलावा कुछ नहीं हैं।

**श्री सभापति**: पांच-पांच क्या हैं?

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): यह मेरी डिमाण्ड हैं। माननीय सभापति महोदय, कृषि मंत्रीजी को अवगत कराना चाहता हूं, मांग संख्या-34 की पांच जो मेरी प्रमुख मांगें हैं क्षेत्र की, कृषि कार्य हेतु टी.एस.पी. क्षेत्र में छोटी-छोटी जोत होने की वजह से ट्रैक्टरों पर अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। दूसरा है, कृषि हेतु टी.एस.पी. क्षेत्र में सिंगल फेस कृषि कनेक्शन देने की व्यवस्था कराएं। कृषि हेतु थ्रेशर पर अनुदान की व्यवस्था कराएं। ट्राइबल सब-प्लान एरिया में कृषि को जानवरों से होने वाले नुकसान के लिये सुरक्षा के लिये सोलर फैंसिंग की व्यवस्था करावें। ट्राइबल क्षेत्र में बी.टी. काटन प्रोजेक्ट के तहत कृषि क्षेत्र में टेंक की और पाइप लाइन व अनुदान की व्यवस्था कराएं। नाबार्ड कार्यालय को डूंगरपुर में खोलने की व्यवस्था कराएं।

मांग संख्या 36, सहकारिता के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि डूंगरपुर

(श्री देवेन्द्र कटारा)

विधान सभा क्षेत्र में सभी नवगठित लैम्प्स के गोदामों का निर्माण तथा पुराने लैम्प्स के गोदामों की मरम्मत करवाने की व्यवस्था कराएं। डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में हर पंचायत मुख्यालय पर लैम्प्स गठित करने की व्यवस्था कराएं। डूंगरपुर विधान सभा के हर पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में मेवाड़ा, बेहणा, गेड़, सुंदरपुर व हथोड़ में पशु चिकित्सालय की स्थापना कराएं। डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में पंचायत स्तर पर दुग्ध कोल्ड स्टोरेज प्रारम्भ कराने, ट्राइबल सब प्लान एरिया में अनुदान पर उन्नत नस्ल की गायें उपलब्ध कराने, डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में नगर परिषद में जो स्थापित हास्पिटल है, पशु हास्पिटल, उसको नगर से बाहर स्थापित कराने की प्रमुख मेरी विधान सभा क्षेत्र की मांगें हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं, आशा है, पूरा विश्वास है कि डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र की जनता की जो प्रमुख समस्याएं हैं, उनको बिलकुल गम्भीरता से लेंगे और निश्चित ही इन पांच सालों में और इस साल में इस पर विचार करते हुए क्षेत्र की जनता को लाभ देंगे।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, मेरे क्षेत्र की जनता के लिये समय दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

**श्री सभापति**: श्री हरिसिंह रावत।

**श्री हरिसिंह रावत** (भीम): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-36, 37 एवं 39, क्रमश: सहकारिता, कृषि, पशुपालन एवं चिकित्सा पर बोलने का आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारा देश कहने में तो एक कृषि प्रधान देश कहलाता है लेकिन बड़ी विडम्बना की बात है कि कृषि प्रधान देश का कृषक रात को भूखा सोता है। कारण, यहां की अर्थव्यवस्था या हमारी भौगोलिक दृष्टि से हम समझते हैं कि हम पूरे विकसित नहीं हैं जिसकी वजह से आज हमारे यह हालात हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज को हमारी सरकार बढ़ावा देती है, उसी प्रकार से अगर कृषि को भी उद्योग का दर्जा दे तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए यह बहुत ही, कृषकों के लिए उपयोगी साबित होगा। आज फैक्टरी कोई होती है, फैक्टरी में कोई वस्तु बनती है, कोई न कोई प्रोडक्ट

(श्री हरिसिंह रावत)

होता है तो उसकी कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम फिक्स कर लेते हैं जिससे फैक्ट्री को भी मुनाफा होता है और जो सेलिंग करता है उसको भी मुनाफा होता है।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, जब कोई सम्माननीय सदस्य बोल रहे हों, आदरणीय मैं आपको कह रहा हूं, जब माननीय सदस्य कोई बोल रहे हों तो उनके सामने से आपको नहीं गुजरना।

**श्री हरिसिंह रावत** (भीम): लेकिन, दुर्भाग्य की बात है कि किसान हमारा अन्नदाता कहलाता है और उस अन्नदाता को कभी अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर किसान को हमें उसका लाभ दिलाना है तो जिस प्रकार से उद्योग में अपन उद्योगपतियों को या इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है, उसको प्रोफिट देते हैं उसी प्रकार किसानों को भी अगर उद्योग का दर्जा देकर जो उनकी मेहनत होती है उसको अगर अलग से, तो किसान खेती में काम करता है, उसके साथ प्रोफिट उसको जोड़कर दिलाया जाए तो मैं समझता हूं कि किसानों के लिए एक बड़ा अच्छा जीवन यापन का साधन मिलेगा। साथ -साथ ही इसी प्रकार से फैक्टरी बंद अगर हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन अगर अन्नदाता अन्न देना, उपज देना बंद कर देगा तो मैं समझता हूं कि भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो मेरा आपके माध्यम यह अनुरोध है कि किसानों को आज अनाज का उनका पूरी मुआवजा या उनकी पूरी जो मेहनत होती है उसका पूरा फायदा मिले। इसके लिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि को भी उद्योग का दर्जा दिलाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारा राजस्थान, भौगोलिक दृष्टि से तो मैं समझता हूं कि पूरे देश में अव्वल है लेकिन कृषि की दृष्टि से तो हम बहुत ही पिछड़े हुए हैं। हमारा बहुत बड़ा भूभाग रेगिस्तान में चला जाता है। कुछ भाग हमारा जो होता है वह बंजर और पहाड़ी क्षेत्र में जाता है। तो इसकी वजह से पूरी खेती का उपयोग, हम उस जमीन का नहीं ले सकते हैं लेकिन मुझे बोल कर बड़ा हर्ष और खुशी है कि हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, बंजर भूमि का विकास करने के लिए राजस्थान में 180 लाख हैक्टेयर बंजर भूमि है उसमें से 2014-15 में समन्वित जलग्रहण प्रबंधन कार्य के अन्तर्गत 3 लाख 69 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल को उपचारित करने का लक्ष्य रखा है, यह एक सराहनीय कदम है। जिसके लिए 1392 करोड़ की कार्य योजना का प्रावधान रखा है।

(श्री हरिसिंह रावत)

साथ-साथ ही दूसरी खुशी की बात यह है कि मध्यम एवं दीर्घ अवधि के ऋणों पर किसानों को 13 से 14 परसेंट तक ब्याज देना पड़ता था लेकिन हमारी सेंसेटिव मुख्य मंत्रीजी ने 5 परसेंट वार्षिक ब्याज पर देने की जो घोषणा की है, वह एक बहुत ही सराहनीय घोषणा है। इससे हमारे कृषकों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, कृषि के लिए हमारी सरकार ने वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने का जो निर्णय लिया है, यह एक बहुत ही सराहनीय निर्णय है। इसके अन्तर्गत सरकार ने हमारी बूंद-बूंद सिंचाई, स्प्रिंकलर सिस्टम, ग्रीन हाउसेज और इस तरह के कई, वैज्ञानिक खेती करने का जो एक साधन हमें दिया है, यह हमारे लिए बहुत ही सराहनीय है।

माननीय सभापति महोदय, लेकिन इसमें हमें बड़ा दु:ख भी होता है कि सामग्री जो हमें दी जाती है कृषकों को, उसमें हमने अक्सर देखा है कि जो सामग्री होती है, क्या है कि वह थोड़े दिनों के बाद जो सप्लायर होते हैं उनके साथ मिलकर वह उन औजारों को और पाइप लाइन को बेच देते हैं और मैंने अक्सर देखा है कि अभी सोलर ऊर्जा के अन्तर्गत जो 85 परसेंट सब्सिडी दे रहे हैं, यह बात सराहनीय है लेकिन इसमें भी किसानों के साथ में कुछ तो यह सप्लायर होते हैं उनको भी यह 50 परसेंट में वापस सेल करके, यह हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी हम यह सामग्री किसानों को देते हैं, उसका भी पांच-छह महीने में कभी सत्यापन करवाया जाए ताकि इस प्रकार की यह जो कुछ लोग बिचौलिये या इस टाइप के लालची किस्म के लोग होते हैं, जिनको बेचने से हमारी सरकार का भी नुकसान होता है और कृषक को जो वास्तव में कृषि से लाभ लेना चाहिए वह भी नहीं ले पाता है।

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने महानरेगा के अन्तर्गत सम्पत्ति सृजन करने के कार्य हेतु रेलवे अण्डर ब्रिज, खालों के निर्माण कार्य योजना के अन्तर्गत कन्वेंशन-कार्य कराया गया है, वह एक सराहनीय कार्य है। लेकिन इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के सभी क्षेत्र के कृषकों को कृषि कार्यों से जोड़ा जाए। जैसे रोजड़ों से हमारे कृषकों को जो नुकसान होता है तो वहां पर बाड़-बंदी या पत्थर की दीवार चुनाई जाए या साथ-साथ ही जैसे कुआं नया खुदवाना है या कुएं गहरे करवाना है या बंजर भूमि को उपजाऊ बनानी है तो इन कार्यों को भी अगर

(श्री हरिसिंह रावत)

महानरेगा के अन्तर्गत जोड़ा जाए तो मैं समझता हूं कि कृषकों को इससे काफी लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, साथ-साथ ही दूसरी कृषक योजना के अन्तर्गत हम लोगों की कृषि बीमा योजना लागू की हुई है। कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत कृषक का कृषि कार्य करते वक्त उसका कोई हाथ या पांव टूट जाए या मृत्यु हो जाए या मृत्यु हो जाने पर भी सरकार उनको एक लाख रुपए का मुआवजा देती है। पूर्ववर्ती सरकार ने एक लाख से पांच लाख की घोषणा की थी लेकिन माननीय सभापति महोदय, वह क्रियान्वित नहीं हो पायी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो एक लाख से पांच लाख की योजना इन्होंने घोषित की थी पूर्ववर्ती सरकार ने अगर इस बार इसे लागू कर देंगे तो मैं समझता हूं कि किसानों के लिए एक बहुत अच्छा फायदेमंद काम होगा।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी एक समस्या है कि कृषि कार्य करते वक्त कोई सांप या कोई जहरीला जानवर काटने से अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर उसकी एफ.एस.एल. रिपोर्ट के लिए, वह हमारे उदयपुर या अन्य स्थानों पर भेजी जाती है जहां पर एफ.एस.एल. की कार्यवाही की जाती है। लेकिन वह एफ.एस.एल. रिपोर्ट सालों तक नहीं आने की वजह से उस गरीब को जिसका लाभ मिलना चाहिए, जो पीड़ित है, उसको लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि या तो एफ.एस.एल. रिपोर्ट का कोई क्राइटेरिया फिक्स कर लीजिए कि 15 दिन में या 20 दिन में, एक महीने में इसकी रिपोर्ट आ जाए या फिर यह एफ.एस.एल. का सिस्टम ही खतम कर दें या इसे जहां-जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है या जिला चिकित्सा केन्द्र है या तो वहां पर इसका बोर्ड गठित कर दें ताकि गरीबों को लाभ मिलना चाहिए, वह लाभ मिल सकें। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि एफ.एस.एल. रिपोर्ट पर भी आप विशेष ध्यान दें।

दूसरा, कृषि के अन्तर्गत मेरा आपसे और निवेदन है कि कृषि कार्यों के अन्तर्गत जैसे अच्छे बीज या ग्रीन हाउसेज या इस टाइप की जो पद्धति अपनाई गई है, उसमें अगर गांवों में, हर पंचायत या पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर एक कैम्प लगाया जाए और कैम्प के अन्दर रुचि रखने वाले लोगों को प्रोत्साहित करें। ग्रीन हाउसेज हैं, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम है, या बूंद-बूंद सिंचाई

(श्री हरिसिंह रावत)

का काम और दूसरे भी हैं, जो नई खेती पद्धति है, हाई-ब्रीड से जैसे हम वहां पर फसलें लेते हैं। फसल के साथ-साथ कोई फल-फ्रूट भी अगर हम उगाना चाहते हैं तो उसका भी अगर एक ट्रेनिंग कैम्प लगाएं तो मैं समझता हूं कि जनता को इसका फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मैं गौ-पालन पर भी निवेदन करना चाहता हूं। पशुपालन के अन्तर्गत मैं चाहता हूं कि पशु चिकित्सालय हर मुख्यालय पर हो और हर मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय होने से गांव के लोगों को फायदा मिलेगा। और साथ-साथ ही पशु चिकित्सालय नहीं होने की वजह से कई ऐसी बीमारी और रोग होते हैं, जिसमें समय पर डाक्टर या पशुधन सहायक नहीं होने से बेवजह यह जानवर मर जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि हर पंचायत हैड क्वार्टर मुख्यालय पर अगर पशु चिकित्सालय खोलेंगे तो मैं समझता हूं यह लाभ का सौदा होगा।

साथ-साथ ही हर गांव, ढाणी में कृषकों को या गौ-पालकों को प्रोत्साहन करने के लिये गौ-शालाएं जहां खुली हुई हैं, वहां मैं समझता हूं कि अच्छी किस्म की गाय, अच्छे किस्म के बछड़े, उसमें अच्छी नस्ल जैसे गिर है, थारपारकर है, राठी है, आदि किस्म की गायों को अगर हमारी गौ-शालाओं में रखेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारी गौशाला समृद्ध होगी, अच्छी मात्रा में दूध का उत्पादन होगा, अच्छी खाद पैदा होगी तो हमारी गुणवत्ता बढ़ेगी और गौशालाओं में गौ-संरक्षक होते हैं, उनको भी कम पूंजी लगानी पड़ेगी।

दूसरा, गौशाला के अन्तर्गत जो मुआवजा देते हैं, उस मुआवजे को भी हमें बढ़ाने की जरूरत है। आज मंहगाई के जमाने में इस वक्त जो मुआवजा दिया जा रहा है, वह मैं समझता हूं कि पर्याप्त नहीं है। इसलिये जब हमारे यहां अकाल पड़ता है तो ही हम गौशालाओं को अनुदान देते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इन गौशालाओं को बढ़ावा देने के लिये बारहमासी यदि यह मुआवजा दें तो मैं समझता हूं इनके लिये अच्छी बात होगी और साथ-साथ ही गौशालाओं के लिये जमीन की भी विशेष व्यवस्था करनी चाहिये। यह अक्सर देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में गोचर भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर दिया। गौशाला की अगर गाय जाती है तो वहां उनको चरने नहीं देते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि गौशालाओं के लिये भी चरागाह के लिये यदि अलग से जमीन अलाट कर दी जाये तो मैं समझता हूं कि इस समस्या का भी समाधान

(श्री हरिसिंह रावत)

हो जायेगा। प्रत्येक गौशाला के लिये अगर अलग से जमीन अलाट होगी तो मैं समझता हूं कि इनके लिये एक अच्छी व्यवस्था होगी।

साथ-साथ ही हर नगरपालिका में भी गौशाला चल रही है तो विशेष जो मैंने देखा है कि वहां शहरों में, नगरों के अन्दर देखते हैं कि गाय जब दूध देती है तब तो उसको घर में रख लेते हैं और जब वह दूध देना बंद कर देती है तो उनको आवारा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी गायें होती हैं, जो कचरा और प्लास्टिक खाने के कारण मृत्यु को काल-कलवित हो जाती हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि हर नगरपालिका या हर गांव में इनको बाध्य करें कि जो भी गाय को लावारिस छोड़ेगा तो एक दण्ड का प्रावधान रखा जाये जिससे कि गौ की रक्षा भी हो सकेगी और कम से कम वह आवारा नहीं घूमेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि हर नगरपालिका में जो भी गौशाला है, गौशाला में यदि वह दूध नहीं देती है, तो वह व्यक्ति गायों को गौशाला में भर्ती करा देवे और मुआवजा वसूल करे, ताकि कम से कम उनको भी इसका फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, आपका सिग्नल मेरी तरफ इंडिकेट हो रहा है तो मैं शोर्ट में आपसे यही कहना चाहता हूं सहकारिता के लिये भी मैं चाहूंगा जिस प्रकार उदयपुर में सहकारी बैंक है, वैसा ही बैंक अगर हमारे राजसमंद नगर में खुल जायेगा तो मैं समझता हूं कि हमारे लोगों को इसका फायदा मिलेगा और हर गांव में जो जी.एस.एस. है, अगर हर मुख्यालय पर जी.एस.एस. भी खुल जायेगा तो हमारे कृषकों को या जो विधवा, वृद्धावस्था पेंशन है, या नरेगा के अन्तर्गत जो भी काम होता है, उसका अगर भुगतान होगा, हर मुख्यालय पर सहकारी बैंक खुलेगी तो उसका उनको फायदा मिलेगा और साथ-साथ ही गांव में महिला सैल्फ हैल्प ग्रुप बनाने का भी एक अच्छा निर्णय है। अगर यह ग्रुप हर पंचायत पर खुलेगा तो मैं समझता हूं कि उनको एक आसान तरीका मिलेगा पैसों का और स्वावलम्बी बनने का, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हर जिला मुख्यालय पर अगर इसकी योजना लागू कर दी जाये, तो महिलाओं को अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा।

साथ-साथ ही डेयरी की तरफ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डेयरी के लिये भी हमारे जिले में ही नहीं बल्कि पंचायत समिति स्तर पर दुग्ध संकलन की अगर व्यवस्था की जायेगी तो हमारे गांव के जो लोग हैं, जो सस्ते में दूध बेचते हैं, कम से कम दुग्ध संकलन का अगर कोई सहकारी समिति का जायेगा

(श्री हरिसिंह रावत)

तो मैं समझता हूं उसका पूरा उपयोग मिलेगा। इसकी व्यवस्था की जाये। मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

**श्री सभापति**: श्री शुभकरण चौधरी।

**श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी): माननीय सभापति महोदय, इस देश के गुलामी के समय से लेकर आज तक चाहे वह बादशाहों की सल्तनत रही हो, चाहे वह राजाओं का राज रहा हो और चाहे अंग्रेज शासकों का शासन रहा हो और चाहे प्रजातंत्र के बाद इस देश में एक समुदाय ऐसा है, जिसको हम गरीब कह सकते हैं, किसान कह सकते हैं, अल्पभोगी कर्मचारी कह सकते हैं। सभापति महोदय, ऐसी विडम्बना है कि इस समुदाय का स्तर आज तक उठ नहीं पाया है। मैं मानता हूं कि यहां बैठे लोग जिनमें चाहे अधिकारी हो, चाहे सदस्य हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं। 80 प्रतिशत लोग उस किसान वर्ग से आते तो हैं, बड़े-बड़े वादे भी वहां करके आते हैं, जायेंगे, आपकी किसान के खेती की बात करेंगे, जायेंगे, आपके बच्चों के भविष्य की बात करेंगे। आप हमें भेजिये, हम आपकी फसल की चिन्ता करेंगे, पशुओं की चिन्ता करेंगे। सभापति महोदय, बड़ी विडम्बना है और बड़े दु:ख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि यहां आने के बाद उस किसान के पशु की, उसकी फसल की, उसके खेत की, उसके खराबे की बात तो दूर, वह किसान, जो अपने आपको मिटाकर, अपनी हस्ती को खतम कर वहां फसल पैदा करता है, कई बार उससे राम रूठता है, कई बार उससे राज रूठता है। कभी बिजली नहीं मिलती, कभी पानी नहीं मिलता। विपरीत परिस्थितियों में वह अनाज पैदा करता है, अनाज पैदा करने के बाद हम लोग सही समय पर उसकी फसल की कीमत नहीं दिला पाते, सभापति महोदय, कैसी विडम्बना है। हम पड़ोसी देशों की बात तो करते हैं कि गुजरात में ऐसा होता है, मध्य प्रदेश में ऐसा होता है। हम आस्ट्रेलिया और इजरायल की बात भी करते तो हैं, पर उनका अनुसरण कितना करते हैं, सोचना इस बात के लिये है, विषय यह है आज चर्चा करने का। गुजरात का किसान आलू पैदा करता है, पड़ौस में फैक्टरी लगी है चिप्स बनाने की, क्या राजस्थान में ऐसा नहीं हो सकता? इजरायल का किसान खेती करता है तो बूंद-बूंद पानी से सींचकर उसकी फसल की कीमत मिलती है और अंडे जैसा देश, जो राजस्थान का मुकाबला नहीं कर सकता, वह इस दुनिया के नक्शे में विकसित देशों की गिनती में आता है। आस्ट्रेलिया पशु पालकर दुनिया में नाम कमाता है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं गौशाला खोलने की, संरक्षण करने की, पशु का इलाज कराने की, बीमा कराने की।

(श्री शुभकरण चौधरी)

सभापति महोदय, जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से, कि सहकारिता विभाग का गठन किसलिए किया गया था? गुलाम हिन्दुस्तान में सेठ-साहूकारों के द्वारा किसानों को लूटा-खसोटा गया। किसान अपनी बेटी की शादी करे तो धन्ना सेठ की जरूरत, बेटे को पढ़ने के लिये भेजे, फीस चाहिये तो किसी साहूकार की जरूरत। किसान अपने मां-बाप का दाह-संस्कार भी करे तो जमाना वह था सभापति महोदय, जब सेठ से, बोहरे से पैसा लेकर अपने मां-बाप का दाह-संस्कार करता था। मैं उस जमाने की बात करना चाहता हूं, मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने सहकारिता की बात सोची। सहकारिता का गठन हुआ। किस प्रकार धन्ना सेठों से किसान का पिण्ड छुड़ाया जाए, गरीब को कैसे इससे मुक्त कराया जाये। उस दिन सोच कोई भी आई थी सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं किताब में लिखी चार लाइनों के सिवाय अगर कोई चीज है तो आप मुझे बताएं। आज भी किसान उसी हालात में है। आज सहकारिता के गठन के बाद भी क्या किसान को उसका हक मिल पाता है? क्या उसकी फसल का मुआवजा मिलता है? क्या आज भी उसके साथ न्याय कर रहे हैं? हम उसके फसली ऋण की बात तो कर रहे हैं, हम फसल बीमा की बात तो कर रहे हैं, पर नियम क्या है, आपको बताना चाहता हूं। तहसील स्तर पर एक इकाई होगी। तहसील में 60 गांव होते हैं। मेरे गांव में भीषण अकाल पड़ा है और माननीय सदस्य के गांव में अगर जमाना हो गया तो तहसील की रीडिंग ली जाएगी। यहां तो बरसात 300 मि.मी. हुई है, मेरे गांव में चाहे एक बूंद नहीं गिरी हो, क्या न्याय है? क्या यह किसान के साथ न्याय है? मेरे खेत में एक बूंद भी पानी की गिरी नहीं। बरसात की एक बूंद हुई नहीं। मेरे खेत में एक दाना पैदा हुआ नहीं, पर न्याय यह किया जाएगा आपके तो तहसील स्तर पर मापक यंत्र कहता है पानी गिरा है, इसलिये आपको मुआवजा नहीं मिल सकता।

माननीय सभापति महोदय, मौसम आधारित मुआवजा, आपदा आधारित मुआवजा, सी.आर.एफ. की गाइड लाइन तो बना दी गयी, पर मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं क्या कोई गाइड लाइन ऐसी है जो किसान की फसल में ओला गिर गया, बर्फबारी हो गयी और पाला मार गया तो पैसा मिलता है। क्या वह आपदा नहीं है? अगर आपदा है तो हम कहां किसान के साथ न्याय करने जा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं। पड़ौसी देशों की बात तो करते हैं। जहां हमारी सरकारें जीरो प्रतिशत पर किसान को कर्ज देती है, क्या हम ऐसा कर पा रहे

(श्री शुभकरण चौधरी)

हैं? क्या हम फसली ऋण की व्यवस्था कर पा रहे हैं, क्या हम समय पर किसान, जो अपना पेट काट कर आज अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, अपने बच्चों की फीस भरना चाहता है, दो-दो महीने से चने की फसल की कीमत नहीं मिल पा रही, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हम उन किसानों से जो वादा करके आये थे, क्या उस पर हम पूरा उतर पा रहे हैं? क्या हम उसके साथ न्याय कर पा रहे हैं? सहकारिता का गठन जिस बात के लिए किया गया था क्या उस पर खरा उतर पा रहे हैं? मैं समझता हूं कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।

मैं इतना जानना चाहता हूं और, सभापति महोदय, मंत्री महोदय को आपके माध्यम से अपना सुझाव भी बताना चाहता हूं कि एक बार किसानों की सुनने के लिए सहकारिता का जो गठन किया गया, एक समिति बनायी गयी जिसको कहा गया अल्पकालीन ऋण दीजिए, एक दूसरी समिति का गठन किया गया कि आप दीर्घकालीन ऋण दीजिए। दो समितियां बनायीं, एक का नाम लिख रखा है केन्द्रीय सहकारी बैंक, दूसरी भूमि विकास बैंक। दोनों ने अपना काम शुरू किया, जब उन्होंने अपना काम शुरू किया और किसान को फसली ऋण देने की बात आयी, उसमें भी दोगला व्यवहार किया गया, एक बैंक दे पायेगी दूसरी नहीं दे पायेगी। और, सभापति महोदय, उसके बाद देखिये, कोई भी चीज किसी से गवर्न नहीं नहीं होती पर यह बेचारा, गरीब किसान, मजदूर को जब पैसे देने की बात आती है तो नाबार्ड का सवाल खड़ा हो जाता है। क्या नाबार्ड मात्र किसानों के लिए है? क्या उन धन्ना सेठों के लिए नाबार्ड नहीं जिनकी फैक्ट्रियों में हम लोन देते हैं?

और तो और, कैसी विडम्बना है, मैं किसी और विभाग की बात करना तो नहीं चाहता था पर आज सुबह जब एक किसान जिसका रकबा मात्र सात बीघा है, उस किसान के सात बीघा के ट्यूबवैल की वी.सी.आर. जब मेरे सामने एक लाख 70 हजार की आयी, सभापति महोदय, अन्दर खून खौलता है और आंखों में आंसू आते हैं। खून के आंसू रोना पड़ता है। एक व्यक्ति फैक्ट्री चलाता है, उसके खेत के पड़ौस में एक थ्रेशर है जो रात-दिन अवैध चल रहा है, एक नये पैसे की वी.सी.आर. भरने की किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है और उस गरीब किसान की वी.सी.आर. एक लाख 70 हजार रुपया। क्या हम यही न्याय कर रहे हैं? क्या इसी का नाम किसान को सहायता देना है या प्रजातंत्र है?

(श्री शुभकरण चौधरी)

सभापति महोदय, किसानों के बेटे हैं अगर किसानों के साथ न्याय करना चाह रहे हैं तो इन चीजों पर अंकुश लगना चाहिए, किसान को फसली ऋण में सहायता मिलनी चाहिए। किसान को उसकी फसल का समय पर मुआवजा मिलना चाहिए। किसान को मुआवजा तो कोई बात नहीं, नहीं दे पाये पर उसके गाढ़े खून पसीने की कमाई से पैदा किये हुए चने की कीमत दो महीने बाद देंगे, यह न्याय है?

उन बैंकों के माध्यम से भी बताना चाहता हूं, मंत्री महोदय, अगर वाकई आप उनका उत्थान करना चाहते हो तो उन बैंकों में आपने यह तो तय कर दिया कि जो कोई लोग समय पर लोन नहीं चुकाते उनकी मदद करिए, उनका ब्याज माफ करिए पर वो लोग, जो ईमानदारी से जीना चाहते हैं उनको हम कोई फायदा नहीं देना चाहते। क्या यही न्याय है? क्या हम यह सिखाने जा रहे हैं कि आप अन्याय करिए, बैंकों का पैसा खाइये, लूटिये, समय पर मत दीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे? यह बताने जा रहे हैं। सभापति महोदय, इतना अनुभव इसलिए है कि पिछले चार साल में मैं सहकारिता से जुड़ा हूं। मैं झुन्झुनूं जिले की भूमि विकास बैंक का चेयरमैन आज भी हूं।

विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस की सरकार के सामने हमने इसी बात को उठाया कि आप लोग क्या कर रहे हैं? किसान हमको चुन कर भेजता है उनके बैंकों की अध्यक्षता करने के लिए, उनके बैंकों की रखवाली करने के लिए और आपने नियम बना दिया कि हमारा एम.डी. लोन बांटेगा, सैक्रेटरी लोन बांटेगा। हमने कहा नहीं, यह बात नहीं मानते। सभापति महोदय, कांग्रेस की सरकार के समय विपरीत परिस्थितियों में हमने इस लोन को पहली बार जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से बांटने का रास्ता निकलवाया।

इस बात का फैसला तो हो गया, हमारी सरकार भी उस बात को जारी रखे हुए है, धन्यवाद की पात्र है पर क्या हम इस बात का न्याय कर पा रहे हैं कि एक व्यक्ति से हम बार-बार समय पर पैसा ला रहे हैं उसको तो हम कुछ नहीं दे पा रहे और जो लोग हमारे साथ चीटिंग करते हैं, हमारा पैसा नहीं चुकाते उनको हम फायदा देते हैं, क्या यह न्याय की बात है?

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय,

(श्री कालू लाल गुर्जर)
मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय तीन घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

**श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी): मैं समझा आप मेरे को बोलने के लिए मना करोगे।

**श्री सभापति**: प्रश्न यह है कि सदन का समय तीन घंटे के लिए और बढ़ाया जाए?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय तीन घंटे के लिए बढ़ाया गया।

इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी सदस्य बहुत ज्यादा बोलें क्योंकि लम्बा काफी है।

## अनुदान की मांग

## मांग संख्या 36, 37 व 39 पर विचार

**श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, आपको अच्छा लगे तो बोलूंगा, आपको बुरा लगेगा तो बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदय, सौर ऊर्जा की बहुत जोर शोर से चर्चा की गयी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए, बिजली का उत्पादन कम है, कई बार दिक्कतें आती हैं पर मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आपने सहकारिता विभाग में उस सौर ऊर्जा का ऋण देने का कोई प्रावधान किया? क्या किसानों के बैंकों को इस बात के लिए अधिकृत किया, क्या आपने कोई ऐसी योजना बनायी कि इन को-आपरेटिव बैंकों के माध्यम से भी सौर ऊर्जा पर ऋण मिलना चाहिए? मैं कहता हूं, नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं किया क्योंकि हमने बार-बार निवेदन किया उसके बाद भी ऐसा नहीं हो पाया।

क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी की चर्चा करना चाहता हूं। सारे के सारे राष्ट्रीय बैंक क्रेडिट लिमिट फैसेलिटी देते हैं पर को-आपरेटिव बैंक जो किसान की बैंक है, जहां हमें चुन कर जनता ने भेजा है कि आप हमारे हितों की रक्षा करना, हम वहां किसान को क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे सकते, ऐसा क्यों? एक तरफ तो हम सहकारिता को बढ़ावा देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ लगातार किसान की बैंक पर अंकुश लगाये जा रहे हैं, कौनसी न्याय की बात है?

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए। सहकारिता को वाकई बढ़ाना

(श्री शुभकरण चौधरी)

चाहते हैं तो बैजनाथ कमेटी का गठन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था उसको पूरा कीजिए और वहां सौर ऊर्जा पर ऋण देने की व्यवस्था कीजिए, किसानों के फसली ऋण को भी माफ करने की कोशिश कीजिए। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं उनको प्रोत्साहित करने की व्यवस्था कीजिए।

छोटी-छोटी चीजें हैं, किसान के बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल के लिए जमीन देते हैं, अस्पताल के लिए जमीन देते हैं, आप राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए भी कई बार व्यवस्थाएं करते हैं पर किसान की जो बैंक हैं, जो सी.सी.बी. और पी.एल.डी.बी. के नाम से जानी जाती हैं उन्हें ब्रांच बनाने के लिए, बैंक बनाने के लिए जमीन क्यों नहीं? उन्हें भी आप जमीन दीजिए क्योंकि जमीन पहले सरकार की है, सरकार के बाद किसान की है और किसान के बैंक के लिए जमीन नहीं मिले, यह न्याय की बात नहीं है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन बैंकों के लिए फ्री जमीन दिलाने के लिए भी आप व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब सहकारिता का गठन इसी उद्देश्य के लिए हुआ था और वो उद्देश्य ही पूरा नहीं हो रहा तो फिर इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि अब हो गयी है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए, आग न हो, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आग मेरे सीने में ना लगी तो ना सही, आपके सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, दोस्तों, हे किसान के पुत्रों, मैं चाहता हूं कि राजस्थान के किसान की तस्वीर बदलनी चाहिए। आप ऐसा करोगे तो मैं समझूंगा कि मैं भी एक बार इस विधान सभा में किसान का बेटा बनकर, चुनकर, यहां किसानों के वोट लेकर आया था।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मेरे सामने जो मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं वो भी किसान के पुत्र हैं, इस सहभागिता को अगर आपने ईमानदारी के साथ उठा लिया तो मैं समझूंगा कि हमने राजस्थान के किसानों के साथ न्याय किया है।

सभापति महोदय, दूसरा प्रस्ताव है कृषि का।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): आग निकलने के बाद भी और आगे है?

**श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी): अभी तो सहकारिता पूरी हुई है, मैंने पहले ही निवेदन किया कि आप जब भी कहोगे, मत बोलो, उसी वक्त बैठ जाऊंगा।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): आग तो अंतिम होती है।

**श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय ने अभी मुझे समय दे रखा है, सचेतक महोदय।

मेरा दूसरा विषय है कृषि का। सभापति महोदय, प्रभु लालजी मंत्री पद को उस टाइम भी सुशोभित कर रहे थे जब मैं मण्डी का चेयरमैन हुआ करता था। बड़ी विडम्बना एक दिन आयी, सभापति महोदय, एक प्रश्न आया कि खेजड़ी के पेड़ से अगर कोई किसान गिरता है तो उसको कृषि कार्य नहीं माना जायेगा। (व्यवधान) मंत्री महोदय, मैं आपके सामने ही आ रहा हूं।

पहली बार मुझे इस बात का दुख हुआ। जो खेजड़ी किसान की मां है, इसकी वजह से किसान पैदा होता है और मैं तो अपनी व्यथा बताना चाहता हूं। मेरी तो बहन की शादी खेजड़ी की वजह से हुई मैं तो पढ़ाई उसकी वजह से कर पाया क्योंकि, सभापति महोदय, खेजड़ी एक ऐसा पेड़ है किसान के खेत में जिसको साल में दो बार काटते हैं, बकरियां उससे पालते हैं, ऊंट उससे पालते हैं, बहन-बेटी की शादी चार पेड़ काटकर कर देते हैं। उस टाइम यह बात आयी थी कि बबूल के पेड़ को कृषि माना जाए और खेजड़ी के पेड़ को कृषि नहीं माना जाए। मैंने हमारे मंत्री महोदय से निवेदन किया, समझाया तो इन्होंने इस बात को माना, धन्यवाद के पात्र हैं उस जमाने से ही। पर वो बात तो चलती आयी, किसान को जो 50 हजार की जगह लाख रुपया भी मिलने लगा पर मुझ से पूर्व एक सदस्य ने भी एक बात उठायी थी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बहुत गम्भीर विषय है, सभापति महोदय, कि एक किसान सुदूर में बैठा, अंतिम छोर पर बैठा, मुख्यालय से डेढ़ सौ किलोमीटर दूर उसको सांप काट जाए और उस व्यक्ति को लाख रुपया लेने के लिए मुख्यालय पर आना पड़ेगा, पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। किसान को सांप काट गया, इस बात को साबित करने के लिए उसे एफ.आई.आर. लाज करनी पड़ेगी। यह किसान के साथ अन्याय है। इसमें कुछ न कुछ सरलीकरण होना चाहिए। किसान के साथ कैसी भी विडम्बना होती है तो उसको पैसा मिलना चाहिए। हम देते क्या हैं? लोग इन्श्योरेंस कराते हैं, सभापति महोदय, पढ़े-लिखे धन्ना सेठ लाखों-करोड़ों रुपये भी बीमा का लेते हैं, वो गरीब किसान आपसे मात्र एक लाख रुपया मांगता है और अपना स्वाभिमान मांगता है कि मेरे को डेढ़ सौ किलोमीटर

(श्री शुभकरण चौधरी)

मेरी लाश को जनाजा मत निकलवाओ, मैं आपसे लाख रुपये मांगना चाहता हूं, मेरे बच्चे अपना पेट पालना चाहते हैं। मैं आपसे लाख रुपये मांगना चाहता हूं। मेरे बच्चे अपना पेट पालना चाहते हैं, मेरी बेटी अपनी फीस भरना चाहती है इसलिए आप मुझे एक लाख रुपये मरने के बाद तो दे दो। इसमें कोई न कोई सरलीकरण होना चाहिए ताकि उस किसान को उसके स्वाभिमान के साथ लाख रुपये मिल जायें।

**(17.00 बजे)**

**श्री सभापति**: आप सुझाव दीजिये ना कि क्या करना चाहिए।

**श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, यह करना चाहिए कि वह किसान जहां भी है सरकारी मुलाजिम उस गांव में होते हैं, अध्यापक होता है, पटवारी होता है, गिरदावर होता है, उस गांव का सरपंच होता है, आपका चुना हुआ जन-प्रतिनिधि होता है। उनकी एक कमेटी बनाई जाये और इस बात को वहीं सिद्ध करवाया जाये कि किसान सांप काटने से मरा है। उसको पैसा मिलना चाहिए वहीं अंत्येष्टि होने के बाद। मेरा सुझाव यह है।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इंसान की कीमत लाख रुपया है। लेकिन विडम्बना देखिये कि एक किसान का बेटा आपके सामने निवेदन कर रहा है कि आज मेरी भैंस, मेरे ऊंट की कीमत भी एक लाख रुपये से ऊपर है। खड़े-खड़े ऊंट मर जाता है किसान का, लगता है कि उसका बेटा मर गया। क्योंकि बेटा मर जाता है तो भी लाख रुपये मिलते। खेती का काम करते हुए ऊंट मर गया लाख रुपया गया। वह ऊंट उसने बड़ी आशाओं के साथ खरीदा था। गांव में बारात में किसी बींद को बैठाऊंगा, किसी दूल्हे को बैठाऊंगा। गांव में कोई ऊंट गाड़ी चलाऊंगा, पानी लेकर आऊंगा। खेती करूंगा, कमाई करूंगा, इससे बेटी की शादी कर लूंगा, वह ऊंट रात को मर गया। सुबह किसान का सर्वनाश हो जाता है, कुछ भी सामने दिखता नहीं, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है।

सभापति महोदय, ऐसी कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है कि उस किसान के ऊंट का मुआवजा दिया जाए। मात्र व्यवस्था यह है कि वह तहसील में जाए, मेरे पशु का नुकसान हो गया, रुपये मिलते हैं 1500, इस पर भी कृषि मंत्री महोदय को कोई विचार करना चाहिए। किसान का इतना महंगा जानवर भैंस, ऊंट, घोड़ी मर जाती है तो उसमें कोई न कोई पैसा मिलने का प्रावधान

(श्री शुभकरण चौधरी)

कृषि विभाग में हो। यह सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं। बंद करूं, अभी एक टापिक और रह गया।

**श्री सभापति**: अभी आप कनक्लूड कर दो। नहीं तो बाकी लोग कनक्लूड हो जायेंगे।

**श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि 'मर जाऊं मांगू नहीं अपने हित के काज, परमार्थ के कारण मोहे ना आवे लाज' तो किसानों के लिए मांगने आया हूं। समय दोगे तो कुछ मांगूंगा। नहीं दोगे तो बैठ जाऊंगा। मैं तो आपका सेवक हूं। आपके कहने के ऊपर कुछ नहीं बोल सकता।

**श्री सभापति**: दो मिनट में आप समअप कर दीजिये।

**श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी): मेरे खुद के क्षेत्र के किसानों ने जिन्होंने मुझे भेजा है उनकी बात कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, मेरी तीनों विभागों की 5-5 डिमांड 2-2 मिनट में पढ़ दूंगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सहकारी समिति खुले। उदयपुर वाटी में भूमि विकास बैंक की स्थापना हो। कृषि मजदूर, गैर कृषक ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारिता के माध्यम से ऋण व आर्थिक सहायता उपलब्ध हो। महिलाओं के लिए सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुटीर उद्योग, हस्तकरघा और अल्प बचत जैसी योजनाएं शुरू हों। किसानों को ब्याज, अनुदान और ऋण आदि पर दी जाने वाली छूट सीधी ही किसान के खाते में जमा की जानी चाहिए और उसको ब्याज मुक्त किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-37 कृषि, कृषि कनेक्शनों के लिए मंदिर माफी, वक्फ बोर्ड आदि की भूमि पर कृषि कनेक्शनों के लिए देवस्थान विभाग व वक्फ बोर्ड के सदस्यों, उपखण्ड अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र की बाध्यता को समाप्त कर आम कृषि कनेक्शनों की तर्ज पर ही विद्युत कनेक्शन जारी होने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर वाटी के गुढागौड़जी में कृषि उपज मण्डी की स्थापना होनी चाहिए। गुढागौड़जी में सहायक निदेशक, कृषि विस्तार का कार्यालय खोलकर किसानों को हार्टिकल्चर और आर्गेनिक, जैविक खेती हेतु अनुसंधान, प्रशिक्षण आदि की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। किसान को ब्याज, अनुदान व ऋण आदि पर दी जाने वाली छूट सीधी किसान के खाते में जमा कर ब्याज मुक्त होनी चाहिए।

(श्री शुभकरण चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, झुंझुनूं जिला मुख्यालय पर बनी मिट्‌टी परीक्षण प्रयोगशाला मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उसको जल्दी ही शुरू करवायें। वह भवन बनकर तैयार पड़ा है। किसान को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं गुजरात में चिप्स की बात कर रहा था, मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में चिराना, दीपपुरा, ककराना ऐसे गांव हैं जहां हजारों लोग अचार के व्यवसाय में लगे हैं। अगर उनको आप अनुदान दें और कोई लाइसैंस देकर रजिस्टर्ड व्यवसाय करने के लिए अधिकृत कर दें तो वह किसान सम्पन्न हो सकता है। लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपये साल के कमा सकता है। आज हम इंस्पैक्टरों से डरे हुए हैं, आपके लाइसैंसों से डरे हुए हैं। आप अगर हमें अधिकृत कर देंगे तो उस क्षेत्र के हजारों किसानों को सम्पन्न बनाने में मैं उनका सहयोग कर पाऊंगा।

माननीय सभापति महोदय, अब मेरी मांग संख्या 39, अंतिम बची है। मैं पशुपालन और चिकित्सा विभाग के बारे में ज्यादा बोल तो नहीं पाया लेकिन मैंने पशु की चिंता जरूर की। इसमें अपनी मांगों के सम्बन्ध में इतना निवेदन करूंगा कि सड़क दुर्घटना व अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए टोंक जिले में प्रारम्भ की गई फोन काल आधारित एम्बुलेंस सेवा हमारे यहां भी तो शुरू करिये मंत्री महोदय।

माननीय सभापति महोदय, किशोरपुरा, चंवरा, बामलास, मनकसाद, छऊ में पशु चिकित्सा और बालाजी स्टैंड में पशु चिकित्सालय खुलवायें। पशुओं में गर्भाधान व अन्य कई टीकों को कम तापमान में फ्रिज में रखना पड़ता है। मगर पशु अस्पतालों में फ्रिज की व्यवस्था न होने के कारण इन टीकों की उपयोगिता खतम हो जाती है। अत: सरकार द्वारा प्रत्येक अस्पताल को फ्रिज की आपूर्ति की जाये। पशुओं के लिए दी जा रही नि:शुल्क दवाएं भी बिना उपयोग के एक्सपायर हो रही हैं। इनकी आपूर्ति डिमांड के अनुसार ही की जाये तथा दवाओं की डिमांड सम्बन्धित चिकित्सक से 3 माह पूर्व ही ले लेनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि जितने भी वेटेनरी के डाक्टर्स हैं, मंत्री महोदय ने पिछली बार जब हमारे यहां बीमारी हुई थी तो बहुत मदद की थी, लेकिन बिना फीस लिए और बिना अपना पैसा

(श्री शुभकरण चौधरी)

वसूल किये वह जाते नहीं हैं। जबकि नि:शुल्क होना चाहिए। वह कहते हैं कि हम तो हमारी मोटर साइकिल लेकर जाते हैं क्योंकि दूर-दूर इनके चिकित्सालय हैं। उनकी भी कोई ऐसी व्यवस्था की जाये ताकि किसान को फायदा मिले।

माननीय सभापति महोदय, उदयपुरवाटी में दवा वितरण हेतु नोडल अधिकारी को मानिटरिंग के लिए एक्सपर्ट फार्मेसिस्ट दिये जाने चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार दवाओं का वितरण हो सके। कृत्रिम गर्भाधान व रोग निरोधी टीकाकरण नि:शुल्क करें। पशुपालकों को बकरी आदि के पालन हेतु जिले में 25 पशुपालकों को ऋण व अनुदान दिया जा रहा है। जिसके चलते मेरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र 1 या 2 पशुपालक को इसकी सुविधा मिल पाती है। अत: इस सीमा को हटाकर आवश्यकतानुसार पशुपालकों को ऋण व अनुदान दिया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, बस अब एक ही बात और कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, 'इंसाफ जब जालिमों की हिमायत में जाएगा, ऐसा होगा तो अदालत में कौन जाएगा। दस्तर नोच-नोच कर खा चुके हैं लोग किसान का, अब यह सिर बचा है यह भी शर्म से कट जायेगा'।

**श्री सभापति**: श्री मानसिंह किनसरिया।

**श्री मानसिंह किनसरिया** (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2014-15 के लिए अनुदान की मांग संख्या 39 के क्रम में निवेदन है कि पशु जो कि इस प्राकृतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, मनुष्य जीवन इस पर निर्भर है और यह भी मनुष्य जीवन पर निर्भर है। इनकी व्यवस्था के लिए हम सभी को मिलकर चिंता करनी होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय वसुंधराजी का जिन्होंने गौ वंश के संरक्षण, संवर्धन के लिए इस बजट में 300 करोड़ का प्रावधान रखते हुए एक मंत्रालय की स्थापना की है। जिससे निश्चय ही राजस्थान में पशुधन, गौ वंश के संवर्धन और संरक्षण के लिए गौ पालकों और पशुपालकों को महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। जिससे वह अपने पशुधन की रक्षा भी कर सकेंगे और आगे संवर्धन करके उसको बढ़ा भी सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इस मंत्रालय में पशुधन नस्ल सुरक्षा और सुधार के लिए जो कार्य होंगे, मैं विशेषकर नागौर के नागौरी बैल और नागौरी नस्ल के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नागौर में जो नागौरी नस्ल है, वह एशिया में विख्यात है। इस नस्ल का परबतसर में जब मेला भरता था तो पूरे एशिया से व्यापारी, पशुपालक आते थे और अपने पशुओं का क्रय-विक्रय

(श्री मानसिंह किनसरिया)

कर एक-दूसरे के क्षेत्र में, एक दूसरे देश में ले जाकर उसका कृषि कार्य के लिए उपयोग करते थे।

माननीय सभापति महोदय, परबतसर के मेले की जो दशा है, उसके बारे में भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो मेला एशिया में विख्यात था, आज उसकी बहुत दुर्दशा हो चुकी है। इस मेले में सन 1965-70 के आसपास में एक से डेढ़ लाख के आसपास पशु आते थे और आज उस मेले की ऐसी दुर्दशा है कि गत वर्ष 10,891 पशु ही वहां आये। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना होगा कि जो नागौरी नस्ल है, जो परबतसर का मेला है, इसके लिए सरकार द्वारा वहां उचित व्यवस्था ऐसी की जाये कि नागौरी नस्ल का भी सुधार हो और मेले में आने वाले पशुपालकों को सुविधाएं दें जिससे कि उस मेले का वापिस गौरव स्थापित हो।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि ऊंट को भी राजस्थान सरकार ने राज्य पशु घोषित किया है परन्तु पशुपालकों को उसके बारे में थोड़ी सी तकलीफ है, परेशानी है कि जो राज्य से बाहर ऊंट को ले जाने की व्यवस्था है वह व्यवस्थित की जाये जिससे कि पशुपालकों को अपने पशु धन को बाहर से जो व्यापारी आते हैं पशुपालक आते हैं वह ले जाना चाहते हैं उससे उनको तकलीफ नहीं हो। मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें स्थिति स्पष्ट करके जो उसमें पेपर फोर्मेलिटी है उसको व्यवस्थित किया जाये जिससे कि वह उनकी आगे खरीद फरोख्त में ठीक प्रकार से कार्य कर सके।

मेरा आपसे निवेदन है कि जो पूरे राजस्थान प्रदेश में मेले भरते हैं, परबतसर ही नहीं पूरे प्रदेश में मेलों में जो व्यवस्था करेंगे, ठीक व्यवस्था करेंगे तो इसी से ही पशुपालकों को मोरल सपोर्ट मिलेगा, पशुपालकों को हिम्मत मिलेगी। उनमें ढंग से व्यवस्था की जाये, उनके विकास के लिए अच्छी व्यवस्था के साथ में मेले भरवाये जाएं। सरकारी मशीनरी उसमें ठीक से काम करे तो निश्चय ही पशुपालकों को उसमें सहायता मिलेगी और पशुधन का विकास भी होगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे परबतसर विधान सभा क्षेत्र में पशुपालक जिसमें ज्यादातर गुर्जर और राइका आदि के जो पशुधन का व्यवसाय करते हैं, उनकी एक विकट समस्या है और इस विकट समस्या के चलते वह अपना व्यवसाय भी बंद करने की सोच रहे हैं। ऐसी तकलीफ इसलिए है कि वह अपने पशुधन को बाहर दूसरे जिलों में लेकर जाते हैं चारे

(श्री मानसिंह किनसरिया)

की कमी की वजह से, वहां खेतों में दूसरे किसानों से पूरे खेत की जो पेड़ों की छांगने की, काटने की व्यवस्था करते हैं, उससे पशुधन का निर्वहन करवाते हैं लेकिन बाहर परदेस होने की वजह से आपके जिले में शाहपुरा और कोटपूतली के आसपास में आम शिकायत आ रही है कि वहां रात को जो पशुधन डकैत हैं वह आते हैं, पशुपालकों को बांध देते हैं और उन पशुओं को एक साथ पूरा ट्रकों में भरकर ले जाते हैं। ऐसी एक आम समस्या पिछले पांच-दस साल से आ रही है, विशेषकर मेरे परबतसर विधान सभा क्षेत्र से कम से कम हजारों पशु इन चार-पांच सालों के अन्दर ये डकैत ले जा चुके हैं लेकिन उन पर प्रशासन की कोई विशेष व्यवस्था, कोई सपोर्ट करना उनकी मदद करना, हो नहीं पा रहा है। यहां तक भी है कि प्रशासन द्वारा कहा जाता है कि हम वापस रिकवर क्या करेंगे? क्योंकि डकैत तो उन पशुओं को मार देते हैं, बेच देते हैं, खा जाते हैं तो उनके रिकवर करने का भी नहीं है। यदि वे पकड़े जाते हैं तो सजा भी नहीं होती है। उनको पकड़ने का प्रतिशत है मुश्किल से दस-बीस प्रतिशत यह डकैती चोरी के लोग पकड़े गये हैं।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है सरकार से इन पशुपालकों को मदद मिले और मदद ऐसी मिले कि उनके ऊपर उचित कार्यवाही हो, ऐसा कोई कानून बने कि जो पशु वह ले गये उनका पैसा वापस उनको मिले और उनकी रिकवरी हो, यदि रिकवरी नहीं हो तो सरकार उनको मुआवजा दे। चोरी का पशुपालकों को मुआवजा दे और साथ में जो रोड क्रोस करते समय, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बार प्राकृतिक आपदा के चलते एक साथ सैकड़ों पशु मारे जाते हैं, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उनको भी उचित मुआवजा मिले। जैसाकि अभी माननीय सदस्य, शुभकरणजी ने बता दिया कि पन्द्रह सौ रुपये दे दिये, पांच सौ रुपये दे दिये, हजार रुपये दे दिये लेकिन इसमें जहां पचास-पचास हजार रुपये के जानवर होते हैं। भेड़ें हैं, कम से कम दस पन्द्रह हजार की एक भेड़ होती है, एक साथ सौ भेड़ चली गई तो पशुपालक के तो डेढ़-दो लाख का नुकसान हो जाता है। उससे पशुपालक की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह वापस उठ नहीं पाता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में गुर्जर और राइका जाति पूरी इसी धंधे पर डिपेंड है। अगर उनका धंधा चला गया तो उनका सब कुछ चला गया, उनका पूरा परिवार ही नष्ट हो जाता है, इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको उचित मुआवजा मिले।

माननीय सभापति महोदय, मेरे परबतसर विधान सभा क्षेत्र में पशु

(श्री मानसिंह किनसरिया)

धन और पशुपालकों की संख्या को देखते हुए चिकित्सा की सम्पूर्ण व्यवस्था करवाई जाये। मेरे यहां वैसे तो सभी पंचायत मुख्यालयों पर पशु धन चिकित्सालय खोल दिये जाएं तो उचित होगा फिर भी अभी मुख्य रूप से बागोट, पीलवा, किनसरिया, मंगलाना ऐसी पंचायतें हैं जहां बहुत ज्यादा पशुधन है और उन पशुपालकों को काफी तकलीफ भी है तो इन जगहों पर जल्दी से जल्दी यह पशु चिकित्सालय खोले जायें जिससे पशुधन को, पशुपालकों को फायदा मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री गोरधनजी।

**श्री गोरधन** (धोद): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मांग संख्या 36, 37 और 39 पर बोलना चाहूंगा। भारत देश कृषि प्रधान देश है और मैं सोचता हूं कि भारत की विकास दर में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं सोचता हूं कि कृषि पर अपन जितना ध्यान दें, उतना ही कम है और इसके विकास पर ध्यान अधिक देना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मेरी ही बात कहना चाहूंगा कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से जीत कर आया हूं धोद वह कामरेडों का गढ़ है, लगातार वहां पर सीपीएम 20 साल से रही है। माननीय सभापति महोदय, रबी की फासल में फरवरी माह में जब ओलावृष्टि हुई थी उस ओलावृष्टि में पूरे राजस्थान में जहां भी नुकसान हुआ वहां पर किसानों को मुआवजा दिया गया लेकिन विधान सभा क्षेत्र धोद में जिसमें चना, जौ, सरसों व गेहूं की फसल विशेष रूप से नुकसान हुआ था और उस क्षेत्र में लगभग दो दर्जन गांव उस ओलावृष्टि की चपेट में आये थे और उन गांवों में कासली, रामपुरा, संतोषपुरा, पुरा छोटी, पुरा बड़ी, नागवा नेतड़वास, रामबक्सपुरा, सोमोलाई बालाजी, ओला की ढाणी, भुवाला, धोद, पेवा, लाडवा, भानीपुरा, गनाठू, खुड़दी, फतेहपुरा, जेरठी, अजीतपुरा और गोठड़ा भूकरान तथा अन्य कई गांव ऐसे थे जो ओलावृष्टि से प्रभावित हुए थे।

माननीय सभापति महोदय, शायद यह हो सकता है कि मुआवजा देने के लिए ग्राम पंचायत को या गांव को उसका आधार बनाया जाता है। मेरा इसमें यह निवेदन है कृषि मंत्रीजी से कि इसमें हमें एक खेत को इकाई बनाना चाहिए क्योंकि आजकल जो बारिश होती है या ओलावृष्टि होती है उसमें यह देखने को मिलता है कि पांच-दस खेत उसकी चपेट में आ जाते हैं और बाकी का बच जाता है इसलिए जिनके खेतों का नुकसान होता है, जिन किसानों को

(श्री गोरधन)

फसल का नुकसान होता है, उनको मुआवजा देने के लिए एक खेत को इकाई मानकर हमको चलना चाहिए, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा। उसके बाद माननीय सभापति महोदय, अभी पिछले दो महीने पहले, मई माह में फिर ओलावृष्टि हुई थी और उस ओलावृष्टि में यही गांव प्रभावित हुए थे और इन खेतों में और इन किसानों के द्वारा वहां पर तरबूज की खेती हमारे वहां होती है जिसमें नई तकनीक के द्वारा ब्लीचिंग लगाकर बूंद-बूंद सिंचाई से वहां पर तरबूज, ककड़ी, टिण्डा और मिर्च की फसलें विशेषकर पैदा की जाती हैं। तरबूज जो अभी रमजान के माह में तैयार होता है वहां से काफी मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो उस समय ओलावृष्टि में वह जब बीज अंकुरित हो रहा था और कुछ लगे हुए थे तरबूज तो वह दोनों ही तरह की फसलें नष्ट हो गई थीं तो मेरा निवेदन यह है कि इसमें किसानों को उचित मुआवजा दिया जाये क्योंकि किसान के लिए खेती ही एकमात्र माध्यम होता है। और यदि उसकी खेती ही नष्ट हो गई तो फिर वह अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, अपना मकान कैसे बनाएगा और अपने बच्चों की शादी कैसे करेगा। इसलिए उनको मुआवजा दिलाया जाय।

मेरा इसमें दूसरा निवेदन यह है कि जैसे बीपीएल में कोई किसान आ गया या कोई कमजोर है, बी पी एल में किसान आने पर उसको कुछ राशि सरकार द्वारा चाहे मकान बनाने के लिए हो या बच्ची की शादी करने के लिए हो उसमें दी जाती है। लेकिन मेरा इसमें निवेदन यह भी है कि जो किसान गरीब है या जिसकी फसल नष्ट हो गई तो उस साल में कुछ आर्थिक सहयोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या अपना मकान बनाने के लिए या बच्ची की शादी करने के लिए सरकार की ओर से दिया जाय तो मैं समझता हूं कि किसान का भला होगा।

विधान सभा क्षेत्र धोद में वैसे कई पशु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बने हुए हैं फिर भी मेरा निवेदन है कि जिन ग्राम पंचायतों में जहां पर कम्पाउंडर या डाक्टर एक भी नहीं बैठता है ऐसी ग्राम पंचायतों में चाहे कम्पाउंडर बैठे या एक डाक्टर बैठे, उसकी व्यवस्था की जाय तो मैं समझता हूं पशुओं के लिए और किसानों के लिए अच्छा रहेगा।

दूसरा मेरा निवेदन सहकारिता के लिए है, क्योंकि यह बहुत बड़ा क्षेत्र है और किसानों को उसमें डेढ़ लाख रुपये दिये जाते हैं उस राशि को 5 लाख किया जाय क्योंकि यह देखने को मिलता है कि सहकारी बैंक से जब ऋण

(श्री गोरधन)

दिया जाता है तो अन्य किसी दूसरी बैंक से उसमें ऋण नहीं लिया जा सकता। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस राशि को 5 लाख तक बढ़ाया जाय तो यह किसानों के हित में होगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो तीनों विभाग हैं जिनकी आज मांग रखी है, चाहे सहकारिता हो, कृषि हो, ये ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनसे पूरे भारत के गांवों का विकास होता है तो इन डिपार्टमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाय और सरकार की ओर से किसानों को विशेषकर इस योजना में शामिल किया जाए जिससे किसानों का भला हो। मैं ज्यादा कुछ न कहकर यही कहना चाहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में हमें बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए। पुन: धन्यवाद, जयहिन्द, वन्दे मातरम।

**श्री सभापति**: श्री शैतान सिंहजी।

**श्री शैतानसिंह** (पोकरण): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 36, 37 और 39 पर मुझे बोलने का जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। मांग संख्या 36 में सहकारिता के लिए मैं आपकी मार्फत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने नये जीएसएस के प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेजे हैं उनकी एमसीएल पास की जाए, लोग बार-बार मांग कर रहे हैं।

दूसरा, अभी उदयपुरवाटी के विधायक महोदय ने बात रखी थी कि जो लोग समय पर ऋण जमा करा देते हैं उनको वापस समय पर ऋण मिलता नहीं है। अमूमन जो डिफाल्टर जीएसएस हैं उनमें भुगतान दे दिया जाता है और समय पर पैसे जमा कर देते हैं, लोगों ने मार्च में पैसे जमा किये हैं। अभी मैं बाहर बैठा था तो शिव क्षेत्र से लोग आये थे वह कह रहे थे कि हमने मार्च में पैसे जमा किये, लेकिन आज तक वापस लोन नहीं दिया। जो मार्च में पैसा जमा कर देते हैं उनको जुलाई से पहले लोन मिलना चाहिए। वह डिफाल्टर नहीं है, उनको तो लोन मिलता नहीं है और जो लोग इस काम में डिफाल्टर हैं वे पैसे ले लेते हैं कैसी विडम्बना है। इसमें पारदर्शिता रखी जाय। वहां उन लोगों के पैसे जमा किये जाते हैं जो पैसे वापस देते नहीं है, जिनकी नीयत में खोट होती है। जो समय पर अपना पैसा जमा करता है उनको वापस अपनी किश्तें समय पर दी जाय। यह विशेषकर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और ये सूचियां सरकार को लेनी चाहिए। जो ऐसा काम करते हैं उनके लिए विशेष ध्यान देना चाहिए।

मैं कृषि के बारे में मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। मंत्रीजी अभी उपस्थित नहीं हैं। अभी उदयपुरवाटी के माननीय विधायक ने मांग की थी कि

(श्री शैतानसिंह)

अपने से पूर्ववर्ती गवर्नमेंट में किसानों को जो फसली बीमा दिया जाता था वह पहले भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट तो फसल के आधार पर उनको बीमा देती थी और उसमें मेरे क्षेत्र से मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में शायद ही ऐसा कोई किसान होगा जिसको एक लाख से लेकर चार लाख का फायदा हुआ। पूर्ववर्ती गवर्नमेंट आते ही उन्होंने मौसम आधारित बीमा योजना लागू कर दी और इन पिछले 5 सालों में शायद एक भी किसान को एक रुपया नहीं मिला, उलटा किसान ने जो बीमा प्रीमियम जमा किया वह भी जब्त हो गया, कितना बड़ा दुर्भाग्य है।

एक तो मौसम आधारित वर्षा मापक यंत्र लगाये हुए हैं। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि शायद वे यंत्र सही नहीं है। उनकी रीडिंग हैदराबाद में पढ़ी जाती है और वहां से वापस आंकड़े आते हैं कि बरसात कितनी हुई और वह भी तहसील स्तर पर। इसको वापस समाप्त करके फसली आधार पर, फसल की गिरदावरी के आधार पर यह लागू किया जाय जिससे आम किसान को इसका फायदा हो क्योंकि किसान अपनी खेती करता है, जैसे ही बरसात होती है, वह हल जोतता है तो उस फसल के लिए हल जोतता है अकाल के लिए हल नहीं जोतता है। जब उसकी फसल का एक दाना भी नहीं मिलता तो उस किसान के साथ क्या घटती है।

यह बहुत अच्छी बात है कि केन्द्र में वाजपेयीजी की सरकार थी तब यह फसल बीमा योजना लागू की। उससे पहले किसान किसी सेठ, साहूकार के वहां आढ़त पड़ा रहता था, गिरवी पड़ा रहता था। उसका बाप ऋणी रहता था और उसकी सात पीढियां भी उसी में गुजर जाती थीं, लेकिन वह कभी मुक्त नहीं होता था, पर वाजपेयीजी ने यह विचार किया। कहते हैं होता नहीं है, बहुत कुछ हो जाता है। उन्होंने जब भारत सरकार में बैठकर सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को बुलाकर कहा कि क्या हम ऐसी योजना ला सकते हैं तब सभी बैंकों ने हाथ खड़े कर दिये थे। उन्होंने बाहर निकलते हुए कहा कि मुझे यह चाहिए। वह लागू हो गया और आज आम किसान को केसीसी मिल रही है। कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मन में धैर्य होना चाहिए, किसान के प्रति भाव होना चाहिए। मेरा निवेदन है इस सरकार से कि जो किया है वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किसानों का हित किया है। पिछले 60 साल के कार्यकाल में लगभग 60 साल केन्द्र में कांग्रेस ने शासन किया। ऐसा कुछ भी नहीं किया सिर्फ किसानों की बातें करते रहे। यह भारतीय जनता पार्टी ने

(श्री शैतानसिंह)

किया अच्छी बात है और भी अच्छा फायदा मिले। जैसे हमारे पड़ौसी राज्य एमपी में जीरो प्रतिशत ब्याज पर 3-3 लाख रुपये का ऋण दिया जाता है। यदि वह भी हो सके तो अपने यहां भी लागू किया जाय। अपने भी इस बजट में ऐसा प्रावधान किया जाय ताकि किसान को फायदा मिले।

अब मैं पशुपालन पर बात करना चाहता हूं। बहुत खुशी की बात है और आज इस सदन में हम बैठे हैं, आज सरकार ने यह घोषणा की है कि हम गौ विभाग खोलेंगे। यह एक शास्त्र संगत बात है और हकीकत भी है कि गाय हिन्दू की वैतरणी है। गाय माता है और प्राणी मात्र, इंसान की, मनुष्य की माता ही है जो दूध देती है। गाय की रक्षा होना बहुत जरूरी है, आम व्यक्ति के लिए जरूरी है और हिन्दू के लिए विशेषकर है। हिन्दू की आस्था का स्थान है। यह हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि किसी भी जगह वास्तु का दोष होता है और उस घर में गाय होती है तो वास्तु लागू ही नहीं होता, इतना बड़ा महातम्य इस गाय का है।

अभी चार दिन पहले हम कहीं बैठे थे। एक पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक महोदय ने यह बात कही थी कि अपना विधान सभा भवन वास्तु के हिसाब से सही नहीं है। मैंने कहा कि अब सही हो गया। उन्होंने पूछा कैसे, मैंने कहा अब गौ मंत्रालय खोल दिया गया है, जहां गाय की चर्चा और गाय की पवित्रता से काम किया जाता है वह सदन स्वत: पवित्र हो गया है यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। गाय से बढ़कर इस धर्म में, समाज में कोई अच्छी चीज नहीं है इसलिए इसको पवित्रता से लागू करें। गाय की रक्षा के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सभी जिलों में विशेषकर हमारा जिला जैसलमेर उसमें तो दुर्भाग्य से ऐसी-ऐसी विडम्बना, ऐसी गलतियां हो गईं कि ओरण व गोचर दर्ज नहीं हुई।

ऐसे असंख्य गांव हैं जिनमें यह हुआ ही नहीं, यह पहले भूल हो गई। हो सकता है कि उस समय की जो सरकार थी उन्होंने सहयोग नहीं किया राजस्थान सरकार के साथ और सैटलमेंट में बहुत बड़ी चूक हो गई, औरण और गोचर दोनों ही चूक गये। जहां कहीं भी है, जैसे हमारे पोकरण विधान सभा क्षेत्र में लगभग-लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र में गोचर है। वह गोचर भी आज कब्जे में है, उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। अगर गोचर पर कब्जा हो गया तो फिर कुछ भी नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने, निर्देश दिया कि गोचर का गवर्नमेंट चैंज नहीं करे और किसी को अलाट नहीं करे। उसके बावजूद भी लोग कब्जा

(श्री शैतानसिंह)

करके बैठे हुए हैं तो मेरा सरकार से निवेदन है कि गोचर की जितनी भी भूमि है वह जिन-जिन लोगों के कब्जे में है उनसे खाली करवाई जाए। यह मेरा विशेष निवेदन रहेगा क्योंकि गाय बचनी जरूरी है, गाय नहीं बचेगी तो फिर कुछ नहीं बचेगा इसलिए गाय के लिए गोचर जहां-जहां भी है उसको छुड़वाया जाए।

अब मेरी मांग है कि सभी पंचायत हैडक्वार्टर्स पर और विशेषकर जैसलमेर जिले में तो क्योंकि पशु आधारित जिला है और यहां पशुपालन का ही काम है, खेती तो अब नहर आई है तब लोगों ने करना शुरू किया है वरना पहले तो मवेशी पालने का ही काम करते थे। इसलिए हो सके तो सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय की व्यवस्था की जाए। जो चिकित्सालय हैं उनमें डाक्टर नहीं हैं तो उनमें डाक्टर भी लगाये जाएं।

मेरा विशेष निवेदन है कि हमारे वहां पर एक शक्ति पीठ है भादरिया जिसमें बहुत बड़ी गौशाला है। आज उसमें 16 हजार गौ वंश हैं, गौ माता हैं। लगभग 2 हजार से अधिक भादरिया के रहने वालों के भी मवेशी हैं तो लगभग 18 से 20 हजार वहां गौ वंश हैं। वहां मात्र एक चिकित्सक का पद है और उससे इतनी गायों की देखभाल नहीं हो सकती है इसलिए उस चिकित्सालय का विस्तार किया जाए और वहां शल्य चिकित्सक लगाया जाए जिससे वहां पर आपरेशन भी किए जाएं। वहां इतने मवेशी हैं, पशु हैं तो कई बार किसी का कुछ टूट जाता है तो आपरेशन किया जा सके।

दूसरा, गुजरात में मोदीजी ने कहा था कि हमारे यहां गाय का मोतियाबिंद का आपरेशन होता है। अपने यहां पर वह नहीं तो कम से कम चिकित्सालय का विस्तार भादरिया में हो तो नजदीक के जितने भी गांव हैं, हमारे वहां नजदीक में धोलिया गांव हैं वो भी विश्नोई समाज का गांव हैं और उनके भी बहुतायत में गायें हैं, वह भादरिया से लगता हुआ नजदीक ही है। इसके अलावा खेतोलाई है, लाठी है, इन सब को देखते हुए भादरिया में चिकित्सालय का विस्तार किया जाए। यही मेरा निवेदन है, इतना ही कहना है। जय हिन्द, जय भारत।

**श्री सभापति**: श्री समाराम गरासिया।

**श्री समाराम गरासिया** (पिण्डवाड़ा-आबू): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पशुपालन विभाग के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। मंत्री महोदय यहां

(श्री समाराम गरासिया)

पर हैं नहीं, पर हर पंचायत मुख्यालय पर यह व्यवस्था होनी चाहिए। पूर्व सरकार ने पशु चिकित्सालय और टीकाकरण के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाई ही नहीं है। जब अपनी 2003 में सरकार थी उस समय इस प्रकार का पशुपालन कल्याण बोर्ड भी था और पशुओं के लिए हर जगह शिविर और कैम्प लगाये जाते थे। इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में पशुपालन और खेती आधारित किसान लोग हैं। इसलिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह जरूर कहूंगा कि पशुपालन में डाक्टरों की व्यवस्था बिलकुल नहीं है। कम्पाउण्डर के भरोसे ही सारा पशु चिकित्सालय चलाया जा रहा है। वहां पिण्डवाड़ा-आबू में एक मात्र डाक्टर है। सभापति महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है कि हर पंचायत मुख्यालय पर कम्पाउण्डर और डाक्टर की व्यवस्था पर्याप्त की जाए।

हमारे पिण्डवाड़ा-आबू में पशुपालन मुख्य धंधा है। वहां हमारे हर प्रकार की सुविधाएं हैं लेकिन आजकल की बीमारियों से पशु पालने वाले बहुत दु:खी हैं। डाक्टरों की अव्यवस्था के कारण और डाक्टरों की कमी के सम्बन्ध में मेरा आपसे यही निवेदन है कि कम से कम इसकी व्यवस्था की जाए।

किसानों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि किसानों का जो चारा जल जाता है उसके लिए आज दिन तक राजस्थान में या विधान सभा में कोई नियम नहीं बनाया कि चारा जलने से उस काश्तकार को, जो पशु रखते हैं उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता है, जीरो के बराबर मिलता है। इसलिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह मेरा विशेष निवेदन है कि यह व्यवस्था भी की जाए।

हमारे पिण्डवाड़ा-आबू में काश्तकारों के लिए पम्प सैट, किसानों के लिए खाद्य सामग्री के सम्बन्ध में मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कम से कम प्रशासनिक व्यवस्था को भी सुधारें कि सारी सुविधाएं किसानों के पास में पहुंचे। यह मेरा आपसे विशेष निवेदन है।

पशुपालन के बारे में भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पशु मोबाइल वेटेरिनरी सेवा भी हमारे विधान सभा क्षेत्र में शुरू की जाए। यह हमारे पूरे जिले में नहीं है तो कम से कम पिण्डवाड़ा-आबू में यह मोबाइल वेटेरिनरी सेवा भी उपलब्ध हो जाए ताकि पशु पालने वाले लोगों के लिए सुविधा रहे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

**श्री सभापति**: श्री छोटू सिंहजी भाटी।

**श्री छोटू सिंह** (जैसलमेर): आदरणीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 36, 37 और 39 के बारे में अपना व्याख्यान देना चाहता हूं।

सहकारिता के बारे में मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आम किसान यह चाहता है कि मैं लोन लेकर खेती करूं। बिफोर लास्ट ईयर का हमने हाल देखा, किसान तैयार हो गये कि खेती करनी है और पूर्ववर्ती सरकार ने ऐलान कर दिया कि डेढ़ लाख रुपये का लोन मिलेगा, आप अपने आनंद से खेती कर लो, खेत की बुवाई तैयार कर लो। हमने खेत की बुवाई तैयार की पर आखिर में जाकर 30 हजार रुपये का लोन मिला उससे भी ज्यादा हम पर कर्जा हो गया। आम बेरोजगार भी यह चाहता है कि किसी प्रकार से मेरे रोजगार के लिए मैं कोई धंधा करूं लेकिन जब बैंक में जाते हैं तो लोन होता है, 25 हजार, 50 हजार या लाख रुपये का। जैसलमेर जिला एक ऐसा जिला है जहां पत्थर का व्यवसाय है और पत्थर के व्यवसाय के लिए एक मशीन लाओ तो कम से कम 5-7 लाख से कम की कोई मशीन नहीं आती है। चाहे वह ईंट का लगाये, चाहे वह पत्थर की कटर मशीन लगाये, चाहे वह कंक्रीट से बनाये हुए ब्लाक तैयार करे। आदरणीय, मेरा निवेदन यही है कि कोई भी लोन, किसी भी बेरोजगार को दो तो 5 लाख, 7 लाख से कम तो होना ही नहीं चाहिए। उससे तो कम हो ही नहीं सकता। हम चाहें कितनी भी कोशिश कर लें कि बेरोजगार है 50 हजार का लोन दिया तो 50 हजार रुपये तो खर्च करके खा जाएंगे, आने-जाने में खर्च हो जाएंगे। हमारी जो रिपोर्टिंग मैनेजर के पास देनी है उसके जाने-आने में ही खतम हो जाएगा। उसके अलावा भी मैनेजर यह कहता है कि हमारी क्रेडिट लिमिट खतम हो गई, आपका लोन नहीं होगा। मैं कहता हूं कि होगा तब तो पूरे प्रदेश में होगा लेकिन जैसलमेर में तो यह स्थिति आई है। यही कहता है कि फिक्स डिपोजिट कुछ देते हो तो आपका लोन स्वीकार किया जाए। यदि फिक्स डिपोजिट हमारे पास होता तो लोन लेने की जरूरत ही कहां पड़ती, हम हमारे हिसाब से ही कर लेते। लेकिन बैंकों के अन्दर अव्यवस्था इस प्रकार की रही, बैंकों के अन्दर दुनिया भर के बेरोजगार जाते हैं, किसान जाते हैं लोन के लिए और उनको कुछ नहीं मिलता है। आज जैसलमेर की शिकायत है, मेरे फतेहगढ़ तहसील के बैंक मैनेजर की है कि वहां बैंक को बन्द कर दिया, लोन नहीं दिया। आने वाले समय में लोगों की आस है, लोग ऊपर देखते हैं कि इन्द्र देव सावन के महीने में जैसलमेर हमेशा पचपड़ी में रहता है, हमेशा सीमा के हिसाब से, किसी भी योजना के हिसाब से पीछे है और बरसात भी हमारे सावन और भादवे में होती है। हम यह चाहते हैं कि हमें लोन मिले, कुछ खेती शुरू करें। अब तो के.सी.सी. का अनिवार्य भी हो

(श्री छोटू सिंह)

गया है कि आम किसान के के.सी.सी. होगा लेकिन जब बैंक में जाते हैं तो बैंक मैनेजर के पास एक ही उत्तर है कि या तो गोल्ड दो और लोन ले जाओ, नहीं तो खजाने के अन्दर हमारे पास कुछ भी नहीं है। बैंक मैनेजर की कुर्सी ही ऐसी है कि उसके नीचे तो टोटल खजाना ही खजाना होता है और वो यह जवाब देता है तो बड़ा अफसोस के साथ निकलना पड़ता है। के.सी.सी. के लिए हमेशा आप देख लो कि जितने किसान हैं उनमें से 15 प्रतिशत किसानों की भी के.सी.सी. नहीं हुई है।

आदरणीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इसमें कुछ सुधार किया जाए। जिस प्रकार से गोरधनजी माननीय एमएलए साहब ने फरमाया था कि डेढ़ लाख से भी आज के जमाने में कुछ नहीं होता है, डीजल के भाव कहां पहुंच गये हैं और मशीनरी के भाव भी कहां पर पहुंच गये हैं इसलिए निवेदन है कि इसके लिए कुछ रियायती रेट बढ़ाई जाए। यह डिपोजिट वाली बीच में इस प्रकार की बाधा नहीं रहे। किसान हमेशा पूरे प्रदेश को कमाकर देता है। जो शहर में रहता है उसके लिए गेहूं पैदा करता है, पशुओं के लिए चारा पैदा करता है तब जयपुर में दूध आता है। जयपुर में गाय नहीं है या कोई गाय नहीं रखते हैं। गेहूं यहां इस गली में पैदा नहीं होते, गेहूं पैदा करते हैं तो हम गांव वाले ही करते हैं। 80 प्रतिशत लोग हम खेती और पशुपालन पर आधारित हैं इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि किसान के लिए विशेषकर इस बड़े बजट में व्यवस्था होनी चाहिए कि किसान कैसे तैयार हो। यदि किसान 80 परसेंट तैयार हो गया तो समझो फिर प्रदेश में विकास की कोई कमी नहीं आयेगी।

इसी के साथ पशुपालन और चिकित्सा के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर एक ऐसा जिला है, जहां पशुपालन का ही बिजनस है, दूसरा हमारे पास कोई धंधा ही नहीं है। बिफोर लास्ट ईयर इस प्रकार की बीमारी आ गई थी कि चिकित्सक भी फेल हो गये। यहां जयपुर से भी टीमें गईं लेकिन गाय बचाने का कोई नामो-निशान नहीं रहा। कम से कम 500-600 गायें मर गईं। डाक्टरों के पास बस एक ही उत्तर था कि ये सूखा चारा खा रही हैं, हरा चारा खायेंगी तो ही ये रोग मिटेगा। वह हरा चारा भी खा गईं लेकिन बीमारी का डाक्टर्स को पता नहीं पडा। माननीय मंत्री महोदय भी विराजे हैं, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए एक स्पेशल टीम भेजी जाये क्योंकि गाय, आदमी तो है नहीं जो बस में चढ़कर आ जायेगा और इलाज

(श्री छोटू सिंह)

जैसलमेर में करा लायेगा। जैसलमेर हमारा ऐसा जिला है कि पूरा क्षेत्र मवेशी वहां रहते हैं, जहां खुला मैदान हो, जहां और कोई जगह नहीं हो। विचरण की जगह वह होती है और डाक्टर वहां पहुंच नहीं पाते कि साहब, हमारे पास तो इतने ही डाक्टर हैं, नहीं पहुंच सकते हैं।

विशेषकर पशु चिकित्सा के अन्दर जैसलमेर को पहली वरीयता में लिया जाये क्योंकि पशुपालन है तो जैसलमेर में ही है और पशुओं की जो संख्या है तो जैसलमेर में ज्यादा है। मेरा आपसे निवेदन है कि पशुओं के लिए वेटेरिनरी अस्पताल है, गांव में डाक्टर तो है ही नहीं हुकुम और न ही कम्पाउण्डर है। गाय और बैल ऐसी चीज होती है जो बस में चढ़कर नहीं आ सकती, जैसलमेर इलाज कराने के लिए नहीं पहुंच सकती। आदमी आ सकता है और न पशु यह बोल सकता है कि मेरे इस जगह दर्द है। आदमी का इलाज इसलिए सक्सैस है डाक्टर यह देखता है कि यह आदमी तो बोल देता है कि मेरे यहां पेट में दर्द है। यह पशु नहीं समझता है और पशुओं की जितनी भी मेडिसन मैंने देखी है, आज तक सक्सैसफुल कम रहा है। उसका कारण यह है कि डाक्टर को एक्चुअली में उसकी बीमारी का पता नहीं पड़ रहा है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि पशुओं के लिए विशेष स्पेशल टीम होनी चाहिए। जैसलमेर में आज भी महामारी फैली हुई है, आज भी गायें मर रही हैं। आज तो यह भी सोचते हैं कि अकाल का समय है, पशु सूखा चारा खा रहे हैं, इसलिए बीमारी हो भी सकती है।

दूसरा निवेदन है, गाय हरेक रखता है लेकिन बैल रखना कोई पसंद नहीं करता है। बैल को किसी प्रकार से छोड़ा जाये। बैल और नील गाय, वह आवारा छूटती हैं। गाय ब्याती है, 50 गाय ब्यायेंगी तो यह समझो कि 25 के तो बछड़े होते ही हैं और बछड़ा कोई लेता नहीं है, बछड़े को छोड़ दिया जाता है ओरण में। वह छूटा हुआ रहता है और जब बोर्डर, हमारा खुला एरिया है, वहां जाते हैं तो आज मई और जुलाई दोनों महीनों की ऐसी स्थिति है कि इसके लिए कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। पशुओं के अन्दर फिर भी बोर्डर पर पशु चरने के लिए, विचरण के लिए चारा है, लेकिन पानी की जगह नहीं है। नहर में टेल पर भी पानी नहीं पहुंचता है और पशुओं के लिए वहां कोई पानी और धणी-धोरी नहीं है। हजारों की संख्या में बैल ऐसे हैं, वहां लोग छोड़कर चले आते हैं भगवान के भरोसे। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, मंत्रीजी विराजे

(श्री छोटू सिंह)

हैं, जितने भी ओरण और खुली जगह हैं, उसमें इस प्रकार के ट्यूबवैल खुदवाये जायें और इस प्रकार की वहां पशु खैलियां बनवाई जायें जिससे उनको कम से कम पानी पीने को तो मिले।

दूसरा निवेदन यह है कि जैसलमेर बहुत बड़ा क्षेत्र है, गायों और दूसरे पशुओं के विचरण के लिए आरक्षित लैण्ड रखी जाये ताकि कोई भी पशु जिसका कोई मालिक नहीं है, उसको वहां छोड़ा जाये, वहां पानी की व्यवस्था की जाये तो वहां पशु विचरण कर सकते हैं और जगह भी उनको साफ-सुन्दर मिल सकती है।

आदरणीय सभापति महोदय, कृषि भी ऐसा क्षेत्र है कि आज वर्तमान समय में जैसलमेर में पूरे हमारे क्षेत्र में कम से कम 60 प्रतिशत के अन्दर फाउण्डेशन में पानी आया हुआ है लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने जिस हिसाब से हमारे आवेदन थे 2008 और 2009 के, आज तक वह आवेदन भी नहीं हो पाये हैं। किसान उस आस में बैठे हैं, ट्यूबवैल खुदवा कर बैठे हैं। आज तक उनको कनेक्शन नहीं मिला है। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे पेंडिंग कृषि फार्म आवेदन किये हुए हैं, कृपया उनको कृषि कनेक्शन करवायें ताकि उनकी वापस खेती से आमदनी हो सके।

आज की स्थिति के हिसाब से आदरणीय, ज्यादा नहीं कहते हुए यही निवेदन करना चाहता हूं कि पशुपालन के क्षेत्र में हमारा जैसलमेर आगे है। पशुओं की दवाई के हिसाब से हमारी हर ग्राम पंचायत के अन्दर इस प्रकार का वेटेरिनरी अस्पताल खुलवाया जाये, ताकि पशुओं की जो बीमारी हैं, उस पर लगाम लग सके।

उसके साथ दूसरा निवेदन एक और करना चाहते हैं, पूर्ववर्ती सरकार में 2008 के अन्दर दुग्ध डेयरी संयंत्र का एक उद्घाटन किया था, केवल फाउण्डेशन किया था और पांच साल के अन्दर उस डेयरी का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। जबकि जैसलमेर पशुओं पर निर्भर है और दूध हर आदमी देना चाहता है। वहां सांचौर से गाड़ियां आती हैं और दूध ले जाती हैं लेकिन जैसलमेर में भी दुग्ध डेयरी फार्म, वह दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं ला पाती हैं। हमारा निवेदन है कि हमारे जो भी छोटे कस्बे हैं चाहे झिसनियाली है, चाहे म्याजबार है, चाहे रामगढ़ है, चाहे मोहनगढ़ है, हम चाहते हैं कि वहां पशुपालक बड़ी तादाद में रहते हैं, वहां छोटी-छोटी जगह, हर जगह दुग्ध डेयरी संयंत्र खोले जायें ताकि

(श्री छोटू सिंह)

लोग दूध भी बेच दें और वहां दूसरी चीज भी कोई जैसे खाद है, सामग्री है, गाय का भूसा वगैरह भी ले सके।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है सभापति महोदय, पशुपालन के क्षेत्र में हमारा जैसलमेर अग्रणी है। इस बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई पशुओं के बारे में, विशेषकर गाय और दूसरे पशु भी हैं, जिसके लिए पूर्णतया पहले आता था कि गाय के लिए आरक्षित लैण्ड, गोचर के लिए रखी है। पशुपालकों के पास दूसरे भी कई प्रकार के पशु हैं। मैंने बजट भाषण में मंत्री महोदय से निवेदन किया था और हम यह चाहते हैं कि गाय का जो आधा बीघा है, आधा बीघा में यदि गाय रहेगी तो उसमें तो समायेगी भी नहीं। निवेदन है कि कम से कम एक बीघा गाय को मिलनी चाहिए और दूसरे जो छोटे पशु हैं, उनको भी आधा बीघा जमीन मिलनी चाहिए क्योंकि हमारे जैसलमेर में जमीन की कमी नहीं है। हम चाहते हैं कि जो पशु हैं, यदि पशु खतम हो जायेंगे, वहां रहना बंद हो जायेगा तो इस पर्यावरण में भी बहुत फर्क पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि एक तो ओरण को आरक्षित किया जाये, नये ओरण को घोषित किया जाये। जहां भी पुरानी ओरण है, सैटलमेंट के समय में रिकार्डिंग नहीं है, वह एक्चुअली में ओरण पशुओं के विचरण के लिए भी थी और कई गांवों में ऐसा है कि गोचर है ही नहीं आज तक और पशु आलरैडी वहां 2-2, 3-3 हजार है तो उसके लिए जो भी आरक्षित लैण्ड आप चाहते हो, हमारा निवेदन है, कम से कम गाय को एक बीघा जमीन दिलवाने के लिए आप घोषणा करें आज के आपके रिप्लाई में। इन्हीं आशाओं के साथ में मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

**श्री सभापति**: श्री जगदीश नारायण।

**श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़): माननीय सभापतिजी, मांग संख्या 36, 37 और 39, ये तीनों मांग एक दूसरे पर निर्भर हैं और मैं समझता हूं कि सहकारिता के बिन्दु को सरकार गम्भीरता से ले ले और सहकारिता को मजबूती दे तो मेरे ख्याल से सहकारिता मजबूत होने के बाद कृषि और पशुपालन दोनों मजबूत हो सकते हैं। दोनों अगर मजबूत हो सकते हैं तो मैं समझता हूं ग्रामीण क्षेत्र मजबूत हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र का किसान मजबूत हो सकता है और यदि ग्रामीण क्षेत्र मजबूत हो चला तो ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर शहरी क्षेत्र को भी मजबूती मिल सकती है।

मेरा मानना है सहकारिता एक वह संस्था है, जिस संस्था में लोगों की

(श्री जगदीश नारायण)

भागीदारी है, जिस संस्था में वहां के जन प्रतिनिधियों का समावेश है। वहां की जनता, वहां की पब्लिक मिलकर उस क्षेत्र से जन प्रतिनिधि तैयार करती है और जन प्रतिनिधियों की एक टीम इकट्ठी होकर अपने चेयरमैन का चुनाव करती है और जब किसान को कृषि कार्य के लिए किसी प्रकार की आर्थिक आवश्यकता की अनुभूति होती है तो उन सब लोगों को प्रत्येक किसान, प्रत्येक मजदूर और प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का अच्छी तरह से पता होता है और उस हिसाब से सहकारिता के माध्यम से वह उन लोगों की मदद करने में कामयाब हो जाते हैं। मेरा निवेदन है कि सहकारिता को मजबूत करना सरकार के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से इस सदन के द्वारा माननीय कृषि मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि कृषि मंत्री महोदय, यदि आपको किसान को मजबूत करना है, पशुपालन को मजबूत करना है और ग्रामीण क्षेत्र का डवलपमेंट देना है, विकास देना है तो आपको सहकारिता को मजबूत करने के कदम भी उठाने पड़ेंगे क्योंकि कृषि मंत्रीजी और सहकारिता मंत्रीजी जब दोनों मिलकर काम करेंगे, तब जाकर हम इस चीज को पकड़ पायेंगे, प्राप्त कर पायेंगे।

सहकारिता के साथ में पशुपालन और कृषि, कृषि हमारा मुख्य पेशा है। ग्रामीण क्षेत्र का सारा जनजीवन कृषि पर निर्भर होता है और इस बेरोजगारी के युग में अगर इस बेरोजगारी को मिटाने वाला कोई खास धंधा या ऐसी कोई व्यवस्था है तो माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि को ज्यादा मानता हूं। एक किसान को अगर आपने उन्नत बना दिया, किसान को आपने मजबूती दे दी तो वह किसान कम से कम अपने कृषि कार्य में 10, 15, 20 मजदूरों को जरूर रोजगार देगा। एक किसान जब बीस लोगों को रोजगार देता है रोजाना तो आप अंदाजा लगा लें कि गांवों में कितने किसान बसते हैं और वह सारे किसान मिलकर कृषि कार्य में इतनी संख्या में लोगों को जब रोजगार देंगे तो ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी अपने आप स्वत: ही खतम हो जाएगी। लेकिन आज हमारा किसान ठगा हुआ महसूस करता है, किसान बहुत सारे अरमान पालता है, सपने देखता है और किसान से जब जन प्रतिनिधि की चर्चा होती है तो किसान को एक उम्मीद बंधती है कि मेरा यह नेता, मेरा यह जन प्रतिनिधि आगे जाएगा और जाकर के मेरी समस्या उठाएगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस किसान से ज्योंहि जन प्रतिनिधि या नेता दूर हटता है तो वह उस किसान को भूल जाता है।

(श्री जगदीश नारायण)

सभापति महोदय, आप हंसेंगे, इस विधान सभा सदन में आने के बाद में मेरा मन नहीं कहता कि मैं विधान सभा को छोड़कर के बाहर गांवों में चला जाऊं। गांवों में जाऊंगा लू के थपेड़े खाने पड़ेंगे, गर्म हवाएं बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, ठण्ड महसूस करनी पड़ेगी। सारा सब कुछ बदला हुआ वातावरण वहां देखना पड़ेगा और उस वातावरण के साथ चलना पड़ेगा। आज हमारा किसान एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान है जो अपने आपको सारे मौसम के अनुसार ढाल लेता है। सर्दी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, वर्षा कुछ उसका नुकसान कर नहीं सकती तो और कोई मौसम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता और बिगाड़े भी तो करेगा क्या? जाए भी वह कहां? आज किसान के साथ इतना बुरा बर्ताव चल रहा है। किसान बेचारा सर्दी में खुले आसमान के नीचे अपने खेत में रात के समय में पिलाई करता है और किसान के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसी बिजली की व्यवस्था कर रखी थी कि रात को दस बजे से बिजली स्टार्ट होती और सुबह प्रात: काल तीन बजे या चार बजे उसको सप्लाई की बिजली मिलती। आप अंदाज लगा लें कि जहां माइनस जीरो पर टेम्परेचर चलता है, जहां माइनस डिग्री पर तापमान चलता है उस हालत में वह किसान उस खुले आसमान के नीचे अपने खेत में कैसे पिलाई करता होगा? दूसरी बात, किसान वर्षा काल में उसी खुले आसमान के नीचे उसको काम करना पड़ता है। किसान को जब भी अपनी फसल पिलाई करनी पड़ती है तो चाहे उसके सामने सर्प हो, चाहे कोई और जहरीला कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे कोई जंगल का जीव जंतु हो, किसान को अपनी जान हथेली पर रखकर के अपने खेत में जाना पड़ता है और अपने बच्चों का और खुद का पेट पालने के लिए जान की परवाह किए बगैर उसको दिन रात मिलकर के वहां काम करना पड़ता है।

इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो इस सदन के माध्यम से सरकार तक यह आवाज पहुंचे कि किसान को कम से कम बिजली दिन में मुहैया कराने की व्यवस्था की जाए और बिजली दिन में तब मिल सकती है जब बिजली के क्षेत्र में सरकार बढ़ चढ़ कर के काम करें। तब जाकर बिजली के क्षेत्र में आत्म निर्भरता आ सकती है। दूसरा, मेरा निवेदन है कि पशुपालन से किसान का एक गहरा रिश्ता है। पशु के बिना किसान अधूरा है, आज हमारे जमीनों के हालात बिगड़ चुके हैं। क्योंकि पिछले कम से कम बीस-तीस वर्ष से रासायनिक खाद हम काम में लेते आ रहे हैं। देशी खाद, देशी जो गोबर का खाद बनता था पशु के द्वारा वह खाद आज

(श्री जगदीश नारायण)

बंद हो चुका है क्योंकि किसान के पास पशु ही नहीं रहा और जब पशु नहीं होगा तो खाद नहीं मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि किसान को मजबूती देंगे तो किसान पशुपालन का काम करेगा, पशु को पालेगा और पशुपालन से उसको खाद मिलेगा। खाद से उस जमीन की किस्म सुधरेगी। उसमें जो अन्न पैदा होगा उस अन्न में वह मजबूती और वो प्रोटीन विटामिन मिलेंगे जिससे हमारा स्वास्थ्य सुधरेगा। आज आम बात बन गई अटैक आना, कैंसर, लकवा आना और आज ऐसी-ऐसी बीमारियां कि एक बार बीमार होने के बाद पांच दस मिनट का भी डाक्टर तक जाने का समय नहीं मिलता। तुरत फुरत में वह बीमारी इस कदर इंसान को घेरती है कि पांच सात दस मिनट में उसकी डैथ हो जाती है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि किसान पशुपालन के क्षेत्र में भी मजबूत बने, उसको खाद भी मिले, उसकी जमीन की किस्म भी सुधरे, उससे अच्छा अनाज भी पैदा हो और जो दूध निकलता है वह दूध उस क्षेत्र के माध्यम से एक अच्छी क्वालिटी का दूध निकलकर के शहर तक पहुंचे और शहरी जनता को भी एक उत्तम और एक बढ़िया विटामिन वाला दूध मिले। इसके लिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस क्षेत्र में विशेष ध्यान देंगे और ध्यान देकर के किसान को भी मजबूत बनाएंगे, पशुपालन को भी मजबूती देंगे और सहकारिता के माध्यम से उसकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो, समय पर हो इस पर भी आप गौर फरमाएंगे। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री कन्हैया लालजी (अनुपस्थित), श्री पब्बारामजी।

**श्री पब्बाराम** (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 37, 36 और 39 पर अपनी मांग प्रस्तुत करना चाहूंगा। उपखण्ड मुख्यालय, फलौदी जहां से मैं चुनकर के आता हूं, पहले यह बारानी भूमि हुआ करती थी और पिछले 25 वर्षों में सिंचित क्षेत्र विकसित हुआ है। पहले पूर्ण जब बारानी थी और वहां पर एक कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित था, 25 साल पहले भी वहीं पद था और अब ओसियां से लेकर लोहावट, फलौदी, बाप, देचू यह पूरा का पूरा क्षेत्र सिंचित हो गया है, इसके बावजूद वो ही पद सृजित हैं। सिंचित रकबा इतना बढ़ गया है जहां पर हर प्रकार की फसल पैदा होती है। मूंगफली का तो यह बहुत बड़ा उत्पादन क्षेत्र हो गया है और अन्य क्षेत्रों की तुलना एक बीघा में अधिक पैदावार वहां पर होती है मूंगफली की। कृषि से सम्बन्धित मात्र एक

(श्री पब्बाराम)

पर्यवेक्षक का होना पर्याप्त नहीं है और वहां पर उपखण्ड क्षेत्र बाप भी है, फलौदी भी है, तीन पंचायतें हैं, दो पंचायत समिति हैं। इसी प्रकार से अन्य तहसील तीन हैं और उप तहसीलें भी हैं। इतने बड़े क्षेत्र में यह सभी होने चाहिए। यहां पर जिला स्तर के कार्यालय, एडीएम का कार्यालय, एडिशनल एसपी का कार्यालय, डीटीओ का कार्यालय, एक्स ईएन पी डब्ल्यू डी और पी एच ई डी कार्यालय हैं और इसी प्रकार से बिजली का भी है। आई जी एन पी के दो एस ई बैठते हैं, एक्स ईएन तीन बैठते हैं। इस तरह से अन्य विभागों के बड़े आफिस हैं और वहां पर एक कृषि पर्यवेक्षक होना यह वहां के क्षेत्र के साथ में अन्याय है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सिंचित थे और वो अभी डार्क जोन हो गए और वहां से स्थानान्तरित होकर के वहां से कनेक्शन दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गए हैं। वहां पर वो पहले के पूर्व के अधिक पद हैं तो क्यों न उनका समानीकरण करके वहां पर सृजित किए जाएं? इसी प्रकार से फलौदी के कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं कि वो लगभग ढाई सौ किलोमीटर दूर है जोधपुर से वहां चलकर के कृषि के सम्बन्ध में जानकारी लेने के लिए जोधपुर आते हैं और फलौदी स्वयं 150 किलोमीटर दूर है। अत: कृषि मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि वहां उपखण्ड मुख्यालय पर उप निदेशक कृषि कार्यालय खोलने की कृपा करें और कृषि अधिकारियों के भी पद सृजित करें और हर पंचायत में कृषि पर्यवेक्षक पद सृजित करने की कृपा करें। फलौदी व बाप उपखण्ड पर इतना बड़ा कृषि क्षेत्र होने के कारण भूमि, जल और बीज उपचार हेतु जांच केन्द्रों की स्थापना की जाए। वहां से जांच के लिए कृषक 250 किलोमीटर चलकर के जोधपुर आएगा तो सम्भव नहीं है और इसी प्रकार से वह परम्परागत तरीके से खेती करता है और उसका लाभ उसको नहीं मिलता है। अधिकतर कृषक अशिक्षित हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि भूमि एवं जल की वैज्ञानिक तरीके से जांच करवाई जानी चाहिए। जांच के बाद हम उस भूमि या जल के उपयोग से कैसे फसल का उत्पादन कर सकते हैं इस बात को ध्यान में रखकर कृषि की जानी चाहिए। उनको शिक्षित करने की आवश्यकता है और ऐसे कार्यालय वहां स्थापित होंगे तभी यह सम्भव होगा। इस हेतु बाप और फलौदी दो उपखण्ड मुख्यालयों पर भूमि एवं जल की जांच हेतु लैब की स्थापना होना अति आवश्यक है।

(श्री पब्बाराम)

**(18.00 बजे)**

महोदय जी, कतिपय सम्माननीय सदस्यों द्वारा बार-बार यह कहा गया है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जोधपुर के लिए यह कर दिया, जोधपुर के लिए यह कर दिया। मैं आपसे निवेदन करता हूं एक चीज के लिए कि हमारे जोधपुर क्षेत्र में बहुत बड़ा काम उन्होंने यह कर लिया कि एक प्रदेश में दो प्रकार के कानून लागू कर दिये, प्रदेश में दो प्रकार के कृषि बीमे की व्यवस्था कर डाली। एक तरफ अरावली से इधर का क्षेत्र जहां पर अधिक बरसात होती है वहां पर तो फसल आधारित बीमा और हमारा फसल आधारित बीमा काट करके मौसम आधारित कर दिया गया। यह कतिपय सदस्यों द्वारा आपको पहले भी बताया गया है। मौसम आधारित जब से यह बीमा हुआ है तब से हमारे किसानों को प्रीमियम राशि का आधा भुगतान भी नहीं हुआ है। कृषि मंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि आप पूरा आंकलन करवा दीजिये जब फसल आधारित बीमा था उस समय किसानों को कितना लाभ मिला और मौसम आधारित होने के बाद में क्या मिला। प्रीमियम राशि अगर ढाई हजार रुपये है और उसके अस्सी प्रतिशत खराबा फसल की गिरदावरी बता रही है और वहां पर किसान को पच्चीस सौ रुपये अगर प्रीमियम राशि दी है तो पन्द्रह सौ रुपये उसको मुआवजे के रूप में दिये जा रहे हैं। यह एक विडम्बना है इसमें बदलाव की आवश्यकता है। सबसे बड़ा तोहफा अगर कृषि मंत्रीजी हमको देना चाहते हैं पश्चिमी राजस्थान को तो इसको फसल आधारित बीमा कर दिया जाए, यह हमारा विशेष आग्रह सभी लोगों का है। तो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किया गया यानी हर वर्ष करोड़ों रुपये का नुकसान वहां के पूरे जोधपुर सम्भाग के लोग भुगत रहे हैं, कृषक भुगत रहे हैं यह तोहफा पूर्ववर्ती सरकार ने हमको दिया है। कृपया इस तोहफे से हमको छुटकारा दिलवा दीजिये, यह हमारा आग्रह रहेगा।

मांग संख्या-39 के तहत फलौदी उपखण्ड मुख्यालय पर क्योंकि कृषि और पशु दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं और कृषि के कारण पशु जीवित है और पशु के कारण कृषि जीवित है तो ऐसी परिस्थिति में अगर पशु निदेशक का, संयुक्त निदेशक का कार्यालय वहां पर स्थापित किया जाए तो वो भी वहां के पशुपालकों के हित में रहेगा क्योंकि जैसलमेर से लगता हुआ क्षेत्र है और वहां पर गायों, भैंसों और ऊंटों के टोले के टोले आपको चरते हुए नजर आ जाएंगे परन्तु उनके उपचार के लिए व्यवस्था नहीं है। इसलिए हर पंचायत पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बाप उपखण्ड, फलौदी उपखण्ड कार्यालय पर

(श्री पब्बाराम)

तो पशु हास्पिटल है और एकाध गांव में और है। हमारी 43 पंचायतों में तीन-चार पशु हास्पिटल हैं सभी पंचायतों में कहीं पर नहीं है और इतना बड़ा पशुपालक क्षेत्र है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम निवेदन करते हैं कि कम से कम दो-दो, तीन-तीन पंचायतों पर एक पशु हास्पिटल की स्थापना अवश्य की जाए और पशुओं की बीमारियों की जांच हेतु भी वहां पर लैब की स्थापना किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित करता हूं।

इसी प्रकार से फलौदी क्षेत्र में नस्लों में सुधार के लिए वहां पर राठी, थारपारकर नस्ल की गायें और मुर्रा नस्ल की भैंसों का अगर प्रजनन किया जाए, उनकी नस्ल सुधार के वैज्ञानिक तरीके अपनाये जाएं तो यह पशुपालकों के हित में रहेगा। डेयरी का जहां-जहां पर अच्छा दूध का संकलन हो रहा है वहां पर चिलिंग प्लांट लगाने की आवश्यकता है ताकि कृषक जब कभी भी दूध का दोहन करके गायों से, भैंसों से वापस दे दे ताकि उनको चौबीस घंटे वहां पर इंतजार न करना पड़े।

इसी प्रकार से सहकारी बैंकों में फसली ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में मैं आग्रह करता हूं सहकारिता मंत्रीजी से कि खरीफ की फसल बुआई के समय किसानों की फसल ऋण बीमा एवं अवधि लिमिट निर्धारित की जाती है। यह तीन वर्ष में लगभग एक बार की जाती है और जोधपुर सहकारी बैंक के द्वारा यह अनावश्यक शर्त लगाकर कि जिन किसानों ने अन्य बैंकों से रहन रखकर केसीसी बना ली है उन्हें फसल बीमा ऋण दिये जाने से इंकार कर दिया। यह किसानों के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है। महोदयजी, इस कारण से लगभग अस्सी प्रतिशत किसान उस लिमिट बनाने से और फसली ऋण लेने से वंचित रह गये। मेरा आपसे आग्रह है कि केसीसी बनाने का मुख्य आधार तो भूमि है जमीन को रहन रख करके किसान अपना केसीसी लेता है और सहकारी ऋण फसल के आधार पर दिया जाता है इस शर्त के कारण लगभग अस्सी प्रतिशत लोगों को नहीं दिया गया। बैंक ने यह शर्त लगाई कि आप केसीसी वहां से ले रहे हैं, दोहरा लाभ नहीं दे सकते, वह केसीसी यहां पर स्थानांतरित कीजिए। किसानों को यह शक है और मुझे भी शक है कि जितनी केसीसी अन्य बैंक दे रही है चार-पांच लाख, क्या सहकारी बैंक उतनी केसीसी दे पाएगी। इसके लिए अगर गारंटी दे दें सहकारिता मंत्री कि हमारी बैंक भी उतनी ही केसीसी देगी जितनी अन्य बैंक देगी तो वहां से वो स्थानांतरित करके सहकारी बैंक से केसीसी ले लेगा परन्तु जब वहां पर ज्यादा मिलती है और आप केसीसी कम देते हैं तो वो वहां से स्थानांतरित करके क्यों लायेगा।

(श्री पब्बाराम)

किसानों की इस शंका को दूर करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए और ये लिमिट अवश्य बना दी जाए। लिमिट अगर नहीं बनाते हैं तो तीन साल के लिए वो वंचित रह जाएगा फसली बीमा के लिए। इसी प्रकार से सहकारी बैंक द्वारा, तब कृषक किसी दूसरे से उधार लेकर वो उस बैंक का ऋण चुका देगा और जब तीन लाख रुपये वहां पर चुका कर आएगा और यहां पर ये आपकी बैंक डेढ़ लाख या दो लाख रुपये देगी तो एक लाख रुपये वह कहां से भरेगा। इस परिस्थिति में किसान वहां से आने में शंका करता है। मेरा आपसे आग्रह है कि फसली ऋण और केसीसी के अन्दर अन्तर किया जाए और सहकारी बैंकों द्वारा फसली ऋण अवश्य दिया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री ओटारामजी।

**श्री ओटाराम** (सिरोही): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज मांग संख्या 36-सहकारिता, 37-कृषि, 39-पशुपालन पर बोलना चाहता हूं। आज जिस तरह से पूरे राजस्थान में कृषि और पशुपालन पर चर्चा है तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को और मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी को जिन्होंने सबसे पहले गोपालन गायों के लिए गोसंवर्द्धन और पंचगव्य एक गायों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। आज पूरे राजस्थान में जिस तरह से पशुपालन में आदरणीय मंत्रीजी भी विराजे हैं कि 2007 और 2008 में जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर खुद प्रभुलालजी थे तब से लेकर आज दिन तक, पहले भी एक कामधेनू गाय योजना निकाली थी और उसी योजना के अनुरूप पशुपालकों के लिए भी पशुपालक बीमा योजना निकाली थी। अभी का कवच, अभी का रक्षक यह जो योजनाएं थी यह 2007-08 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय यह योजनाएं, उस समय कैमल बीमा भी चालू किया था। जैसे ही वह चालू किया और सरकार चैंज हो गई। चेंज होने के बाद आज तक, मैंने देखा है पांच साल, जिस सरकार के साथ मैं रहा, पांच साल में कई बार मैंने खुद ने भी क्वश्चन लगाए परन्तु सरकार ने कहा बीमा योजना का हमारा मानस नहीं है। मैं आज आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी ने पशुपालकों के लिए जो योजनाएं बनाई थीं, योजनाएं भी ऐसी कि हर पशुपालक को पशुधन का भी बीमा हो, पशुपालक का बीमा हो। अगर वह माइग्रेशन में जाता है तो उसके लिए आर्म्स लाइसेंस देने की भी व्यवस्था

(श्री ओटाराम)

राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी ने की थी। आज उसी सरकार ने पूरी योजनाओं को ठण्डे बस्ते में डाल दिया और पांच साल के कार्यकाल में एक भी पशुपालक को वह सुविधा नहीं मिली। पशुपालक हो या डेयरी हो, आपके माध्यम से मैं सिरोही की डेयरी का निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से जालौर और सिरोही डेयरी एक है, चैयरमेन एक है, पहले सिरोही के अन्दर जितनी डेयरी समितियां बनी हुई थीं वह सारी समितियां भंग कर दी गईं। एक राजनैतिक द्वेषता के कारण कि आने वाले समय में सिरोही का चैयरमेन नहीं बने, सिरोही के मैम्बर जीतकर नहीं आए, सिरोही का संघ कैसे कमजोर हो सके, इस तरह सिरोही की जितनी भी समितियां थीं उन समितियों को भंग किया गया। डेयरी के मामले में सिरोही में देखा जाए तो सिरोही की स्थिति बहुत दयनीय है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में मेरे सिरोही जिले को डेयरी के माध्यम से अगर अलग किया जाए तो सिरोही की जनता को बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि सिरोही डेयरी के अन्दर जो रेट मिल रही है वह पशुपालकों को बहुत कम दर पर रेट मिल रही है।

दूसरा निवेदन है, पहले भी 2006-07 में सिरोही जिले के पशुपालकों ने रोड पर दूध बहाया था तब राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी ने डेयरी की घोषणा की थी और वह डेयरी सिरोही जिला हैडक्वाटर पर बनकर तैयार हो गई। पर उनको रेट न मिलने के कारण आज वह डेयरी जिस अवस्था में पड़ी है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आज सिरोही पूरा बनास डेयरी जा रहा है, क्यूं जा रहा है, क्योंकि पशुपालकों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, बोनस की योजना हो उसमें भी पशुपालकों को सही सुविधा नहीं मिलती इस कारण से लोग धीरे-धीरे सरस डेयरी से मन हटाकर बनास डेयरी की तरफ जाना चाहते हैं। सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जितने भी पशुपालक हैं उनको सही समय पर बोनस मिले, सही समय पर रेट मिले। पशुपालकों को अगर सही तरह से उनका रेट मिलता रहेगा तो आने वाले समय में पशुपालक सरस डेयरी की तरफ आकर्षित होंगे और आकर्षित होकर पशुपालकों को वह सुविधा मिल सकेगी।

दूसरा, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जिस तरह से किसानों

(श्री ओटाराम)

को फसली बीमा दिया जाता है उसको और भी थोड़ी सहूलियत करके आगे बढ़ाया जाए। तीसरा, किसानों को तारबंदी में जो सब्सिडी दी जाती है, उस सब्सिडी में और थोड़ा परसेंटेज बढ़ाया जाए ताकि आने वाले समय में किसानों को उसमें फायदा मिल सके। घोषणा पत्र में लिया है तो जरूर चालू होगा, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, पांच साल का कार्यकाल है, आज की आज चिंता मत करो, समय आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन तो आ गए। आपने देखा होगा कि जिस तरह से हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने घोषणा की थी कि कांग्रेस मुक्त, पर आज तो पूरी विधान सभा ही कांग्रेस मुक्त है, आपने देखा होगा एक भी कांग्रेस वाला नहीं है, कांग्रेस मुक्त है।

आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ड्रिप सिस्टम, पहले राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी ने किसानों को इजरायल भेजा, हमारे बीच में प्रभुलालजी, कृषि मंत्रीजी विराजे हैं, इनके माध्यम से सिरोही के किसान भी उस समय इजरायल गये थे और इजरायल जाकर ड्रिप सिस्टम की पद्धति सीखकर आए कि ड्रिप सिस्टम से यहां की खेती कैसे हो। सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ड्रिप सिस्टम में भी सब्सिडी बढ़ाई जाए। खेती के लिए हमारे पानी की बहुत कमी है। किसानों को इसमें अगर सब्सिडी मिलेगी तो किसान इसकी तरफ आकर्षित होगा, आकर्षित होगा तो किसानों को खेती के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि जिस तरह से सिरोही गुजरात से लगता हुआ जिला है, सिरोही जिले में कृषि मण्डी नहीं है। एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज वहां के किसानों को या तो कृषि मण्डी के लिए सुमेरपुर जाना पड़ता है, जो पाली जिले में है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, सहकारिता मंत्रीजी भी विराजे हैं और कृषि मंत्रीजी भी विराजे हैं, मेरे किसानों के लिए एक बहुत बड़ी बात, मैं और मेरे जिला कलक्टर साहब, दोनों ने मिलकर, एक महीने से मेहनत की परन्तु अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण मेरे किसानों का चना नहीं खरीदा गया। आज किसानों की हालत यह हो गई कि हजारों क्विण्टल चना किसानों के घरों में पड़ा है। किसानों की चने की फसल थी खरीद नहीं हो सकी। नेफेड में भी बात की, राजफैड में भी बात की, मंत्रीजी से भी बात की, कृषि मंत्रीजी से भी बात की, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि 28 जून का हमने बंद कर दी, पर

(श्री ओटाराम)

हमने तो इसमें 5 जून से ही चालू कर दिया था, तो भी इसकी खरीद नहीं हुई। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है मेरे सिरोही जिले के लिए कि मेरे किसानों की फसल आज भी घरों में पड़ी है। उन किसानों के लिए मैं कृषि मंत्रीजी कहना चाहता हूं, हमेशा कृषि मण्डी का जब अध्यक्ष बनता है तो मेरे सिरोही जिले से तीन मैम्बर जीतकर आते हैं तब सुमेरपुर कृषि मण्डी का अध्यक्ष बनता है, परन्तु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरे सिरोही की जनता के लिए, चने की फसल की व्यवस्था नहीं हो सकी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं जो समर्थन मूल्य था उस समर्थन मूल्य में हमारे किसानों के साथ अन्याय हुआ है। दूसरा, हमारे वहां मण्डी नहीं होने के कारण जितने भी किसान हैं वह अपनी फसल को लेकर या तो गुजरात में ऊंझा मण्डी जाते हैं। उसमें एक बहुत बड़ी बात है कि जब मण्डी की बात आती है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मण्डी के अन्दर हमारे वहां जिस तरह से टैक्स लेते हैं, सन् 1976 से मण्डी का शुल्क हमारे वहां सिरोही में लेते हैं। किसानों से शुल्क तो लिया जाता है, परन्तु सुविधा नाम की कोई चीज नहीं दी जाती है। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में इनके लिये आप एक बार विचार करके मेरे सिरोही जिले को भी कृषि मण्डी से जोड़ें ताकि इस समस्या का समाधान हो।

दूसरा, पशुपालन विभाग, आपने देखा होगा कि सिरोही में पशु चिकित्सालय तो है, पर डाक्टर नहीं हैं। जितने भी पद खाली पड़े हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में जितने भी पद खाली हैं वे भरे जाएं ताकि आने वाले समय में हमारे किसानों को फायदा मिल सकता है। दूसरा, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य के घुमन्तु पशुपालकों, गौपालकों, ऊंट पालकों पर कहीं बिजली गिर जाती है, आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, जंगली जानवरों का कहीं हमला हो जाता है, जिससे उनको क्षति या उनकी मृत्यु होने पर मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि उनको आर्थिक सहायता दी जाए। इसी आशा के साथ, जय हिन्द, जय भारत।

**श्री अध्यक्ष**: श्री हमीरसिंह भायल।

**श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना): आदरणीय सभापति महोदय, मैं कृषि विभाग पर निवेदन और प्रार्थना करुंगा। मांग संख्या 37, मेरा सिवाना विधान सभा क्षेत्र, एक समय था कि बाड़मेर में कश्मीर कहलाता था, खूब पानी था। आज की तारीख में 15-20 प्रतिशत एरिया में कुछ पानी जरुर है। खेती के

(श्री हमीरसिंह भायल)

लिहाज से जीरा, ईसबगोल, सब्जियां, सरसों बहुत ही बढ़िया होती थी। अब मेरा निवेदन और प्रार्थना है कि कुछ कम पानी की वजह से बूंद-बूंद सिंचाई, अनार की खेती शुरू की है, अनार में दूसरी जगह जैसे बगीचों में बागवानी की स्कीम अगर इसमें लागू की जाए, ज्यादा सब्सिडी दी जाए। एक इसमें कुओं में कम पानी होने की वजह से थ्री-फेस जो कनेक्शन है, जैसे दस-पन्द्रह या बीस का पम्प जो लगा हुआ है, बार-बार ट्रिपिंग की वजह से कम पानी में खेती करने के लिये सिंगल-फेस कनेक्शन अगर जारी किये जाएं तो किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी। यह महती आवश्यकता है, जरुरत भी है जल स्तर नीचे जाने की वजह से।

यह सारी कृषि उपज मण्डी की जो सड़कें हैं, उनको न तो विभाग कभी न पी.डबल्यू.डी. काम कराती है। मेरे एरिये में उदाहरण के तौर पर सिणधरी में आज से दस साल पहले बनी सड़क इस तरीके की टूटी हुई है कि उसको पी.डबल्यू.डी. हाथ नहीं देती और कृषि मण्डी कभी वह करवा नहीं पाती। मुख्यालय सिवाना में भी पांच से सात किलोमीटर ऐसी की ऐसी सड़क है। कर्मावास से सांवल्डा और धीरां से सेला, उस सड़क की भी यही हालत है। सड़कों का काम जो कृषि मण्डी द्वारा हुआ है, उसको वापस मंत्रीजी से आपके मार्फत निवेदन करुंगा कि वह जल्दी हाथ में लें। खेती के लिये रोजड़े और सुअरों का नुकसान सब माननीय सदस्यों ने निवेदन किया है, तारबंदी, बाड़ करने के लिये ज्यादा अनुदान बढ़ाकर किसानों को मदद की महती आवश्यकता है, इसको ध्यान में रखते हुए करने का मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं। बाड़मेर जिले में चार कृषि मण्डी, बाड़मेर, बालोतरा, सिवाना और समदड़ी, यह भूल से हुई, सिवाना और समदड़ी की जो डी.एल.सी. रेट है, बाड़मेर और बालोतरा से चार गुना ज्यादा डी.एल.सी. रेट है। इस वजह से न तो व्यापारी गोदाम ले पा रहे हैं, न वे दुकान ले पा रहे हैं। चार से बहुत ज्यादा वह डी.एल.सी. रेट है, उसको थोड़ी कम करवाएं ताकि व्यापारी कृषि मण्डी में दुकान भी ले सकें, गोदाम भी ले सकें और वह कृषि मण्डी भी आराम से चालू हो सकें। मैंने इस बारे में मंत्रीजी को पत्र भी लिखा है। बाड़मेर जिले में शिक्षा की दृष्टि से हर क्षेत्र में कमजोरी है। कृषि महाविद्यालय, समदड़ी के अन्दर 120 बीघा जमीन है। कृषि फार्म के नाम से कृषि विभाग के नाम भूमि है। अगर कृषि महाविद्यालय वहां खुलता है तो पूरे जिले को फायदा होगा। पर्याप्त जमीन होने की वजह से पहले भी वहां भूखण्ड काफी कृषि विभाग से बने हुए हैं, उनका उपयोग भी हो जाएगा और जिले के किसान वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी।

(श्री हमीरसिंह भायल)

मांग संख्या 39, पशुओं की पूरे जिले में, सिवाना में, सिणधरी से लगाकर बहुत ही पशु हैं, जहां हास्पिटल और डाक्टर नगण्य हैं। इन्द्राणा में हास्पिटल जरुर है, डाक्टर नहीं है। इन्द्राणा जो ग्राम है उसमें 'ए' श्रेणी का हास्पिटल, बीमारियों के उपचार हेतु मोबाइल टीम और जितने भी रिक्त स्थान, डाक्टरों और कम्पाउण्डरों के जो भी हैं, उनके पड़े हैं, उनको भरने की आवश्यकता है। जहां मोतीसरा, भाटा, सेवाली, भूका भगतसिंह, चाडों की ढाणी, कर्मावास, सिणेध, बहुत ही ज्यादा पशु होने की वजह से वहां हास्पिटल की सुविधा नहीं है, नया हास्पिटल खोलने की आवश्यकता है।

पशुओं के लिये दवाएं भी फ्री, नि:शुल्क दवाओं की आपूर्ति हो तो पशुओं का आराम से इलाज हो सके, मोबाइल टीम भी हो। यही मेरा निवेदन और प्रार्थना रहेगी।

आदरणीय सभापति महोदय, मांग संख्या 36 पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, सहकारी समितियां हैं, पंचायत समिति में 40 पंचायतें होने के बावजूद भी जी.एस.एस. बीस हैं। इनकी बढ़ोतरी हो। कई गांव ऐसे हैं कि वहां गोदाम बिलकुल बने हुए नहीं हैं, भवन भी जर्जर हैं। अभी इस खरीफ की फसल में लोनिंग में समदड़ी, मजल, राखी, खारा बैल्ट के कई गांव वंचित रह गये हैं। समय पर किसानों ने अपना कर्ज जमा करा लिया था लेकिन उनको भी अभी तक लोनिंग मुहैय्या नहीं हुआ है। इसलिये इसको भी समय पर करवाने की आवश्यकता महसूस कर रहा हूं, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं। यही निवेदन करके मैं मेरी बात पूरी करता हूं।

**श्री सभापति**: श्री हीरालाल **नागर**।

**श्री हीरालाल नागर** (सांगोद): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री के नेतृत्व में राजस्थान में कृषि में ऐतिहासिक व दूरगामी सोच के साथ काम हो रहा है। आने वाले सालों में यह परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। राजस्थान में पूरे देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से हम सबसे बड़े प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। एक तरफ बाढ़ आती है तो दूसरी तरफ मरु प्रदेश में सूखा पड़ता है।

**(18.29 बजे)**

**(श्री कैलाश मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)**

जब हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी पूर्व के कार्यकाल में वर्ष 2007 में इजराइल गईं और उन्होंने पश्चिमी राजस्थान जैसी रेगिस्तानी जलवायु वाली

(श्री हीरालाल नागर)

स्थिति देखी तो वहां पर ज़ैतून की खेती प्रमुखता से की जा रही है और इजराइल का नाम हमसे छोटा प्रदेश होने के बाद भी आज विश्व के मानचित्र पर प्रमुखता से और एक समृद्धशाली देश के रूप में लिया जाता है। उसे देखकर हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी बहुत उत्सुक हुईं और उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम भी राजस्थान में इजराइल की तर्ज पर जैतून की खेती कर सकते हैं। उन्होंने बड़ी उत्सुकता के साथ भारत लौटने के बाद जब यहां के आई.सी.आई., भारतीय अनुसंधान संस्थान से कहा कि राजस्थान में जैतून की खेती किस तरह से हो सकती है, आप सुझाव दें। तो आई.सी.आई. ने राजस्थान के रेगिस्तान को जैतून की खेती के उपयुक्त नहीं माना। बड़े दुर्भाग्य की बात रही लेकिन माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बड़े वीजन के साथ, जब वहां पर स्वयं देखा और सोचा तो उन्होंने एक काम करने की ठानी और उन्होंने वहां जैतून के पौधे यहां पर आयात किए और वह आयातित पौधों को राजस्थान में जयपुर की दुर्गापुरा की इस प्रयोगशाला में रखवाया और उन्हें वहां से वितरित करके राजस्थान के कृषि फार्मों पर लगवाया और वह ज़ैतून के पौधे आज पांच साल बाद में अभी इस स्थिति में हैं कि उनसे व्यावसायिक रूप से खेती के द्वारा आज जैतून की फसल तैयार है। इसके लिए एक रिफाइनरी भी यहां पर लगायी जा रही है। उस रिफाइनरी के द्वारा राजस्थान में जैतून के द्वारा ओलिव आयल प्राप्त होगा और यह आज स्थिति साफ हो गई कि राजस्थान में हम जैतून की खेती कर सकते हैं।

आज हम ढिंढोरा पीट रहे हैं कि बाड़मेर में रिफाइनरी आनी चाहिए। मैं कहता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान में जैतून की खेती बाड़मेर की रिफाइनरी को पीछे छोड़ देगी, ऐसा इतिहास रचेगी और यह अगर सम्भव हो पाएगा तो हमारी दूरदर्शी मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में, उनके वीजन की वजह से सम्भव होगा कि राजस्थान का मरु प्रदेश विश्व के मानचित्र पर ज़ैतून की इस वैल्यूएबल खेती के द्वारा जाना जाएगा और इसका प्रयोग होने के बाद निश्चित रूप से हम आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, शक्तिशाली भी होंगे और जैतून की खेती के द्वारा हमारा प्रदेश सम्पन्न भी होगा।

आज इसी तरह से एक खजूर की खेती पर भी एक प्रयोग हुआ और खजूर की खेती के लिए भी हमारे प्रदेश में अनुकूल जलवायु है। इसका भी टिश्यु-कल्चर द्वारा, इस पद्धति के द्वारा पौधे आयातित किए गए और उन्हें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुन्झुनूं

(श्री हीरालाल नागर)

आदि जिलों में भेजा गया और वहां पर लगाया गया। आज 90 प्रतिशत अनुदान के ऊपर यह खजूर के पौधे वहां अनुदानित रूप से लगाये जा रहे हैं और निश्चित रूप से इस पर भी खजूर की जो जलवायु हमारे लिए उपयुक्त है। इन दोनों पर प्रयोग किया जाता है, हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी और कृषि मंत्री के द्वारा, जो यह काम हाथ में लिया गया है, निश्चित रूप से इसके द्वारा हमारी परम्परागत खेती जो हम कर रहे हैं, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन होगा और इस ओर और अधिक प्रयोग करके हमें आगे बढने की जरूरत है। क्योंकि, परम्परागत खेती के द्वारा हम एक सेचुरेशन पर आ चुके हैं, उसमें हमारा उत्पादन नहीं बढ़ सकता लेकिन अगर इस तरह की खेती, व्यावसायिक खेती हम करते हैं और हमारे मरु प्रदेश में जहां पर बीघों के बीघे हमारी जमीन जो उपजाऊ नहीं है और वह व्यर्थ पड़ी हुई है, उसका प्रयोग करके इस राजस्थान को ऊचाइयों पर ले जा सकते हैं।

आज हमारे प्रदेश में, इसी तरह से हम बात करते हैं गौ-माता की लेकिन गौ-माता को जिस तरह से हमारी दुधारू गायें नष्ट हो गईं, आज गाय की स्थिति यह है कि चारा ज्यादा खाती है और दूध कम देती है। उसी का नतीजा है कि गायों को आज हर व्यक्ति सड़क पर छोड़ देता है और उसी के कारण गाय की यह दुर्दशा हो रही है और वह फसलों का भी नुकसान कर रही है और उससे दूध, निश्चित रूप से समस्याओं से इस प्रदेश को जूझना पड़ रहा है। इसकी नस्ल सुधारने के लिए आज हमें आवश्यकता है कि ऐसी प्रयोगशालाएं हम खोलें जिसमें नस्ल सुधार के माध्यम से गाय को दुधारू बनायें और हम उन नस्लों में सुधार करके इस गाय को जो आज हमारी अनुपयोगी हो गयी है उसको उपयोगी बनायें और किसान को इस लायक बनायें कि वह गाय पालने का इच्छुक हो। अगर वह अधिक दूध देगी तो निश्चित रूप से गाय को किसान सड़क पर नहीं छोड़ेगा। इसलिए ज्यादा आवश्यकता, आज जगह-जगह पर हम जो बात करते हैं कि यहां हम गौ-शाला खोलें, अनुदान पर गौ-शालाएं चलाएं और सरकार यह काम करे तो मैं कहता हूं कि इसमें सरकार का ही काम है कि नस्ल के सुधार में सरकार काम करे और इसमें सरकार काम करेगी और उस नुकसान के सौदे को जब वह अगर मुनाफे का बन जाएगा तो निश्चित रूप से गाय के संरक्षण में फिर सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसान खुद सक्षम होगा कि उसके दूध से आय करके वह किसान अपनी आय बढ़ाए।

**श्री अध्यक्ष**: स्थान ग्रहण कीजिए। छह मिनट हो चुके हैं। दो मिनट और बोल लीजिए।

**श्री हीरालाल नागर** (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर में बोल रहा हूं इसलिए, पहले बोलने वाले तो आधा-आधा घंटा बोल गये, मुझे आप छह मिनट में ही निर्देश दे रहे हैं। मेरा निवेदन है।

**श्री अध्यक्ष**: बोलिए-बोलिए, चालू रखिए।

**श्री हीरालाल नागर** (सांगोद): आज हमारे बीज निगम की स्थिति ले लीजिए। बीज निगमों की स्थापना हमारे प्रदेश में ही नहीं, सब जगह हमारे बीज संरक्षण के लिए अच्छा बीज किसान को मिले और उन्नत बीज के साथ-साथ किसान को अच्छा प्रोन्नत बीज मिले। आज बीज निगम को चाहिए कि इसमें भी सुधार करने की हमें आवश्यकता है, अच्छे बीज हमें दें, वितरित करें, वह उगें और उनकी प्रजनन क्षमता हो और किसान को सही बीज मिले इस ओर काम करने की काफी आवश्यकताएं हैं।

आज खाद को ले लीजिए। खाद की जहां पर आवश्यकता होती है, हमें खाद मिलता नहीं है। मैं हाड़ौती से आया हूं, हमारी स्थिति ऐसी है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना चम्बल फर्टिलाइजर है, जो यूरिया पैदा करता है। लेकिन जब हमारे यहां पर खेती चालू होती है, जब नहरें चलती हैं, पानी चलता है तो किसान लाइन लगाकर वहां उन दुकानों पर खड़ा रहता है लेकिन उनको यूरिया नहीं मिलता। इस वितरण व्यवस्था में सुधार करने के लिए पहले से तैयारी करें कि खाद इस तरह से अलाट हो कि हमारे यहां पर राजस्थान में कोटा में रेक आ रही है वह वहां से आ रही है कांडला से, और वहां की रेक जा रही है पंजाब, इसमें स्थिति में परिवर्तन करना चाहिए। हमें चाहिए कि जहां पर उत्पादन हो रहा हो तो अधिक से अधिक वहां का एलोकेशन करवाएं ताकि खाद की किल्लत किसान को फसल के टाइम पर नहीं हो, इसके लिए सुधार की जरूरत है।

आज सड़कों की स्थिति लीजिए। किसान को आवश्यकता है कि वह मण्डी में अपना अनाज लेकर आता है और जब वह अनाज लेकर आता है तो कई गांवों की सड़कों की स्थिति ऐसी है तो कृषि विभाग के द्वारा जो सड़कों का काम किया जा रहा था, पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा उस पर रोक लगा दी गयी है। माननीय कृषि मंत्रीजी से और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि कृषि उपज मण्डी द्वारा जो सड़कें बनाई जा रही थीं उन सड़कों को वापस कृषि उपज मण्डी द्वारा बनाने के लिए

(श्री हीरालाल नागर)

माननीया मुख्य मंत्रीजी प्रयास करें और कृषि मंत्रीजी भी प्रयास करें तो जिन गांवों में छोटी-छोटी सड़कें, जो पी.डब्ल्यू.डी. नहीं बना सकता, दूसरे विभाग नहीं बना सकते और लोग आये दिन परेशान होते हैं। ऐसी सड़कों को कृषि विभाग द्वारा, कृषि उपज मण्डी समिति के द्वारा बनाया जाए ताकि किसानों को उनका लाभ मिल सके।

आज पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा राजस्थान में कई विश्वविद्यालयों की घोषणा की गयी लेकिन उनके बजट का कहीं पता नहीं और उनमें कुलपति नियुक्त कर दिए गए। आज देखिए कि कई तरह के विश्वविद्यालय खोले हैं। मैंने तो यह भी सुना है कि जिनका पता नहीं था, कई माननीय सदस्य बोल रहे थे तो उन विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त कर दिए, और भी उनके लिए व्यवस्थाएं कर दी गईं लेकिन वहां पर पढ़ाई के नाम पर न तो स्टूडेंट्स हैं और न कोई कालेज है, केवल विश्वविद्यालय खुल गये और कुलपति बैठ गये। वह मोटी तनख्वाह ले रहे हैं। यह हमारे हाड़ौती में भी, कोटा में कृषि विश्वविद्यालय खोला गया है। मेरा निवेदन है माननीय कृषि मंत्रीजी से कि उस कृषि विश्वविद्यालय में एक कृषि महाविद्यालय खोला जाए और उस कृषि महाविद्यालय के द्वारा अभी यहां पर सीट्स स्थापित की जाए। उसमें पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर प्रोफेसर है, मैं आपको बता दूं कि वहां पर प्रयोगशालाएं हैं, मिट्टी परीक्षण के प्लांट है, हैल्थ क्लिनिक है, फाइटो-सेनेटरी लैब है, लैब है, शस्य-विज्ञान है। सभी तरह की वहां पर प्रयोगशालाएं हैं। क्लास रूम है-छह, पुस्तकालय है-एक, अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं-16, एक अतिथिगृह भी बना हुआ है। इस तरह की वहां पर भूमि भी है। 12 प्रोफेसर लगे हुए हैं, सह-प्रोफेसर-7 लगे हुए हैं। सहायक प्रोफेसर-17 हैं, यह सब होने के बाद भी करीब 100 स्टाफ और है लेकिन वहां पर कालेज नहीं होने से, महाविद्यालय नहीं होने से वह यूनिवर्सिटी व्यर्थ पड़ी हुई है। मेरा निवेदन है कि वहां पर एक महाविद्यालय खुले और 100 सीट्स का उसमें आबंटन हो ताकि वहां पर भर्ती होकर प्रदेश के लोगों को इसका फायदा मिले। मेरा एक और निवेदन है...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: स्थान ग्रहण कीजिए।

**श्री हीरालाल नागर** (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि हमारे केन्द्रीय बजट में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की घोषणा हुई है। कोटा उसके लिए उपयुक्त स्थान है और राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में कोटा हाड़ौती का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

(श्री हीरालाल नागर)

उसे जो यह कृषि विश्वविद्यालय बजट के अभाव में आज नहीं खुल पा रहा है, चरमरा रहा है, इसमें किसी तरह के बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तन कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से इसके लिए धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी।

**श्री हीरालाल नागर** (सांगोद): धन्यवाद।

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** (करणपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका आभारी हूं। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर तीन जिलों से केवल एक आदमी बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे आपका संरक्षण और थोड़ा समय में रिलक्सेशन मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।

**श्री अध्यक्ष**: पूरे दस मिनट।

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** (करणपुर): पन्द्रह मिनट दे दो साहब।

**श्री अध्यक्ष**: बाकी पांच-पांच मिनट बोल रहे हैं, आपको पूरे दस मिनट।

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** (करणपुर): मैं आपके माध्यम से राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रदेश की वित्त की जो खस्ता हालत है, उसके बावजूद किसानों के लिये काफी कुछ देने की कोशिश की है। साढ़े 28 करोड़ रुपये खाद का स्टाक जमा करने के लिये, 1892 करोड़ रुपये बंजर भूमि विकास के लिये, 50 करोड़ रुपये किसानों को इक्विपमैंट खरीदने के अन्दर 5 प्रतिशत पर कर्ज देने के लिये, 119 करोड़ 20 लाख रुपये सोलर पम्प की सब्सिडी के लिये, 5 करोड़ रुपये हमारा पशुधन के सुधार के इंटीग्रेटेड लाइव स्टाक के प्रोग्राम के लिये 150 करोड़ रुपये जो सब्सिडी है ताकि किसानों को 4 प्रतिशत तक ब्याज दिया जा सके। गांव के अन्दर स्टोर बने, उसके लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। निश्चित तौर पर मुख्य मंत्रीजी के इन सराहनीय कदमों के लिये मैं उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं किसानों की ओर से।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश किसानों का देश है। महात्मा गांधी ने यह कहा था कि इस देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है और उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी, उसके अन्दर ग्राम स्वावलम्बन और गांव आत्मनिर्भर बने, इसको आधार मानकर ग्रामराज्य और रामराज्य का उन्होंने संदेश हमारे नेताओं को दिया था। लेकिन

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

दुर्भाग्य रहा कि देश के अन्दर प्रधानमंत्री के लिये दो व्यक्ति सामने आये। एक माननीय पटेल थे जो कृषक परिवार से थे, किसान थे। जब उनसे पूछा गया वाट इज यूअर कल्चर? तो उन्होंने कहा था माई कल्चर इज एग्रीकल्चर। लेकिन दुर्भाग्य था ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सका और बने गये पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित और मेट्रोपोलिटिन सिटी में रहने वाले माननीय नेहरूजी, लेकिन वहीं से किसान का पतन शुरू हो गया। वहीं से खेती-बाड़ी और किसान के बुरे दिन आ गये।

माननीय 1951 में नेहरूजी रशिया गये। पंचवर्षीय प्लान लेकर आये और उसके माध्यम से देश की तरक्की का रास्ता खोल दिया। पहली पंचवर्षीय योजना बनी...(व्यवधान)

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, सब्जैक्ट पर बोलो। आपका समय जाया हो रहा है। दस में से पांच मिनट हो चुके हैं।

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** (करणपुर): योजनाओं में 24 प्रतिशत पैसा लगा पहली पंचवर्षीय योजना में, लेकिन घटते-घटते वह पैसा माननीय आज जो योजनाएं हैं, उसके अन्दर जो योजना लास्ट में 6.5 प्रतिशत रह गया और उसके कारण से आज किसान को पैसा नहीं मिला तो 2 लाख किसानों को देश के अन्दर आत्महत्या करने के लिये मजबूर होना पड़ा। यह एक राष्ट्रीय शर्म की बात है।

मैं माननीय ज्यादा इस विषय की ओर नहीं जाता हुआ इतना ही कहना चाहूंगा कि यह जो स्थितियां पैदा हुई हैं इनके अन्दर बहुत बड़े तौर पर ऐसे लोग जिम्मेदार थे, जिन्होंने 60 साल तक राज किया और देश के किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन वर्तमान समय आ गया है कि योजनाओं के अन्दर अगर कृषि पर पैसा नहीं बढ़ाया गया तो आने वाले समय में देश के किसान के दिन अच्छे नहीं आयेंगे। इसीलिये जरूरत है कि पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को महत्व दिया जाये।

आदरणीय मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि इस देश के अन्दर पैसा वैसे ही कृषि में कम था, लेकिन सब्सिडी मिली किसान को, जो भी किसान को सहायता मिली, वह भी जो वास्तविक किसान था, उसको नहीं मिल पायी। जो लोग किसान नहीं थे, उन्होंने उसको हड़पने की कोशिश की। आज आप यह जो फार्म बने हुए हैं, कभी इनके अन्दर जाकर देखो। इसके अन्दर स्वीमिंग पूल बने हुए हैं, इसके अन्दर शौकीन लोगों के बार बने हुए हैं, वहां

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

घूमने के लिये पथ बने हुए हैं। आज वह लोग और बहुत-से लोग किसान के नाम पर देश को लूट रहे हैं। जो सब्सिडी मिलती है, वह किसान को नहीं मिलती। किसान वास्तव में कौन है? जो खुद अपने हाथ से खेती करते हैं और जिसका खेती के अलावा कोई और साधन नहीं है, मैं तो उसी को किसान मानता हूं। अगर कोई 500 करोड़ की रिटर्न भरता है और 20 बीघा जमीन रखता है तो माफ करना वह किसान नहीं है। यहां किसान के साथ क्या मजाक हो रहा है।

अभी हमारे क्षेत्र के अन्दर 6 हजार करोड़ रुपये की रिटर्न भरने वाला उसने किसान के नाम पर पार्टी बना दी। किसान बहकावे में आ गया, आज जमींदारा पार्टी नाम रख लिया, दो सीटें भी जीत लीं। लेकिन आज दोनों ही सदस्य उनके कृषि पर जो बात चल रही है, जमींदारा पार्टी के सदस्य सुबह से सदन से गायब है, यह किसान के साथ धोखा नहीं तो और क्या है? माननीय ऐसे लोगों के कारण किसान हमेशा बहकावे में आया है और किसान इस कारण से आज पिछड़ता जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा क्योंकि समय कम है, इसलिये किसान को कैसे मजबूत किया जाये, इसके लिये मैं पांच बातें माननीय कृषि मंत्री यहां नहीं हैं, उनके सामने मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि किसान का उत्पादन बढ़े। उत्पादन बढ़ने के लिये जरूरी है कि अच्छे बीज हों। यह दुर्भाग्य है कि राजस्थान में 30 प्रतिशत लोग केवल सर्टिफाइड बीज का प्रयोग करते हैं और 70 प्रतिशत लोग वही घटिया बीज का प्रयोग करते हैं। एक किलो भी हाई ब्रीड बीज हम नहीं बना सकते। सारा हम बाहर से मंगाते हैं और वह नकली निकलता है। जरूरत है राजस्थान के अन्दर 90 प्रतिशत लोगों के पास सर्टिफाइड बीज जाये। हमारे पास कितने फार्म हैं, हम ठेके पर दे देते हैं। सेंट्रल पार्क गंगानगर में केवल सेंट्रल फार्म हाउस के अन्दर 70 हजार एकड़ जमीन पड़ी है, 17 हजार एकड़ जमीन गंगानगर के ए.टी.सी. फार्म में पड़ी है, हम ठेके पर दे रहे हैं। बीज उत्पादन नहीं कर रहे हैं। माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है राजस्थान के हरेक ए.टी.सी. फार्म पर बीज का प्रोग्राम हो, किसानों को उत्तम बीज मिले और बीज के माध्यम से किसान का उत्पादन बढ़े।

दूसरी बात माननीय, अगर लागत कम नहीं होगी और लागत कम करने के लिये तीन बातों में किसान लुट रहा है। सबसे पहला मंहगा डीजल,

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

उसके कारण मर रहा है। आज अमेरिका जाओ, वहां नीले रंग का डीजल मिलता है, बगैर टैक्स का डीजल किसान को मिलता है। जब तक किसान को सस्ता डीजल नहीं मिलेगा, बगैर टैक्स का डीजल नहीं मिलेगा, किसान का लागत मूल्य कम नहीं होगा। किसान को बिजली के ऊपर आज 10-15 हार्स पावर की मोटर, कितना बड़ा बिल देना पड़ता है। सोलर के माध्यम से हम किसान को सोलर ऊर्जा उपलब्ध कराकर उसका लागत मूल्य कम कर सकते हैं।

इसी तरह से लागत मूल्य के अन्दर आजकल जीरो बजट पर खेती है। उसको जीरो कर खेती को हम बढ़ावा दे सकते हैं। मेड़ पर खेती करके पानी की बचत करके हम खेत का लागत मूल्य कम कर सकते हैं। इसी तरह से आज सबसे ज्यादा किसान मजदूरी के कारण पीड़ित है। नरेगा को कृषि से अगर हम जोड़ दें और जो पैसा उसको नरेगा में मिलता है मजदूर को, उसके साथ किसान भी 100 रुपया जोड़ दे तो इससे किसान को भी फायदा मिले और नरेगा में मजदूर को भी फायदा मिले तो निश्चित तौर पर लागत कम होगी। तो लागत मूल्य भी कम करके हम किसान को आगे बढ़ा सकते हैं।

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

मान्यवर, अभी दो मिनट ही हुए हैं।

**श्री अध्यक्ष**: दो मिनट और हैं।

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** (करणपुर): मान्यवर, दो मिनट में तो कुछ नहीं होगा।

**श्री अध्यक्ष**: आप 8 मिनट बोल चुके हैं।

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** (करणपुर): मान्यवर, इसी तरह से सोलर हंट के अन्दर कार्ड बने, माइक्रो न्यूट्रेट वैल्यू के हिसाब से लाभकारी मूल्य किसान को मिले और एम.एस.पी. के अन्दर किसानों की भागीदारी हो और क्रोप के अन्दर जो बारदानी है, फूलों की खेती है, इसके ऊपर भी अगर डायवर्शन करके किसान को संरक्षण दिया जाये तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा किसान के लिये आने वाले समय में फायदेमंद हो सकता है।

इसी तरह से पशुपालन है। नस्ल सुधार के अन्दर हम अन्य देशों के सीमन आयात कर सकते हैं और वहां से मंगाकर मान्यवर, हम इजरायल गये थे, वहां भेड़ औसतन पांच किलो दूध देती है एक टाइम। हमारे यहां किसान ऊन के लिये उसको पालता है और पांच किलो दूध के अन्दर मंत्री भी हमारे साथ थे, तीन किलो पनीर निकलता है। ऐसी भेड़ का सीमन लाकर हमारे यहां

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

प्रजनन केन्द्र हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या है, हम भेड़ पालन के अन्दर किसान को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बी.पी.एल. परिवार को दस बकरी दे दो और एक अच्छी किस्म का उसके साथ बकरा दे दो। उस गरीब को हमेशा के लिये वह रोटी मिल जायेगी। आज गरीब के लिये वन विभाग के माध्यम से अरडू के पेड़ लगाओ। उसके अन्दर और दूसरे पेड़ लगाओ तो निश्चित तौर पर उसको जो फूड वैल्यू है, वह भी जानवर को मुफ्त में मिलेगी और खेती-बाड़ी के अन्दर बी.पी.एल. परिवार के लिये इससे बढ़िया कोई सौदा नहीं हो सकता।

मान्यवर, इसी तरीके से मैं उच्च शिक्षा पर दो मिनट के लिये बोलना चाहूंगा। आज यूनिवर्सिटियां बन गयीं। यून्विर्सिटी की हालत यह है कि तीन-तीन महीने से वेतन नहीं मिला। तीन-तीन महीने से जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको पेंशन नहीं मिली। आज हमारे 365 पद हैं, उनमें 165 पदों पर नियुक्ति है, बाकी सारे खाली पड़े हैं। हमारे तीन महाविद्यालय हैं, उनमें कोई लैक्चरर नहीं और जो हमारे यहां विज्ञान के हैं, वह वहां जाते हैं। इसलिये जरूरत है यूनिवर्सिटी में सुधार हो।

स्टाफ पूरा हो, पूरे राजस्थान के अन्दर एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी कमी है। केवल मेरे यहां गंगानगर में 60 परसेंट पद खाली हैं। जब तक एग्रीकल्चर के अधिकारी नहीं होगे तो आगे जो भी हम रिसर्च करते हैं उसका एक्सटेन्शन नहीं हो पायेगा।

**श्री अध्यक्ष**: बस, स्थान ग्रहण कीजिए। श्री बंशीधरजी।

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** (करणपुर): एक मिनट, साहब।

**श्री अध्यक्ष**: सब हो गया, पूरा आ गया। ध्यान आकर्षित कर दिया आपने। श्री बंशीधरजी बाजिया।

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** (करणपुर): केवल एक मिनट। कृषि उपज मण्डी पर एक मिनट में बोलना चाहता हूं, एक मिनट दे दो, साहब।

माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में जो हमने हमारी आबंटन नीति बनायी थी उसके अन्दर काफी कमी आ गयी, उसमें पुनर्विचार की जरूरत है। आज 35-35 साल से लाइसैंस लिये जो व्यापारी घूम रहा है उसको दुकान तो नहीं मिली और रात को लाइसैंस बना, सुबह आई.टी.एल. का ठप्पा लग गया, उसको लाइसैंस मिल गया। पुराने जितने भी लाइसैंस होल्डर हैं उनको जब तक दुकान का आबंटन नहीं हो तो नये लाइसैंसी को दुकान नहीं मिलनी चाहिए।

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने अक्षय कलेवा शुरू किया, इसके लिए बहुत-बहुत बधाई लेकिन मंडियों में एक बहुत बड़ी दिक्क्त है, मंडियों में जो दुकानें हैं उनकी रजिस्ट्री है, सेम दुकान फर्स्ट अलाटमेंट में तीन लाख रुपया और सैकिण्ड अलाटमैंट में 80 हजार, दो लाख का फर्क है, इस पर विचार करो। एक बात और है कि ट्रांसफर आफ दुकान दस परसेंट आपको एक्स्ट्रा देता है, अगला दुकान इकट्ठी करता है, इस पर रोक है इसको भी देखो।

अंतिम बात मैं कहूंगा, मान्यवर, गंगानगर जिले में सैण्ट्रल यूनिवर्सिटी की भी आवश्यकता है क्योंकि सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर की दृष्टि से हमारे यहां देखें तो 18 लाख 82 हजार एकड़ जमीन उपजाऊ है, 15 लाख 42 हजार में सिंचाई होती है और 21,347 हैक्टेयर में बाग़ लगे हैं, ऐसा उपजाऊ क्षेत्र है, एक भी महाविद्यालय नहीं, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं, हमारा हक है, कृपया हमें इसके लिए जरूर दें।

**श्री अध्यक्ष**: अब आप विराजिये। अब विराजिये, आपने ध्यान आकर्षित कर लिया। श्री बंशीधरजी बाजिया।

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** (करणपुर): बाकी मैं अपना मांग पत्र टेबल कर दूंगा।

**श्री अध्यक्ष**: हां, टेबल पर रख दें। श्री बंशीधर बाजिया।

**श्री बंशीधर** (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37, 39 और 36- को-आपरेटिव पर निवेदन करना चाहता हूं।

केन्द्रीय सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक एक काश्तकार के लिए अच्छी बात भी है लेकिन कई जगह लूट का अड्डा बना हुआ है। को-आपरेटिव मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैं आपके द्वारा उनको बताना चाहूंगा कि हर भूमि विकास बैंक पर, हर को-आपरेटिव बैंक पर, हर जी.एस.एस. पर लोन लेने के जो नोर्म्स हैं, लोन के लिए जो-जो चीजें चाहिए वो पारदर्शिता एक बोर्ड पर होनी चाहिए। काश्तकार की फाइल तभी ली जाए जब वो फाइल कम्प्लीट हो जाए। इस चक्कर में चक्कर कटवाते रहते हैं और दलाल घूमते रहते हैं, उन दलालों से मुक्ति दिलाने के लिए हर फाइल के लिए, लोन के लिए यह-यह कागज होने चाहिए, वह पारदर्शिता एक बोर्ड पर रहनी चाहिए जिससे काश्तकार को लुटेरों से बचाया जा सके।

**(माननीय सदस्य, श्री सुरेन्द्र पाल सिंह ने मांग पत्र सदन की मेज पर रखा)**

**श्री अध्यक्ष**: यह ले लो इसको। (व्यवधान) स्वीकार कर लो।

**(माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर) के शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)**

**श्री बंशीधर** (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि विकास बैंक की ब्याज दर आज 14.5 प्रतिशत है, यह 14.5 प्रतिशत आज कामर्शियल बैंक से भी ज्यादा है तो यह तो आपके यहां एक अच्छी खबर नहीं है कि को-आपरेटिव सैक्टर में भी ब्याज दर 14.5 परसेंट, कामर्शियल बैंक से ज्यादा है तो इसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको समान करके कामर्शियल बैंक की बजाय कम किया जाए।

साहब, मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि फसली ऋण बंद हो गये, फसली ऋण जरूर चालू होने चाहिए, काश्तकार के लिए एक लाइफ लाइन है, जरूरत पड़ती है तो फसल के लिए ऋण ले लेता है तो उसके लिए चालू होना चाहिए।

प्रत्येक जी.एस.एस., ग्राम सेवा सहकारी समिति में गोदाम होने चाहिए, गोदाम होने से किसान के लिए खाद का स्टाक हो सकता है और जो जरूरतमंद काश्तकार है वह अपनी फसल वहां रख कर वहां से लोन ले सकता है उसको गिरवी रख कर, जिससे बिचौलियों से बचाया जा सकता है और अपने यहां से एक अच्छी पहल होगी कि काश्तकार के लिए अपन एक-एक गोदाम बनायें, हर काश्तकार अपना लोन वहां से ले सके।

प्रत्येक जी.एस.एस. पर राशन की दुकान की बात है, आज यहां पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं यह चाहूंगा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों को नेसेसरी कर दिया जाए कि आप राशन की दुकान का काम भी करेंगे। इससे उनकी इनकम भी होगी और यह भ्रष्टाचार भी बंद हो जायेगा। तो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के द्वारा यह राशन का, जो भी सामान वितरण है, उनके द्वारा दिया जाए जिससे भ्रष्टाचार बंद हो जायेगा।

बैजनाथन कमेटी की सारी बातें सही हैं पर उसी हिसाब से सारी बातें अपन ने अभी लागू नहीं कीं और लागू नहीं करने से हमें नाबार्ड से जो एड मिलना चाहिए पूरा नहीं मिल रहा, तो बैजनाथन कमेटी को पूरी तरह से लागू करनी चाहिए जिससे आगे पारदर्शिता हो सके।

एक बात और कहूंगा, को-आपरेटिव से जो भी लिये जाते हैं, काश्तकार

(श्री बंशीधर )

के लिए बाध्यता हो जाती है कि आप उस पर फसल ऋण लेंगे तो बीमा अलग कराइये, यह बाध्यता खतम करनी चाहिए, यह एक लूट का साधन है, यह ऐच्छिक करना चाहिए। बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि आप फसल के लिए ऋण लोगे तो आपके ऊपर बीमा पालिसी लागू हो। जिसको चाहिए वो ले और जिसको नहीं चाहिए नहीं ले जिससे कि काश्तकार उससे बच सकता है। क्योंकि फसल ऋण के लिए अपन ने कह रखा है या तो तहसील के द्वारा, एक तहसील में अनुमान लगा लेते हैं, उसमें एक तहसील में एक साइड से कोई बारिश हो गयी या शीतलहर चल गयी उस गांव में तो सारी फसल नष्ट हो गयी लेकिन आपका 50 परसेंट से कम रह जाता है वो इसलिए फसल ऋण के अन्दर जो बीमा कम्पनी है उसके केवल कमाई हो जाती है, काश्तकार लुट जाता है इसलिए यह जरूरी है कि कम से कम पंचायतवाइज न करके एक पटवार हलका के हिसाब से तो इसके कम्पनसेशन के लिए मापदण्ड होना चाहिए कि इसके यहां नुकसान हो गया, खराबा हो गया, एक पटवार हलका नाप कर कर लिया जाए जिससे काश्तकार उसमें बच सकता है। यदि ऐसा करेंगे तो हर काश्तकार आपसे ऋण भी लेगा और बीमा भी करायेगा। यह काश्तकार के हित की बात है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि शीतलहर है, कई दफे एक साइड से शीतलहर चल जाती है, एक गांव के पांच काश्तकार बच जाते हैं और 50 काश्तकार उसमें आ भी जाते हैं, पांच इसमें चले जाते हैं 50 रह भी जाते हैं, तो उसी हिसाब से उसको रहना चाहिए।

प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति पर जो पहले अध्यक्ष बन गया उसको कभी अध्यक्ष हटा नहीं सकते। यह एक राजाशाही का काम हो गया क्योंकि उसके जचे उसको वो अपना सदस्य बनायेगा, नहीं बनाना चाहे तो नहीं बनाये उस समय आप मंत्री महोदय रहो या कोई और हो, उसको आप बाध्य नहीं कर सकते। इस नियम में थोड़ा सुधार करना चाहिए कि जो आदमी जी.एस.एस. का सदस्य बनना चाहे उसको जरूर बनाया जाए और उसको लोन भी सैक्शन किया जाए। हां, यह बात जरूर है कि पहले काश्तकार की भूमि गिरवी नहीं रखते थे, अभी भी गिरवी नहीं रख रहे हैं, अपन लोन देते हैं लेकिन मेरे को डेढ़ लाख की जरूरत है और मेरे को लोन जी.एस.एस. नोर्म्स के हिसाब से केवल 50 हजार या 75 हजार का ही मिल रहा है तो मैं कम ऋण का ब्याज का या फ्री का ब्याज का छोड़ कर को-आपरेटिव सैक्टर को छोडूंगा और मैं व्यावसायिक बैंकों से जाकर मैं डेढ़ या दो लाख का ऋण लेऊंगा, उसमें

(श्री बंशीधर )

मेरे को नुकसान होता है। तो को-आपरेटिव सैक्टर के अन्दर भी काश्तकार की सीमा बढ़ायी जाए जिससे कि उसको कामर्शियल बैंक से ज्यादा ब्याज नहीं देना पड़े और काश्तकार का सुधार हो सके।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा।

**श्री अध्यक्ष**: एक-एक करके बढ़ते जा रहे हैं, आप।

**श्री बंशीधर** (खण्डेला): अभी तो को-आपरेटिव ही पूरा नहीं हुआ। खैर पशुपालन के अन्दर आ जाता हूं, कोई बात नहीं, आप जैसे टाइम देंगे उसी तरह करना पड़ेगा।

पशुपालन काश्तकार की एक लाइफ लाइन है। काश्तकार कभी भी अपनी खेती से नहीं जीता, काश्तकार जीता है पशुपालन से। पशुपालन से खेती के लिए उसको गोबर भी मिलेगा और रोज की कैश क्राप भी मिलेगी। काश्तकार पशुधन इसलिए पालता है, वह दुधारू पशुधन पर ध्यान देता है, उससे उसको रोज पैसा मिलता है, उसकी रोज की जरूरत बंद हो जाती है। पशुपालन के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी पशुओं की नस्ल लायी जाए जो ज्यादा दूध दे। प्रत्येक डेयरी के लिए दूध संकलन केन्द्र बना रखे हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा तभी दूध देने वाले आ सकते हैं कि ठंडक के लिए जो उपकरण रखे जाते हैं वो दूध की प्रत्येक सहकारी समिति के अन्दर रखा जाए।

**श्री अध्यक्ष**: आप एक बात और बोल लीजिए।

**श्री बंशीधर** (खण्डेला): यस, सर।

देसी गाय एक चलता-फिरता आयुर्वेदिक औषधालय है, देसी गायों को बढ़ावा देने के लिए उनका संरक्षण करना चाहिए। जैसे आज अपन कहेंगे कि हमें देसी गेहूं दीजिए, देसी जौ दीजिए और देसी बाजरा दीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो देसी वाली नस्ल अनाज की भी खतम हो चुकी है, इसी हिसाब से यह देसी गाय की नस्ल खतम नहीं हो जाए, जो हमेशा देसी गाय पाले उसको अनुदान देना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए।

पशु चिकित्सा के लिए एक बात और कहना चाहूंगा कि पशु चलकर चिकित्सक के पास नहीं जा सकता, चिकित्सक को फील्ड में जाने के लिए अलाउंस मिलना चाहिए और कम्पाउंडर को अलाउंस मिलना चाहिए साधन के लिए जिससे कि काश्तकार को लूट नहीं सके। काश्तकार कह सकता है कि, भाई, तेरे को अलाउंस मिलता है, तू मोटर साइकल से आया है, तेरे को अलाउंस के पैसे मिल रहे हैं। तो कम्पाउंडर और डाक्टर को अलाउंस मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आपने टाइम दिया, धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। श्री अमराराम।

**(19.00 बजे)**

**श्री अमराराम** (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का मांग संख्या 36, 37 और 39 पर ध्यानाकर्षित करूंगा। यह तीनों बहुत महत्वपूर्ण मांगे हैं। मुझे बहुत अनुभव है सहकारिता के बारे में, बाड़मेर के केन्द्रीय सहकारी बैंक के एम.डी. को अटल बिहारीजी वाजपेयी ने सम्मानित किया था। लाखों के घाटे से उबारकर के आज बाड़मेर का नाम सैन्ट्रल कापरेटिव बैंक में पूरे राजस्थान में प्रथम है। यह श्रेय है बाड़मेर की जनता और वहां के अधिकारियों को, वहां के मैनेजमेंट को।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मैनेजमेंट हर विभाग में अच्छा होगा तो वह विभाग कभी भी असफल नहीं हो सकता, कभी घाटे में नहीं जा सकता। सहकारी बैंकों में अब थोड़ी आवश्यकता इस बात की है कि जो ग्राम सेवा सहकारी सोसायटियां हैं वहां पर जो मैनेजर और व्यवस्थापक लगे हुए हैं, वह कई वर्षों से वहीं लगे रहते हैं और वहां पर वह एक जागीरदार टाइप बन जाते हैं इसलिए उनको बदलना जरूरी है, अगर इस भ्रष्टाचार को थोड़ा खतम करना है तो हमें उनमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। कैसे भी कर सकते हो, आप उनको सरकारी नौकर मानकर भी कर दो, मैं मंत्रीजी से यही निवेदन करुंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बालोतरा के अरबन कोपरेटिव बैंक की आज पूरे अरबन कोपरेटिव बैंकों में बहुत अच्छी साख है। आपने 2012 का बोनस 20 परसेंट देने की पहले घोषणा की लेकिन अभी बाद में आपने 10 परसेंट ही किया। मेरा निवेदन यह है कि इससे हमारे जितने भी ग्राहक हैं, शेयर होल्डर्स हैं वह नाराज हैं। वह नाराज इसीलिए हो रहे हैं कि हमें 20 परसेंट बोनस की गवर्नमेंट से स्वीकृति मिलनी चाहिए। इस सम्बन्ध में आप पुनर्विचार करके इस केस को दिखा देंगे और हमने इसके सारे कारण लिखित में भेज दिये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय कृषि मंत्रीजी से कि आज किसान के लिए जल, जमीन और जानवर की आवश्यकता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां 75 प्रतिशत लोग खेती करते हैं। लेकिन आजादी के बाद और जबसे वसुंधराजी आयी हैं, उससे पहले हमारे किसानों की क्या हालत थी? 1998 से लेकर के 2003 तक हमारे किसानों का जो बीमा था वह बीमा उस कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया। सिर्फ 10 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा होता है और बाकी हिस्सा केन्द्र का है। लेकिन तत्कालीन सरकार ने वह काम नहीं किया इसलिए किसानों को उस समय

(श्री अमराराम)

बीमा नहीं मिला। उसके बाद में जब हमारी सरकार आयी और 2003 से 2008 तक जो काम किया किसानों के लिए वह हमेशा इतिहास में यादगार रहेगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बीमा की जो व्यवस्था की थी वह बहुत ही सराहनीय थी।

लेकिन गत सरकार ने इस प्रकार से काश्तकारों की लिस्ट बनाई जिसके अन्दर घर में अगर 4 भाई हैं तो एक भाई को ले लिया, जमीन अलग-अलग हैं, खातेदार वह अलग-अलग हैं। लेकिन एक भाई का नाम लिख दिया और पुरानी लिस्टें जो कांग्रेस ने बनाई थीं उन लिस्टों के आधार पर हमारे लोगों की जो फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा दिया था। इसकी आप पुन: जांच करायें और जो सही लोग थे उन सबको मुआवजा मिले। यह मेरा निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि गुजरात गवर्नमैंट ने मेरे यहां के काश्तकारों को अनार की खेती करने में सम्मानित किया है। सोलर सिस्टम के अन्दर पम्प लगाने में भी उसी गांव के लोगों को सम्मानित किया है। आज हर किसान जो यह सोचता है कि कम पैसे लगें और उपज ज्यादा हो। उसी के बारे में किसान हरदम तैयार रहता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पहले बोरड़ी की झाड़ियां होती थीं, जिसे पाला कहते हैं, वह खेत में तवा चलाने से बिलकुल ही खतम हो गयी। अब वह झाड़ियां हैं नहीं जिनको मारवाड़ी में 'पायां' कहते हैं। उसी के कारण से अब उस खेत की रखवाली करना बड़ा मुश्किल रहता है। तारबंदी के लिए भी मेरा निवेदन है कि किसान को अनुदान दें ताकि खेत के चारों तरफ तारबंदी हो जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुपालन में आज हमारी कांकरेज, थारपारकर और राठी नस्ल और भंवातरां की भैंसें जो सांचोर में 60-60 हजार रुपये की मिलती हैं। ऐसी नस्ल जो हमारे यहां आज भी है। लेकिन जब से यह अमेरिकन गायें आयी हैं। इन्होंने सारी नस्ल खराब कर दी है। हमारे यहां इस प्रकार के बैल पैदा होते थे जिनको देखने के लिए तिलवाड़ा में प्रदर्शनी लगती थी। ऐसे बैल जो बहुत सुंदर-सुंदर कांकरेज और थारपारकर के थे लेकिन आज अमेरिकन गायों के बैल ना तो जोतने में काम आते हैं, वह आवारा फिरते हैं, जगह-जगह कूड़ा-करकट खा रहे हैं, बहुत हालत खराब है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह गौ-पालन और गौ-

(श्री अमराराम)

वंश को बचाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, विभाग अलग बनाया है। आप कम से कम इन आवारा पशुओं के रखरखाव के लिए सबसे पहले व्यवस्था करायें। ताकि हर शहर के अन्दर आये दिन जो दुर्घटनाएं होती हैं, कोई भी बच्चा या वृद्ध व्यक्ति आराम से बाजार में नहीं घूम सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार को और हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी को ऊंट को राजस्थान का पशु घोषित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। हमारा रेगिस्तानी जहाज ऊंट जो जैसलमेर, बीकानेर और सब जगह राजस्थान में बोझा ढोने में काम आता है। आपने अपने बीकानेर संभाग के दौरे में उसको राजस्थान का पशु घोषित किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। गौ-वंश निदेशालय जो आपने अलग खोला है इसके लिए भी धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खेती के लिए मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि जो बीज आप दे रहे हैं, जब वर्षा हो जाती है उसके बाद में, जैसे आज हमें बाजरे की जरूरत है, आज बाड़मेर जिले के अन्दर बरसात हो गयी, मेरे को टेलीफोन आ रहे हैं कि बाजरे के बीज नहीं मिल रहे हैं, मूंग नहीं मिल रहे हैं, मोठ नहीं मिल रहे हैं। क्या आपने ऐसी व्यवस्था की है जिससे उन काश्तकारों को यह बीज उपलब्ध हो जाए। लेकिन आज ऐसा नहीं है।

कई बार आप जो बीज वितरित करते हैं कृषि विभाग वाले, चने का बीज जहां चना पैदा ही नहीं होता है वहां पर चने के बीज ले जाकर के लोगों को बांटते हो। तो लोगों ने वह दाल बनाकर घर में काम में लिये हैं। मूंग में भी इसी प्रकार से होता है, मूंग कब मिलता है, फाल्गुण महीने में जाकर मूंग के बीज देते हो तो वह कौनसे उस समय काम आयेगा? जब मूंग का समय हो उस समय अगर मूंग का बीज देना चाहिए लेकिन जो सुपरवाइजर आपके वर्षों से लगे हुए हैं वह इस प्रकार से बीज में घोटाला करते हैं, उन पर आप जरूर अंकुश रखें।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें, 11 मिनट बोल चुके आप 10 के बजाय। स्थान ग्रहण कीजिये।

**श्री अमराराम** (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकार की जो पीड़ा है वह काश्तकार ही जानता है। बेरा री छाया तो बेरा में ही जाये है, खेती में कोई ज्यादा लाभ नहीं है लेकिन यह मजबूरी है। आज 75 प्रतिशत लोग खेती करते हैं और बाकी के

(श्री अमराराम)

लोग नौकरी या और मजदूरी करके अपना पेट पालन करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि आज 39 प्रतिशत अपना सिंचाई क्षेत्र है, बाकी का जो क्षेत्र है वह मरुस्थलीय क्षेत्र है और आवश्यकता इस बात की है कि जब तक हम नदियों को नहीं जोड़ेंगे तब तक यह खेती-वेती, पशु रखना, यह सब मुश्किल हो जायेगा इसलिए पानी के बिना,

रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून,
पानी गये न ऊबरे मोती, मानुष, चून।

**श्री अध्यक्ष**: बहुत अच्छे-बहुत अच्छे। स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। बहुत बढ़िया दोहा आपने सुना दिया।

**श्री अमराराम** (पचपदरा): अध्यक्षजी, इतना ही कहकर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरे यहां बाड़मेर में गन्ना पैदा होता था।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती अनिता भदेल।

**श्री अमराराम** (पचपदरा): जोजरी जरका करे, जोजरी जरका करे, समझी तू समझी नहीं, मेहन्दी का रंग कहां गया, कहां वह पानी मुल्तान गया।

मेरा निवेदन यह है कि एक समय यह था कि बाड़मेर के अन्दर जोधपुर से आप जाते थे तब तक गन्ना ही गन्ना पैदा होता था लेकिन वह पानी डाइवर्ट मुल्तान की तरफ कर दिया गया। उस जोजरी को आप पुन: चालू करवायेंगे तो बाड़मेर के अन्दर अनाज इतना पैदा होगा कि हम पूरे राजस्थान को ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान को अनाज-गन्ना हम आराम से दे सकते हैं। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती अनिता भदेल (अनुपस्थित)।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (अनुपस्थित)।

श्री भागीरथ चौधरी (अनुपस्थित)।

श्रीमती कमसा मेघवाल।

**श्रीमती कमसा** (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 36, 37, 39 पर बहस हो रही है, उसमें आपने बोलने का मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज जो बहस है वह मूल किसान की बहस है। कहते हैं कि हिन्दुस्तान की आत्मा कहां बसती है तो कहते हैं कि हिन्दुस्तान की आत्मा गांवों में बसती है, किसानों के अन्दर बसती है। अगर किसान न हो

(श्रीमती कमसा)

तो हिन्दुस्तान की कोई पहचान नहीं है, हमारी भारत की संस्कृति भी यही है और भारत की संस्कृति के अनुसार ही हिन्दुस्तान की एक पहचान है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी बातें जो कह दी गई वह मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि आप अभी बोलने का समय मुझे कम देंगे।

**श्री अध्यक्ष**: मैं आपको पर्याप्त समय दे रहा हूं, आपने पहले ही आरोप लगा दिया। (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): मैंने कहा न कि तीनों अनुपस्थित माननीय सदस्यों का समय भी इन्हें ही दे दें।

**श्रीमती कमसा** (भोपालगढ़): सबसे पहले सहकारिता की मांग है तो इस पर तो मैंने सारी चीजें लिखकर दे दी हैं फिर भी कहना चाहूंगी कि प्रदेश की जो सहकारिता में वोट का अधिकार है, जो ऋण लेते हैं उन्हीं को होता है, आपको तो सारी बात का पता है तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो ऋणी है और जो अऋणी है दोनों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो प्रबन्धकारिणी समिति है, जो ऋण बांटती है किसानों को उनके ऊपर वही पाबन्दी रहती है तो उस पाबन्दी को हटाया जाये और खुले आम किसानों को ऋण मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कोआपरेटिव बैंक से किसानों को जो राशि मिलती है तो वह पहले ही अपनी हिस्सा राशि काट लेते हैं। मेरा आपसे निवेदन है किसानों को जो ऋण मिलता है उसमें से हिस्सा राशि न काटी जाये। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में काफी वर्ष बीत गये, नये सदस्य नहीं बन रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि नये सदस्य बनाये जायें और महिला सदस्य भी बनाये जायें क्योंकि खेती के अन्दर, खेती हो या कोई भी काम हो, गाड़ी के दोनों पहिये बराबर काम करेंगे तो ही काम चलेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि महिलाओं को अधिक से अधिक सदस्य बनाया जाये।

मैं कृषि पर आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि आज से 50 साल, 40 साल, 30 साल, पहले हमारे बुजुर्ग हैं वह बताते हैं कि 200 रुपये तोला सोना मिलता था, वही जो एक बोरी बाजरे के अन्दर या एक बोरी ग्वार के अन्दर एक तोला सोना मिलता था और आज समय इतना बदल गया है कि किसान का जो समर्थन मूल्य है वह बिलकुल कम है। आज 20 रुपये, 25 रुपये किलो या 15 रुपये किलो से ज्यादा नहीं है और जो समर्थन मूल्य तय करते हैं वह एक कमेटी होती है उसमें किसानों को नहीं बैठाया जाता है। मेरा

(श्रीमती कमसा)

निवेदन है कि किसानों को उस कमेटी के अन्दर आमंत्रित किया जाये कि फसल का समर्थन मूल्य क्या होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कोई भी फैक्टरी लगाता है, छोटा सा काम करता है, एक माचिस भी बनाता है, एक जर्दे की पुडी बनाता है, बड़ी-बड़ी फैक्टरियों की बात तो अलग है लेकिन छोटी-छोटी चीज बनाता है तो फैक्टरी के मालिक अपना मूल्य खुद तय करते हैं और उस पर लिखा हुआ होता है कि इतने रुपये की है लेकिन किसान आज इतना लाचार है कि उसका समर्थन मूल्य वह खुद तय नहीं कर पाता है और जिस दिन उसकी फसल निकलती है तो अपन देखते हैं आज कि प्याज भी निकले थोड़े दिन पहले तो जिस दिन किसान ने बेचा था उस दिन पांच रुपये किलो, दो रुपये किलो, आज भाव बढ़कर एकदम ऊपर चले जाते हैं तो यह जमाखोरी होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो जमाखोरी होती है उसको बंद किया जाये और किसानों को समर्थन मूल्य पूरा मिल सके ऐसी व्यवस्था करें।

आज के दिन किसान की बेटी अगर घर में बड़ी हो जाती है तो आज से बीस साल पहले उसकी जो व्यवस्था होती थी, जो किसान का अनाज निपजता था उससे वह सारा काम निकाल लेता था और आज ऐसा समय आया है कि वह बिजली का बिल भी नहीं भर सकता है इतनी उसके उत्पाद की कीमतों में गिरावट हो गई। मेरा आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा समर्थन मूल्य मिले और जब भी आप मूल्य तय करें तो किसान उस कमेटी में आमंत्रित हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह भी कहती हूं कि उधर जो मंत्रीजी विराजमान हैं, जो आप करेंगे वह अजेय और अमर हो जायेगा आपका निर्णय और इधर प्रभुजी विराजमान हैं तो एक कहावत है कि प्रभु तो आपकी कृपा से सब काम हो रहा है तो प्रभुजी, आपकी मेहनत से सब काम हो जायेगा, करते हैं कि नहीं करते हैं लेकिन नाम आपका हो जायेगा, करेंगे वसुन्धराजी लेकिन नाम आपका हो जायेगा तो आप किसी तरह की कोई कमी मत रखना नाम कमाने में। यह नहीं कि हम वोट लेकर यहां तक आ गये, महिलाएं हम जब गांव जाते हैं तो पूछती हैं कि हमारे बारे में क्या बोला। मैं दस मिनट से बैठे-बैठे देख रही हूं कि पन्द्रह-बीस हो गये, हमारा नाम भी नहीं आता, मैंने सोचा कि महिलाएं खूब डांटेगी गांव में जाते ही कि वोट हमने भी दिया था, आपने हमारे बारे में क्या बोला तो अब हमारा नम्बर आया है तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि जो भी मैंने बातें बताई हैं तो उस पर आप बहुत जोरदार और अच्छी तरह से विचार करेंगे किसानों के बारे में।

(श्रीमती कमसा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आसोप में कृषि मण्डी है, आसोप की कृषि मण्डी का निर्माण नहीं हो रहा है, यह भी आप नोट करें कि वहां कृषि उपज मण्डी का निर्माण हो। हमारे जोधपुर जिले की छह पंचायतें हैं जो जेडीए के अन्तर्गत आती हैं। बोहरावास के अन्दर एक बहुत बड़ी गौशाला बनी हुई है इतने साल तक ग्राम पंचायत ने अपनी जमीन बचा कर रखी थी, गौशाला खोल रखी है लेकिन जेडीए के आते ही उस जमीन को उसने अपने अण्डर में ले लिया। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जेडीए से उस गौशाला की जमीन को मुक्त करवाया जाये। जेडीए पर कुछ न कुछ अंकुश जरूर होना चाहिए।

अंत में जो गायों वाला मामला है, गौशाला का मामला है, पशुओं का मामला है, इसके ऊपर भी मैं कहना चाहूंगी कि गांवों के अन्दर देखते हैं, सब जाते हैं। बहुत भला हो इन साधु संतों का जिन्होंने अलग-अलग जगह गौशाला खोली है। आप सभी जाते हो, यह जो चलती है भागवत कथा है, रामायण है और आप जरूर जाते हैं और जाकर यह आशीष मांगते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाये और सब कुछ मिलता है। मेरा पिछला पांच साल का जो कार्यकाल रहा था उसके अन्दर मैंने पन्द्रह गौशालाओं के अन्दर चारा गोदाम बनाये थे। मैं तो सरकार से यह भी निवेदन करती हूं कि विधायकों को जो विकास कार्यों के पैसे मिलते हैं उसके अलग-अलग फण्ड है। आपको बीस परसेंट तो एससी, एसटी के ऊपर खर्च करने ही होते हैं। अगर हम नहीं देंगे तो कलक्टर अपने आप ही उनके ऊपर अनुशंसा करके भेज देते हैं। कुछ पैसे पेयजल पर देने पड़ते हैं लेकिन आज मेरा निवेदन है कि उस राशि को बढ़ाकर ऐसा कर दिया जाये कि गौशाला के अन्दर देना अनिवार्य कर दिया जाये, जैसे चारा गोदाम के लिए बीस परसेंट, दस परसेंट, यह अनिवार्य होना ही चाहिये। क्योंकि मां तो चार तरह से होती है, हम यहां आज जितने खड़े होकर बोल रहे हैं या बैठे हैं, यह अपने को समझना चाहिए कि एक तो मां वह होती है जो अपने को जन्म देती है। अगर वो मां जन्म नहीं देती और अपने को शिक्षा नहीं देती तो यहां खड़े होकर बोलने का अपने को कोई अधिकार नहीं होता, इस लायक नहीं बनते। दूसरी मां होती है धरती मां, जिसके ऊपर अपन खड़े होकर चलना-फिरना सीखते हैं और तीसरी जो अपनी मां होती है दो साल से बड़ा होने के बाद गायों का दूध पीते हैं, आज हर माँ चाहती है, हर पिता चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा हृष्ट-पुष्ट हो, अच्छा उसको घी मिले, दूध मिले, दही मिले। यह कोई नहीं चाहता कि थैलियों में जो बंद दूध आता है इससे कोई खुश नहीं है।

(श्रीमती कमसा)

हर कोई चाहता है शुद्ध दूध, शुद्ध पानी मिले, सब वातावरण शुद्ध मिले। मेरा आपसे निवेदन है कि गायों की इतनी दुर्दशा हुई है इस पर हमें बहुत-बहुत विचार करना पड़ेगा।

हमारी तीसरी मां होती है सरस्वती। अगर हमारे ऊपर मां सरस्वती का आशीर्वाद नहीं होता तो अपन इस लायक नहीं बनते। गौ अपनी मां है उस मां की रक्षा करने के लिए आपको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आये दिन देखते हैं कि गायों की हत्या भी हो रही है, गायों का अनुदान भी कम मिल रहा है। मेरा विचार है अनुदान उनको साल भर पूरा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि अकाल होने पर ही मिले। यदि भागवत कथा नहीं कराएं तो गायों का पेट पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साधु-संत उन गायों को नहीं संभालें तो उन गायों की बड़ी दुर्दशा होती है इसलिए अपन भी पाप के कहीं न कहीं भागीदार होते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि गायों की रक्षा के लिए अवश्य कुछ न कुछ अच्छा कदम उठाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती मंजू बाघमार।

**डा. मंजू बाघमार** (जायल): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज मांग संख्या 37, 39 पर जो बहस चल रही है, कृषि व पशुपालन विभाग पर मैं बोलना चाहूंगी। वैसे तो सब बातों पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैं ऐसे विधान सभा क्षेत्र से हूं, जायल विधान सभा क्षेत्र जो नागौर जिले में नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान के अन्दर सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां पर अभी तक कोई भी ऐसी इण्डस्ट्री नहीं हुई है। वहां पर लोगों का मुख्य धंधा कृषि और पशुपालन का ही रहा है। इसलिए मैं कृषि क्षेत्र में वहां की जो समस्या है उसके बारे में कृषि मंत्रीजी को अवगत कराना चाहूंगी। कृषि सेवा केन्द्र की भी वहां पर जरूरत है। विशेष रूप से जो मेरी ग्राम पंचायतें हैं वहां पर जैसे- सोनेली, रातंगा, वैसे तो सभी ग्राम पंचायतों में यदि कृषि सेवा केन्द्र खोल दिया जाय तो मेरे क्षेत्र में काफी लोगों का भला हो जाएगा। इसके अलावा मेरा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां मूंगफली की फसल भी होने लग गयी है। नागौर मण्डी के अन्दर किसानों के लिए मूंगफली का सेंटर नहीं बना हुआ है इसलिए किसानों से समर्थन मूल्य पर मूंगफली नहीं खरीदी जाती है। वहां पर उनको बेचने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। मेड़ता के अन्दर सेंटर बना हुआ है वहां उनकी ट्रांसपोर्ट लागत ज्यादा आ जाती

(डा. मंजू बाघमार)

है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि नागौर के अन्दर मूंगफली के लिए सेंटर खोला जाय।

कृषि मण्डी के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पहले यह व्यवस्था थी पिछली गवर्नमेंट में कृषि मण्डी में जो सड़कों का निर्माण होता था, कृषि मण्डी द्वारा उन निर्माण के ऊपर रोक लगा दी थी, सड़कों का डामरीकरण नहीं कराया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि पुनः उसे चालू कराया जाय।

इसके अलावा और निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान के अन्दर जीरे की फसल का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। पूरे भारत के अन्दर केवल राजस्थान और गुजरात दो ही ऐसे राज्य हैं जहां पर जीरे की फसल होती है। इस बार 2014 के अन्दर जो बजट पेश किया गया था उसमें जीरे की फसल पर 5 परसेंट वैट लगा दिया गया है। इसके कारण वहां के किसानों को काफी प्रोब्लम हो रही है और वैट की वजह से वहां की मण्डी के अन्दर जीरे की आवक कम हो जाएगी और चूंकि गुजरात के अन्दर वैट नहीं लगा हुआ है इसलिए वहां जाने को मजबूर होना पड़ेगा। मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके किसानों की इस जीरे की फसल पर जो वैट लगाया गया है उसे कम किया जाता है तो निश्चित रूप से किसानों और व्यापारियों दोनों को ही इसका फायदा होगा।

इसके अलावा मैं पशुपालन के बारे में बताना चाहूंगी। पशु चिकित्सालय खोलने की जरूरत है। विशेष रूप से सारी बातें हो चुकी हैं लेकिन मैं नागौर जिले से हूं तो मैं यह बताना चाहूंगी कि नागौर जिला नागौर के बैलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, नागौर के बैल विश्व प्रसिद्ध माने गये हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी प्रोब्लम आ रही है नागौर के जो बछड़े हैं उनकी दो-तीन साल की आयु के अन्दर बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही कहना चाहूंगी कि नागौरी नस्ल के बछड़ों की बिक्री पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसकी वजह से जो हमारे किसान हैं वह जो हमारी नागौरी गाय है उनको पालने में कोई रुचि नहीं रख रहे हैं क्योंकि अमरीकन गायों की तुलना में उनकी दूध की मात्रा कम होती है। जब वे उस नस्ल की गायों को पालने में रुचि नहीं रख रहे हैं तो एक तरह से नागौरी नस्ल के बैलों और नागौरी नस्ल की गायों के अस्तित्व पर संकट आ रहा है।

(डा. मंजू बाघमार)

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगी कि नागौरी नस्ल के बैलों को बचाने के लिए, उनके अस्तित्व पर आये संकट को रोकने के लिए दो-तीन साल के बछड़ों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है उसको तुरन्त प्रभाव से हटाने की व्यवस्था की जाय। आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्षजी, आज मांग संख्या-36 सहकारिता और कृषि 37 व पशुपालन 39 पर सदन में चर्चा हो रही है उसी निमित्त मैं भी अपनी बात यहां पर रखना चाहूंगी। वैसे तो भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के साथ-साथ जैसा हम सुनते आ रहे हैं कि महात्मा गांधी ने भी कहा, सभी ने कहा और हम भी सोचते हैं कि वास्तव में हमारी आत्मा इस भारत भूमि के गांवों में ही निवास करती है, इसमें कोई दोराय नहीं है।

किसान हमारा अन्नदाता है। हम कितने ही उद्योग लगा लें, कितनी ही प्रगति कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमने कृषि पर ध्यान नहीं दिया, हमारे किसान सक्षम नहीं बनाये तो मुझे लगता है जहां हम पहले थे आज वहीं रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी और आप भी जानते हो अगर सुई से लेकर जहाज का निर्माण कोई करता है, जैसा बहन कमसाजी बोल रही थीं, हर व्यक्ति को अपनी निर्माण वस्तु का मूल्य तय करने का अधिकार है, लेकिन हमारे देश, हमारे प्रदेश में किसान को अपनी फसल का मूल्य तय करने का अधिकार नहीं है, यह बहुत गलत बात है। मैं तो कहना चाहूंगी कि कृषि नीति हम लोग बनाएं और उसमें कम से कम यह तो तय हो किस तरह से हम किसान का उद्धार कर सकते हैं। किसान को हम देख रहे हैं कि सूखा पड़े तो किसान मरे, पाला पड़े तो किसान मरे, ज्यादा पानी बरस जाय तो किसान मरे और अगर कोई दो भाई हैं और दोनों का जब बंटवारा हो जाय और एक कुएं पर दो मोटर डाल दें तो वीसीआर उनकी भरी जाय तो भी किसान का ही मरना होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी बड़ा विचार करने का विषय है कि हम किसानों की हर मांग पर विशेष ध्यान दें।

कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगी, वैसे तो मैं हाड़ौती से आती हूं और सदानीर चम्बल वहां पर बहती है, पार्वती नदी वहां पर बहती है, कालीसिंध वहां

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

पर बहती है, अमजार वहां है, आहू नदी वहां है और कृषि के क्षेत्र में जितना विकसित क्षेत्र उस हाड़ौती को माना जाता है मुझे नहीं लगता कहीं भी इस तरह की उपजाऊ जमीन हमको देखने को मिलती है। मैं निवेदन करना चाहूंगी आलू की इतनी ज्यादा खेती हमारे कोटा के अन्दर होती है, लेकिन आज तक उसकी कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लग पायी। हम कहीं भी घर से बाहर निकल, अगर आलू की चिप्स का पैकेट, वैफर्स हम लोग खरीदेंगे उसमें मात्र एक आलू के 15 टुकड़े निकलेंगे, लेकिन वह भी हमें कितने रुपये में खरीदना पड़ता है। वही किसान इतनी मेहनत करके आलू की खेती करता है, टमाटर की खेती करता है लेकिन मात्र दो रुपये किलो, एक रुपये किलो पूरी फसल का पैसा मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि हाड़ौती लहसुन की दृष्टि से, आलू की दृष्टि से इतनी विकसित भूमि है, इतनी जबर्दस्त खेती होती है तो उसके लिए कोई ऐसा उद्योग हम लोग लगाएंगे तो हाड़ौती की धरती हमेशा-हमेशा के लिए माननीय वसुन्धराजी को याद करेगी ही, लेकिन मंत्रीजी को भी हमेशा-हमेशा के लिए याद करेगी, ऐसा मेरा निवेदन है।

मैं कहना चाहूंगी कि कोटा की धरती पर चम्बल फर्टीलाइजर है उसके बावजूद भी किसान बीज, खाद के लिए तरसता रहे तो यह गलत है। कम से कम हमारे जो उद्योग हैं उन उद्योगों पर हम लोग ऐसा कब्जा करें, सबसे पहले हमारे वहां के किसानों को खाद दिया जाय वरना हमेशा किसान को बीज के लिए संघर्ष करना पड़े, खाद के लिए उसे लाइन में लगना पड़े, हमेशा उसे धरना प्रदर्शन करना पड़े यह बहुत गलत बात है।

एक और मैं निवेदन करना चाहूंगी और वह मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटा से सम्बन्धित मामला है। देखिये, इतनी परियोजनाएं बनती हैं, रेलवे लाइन निकलती है, टाइगर रिजर्व घोषित होता है लेकिन हमारे किसानों की जमीन को कोई भी ले ले और उसको उचित मुआवजा नहीं दे तो यह बहुत गलत बात है। हमने देखा कि हमारी झालावाड़ वाली जो भोपाल रेलवे लाइन है वहां पर नालोदिया के किसान, आज उस पर ट्रेन चल रही है लेकिन उन 15 किसानों को एक रुपया मुआवजा नहीं मिला। मैं पूरे चार वर्ष से उन लोगों के लिए संघर्ष कर रही हूं तो यहां किस अधिकारी की गलती है, क्यों नहीं उनको मुआवजा दिया गया इसके लिए उन अधिकारियों को हम लोग सज़ा दें ताकि आगे से किसान का अहित नहीं हो, यह मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि मुकुन्दरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व घोषित हुआ उसके अन्दर जो हमारा गिरधरपुरा गांव था जो सन् 1962 में बसा था। तब से बसा हुआ गांव, उसकी सारी जमीन टाइगर रिजर्व मुकुन्दरा हिल्स में आ चुकी, पर आप देखिये कि उसमें किसान की जमीन की किसी तरह की कोई चर्चा नहीं, कोई मुआवजा नहीं, उनको विस्थापित नहीं किया गया और उसमें टाइगर छोड़ने की तैयारी हो चुकी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पर्सनल निवेदन करना चाहती हूं कि अगर इस तरह का कदम हमने उठाया, पहले किसानों को विस्थापित करें, उन्हें कहां पर जमीन देनी है, किस तरह का मुआवजा हमें देना है, यह सारा तय करके हम कुछ करेंगे तो निश्चित ही फायदा होगा। मैं तो कहूंगी कि राज्य सरकार जो इसमें कर सकती है, केन्द्र सरकार को जो नीति में सुधार करना है वह तो करे क्योंकि यह मुकुन्दरा हिल्स के लिए जो तैयारी शुरू हुई वो 8 वर्ष पूर्व की है और आज हम किसान को 8 वर्ष पूर्व की रेट दे रहे हैं तो मैं मानती हूं कि किसान वैसे ही मर जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें जितना भी सुधार हो सके, स्टेट गवर्नमेंट से हम करें और जितना केन्द्र सरकार कर सकती है वह केन्द्र सरकार करे।

दूसरा, निवेदन मैं यह करना चाहूंगी कि जो किसान हैं उनकी यह भी मांग है कि हम भूमि के बदले भूमि लें। वहां बहुत सारे गरीब लोग हैं। पहले जब गांधीसागर बांध का निर्माण हुआ तो वहां से उनको यहां पर विस्थापित किया गया। आज जब वो यहां आकर बसे तो यहां भी मुकुन्दरा हिल्स की वजह से उनको विस्थापित करना पड़ रहा है। तो, मेरा निवेदन है कि उनको भूमि के बदले भूमि ही दी जाए। हमारे वहां वन क्षेत्र की भी काफी जमीन है उनको भी हम लैण्ड फोर लैण्ड कन्वर्ट करवाकर दे सकते हैं या कोटा के आस-पास जितनी भी जमीनें हैं उनमें से कहीं भी उनको देंगे तो निश्चित ही उनका भला होगा।

दूसरी बात मैं करना चाहूंगी कि आज आपने गौपालन बोर्ड भी बना दिया, सब कुछ कर दिया लेकिन आप देखिये कि हमारे गांवों की चरागाह जमीन है, सारी जमीनों पर प्रभावशाली व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है। इससे तो अच्छा है कि उन जमीनों पर हम गौशाला खोल दें और जो हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको भी इन गौशालाओं को चलाने के लिए हम परमिशन दें तो कम से कम गौमाता जो हमारी है उसके लिए जमीन तो

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

फिक्स होगी। मेरा यह निवेदन है कि एक अभियान चलाकर जितनी भी हमारी चरागाह की जमीनें हैं उन जमीनों को हम लोग मुक्त करवायेंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छा होगा और इसका बहुत बड़ा फायदा हम लोगों को मिलेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगी, वैसे तो पिछले पांच साल से इस बात को बोल रही हूं और आज फिर इस सदन में दोहराना चाहती हूं कि सरकार किसी की भी हो लेकिन पिछले पांच वर्ष में रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र के साथ, वहां के किसानों के साथ जो विश्वासघात हुआ वह नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा कृषि कार्यालय, कांग्रेस की सरकार थी उनको अपने क्षेत्र में लेकर जाना था माननीय मंत्रीजी को तो वो ले गये, हम लोग पांच साल तक चुप बैठे रहे लेकिन इसके अलावा भी जो हमारे किसान थे, जिन्होंने कृषि उपकरणों के लिए एप्लाई किया, जो फाइलें उन्होंने दी, जो कृषि यंत्रों के लिए दी, हमारे सारे के सारे किसानों की फाइलें रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। लास्ट ईयर भी मैंने इस बात को कहा और मैं आपसे निवेदन करती हूं कि कम से कम इन सारी बातों के लिए जो भी हमारे अधिकारी/कर्मचारी, जिन्होंने भी ऐसा घिनौना काम किया उसके लिए उनको सजा दी जाए।

**श्री अध्यक्ष**: स्थान ग्रहण कीजिये। वो तो है पर आप बहुत बोल चुकीं। एक-आध पाइंट और हो तो आप बोल लीजिये। बोलिये, बोलिये।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी): मैं अपने क्षेत्र की जो प्राब्लम्स हैं उनको बता रही हूं। एक निवेदन और करना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग पूरा समय वहीं पर देते हैं, मैं पूरे महीने भर में लगातार 25 दिन गांवों में घूमती हूं। जब हमारे विधान सभा क्षेत्र में गांवों में हम लोग जाते हैं तो एक गांव आपको ऐसा बताऊंगी जिसमें 200 पशुधन एक किसान के पास होगा और यह स्थिति उस गांव की है कि अगर एक पशु को टीकाकरण के लिए भी किसी चिकित्सक या कम्पाउण्डर को याद करना पड़े तो 30 किलोमीटर की दूरी तय करके उसको लाना पड़ेगा। यह बड़ी विचित्र समस्या है। मैं निवेदन करूंगी कि हर पंचायत मुख्यालय पर हमारा पशु चिकित्सा केन्द्र खुले तो निश्चित है कि वहां के किसानों को, सबको फायदा मिलेगा।

दूसरा निवेदन मैं करना चाहूंगी कि मेरी विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांव ऐसे हैं जहां एस.टी., एस.सी. के परिवार रहते हैं और उनका जो पशुधन है, जो गौपालन है, जो भेड़-बकरियों को पालते हैं और जब नालों में पानी आता है, बारिश के समय बहाव तेज आता है तो उनके 50-50 जानवर, 50-50 बकरियां

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

यों ही बहकर चली जाती हैं और उन्हें ऊंट के मुंह में जीरा जितना ही मुआवजा दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि इन सब बातों में भी हमें परिवर्तन करना चाहिए। दूसरी बात, मैं कहना चाहूंगी नरेगा की।

**श्री अध्यक्ष**: अब स्थान ग्रहण कीजिये। नरेगा का बाद में आ रहा है, नरेगा की मांग बाद में आ रही है। श्रीराम भींचर।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी): नरेगा को इसमें शामिल किया जाए। एक मिनट साहब। मैं अफीम की बात करना चाहूंगी, किसी भी सदस्य ने इस बात को यहां नहीं उठाया और मैं बोलती हूं कि यह अफीम किसानों के लिए बहुत अहम् मुद्दा है। अफीम के जो पट्टे दिये जाते हैं उनमें भी हम बढ़ोतरी करें और नीति में भी कुछ सुधार करेंगे तो किसानों का कुछ फायदा होगा, यह मेरा आपसे निवेदन है। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय माननीय मंत्रीजी कोटा की धरती पर खोलें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) अनिताजी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आखिर में आपको अवसर दूंगा। जिस समय नाम पुकारा उस समय आप नहीं थीं। श्रीराम भींचर। नहीं हैं। श्री नन्दकिशोर महरिया।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): साहब, मुझे बुला लीजिये, मैं लाटरी निकालने के लिए चली गई थी।

**श्री अध्यक्ष**: मैं आपको अवसर दूंगा। श्री नन्दकिशोर महरिया। इसके बाद आपका ही नम्बर है, आप तैयार रहिये।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): धन्यवाद, अध्यक्षजी, पशुपालन, कृषि, सहकारिता आपस में जुडे हुए डिपार्टमेंट हैं इसलिए अलग-अलग नहीं बोलकर और वैसे भी हमारे दोनों मंत्रीजी ने एक जैसी पगड़ी पहन रखी है तो उस पगड़ी की लाज रखकर बातें सुनें और मांगें पूरी करें।

पशुपालन के बारे में मैं सिर्फ दो-तीन बातें ही कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो हम किसान को दे सकते हैं वह यह है कि उनके पशुओं को अच्छी चिकित्सा दे दें जिसके लिए जो पद खाली पड़े हैं उनको जितना जल्दी हो सके उनको भरने की कोशिश की जाए। मेरे क्षेत्र फतेहपुर शहर में जो पशु चिकित्सालय है उसके हालात बहुत खराब हैं, वह किराये के मकान में चल रहा है और वह बन्द समान ही है इसलिए उसके लिए नई बिल्डिंग उपलब्ध कराई जाए। नये सब सैण्टर्स की लिस्ट जो आपके माध्यम से मंत्रीजी को दी है वो खोले जाएं, उनके पद भरे जाएं। जो आवारा पशुओं की समस्या हमारे बाड़मेर

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

से आने वाले माननीय विधायकजी ने बताई वो हमारे क्षेत्र में बहुत जबरदस्त है। शहरों में तो यह समस्या है कि आवारा पशु शहरों में घूमते रहते हैं जिससे दुकानदार परेशान हैं और एक्सीडेंट होते रहते हैं। उन पशुओं में भी खासतौर से हमारी गऊ माता जो आवारा श्रेणी में घूमती है तो उन शहरों में, उन क्षेत्रों के आस-पास जिन लोगों को भी पशुओं के नाम पर अनुदान मिलता है उनको पाबंद किया जाए कि कम से कम आवारा पशु क्षेत्र में नहीं घूमें। जो गांवों में आवारा पशुओं की समस्या है, हमारे क्षेत्र में हिरणों को भी बहुत समस्या है। इसलिए या तो तारबन्दी के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि हर किसान अपने खेत के लिए तारबन्दी करे उसमें कोई सब्सिडी मिले या फिर जहां ज्यादा संख्या में हिरण वगैरह हैं वहां पर सैंक्चुअरी डवलप करके आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाया जाए।

हमारे जो पशु चराने वाले गंवारिये हैं, गड़रिये हैं उनको भी सर्पदंश वगैरह का सामना करना पड़ता है, इसके लिए एक-दो और भी माननीय सदस्यों ने बताया है तो उनको भी सर्पदंश से मिलने वाले मुआवजे में किसान की तरह ही शामिल किया जाए।

पशु बीमा आज के दिन न के बराबर हो रहा है तो उसको वापस जैसे पिछली बार था उसी तरह से चालू कराया जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं।

माननीय अध्यक्षजी, हमारे मंत्रीजी हाई-टैक खेती में बहुत विश्वास भी रखते हैं और पिछली बार इन्होंने इसको आगे भी बहुत बढ़ाया था। चाहे पाली हाउस हों या सोलर पम्प हों, चाहे दूसरा कोई मामला हो, जहां भी हाई-टैक की बात आई तो बहुत आगे बढ़ाया गया तो उस गति को पिछले कुछ सालों में ब्रेक लग गया इसलिए उस गति को और तेज किया जाए। कुछ चीजों में इस बार सब्सिडी कम हो गई है उससे किसान की थोड़ी हिम्मत कम हो गई इसलिए उस हिम्मत को आप किसी स्कीम से या वेण्डर्स से हमारे सोलर पम्प वगैरह की कीमत कम करवाकर नेगोशियेट करके किसी भी तरह से उसको एडजस्ट करें। यह सोलर पम्प की स्कीम हमारे क्षेत्र के लिए बिलकुल वरदान है तो इसको बढ़ावा मिले। इसके लिए या तो सब्सिडी वापस 86 प्रतिशत हो या इनकी कीमतें आप नेगोशियेट करके कम कराएं। कई लोगों ने तो अपने खेतों में बिजली कनेक्शन कटवाकर सोलर पम्प लगाये जिससे बिजली पर दी जाने वाली जो सब्सिडी है उससे भी लगातार अपने को लाभ मिल रहा है।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

कृषि कालेजेज, कृषि यूनिवर्सिटी पिछली सरकार में बहुत ज्यादा खोल दीं। बड़ी अच्छी बात है लेकिन उनकी व्यवस्था अपने को करनी पड़ेगी। मैं भी कृषि इंजीनियर हूं। अभी जो हमारे साथी बाहर से आने वाले हैं, उनकी पे-प्रोटेक्ट यहां नहीं होती है मंत्रीजी। मैं कृषि मंत्रीजी का ध्यान चाहूंगा अध्यक्षजी के माध्यम से, बातों में थोड़ा मशगूल हैं।

**श्री अध्यक्ष**: आप कृपया बातें मत कीजिये। कृषि मंत्रीजी, उधर ध्यान दीजिये।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): यह सब्जैक्ट शिक्षा का है, लेकिन आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, कालेज अपने यहां जितने खुले हैं, उनमें अगर बाहर से आने वाले लोगों की पे-प्रोटेक्ट नहीं होगी तो किसी हालत में वह लोग यहां नहीं आयेंगे। एक प्रोफेसर सवा लाख, डेढ़ लाख रुपये तनख्वाह ले रहा है, वह अपने यहां 40,000 रुपये में आने वाला नहीं है। माननीय कटारियाजी बैठे हैं, उदयपुर विश्वविद्यालय में जो लोग आये हैं, वह आने के बाद परेशान हैं कि वापस कैसे छोड़कर जायें। आगे अपने को प्रोफेसर्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत लैक्चरर्स की जरूरत पड़ेगी तो शुरुआती तौर पर नहीं, लेकिन सीनियर लोग आ रहे हैं, तो उनकी पे तो कम से कम प्रोटेक्ट की जाये जिससे बढ़िया कृषि शिक्षा अपने क्षेत्र में मिले। हमारे क्षेत्र में बहुत सालों से केवीके एआरएस जो खुले हुए हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स की जाये। वहां के दानदाताओं ने हजारों बीघा जमीन उनको दान दी है, सरकार ने इतना खर्चा किया है। आईसीएआर ने पैसा भेजा है लेकिन वहां कोई रिजल्ट डेमोंस्ट्रेशन नाम की कोई चीज आज के दिन नहीं है। या तो वहां बागवानी के और इस तरह के फसली क्षेत्र हैं, रिजल्ट डेमोंस्ट्रेशन लगाया जाये या कोई जिम्मेदारी उनकी फिक्स की जाये कि हर महीने कम से कम इतनी एक्टीविटीज करोगे। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के नाम पर आज के दिन पूरे क्षेत्र में जीरो वर्किंग है एक तरह से देखा जाये तो, यह मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे इसमें बढ़िया काम हो सके, बढ़ोतरी हो सके।

डार्क जोन का मामला है। हमारे क्षेत्र फतेहपुर को भी डार्क जोन घोषित कर रखा है जबकि वहां पिछले 10 साल में जल स्तर करीब 15 से 20 फुट बढ़ गया है। एक फसली क्षेत्र है। कुओं की संख्या बहुत कम है। लोग ड्रिप से और इनसे थोड़ी बहुत बागवानी करना चाहते हैं लेकिन उनको कुए नहीं खोदने दिये जाते तो डार्क जोन क्षेत्र का रिव्यू करवाया जाये जिससे जो

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

एक्चुअल में डार्क जोन में नहीं है, कम से कम उन क्षेत्रों को तो छूट मिले और वहां बिजली का कनेक्शन और कुए खोदने का कार्य चालू हो सके।

सहकारिता इससे जुड़ा हुआ ही मामला है। अब हाई-टैक खेती से एक तरह से तो सब्सिडीज थोड़ी कम हो गई तो मैं सहकारिता मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आप ब्याज में कुछ छूट दें जिससे लोग चीजें खरीद सकें। लेकिन ब्याज में भी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है सोसायटी और केसीसी, उसमें चार प्रतिशत की छूट थी सरकार की तरफ से, वह कम हो गई तो या तो उसको वापस चालू किया जाये या टर्म लोन की सीमा है, यह जो पांच प्रतिशत का अनुदान मिला है, इसको थोड़ा बढ़ाया जाये क्योंकि 50 करोड़ रुपये का जो अनुदान मिलेगा ब्याज का, उसके हिसाब से तो लगभग सिर्फ एक हजार करोड़ लोन होगा। एक हजार करोड़ का मतलब दो सौ विधान सभा क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में पांच करोड़ और पांच लाख एक किसान लेगा तो सिर्फ 100 किसान। एक गांव में एक किसान को भी इस अनुदान का फायदा नहीं मिल पायेगा एवरेज तो इसके लिए कोई व्यवस्था की जाये।

सोसायटी के हमारे व्यवस्थापकों का मामला कई माननीय साथियों ने उठाया है, वह बड़ा जरूरी काम है। कुछ सोसायटीज में व्यवस्थापक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो सिर्फ उनको 10-12 हजार रुपये मिल रहे हैं। उनको अगर बैंक का कर्मचारी बनाया जाता है तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा और किसान को भी फायदा होगा। कुछ सोसायटीज ऐसी हैं जिनमें व्यवस्थापक बिलकुल काम नहीं कर रहे हैं तो उनको अगर कर्मचारी बनाया जाता है तो कम से कम उनके ऊपर अंकुश लगेगा और उनका स्थानान्तरण हो पायेगा, उनको हम वाच कर सकेंगे और यह जो हमारी सोसायटीज हैं, उनमें टर्म लोन वगैरह भी जारी हो सकेंगे।

एक छोटी सी बात और है। भूमि विकास बैंक जो आज के दिन है, उसमें शायद अपने देश में मिलने वाले जितने लोन हैं, नाम भूमि विकास है, सबसे महंगा लोन उसमें मिलता है। हिस्सा राशि उसमें लेते हैं, जिस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। उसके अनुसार 14 प्रतिशत से भी ऊपर भूमि विकास बैंक का ऋण आज के दिन मिल रहा है। उस ओर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। भूमि विकास बैंक की हमारे यहां जो हालत है, वह मैंने माननीय मंत्रीजी को बतायी थी। एक तो श्रीमान् सचिव वहां बैठे हैं, पहले से ही ट्रैप हुए हैं और उनकी मर्जी के बिना न तो कोई फाइल किसान की ली

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

जाती है, न दी जाती है तो ऐसे कर्मचारी को एपीओ करे। मेरा आपसे निवेदन है कि आज इसकी घोषणा करें कि इस तरह के कर्मचारी को एपीओ करके उनकी ढंग से जांच हो। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री सुरेश सिंह रावत। इसके बाद अनिताजी, आप।

**श्री सुरेश सिंह रावत** (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या-39 कृषि एवं पशुपालन विभाग से मांग करता हूं कि ग्राम पंचायत बुडोल, मुहामी, मायापुर, बडलिया, भगवान, बुबानी, बबाईचा, जाजोता, तिलोरा तथा पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के सभी 47 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालय खोले जायें। साथ ही प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालयों में पशु एम्बुलैंस की व्यवस्था हो ताकि छोटे जानवर हैं, जैसे बकरी है, भेड़ है, उनको भी तत्काल उपचार का लाभ मिल सके।

मांग संख्या-36, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता विभाग से मांग करता हूं कि पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन ग्राम पंचायत के अनुसार हो क्योंकि अभी पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सहकारी समितियों का गठन काफी कम है। किसानों के लोन पर जो ब्याज है, उस ब्याज दर की चार प्रतिशत छूट समाप्त कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इस चार प्रतिशत छूट को वापस लागू किया जाये।

पिछली कांग्रेस सरकार ने डीएपी और यूरिया के मूल्यों में भारी बढ़ोतरी की है...

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय दोनों मंत्री महोदय का जवाब आने तक बढ़ाया जाये।

**श्री अध्यक्ष**: क्या समय बढ़ाया जाए?

**(स्वीकृत)**

समय बढ़ाया गया।

**श्री सुरेश सिंह रावत** (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह मांग करता हूं कि पिछली सरकार द्वारा बढ़ाई गई यूरिया और डीएपी खाद के मूल्यों में कमी की जाये क्योंकि अध्यक्ष महोदय, आज हमारा जो किसान है, उसकी हालत बड़ी खराब है। पहले तो किसान इन्द्रदेव से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, बरसात दे दे, मेरी जमीन प्यासी है, मुझे अन्न चाहिये। कभी भैंरूजी के बागले चढ़ाता है, कभी माताजी की आराधना करता है, कोई पंडित सलाह देता है कि किसी बांध के पाल पर जाकर, किसी तालाब पर जाकर पूजा-अर्चना करता है। हजार यत्नों के बाद जब बरसात आती है तो वह...

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय मंत्री महोदय का जवाब होने और मांग पारित होने तक बढ़ाया जाये।

**श्री अध्यक्ष**: अच्छा किया जो आपने शुद्धिकरण कर लिया।

## अनुदान की मांग

## मांग संख्या 36, 37 व 39 पर विचार

**श्री सुरेश सिंह रावत** (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बरसात होने के बाद जब किसान खाद-बीज लेने जाता है तो खाद-बीज इतना महंगा है कि उसकी पहुंच के बाहर है। फिर भी वह जैसे-तैसे करके खाद-बीज खरीदता है। खाद-बीज खरीदने के बाद बुवाई करता है और बुवाई करने के बाद उसकी कोई गारंटी नहीं है कि बरसात आयेगी। कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी पाला पड़ जाता है। अगर किसी क्षेत्र में अच्छी फसल हो जाती है तो वह काटकर जब मण्डी जाता है तो उसको बाजार भाव उचित नहीं मिलता है। जब किसान वापस घर पर अनाज को बेचकर आता है तो उसकी स्थिति वही रहती है, जब पहले दिन बरसात आने पर घर से एक धोती के अन्दर, फटी हुई बनियान के अन्दर अपने कंधे पर हल लेकर निकलता है। जब बेचकर आता है तब भी स्थिति उसकी वही रहती है। उसका बच्चा सोचता है कि मेरे पिताजी अनाज लेकर गये हैं, मेरे लिए खिलौने लायेंगे, कपड़े लायेंगे, मिठाई लायेंगे लेकिन यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सिर्फ आंसुओं के अलावा कुछ नहीं लाते हैं। हम सब बातें तो बड़ी-बड़ी करते हैं लेकिन हम सबको किसानों के लिए एक नई नीति बनानी होगी और उनका विकास कैसे हो, उसके बारे में हमें सोचना होगा।

(श्री सुरेश सिंह रावत)

बैंकों में 30 जून के बाद नया ऋण नहीं देने से किसानों का नुकसान हो रहा है। इससे जनता में भारी रोष है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इस लोन देने को वापस स्टार्ट किया जाये। किसानों को दिये जाने वाले ऋण की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये की जाये क्योंकि अभी डेढ़ लाख रुपया मिल रहा है, वह भी पूरे किसानों को नहीं मिल रहा है। इसका लाभ बहुत कम लोगों को मिल रहा है।

मांग संख्या 37, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से मांग करता हूं कि गांवों के अन्दर जो बंजर भूमि पड़ी है उसमें पेड़ लगाकर उन पेड़ों के रखरखाव की व्यवस्था वहां लोकल लेवल पर ग्राम स्तर पर समिति बनाकर उनको सौंप दी जाए और ड्रिप सिस्टम से उनकी सिंचाई की जाए, ताकि वहां वन हरे-भरे हो सकें। अजमेर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो क्योंकि अजमेर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। एक ओर खरीफ और रबी की फसल पर्याप्त मात्रा में हो रही है, दूसरी तीर्थराज पुष्कर के अन्दर तीर्थराज की भूमि में आप कोई सी भी फसल उगाओ उगेगी, कोई सा भी फल और फूल लगाओ, दुनिया का कोई सा भी फल और फूल का पेड़ लगा दो तीर्थराज पुष्कर में उगेगा तो अजमेर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करके वहां इसके बारे में रिसर्च किया जाना चाहिए।

दूसरा पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में एक अड़का गांव है, वहां पर सैकड़ों भूमि गोचर है, वहां एक विशाल गौ अभयारण्य की स्थापना हो ताकि आस-पास की सैकड़ों गांवों में घूमने वाली गौमाता को वहां लाकर वो आनन्दपूर्वक अपना भरण-पोषण कर सके।

तीसरा अजमेर महाविद्यालय में कृषि संकाय अलग से चालू किया जाए और गांवों में कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती भी की जाए क्योंकि अभी काफी कमी है। ओलावृष्टि और शीतलहर से खराब होने वाली फसलों का सही-सही आकलन करके किसानों को उचित मुआवजा मिले। तीर्थराज पुष्कर के अन्दर पशुओं का अन्तरराष्ट्रीय मेला प्रतिवर्ष भरता है, उसके अन्दर पूरे देश से लाखों की तादाद में पशु आते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि तीर्थराज पुष्कर की महत्ता को देखते हुए उसके पशुपालन की बिक्री को समाप्त किया जाए।

(श्री सुरेश सिंह रावत)

आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती अनिता भदेल।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मांग संख्या-36, 39 और 37 के विषय में। चूंकि आज बहुत महत्वपूर्ण विभाग है कृषि और सहकारिता। अभी सहकारिता के विषय में झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे तो उन्होंने समझाया कि सहकारिता का कितना बड़ा महत्व है आज के युग में लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सहकारिता का किस तरह से दुरुपयोग होता है उसकी एक बहुत बड़ी समस्या अजमेर में खड़ी हुई है उस समस्या के विषय में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। अजमेर में सहकारी विभाग की ओर से अजमेर को-आपरेटिव बैंक की स्थापना हुई। इस को-आपरेटिव बैंक की स्थापना के पीछे उद्देश्य यही था कि जो सेठ-साहूकार हैं उनसे बचा करके हम छोटे-छोटे समूह में छोटी-छोटी बचत को इकट्ठा करके उनको ऋण उपलब्ध करायें और ऋण से वो लोग अपना कोई रोजगार धन्धा कर सकें। लेकिन पिछले कुछ सालों में बैंक के संचालक मंडल, बाड़ ही जब खेत को खाती है तो उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जिस प्रकार से सहकारी विभाग चुनाव कराता है उसमें जो धांधलियां होती हैं, जिस प्रकार से संचालक मंडल का चयन होता है और वही संचालक मंडल उस बैंक को खाने लगता है तो फिर उस बैंक को कोई और नहीं बचा सकता। इस संचालक मंडल की अनियमितता के कारण से, गलत ऋण देने के कारण से, ऋणों की समय पर वसूली नहीं करने के कारण से वर्ष 2011 में इस बैंक पर रिजर्व बैंक ने लेन-देन पर पूरी तरह से रोक लगा दी कि चूंकि अब नियमों की पालना नहीं हो रही है इसलिए पूरी तरह से इसके लेन-देन पर रोक लगा दी जाती है 6 महीनों के लिए। जो निवेशक थे, जो खातेदार थे उन्होंने यह सोचा कि 6 महीनों में समस्या का समाधान हो जाएगा और 6 महीने बाद में हमें हमारी रकम मिलना प्रारम्भ हो जाएगी। लेकिन 2011 से 2014 तक लगातार रिजर्व बैंक 6-6 महीनों की अवधि बढ़ाता जा रहा है और स्पष्ट रूप से अब तो यह तय हो गया है कि अब उस बैंक से लेन-देन प्रारम्भ नहीं होगा। इस बैंक में अनेक बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद में जो पैसा उनको मिला वो उन्होंने उसमें जमा कराया क्योंकि वहां ब्याज अधिक था। जमा कराने के बाद यह सोचा कि हमारे बच्चों की शादी होगी तो उपयोग करेंगे, कभी मकान बनाना होगा तो उपयोग करेंगे, कभी बीमार होंगे तो उपयोग

(श्रीमती अनिता भदेल)

करेंगे। एक महिला तो मेरे पास ऐसी आयी जो शिक्षा विभाग में कार्यरत है लेकिन उसने अपने घर में भी नहीं बताया हुआ है कि उसकी सात लाख रुपये की एफडीआर जमा है, घर में विवाद हो जाएगा इस बात को छुपाने के लिए उसने चुपचाप मुझे आकर कहा कि कृपया कर आप मेरे घर को नहीं बतायें, मेरे परिवार को नहीं बतायें कि मैंने सात लाख रुपये की एफडीआर इसमें जमा करायी हुई है।

इसलिए माननीय महोदय, पिछले पांच सालों में सभी जन-प्रतिनिधियों ने, अजमेर के सभी लोगों ने मुख्य मंत्री तक गुहार लगायी कि किसी तरह से इस बैंक को वापस पुन: चालू किया जाए और जो निवेशक हैं उन निवेशकों को उनकी रकम वापस मिले। लगभग 7 करोड़ रुपये की राशि इसमें शोर्ट थी। देनदारियों का ब्याज बढ़कर लगभग 30 करोड़ आज की तारीख में हो गया। जब यह 2011 में बंद किया गया था तब 7 करोड़ रुपये के घाटे में थे आज की तारीख में यह घाटा बढ़ करके 30 करोड़ रुपये हो गया। ऋणियों से ऋण की वसूली नहीं होने के कारण से राशि की पूर्ति नहीं हो पा रही है जिसके कारण से रिजर्व बैंक अपना प्रतिबंध नहीं हटा पा रहा है। इसके साथ ही संचालक मंडल जो था उसने स्वयं ने भी इसमें गड़बड़ी की और घाटे की पूर्ति के लिए कोई अन्य सहकारी बैंक जिसकी वित्तीय स्थिति ठीक हो यदि उसको इस बैंक से विलय कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए तो शायद यह बैंक वापस प्रारम्भ हो सकता है लेकिन सहकारी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण से पूना की एक कम्पनी 19 दिसम्बर, 2012 को कोसमोस को-आपरेटिव बैंक ने इस बैंक को अपने में विलय करने का प्रस्ताव भेजा, जिसे समय रहते पूर्व रजिस्ट्रार माननीय पवन गोयलजी ने कोई महत्व नहीं दिया और कोसमोस के प्रबंधकों ने 22 जनवरी, 2013 को यह प्रस्ताव निरस्त कर दिया। बैंक के खुलने की जो आशा थी वो भी धूमिल हो गयी। दूसरी बार पुन: गुजरात की नयी संस्था स्मृति बैंक है उसने वापस इस बैंक को अपने बैंक के साथ टाइअप करने के लिए निवेदन किया है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि जो स्मृति सहकारी संस्था ने प्रस्ताव आपके पास भेजा है कम से कम आप उसको समय रहते स्वीकृति दे दें ताकि इस बैंक को पुन: प्रारम्भ किया जा सके।

एक निवदेन और करना चाहूंगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है 20 हजार परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है और लगभग एक

(श्रीमती अनिता भदेल)

लाख लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और वह सभी लोग सेवानिवृत्त हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 14 करोड़ रुपये से ज्यादा की बकाया राशि अजमेर को-ओपरेटिव बैंक को वसूलनी है ऋणियों से लेकिन बैंक किस तरह से लापरवाह है, सहकारी विभाग के अधिकारी किस तरह से लापरवाह है, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी 1 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि वसूलनी है कर्जदार प्रवीण कुमार जैन से। एक लाख रुपये उस प्रवीण जैन ने जिस दिन नीलामी होनी है उसके चार दिन पहले बैंक में जाकर जमा करा दिये। सहकारी बैंक के अधिकारियों ने क्या किया कि बैंक की बकाया ऋण वसूली को रहने दिया और उसकी जायदाद को कुर्क नहीं किया। यह अभी 14 तारीख की बात है। अब आप देखिये 25 जुलाई को, 1 अगस्त को और 8 अगस्त को और 18 अगस्त को भी नीलामियां होनी हैं लेकिन नीलामी कैसे होती है कि नीलामी के लिए हम बैंक का जो कैम्पस है उसमें ही नीलामी करेंगे और वहां पर यदि वो व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति को हम नीलाम करना चाहते हैं वो थोड़ी बहुत राशि उसके पहले ही जमा करा देगा बैंक में तो हम उसकी नीलामी नहीं करेंगे, 6 महीने तक उसको और राहत दे देंगे। जिन ऋणियों ने ऋण ले रखा है उन्होंने यहां पर सरकार में आकर निवेदन किया और कई लोगों के ऋणों पर स्थगन आदेश दे रखे हैं। तो, ऐसी क्या आफत है कि उन लोगों को बहुत उपकृत करते जा रहे हैं और जो निवेशक हैं उनको हम परेशान कर रहे हैं? इसलिए मेरा निवेदन है कि जो नया प्रस्ताव आया है उस नये प्रस्ताव को हम स्वीकार करें। इसके अतिरिक्त जो भी संचालक मंडल के सदस्य रहे हैं उनसे उस ऋण की वसूली की जाय जो अनियमितताएं पाई गई हैं वो करोड़ों रुपयों की अनियमितताएं हैं, उन अनियमितताओं को देखा जाए। यह सब बिना सहकारी विभाग के लोगों की मिलीभगत के सम्भव नहीं है इसलिए हम समय पर आडिट नहीं कराते और वो लाखों हज़ारों परिवार परेशान होते हैं ऐसे भ्रष्ट लोगों के कारण से। तो, मेरा निवेदन है कि यह अजमेर का बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा मुद्दा है। उन्होंने स्वयं इच्छा मृत्यु मांगी है कि या तो हमारे बैंक को वापस पुन: चालू करा दें या फिर हमें इच्छा मृत्यु दे दें। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बैंक के बारे में गम्भीरता से लेते हुए जिस-जिस स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं उनको ठीक करते हुए हम यदि इस बैंक को समय रहते चालू नहीं कराएंगे तो और भार बढ़ेगा और बैंक और ज्यादा घाटे में जाएगा।

(श्रीमती अनिता भदेल)

इसलिए समय पर इसको देखने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है माननीय मंत्रीजी से।

**(20.00 बजे)**

**श्री अध्यक्ष**: स्थान ग्रहण कीजिए। तीन चार लाइनें बोल लीजिए।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): बस लास्ट की तीन-चार लाइनें मैं बोलकर के अपनी बात को समाप्त कर रही हूं। पशुपालन विभाग के संदर्भ में माननीय हमारे मंत्री महोदय विराजें हैं प्रभुलालजी, अजमेर में नया बाजार में पशुओं का बहुद्देशीय पशु चिकित्सालय संचालित हैं। वह अजमेर के म्यूजियम के पार्ट में संचालित हैं। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में वहां से विधायक हैं और आपकी विरासत को ही आगे बढ़ाते हुए मैं भी वहां से चुनकर के आई हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उस पशु चिकित्सालय को स्थानान्तरित करने की मांग पिछले 15 वर्षों से तो मैं स्वयं देख रही हूं लेकिन आज तक वह पशु चिकित्सालय स्थानान्तरित नहीं हो रहा है। नया बाजार जैसे व्यस्ततम बाजार में कोई भी पशु लेकर के जाना उपचार के लिए सम्भव नहीं है। इसलिए इस पशु चिकित्सालय को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र से बाहर निकाल करके संचालित किया जाएगा तो हम इस पशु चिकित्सालय का उपयोग कर पाएंगे। एक दूसरा निवेदन करना चाहूंगी कि अजमेर के दक्षिण विधान सभा क्षेत्र माखुपुरा, पहाड़गंज और बालूपुरा यह तीन ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहां पर अधिक पशुपालक रहते हैं, पशुओं की संख्या भी अधिक है। माखुपुरा में तो एक चिकित्सालय संचालित है। लेकिन हम चाहते हैं उसको बहुद्देशीय चिकित्सालय के रूप में क्रमोन्नत किया जाए। बालूपुरा में एक उप स्वास्थ्य केन्द्र जैसी व्यवस्था कर दी जाए। एक डाक्टर और उसमें एक नर्स की व्यवस्था हो जाए ताकि बालूपुरा के पशुपालकों को सुविधा मिले। इसी तरह से कल्याणीपुरा में पशुपालक बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। उन कल्याणीपुरा के पशुपालकों की सुविधा के लिए वहां पर एक नया पशु स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हुआ है पिछली बार लेकिन उसका भवन बना हुआ नहीं है। जिलाधीश महोदय ने उसके भवन के लिए जमीन का आबंटन कर दिया है तो उसका भवन यदि बन जाता है तो अन्यत्र संचालित नहीं होगा। क्योंकि वह अन्यत्र संचालित हो रहा है।

**श्री अध्यक्ष**: बस, आपने ध्यान खींच लिया है। अब स्थान ग्रहण कीजिए। एक मिनट और बोल लें।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): लास्ट में मैं निवेदन करना चाहती हूं सबने निवेदन किया है कि केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय हमारे यहां खोला जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगी कि अजमेर में कृषि से सम्बन्धित कोई महाविद्यालय भी नहीं है। अजमेर ज़िले की बात कर रही हूं, एक डीएवी कालेज कभी किसी जमाने में निजी क्षेत्र में हुआ करता था। लेकिन जब से सरकार ने अनुदान बंद किया है तब से कृषि की फैकल्टी भी उन्होंने बंद कर दी है क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है। इसलिए अजमेर ज़िले में जो किसानों के बालक हैं उनको कृषि की शिक्षा मिले, कृषि में उनको रिसर्च का अवसर मिले। अजमेर में केन्द्र सरकार का राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केन्द्र संचालित हैं तबीजी में और बहुत जगह हैं। इसलिए निवेदन है कि इस कृषि विश्वविद्यालय को अजमेर में संचालित किया जाए।

**श्री अध्यक्ष**: अब आप स्थान ग्रहण कीजिए। श्री कन्हैया लाल चौधरी। आपने सब बोल लिया है, आपने सब विषय पर बोल लिया है। श्री कन्हैया लाल चौधरी। इसके बाद सहकारिता मंत्री महोदय तैयार रहें।

**श्री कन्हैयालाल** (मालपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि मेरे टोंक ज़िले का को-आपरेटिव बैंक बिलकुल डूबने की स्थिति में है। पिछले चार साल से सरकार ने उसको सुधारने के लिए, ऋण वसूली के लिए पूरा प्रयास किया। फिर भी तत्कालीन जो भी अधिकारी थे उन्होंने पांच रुपये की चीज पर पचास रुपये का लोन दे दिया। उस बैंक की स्थिति सुधर नहीं पा रही है। उसका खामियाजा मालपुरा और टोंक ज़िले के किसान भुगत रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस बैंक की स्थिति सुधारने के लिए सरकार मदद करे। अभी मार्च के महीने में मेरे टोंक ज़िले के सभी किसानों ने लगभग 133 करोड़ रुपये जमा करा दिये बैंक में और अभी जब फसल के लिए फ़सली ऋण की बहुत ज्यादा जरूरत है, बीज के लिए, खाद के लिए जरूरत है बाकी अब तक केवल 95 करोड़ रुपये ही उनको वापस दिया गया है। तो अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी मेरे किसानों को ऋण दिया जाए। साथ ही दूसरे जिलों के अन्दर पचास हजार से एक लाख रुपये सदस्यों को दिया जा रहा है। जबकि मेरे यहां पर पुराने सदस्यों को मात्र बीस हजार रुपये ही दिया जा रहा है तो इसकी सीमा को बढ़ाने की कृपा करें।

(श्री कन्हैयालाल)
आपके माध्यम से मैं यही निवेदन करता हूं कि मेरे किसानों का ध्यान रखें। दूसरा, अभी चने और सरसों की खरीद हुई थी उसमें लगभग पूरे ज़िले के 25 करोड़ रुपये बाकी हैं और दो महीने से किसान बुरी तरह से परेशान है तो वो भी जल्दी से जल्दी नेफैड से या केन्द्र सरकार से निवेदन करके किसानों को दिलाये जाएं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री अजयसिंहजी, सहकारिता मंत्री।

**श्री अजय सिंह** (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, आज सदन में सहकारिता विभाग की मांग संख्या 36, कृषि विभाग की मांग संख्या 37 और पशुपालन मांग संख्या 38 और चिकित्सा पर माननीय सदस्यों ने सार्थक चर्चा की और सभी माननीय सदस्यों ने बड़े उत्साह और गम्भीरता से इसमें भाग लिया। मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्षजी, देश की आजादी के बाद से सहकारिता के क्षेत्र में चहुंमुखी विस्तार हुआ है। आजादी के समय केवल एक प्रतिशत परिवार थे जो सहकारिता आंदोलन से जुडे हुए थे और उस समय लगभग तीन हजार से कम हमारी सहकारी समितियां थी। लेकिन आज लगभग राज्य के एक करोड़ लोग सहकारिता के आंदोलन से जुडे हुए हैं तो लगभग 32 हजार से अधिक सहकारी समितियां हैं। आज सहकारी विभाग का एक बड़ा नैटवर्क स्थापित हो गया है और इस नैटवर्क में हमारी केन्द्रीय सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, ग्राम सेवा सहकारी समितियां, क्रय विक्रय सहकारी समितियां, फल सब्जी आदि समितियां और इसके अलावा दूसरे जो अरबन को-आपरेटिव बैंक हैं 34 और अन्य हमारे सहकारिता विभाग के मुख्य अंग हैं राजफैड और तिलम संघ, यह सब संस्था इसके स्तम्भ हैं।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में प्रदेश में 6200 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन है और आर्थिक क्षेत्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम प्रयास कर रहे हैं, यह सरकार का प्रयास रहेगा कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन हो। यह एक तरह से ग्रामीण विकास की धुरी है। हम चाहते हैं कि हमारी जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, एक आर्थिक हब के रूप में हम उनको विकसित करना चाहते हैं। और इसके लिए हमारा प्रयास है कि हम उसमें मिनी बैंक स्थापित करें और मिनी बैंक स्थापित करने के बाद में उन ग्राम सेवा सहकारी समितियों को

(श्री अजय सिंह)

कम्प्यूटरीकृत कराया जाए तथा फिर उनको आनलाइन कराया जाए। इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि लगभग 1200 से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों को चरणबद्ध तरीके से कम्प्यूटरीकृत कराने का शीघ्र ही हम कार्य शुरू करेंगे। मुझे 68 माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इसके अन्दर से 38 माननीय विधायकों ने यह मंशा जाहिर की है कि उनके विधान सभा क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन हो और हर पंचायत समिति पर क्रय-विक्रय सहकारी समिति का गठन हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और इस सरकार ने, इसको एक लक्ष्य की तरह हम इसको लेकर के चल रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार का जो कार्यकाल हैं पांच साल का, उसके भीतर-भीतर हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन हो जाए और सभी पंचायत समिति को, एक-एक पंचायत में क्रय-विक्रय समिति का गठन हो जाए।

इसके साथ ही मैं माननीय सदस्यों से यह भी कहना चाहूंगा कि यह सहकारी समितियों की बनने की एक प्रक्रिया है, एक अलग से मापदण्ड हैं तो मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आप अपने-अपने क्षेत्र में जल्दी से जल्दी इन मापदण्डों को पूरा करायें ताकि चरणबद्ध तरीके से हमारी सरकार के रहते-रहते इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें।

माननीय अध्यक्षजी, राज्य में 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक हैं। यह दीर्घकालीन ऋण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन इनकी स्थिति बड़ी सोचनीय है। एनपीए और हानि में लगातार वृद्धि हो रही है और यह बैंक एक तरह से बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस कारण से जब 2008-09 के अन्दर हमारी सरकार थी उस समय लगभग 5 बैंक थे जो घाटे में थे और वर्तमान में आज 19 बैंक, भूमि विकास बैंक घाटे के अन्दर चल रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बकाया वसूली की स्थिति को देखे तो 2008-09 के अन्दर हमारी बकाया वसूली की स्थिति बहुत अच्छी थी और वह 40 प्रतिशत से ऊपर थी। वर्तमान में हम देखें तो यह 30 प्रतिशत से नीचे चली गई। इसका एक कारण है भूमि विकास बैंकों को व्यापार नहीं मिलना, इसका कारण यह रहा कि यह ब्याज दर वसूल करते हैं वह बहुत अधिक है, वह 14 प्रतिशत से अधिक है। इसके लिए इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत अच्छी सुविधा दी

(श्री अजय सिंह)

है, इसके अन्दर 5 प्रतिशत का अनुदान दिया है। भूमि विकास बैंक है यह कृषि यंत्रों के लिए, जो हमारी बड़ी सिंचाई की योजनाएं हैं, छोटी जो किसान करना चाहता है उसके लिए, डेयरी के लिए और पशुपालन के लिए ऋण दिया जाता है। यह ऋण 9 से 15 सालों के बीच उसको चुकाना पड़ता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी की इस राहत से निश्चित रूप से इन बैंको को पुनर्जीवित होने का मौका मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में 29 सीसीपीज, केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं और पिछली हम तुलना करें तो इन बैंकों का जो व्यापार था, धीरे-धीरे, जो इनकी वित्तीय स्थिति थी वह कमजोर हुई है। गत सरकार ने चुनावी वर्ष के दौरान एक घोषणा की थी कि सभी किसानों को डेढ़ लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा बिना ब्याज के, लेकिन इसको देखें तो यह योजना सिर्फ कागजों में रह गई। पूरे प्रदेश के एक प्रतिशत किसानों को यह डेढ़ लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। घूम फिरकर देखा जाए तो पूरा इसका जो औसत बैठता है वह 47 और 50 हजार रुपये ही एक किसान को प्राप्त हुआ है। इसके अन्दर मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने अनियमितताएं कीं। माननीय अध्यक्षजी, आज किसानों के हित के लिए आवश्यक है कि सहकारी बैंक बहुत अच्छी स्थिति में रहें, उनकी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी रहे लेकिन जब बाड़ ही खेत को खाने लगे तो यह बिलकुल ही बंटाधार होना स्वाभाविक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ऋणों को बांटने का सरकार द्वारा दवाब डाला गया और गंगानगर बैंक ने तो जो अपने लक्ष्य निर्धारित थे उससे 200 करोड़ रुपये के अधिक ऋण बांट दिए। इसी तरह से पाली बैंक था उसने 104 करोड़ रुपये अधिक बांट दिए। चाहे बूंदी को ले लें, चित्तौड़ को ले लें, अजमेर को ले लें सभी बैंकों ने 70-70, 80-80 करोड़ रुपये ज्यादा बांट दिए।

कई सदस्य बार-बार यह कह रहे थे कि ऋण मिलना चाहिए, हमें बैंक से सुविधाएं मिलनी चाहिए लेकिन माननीय अध्यक्षजी, यह बहुत बड़ी ऐसी बात है कि हमें वित्तीय अनुशासन रखना पड़ेगा। अगर हम इस तरह से वित्तीय अनियमितताएं करते रहेंगे तो हमारे बैंक जीवित नहीं रह पाएंगे। जब हमारे बैंक जीवित नहीं रह पाएंगे तो किसान भी जीवित नहीं रह पाएगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे बैंक पुनर्जीवित हों, हमारे बैंको को अच्छा व्यापार मिले। इससे एक घाटा बैंको को और हुआ कि इनकी सीआरएआर की दर थी वह बहुत नीचे चली गई। रिजर्व बैंक भी इसके लिए कहता है कि आपकी सीआरएआर की दर 7 प्रतिशत रहनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो

(श्री अजय सिंह)

हमारा एपेक्स बैंक है, जो शीर्ष बैंक है आज उसकी भी सीआरएआर 7 प्रतिशत से नीचे है। इसके लिए हमारी सरकार में हमारा यह प्रयास रहेगा विभाग का इन बैंकों की अच्छी स्थिति रहे और हम ऐसी कोई वित्तीय अनियमितता नहीं करें जो कि हमारे किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले।

माननीय अध्यक्षजी, वर्तमान में चार जिले ऐसे हैं जहां पर सीसीबीज नहीं है। मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि यह सीसीबीज यहां पर नहीं है इसके लिए पिछले बजट में भी कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी लेकिन इसके ऊपर कोई भी उचित कार्यवाही नहीं हो सकी। मैंने पहले भी सदन में आश्वासन दिया है कि हम नाबार्ड और रिजर्व बैंक के समक्ष प्रभावी रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं पूरी आशा करूंगा कि यह आगे आने वाले टाइम में यहां स्थापित हो जाए और इनको भी फायदा मिले।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लगभग 600 से अधिक पद रिक्त हैं और इसके लिए हमने प्रक्रिया चालू कर दी है और शीघ्र ही हम इसको भरेंगे। माननीय अध्यक्षजी, समर्थन मूल्य पर राज्य में चना, दलहन और खाद्य, गेहूं की खरीददारी की जाती है, हमारे सहकारिता विभाग के मुख्य अंग राजफैड और तिलम संघ के द्वारा होती है। गेहूं के लिए खाद्य विभाग नोडल विभाग है और दलहन और तिलहन के लिए नोडल विभाग कृषि विभाग है।

माननीय सदस्यों ने अभी बताया था कि चने का भुगतान किसानों को नहीं हो रहा। मैं इसके लिए बताऊं कि इसके पहले भी ऐसा होता रहा है। यह भुगतान नैफेड से आना, भारत सरकार से आना है। इसके लिए बार-बार मैंने पत्र भी लिख दिए हैं और हम उनके सम्पर्क में हैं। ज्यों ही नैफेड के द्वारा हमें फंड रिलिज किया जाएगा, तुरन्त किसानों को इसका भुगतान कर दिया जाएगा। इसके अलावा अभी माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य ने एक मुद्दा उठाया था कि उनके वहां पर चने का सैंटर था उस पर खरीद चालू नहीं हो सकी। मैं इसके बारे में माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसके लिए हमें प्रक्रिया को देखना होगा कि यह क्या प्रक्रिया है। इसमें वर्तमान में सहकारिता विभाग का या किसी भी विभाग का कोई दोष नहीं है। इसके अन्दर नैफेड के द्वारा भुगतान किया जाता है और हमारी वहां पर जो एजेंसी है वह केवल एक खरीद एजेंसी है, जो सिर्फ खरीद करती है और वह भी नैफेड के दिशा निर्देशों के जरिए। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसके अन्दर नैफेड ने अनुमति तो दे दी कि आप अपनी खरीद के लिए यहां से करें लेकिन उसमें

(श्री अजय सिंह)

साथ में दो शर्तें भी लगा दीं। उसमें एक शर्त तो यह लगाई कि जो हैंडलिंग चार्जेज हैं वह कृषि उपज मण्डी की दर निर्धारित है उससे करें, जो परिवहन की दरें हैं वह पीडीएस में जो आपकी निर्धारित है उससे करें। इसके लिए निविदाएं ली गईं। दो बार जब निविदाएं आमंत्रित की गईं तो किसी ने भी निविदाएं प्रस्तुत नहीं की, उसके बाद जो निविदा आई वह इतनी अधिक थी कि उनको नैफेड ने अनुमति नहीं दी। उनको अनुमति नहीं देने के कारण से यहां पर आज भी इनके यहां पर खरीददारी नहीं हो सकी।

मैं आगे से भविष्य के लिए, माननीय कृषि मंत्रीजी भी हैं, खाद्य मंत्री जी भी हैं, तो माननीय अध्यक्षजी तीन बातों को लेकर लगातार यह समस्या आती रही है चाहे कोई सी भी सरकार हो। एक तो गोदाम को लेकर, एक हैंडलिंग और ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज को लेकर और एक बारदाना को लेकर। तो इसका अब हम प्रयास करेंगे कि जब भी हमारे को आबंटित हो उस समय तीनों विभागों के सब कर्मचारी बैठ जाएं और पहले से ही ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हमारी जो भी खरीद है वह समय पर शुरू हो जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में प्रदेश में कई हजारों सहकारी समितियां, बहुउद्देशीय समितियां और गृह निर्माण सहकारी समितियां कार्यरत हैं। इसके अन्दर बार-बार हमारे पास शिकायतें आ रही है कि यह जो भी समितियां हैं, और वह जिस उद्देश्य के लिए स्थापित हुई हैं वह उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही है। इसी तरह से जयपुर के अन्दर गृह निर्माण समितियों के बारे में भी बार-बार शिकायतें आ रही हैं कि ना तो यह समय पर आडिट करवा रही हैं, और जिन विभागों को रिकार्ड देना है उन विभागों को यह रिकार्ड नहीं दे रही हैं। इसके लिए विभाग ने प्रसंज्ञान लिया है और मैं सदन में माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि दो महीने के अन्दर इनके कार्यकलापों की विस्तृत जांच कराई जाएगी। इसके अन्दर जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

माननीय अध्यक्षजी, यह गृह निर्माण सहकारी समितियों के लिए जनता, जो भी पट्टाधारक है वह बार-बार यह संशय जाहिर कर रहे हैं कि समितियां बैक डेट के अन्दर पट्टे दे रही हैं। एक ही भूखण्ड के लिए कई लोगों को पट्टे जारी कर दिए। भूखण्ड नहीं है फिर भी पट्टे दे दिए, सुविधा क्षेत्र में पट्टे दे दिए। इसका आकलन तभी हो सकता है जब यह सब समितियां अपना रिकार्ड हमें दें। इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को यह

(श्री अजय सिंह)

अवगत कराना चाहता हूं कि दो महीने के बाद में शीघ्र ही पूरे कार्यकलापों की जांच की जाएगी और इसके अन्दर सख्त कार्यवाही इनके विरुद्ध हो सकती है, यदि कोई पालना नहीं करता तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

माननीय अध्यक्षजी, हम चाहते हैं कि सहकारी समितियों पर अंकुश नहीं रहे, अंकुश लगाना नहीं चाहते, हम उन्हें शक्तिशाली बनाना चाहते हैं लेकिन साथ में हम यह भी चाहते हैं कि यह अनुशासन में रहें, यह नियमों की पालना करें, यह कानून की पालना करें। इसलिए दो महीने बाद में इसकी पूरी जांच कराकर इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह बताए कि यह जांच किनके द्वारा, किस बड़े अधिकारी के द्वारा की जा रही है या की जाएगी। क्योंकि अगर सक्षम अधिकारी द्वारा जांच नहीं हुई तो मान्य मंत्रीजी, उसका कोई निष्कर्ष जनता के हित में नहीं आने वाला। इसलिए आप अधिकारी बताएं कि कौनसे अधिकारी से जांच कराएंगे।

**श्री अजय सिंह** (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय लूणकरणसर से आने वाले सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि इसमें सक्षम अधिकारी से जांच कराई जाएगी और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक नियम बना हुआ है कि हर साल उसका आडिट होना चाहिए। तो हम इसका पता लगा रहे हैं किन-किन समितियों, मैंने यह कहा ना, दो महीने में...

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): सक्षम अधिकारी...

**श्री अजय सिंह** (राज्य मंत्री, सहकारिता): नहीं, नहीं सक्षम अधिकारी ही करेंगे बिलकुल। सक्षम अधिकारी जो भी कापरेटिव के अन्दर है, जो डीआर होते हैं, उनके नेतृत्व में वह उसको पूरा कर रहे हैं।

मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एक अभियान की तरह हम इसको कर रहे हैं। पारदर्शिता से इसमें पूरा कार्य और पूरी जांच को किया जाएगा।

माननीय अध्यक्षजी, इसके अलावा भी कई मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये। इसके अन्दर एक तो अरबन को-आपरेटिव का अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने उठाया। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस बैंक में सरकार की कोई हिस्सा राशि नहीं है, न ही कोई हमारी सरकार का, सहकारी विभाग का कोई कर्मचारी वहां पर नियुक्त था। वर्तमान में रिजर्व बैंक के निर्देश से, गाइड लाइन से हमने वहां पर एक प्रशासक अभी लगाया है। फिर

(श्री अजय सिंह)

भी माननीय सदस्या को मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि आप कभी भी, जब इसमें बैठ जाएं, मैं मेरे विभाग के अधिकारियों को भी बुला लूंगा और सरकार का प्रयास रहेगा कि यह बैंक वापस चले और जो भी लोग इससे पीड़ित हैं उनको भी इससे राहत मिले।

इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया था व्यवस्थापकों के बारे में, मैनेजर्स के बारे में। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि यह समिति के कर्मचारी हैं और सामान्यतया इनका स्थानान्तरण नहीं हो सकता। बहुत ही विशेष परिस्थितियों में इनका स्थानान्तरण किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में भी विभाग के द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है कि अन्य राज्यों में जो व्यवस्थापक हैं वह किस तरह से कार्य कर रहे हैं, कितनी उनको तनख्वाह मिल रही है और इसमें क्या-क्या किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें हम और भी कर रहे हैं और विश्लेषण करके हम उचित कार्यवाही इसमें भी करेंगे।

इसके अलावा जो भी माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव या अभी चर्चा में दिया है, उसको नोट कर लिया है और पूरा प्रयास रहेगा कि सकारात्मक रुख करके जल्दी से जल्दी उन समस्याओं को हल किया जाए।

अन्त में, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सहकारिता के विकास को हम नई गति देने का प्रयास करेंगे। हम हमारी संस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आम जन का इसमें विश्वास बढ़े। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि 'एक सबके लिये, सब एक के लिये' के नारे को वास्तविक रूप से चरितार्थ करते हुए सहकारिता के महत्व एवं इसके लाभ को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जय-जय सहकार। आपने मुझे समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: श्री प्रभूलालजी सैनी। आप स्थान ग्रहण कीजिये, अभी जवाब आ रहा है। स्थान ग्रहण कीजिये, स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) तीनों मांगें एक साथ हो जाएंगी।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37-कृषि और मांग संख्या 39-पशुपालन, सदन में आज इस पर चर्चा हो रही है। लगभग 35 सदस्यों ने इस पर अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिन बिन्दुओं पर

(श्री प्रभू लाल सैनी)

सरकार का ध्यान उन्होंने आकर्षित किया है, निश्चित रूप से उनको सकारात्मक आत्मसात करते हुए कृषि विभाग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिये उनके सुझाव काम आएंगे। ऐसा मैं मेरी तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37 में लगभग 178 और मांग संख्या 39 में लगभग 189 कुल 367 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा 24 घण्टे में सभी कटौती प्रस्तावों के जवाब उनके पास भिजवा दिये जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने और कटौती प्रस्तावों के माध्यम से सबसे ज्यादा जो विषय उठाये हैं, वह पशुपालन विभाग से सम्बन्धित हैं। उसमें पशुपालन में नये चिकित्सालय खोलने और उनके खाली पदों के भरने के कटौती प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं और कुछ वाद-विवाद में भी विषय आया है। अध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल इस बात को स्वीकार करता हूं कि लगभग 39 प्रतिशत पद पशुपालन विभाग में भी रिक्त चल रहे हैं। मैं यह भी आपको जानकारी देना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, लगभग पांच करोड़ 66 लाख हमारे पशु हैं और 5018 हमारी संस्थाएं कार्यरत हैं। पांच हजार कैटल पर एक चिकित्सालय होना चाहिए, यह राष्ट्रीय कृषि आयोग का सिद्धान्त है। लेकिन अभी राजस्थान में आजादी के 67 वर्षों के बाद भी यदि हम देखते हैं तो लगभग 12 हजार पशुओं पर एक चिकित्सालय, एक संस्था संचालित है। मैं संक्षेप में सदन को यह निवेदन करना चाहूंगा कि 365 चिकित्सक आर.पी.एस.सी. के माध्यम से प्रक्रिया चल रही है और शीघ्र ही उनको नियमित करके भर्ती की प्रक्रिया शुरू करके खाली पदों को भरा जाएगा। साथ ही मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जहां पर चिकित्सालय नहीं है या जहां पर हमारी कोई भी संस्था नहीं है, वहां पर पशुपालन विभाग के द्वारा प्रत्येक जिले में 33 मोबाइल यूनिट स्थापित कर रखी हैं हम लोगों ने, और प्रत्येक तहसील स्तर पर 288 मोबाइल यूनिट स्थापित किये गये हैं। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आन डिमाण्ड जहां भी कभी आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से हम लोग वहां पर मोबाइल यूनिट को भेजकर उपचार कराने की सुनिश्चितता देने का आपको आश्वासन देना चाहता हूं।

दूसरा, धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को, जिन्होंने अभी अपने बजट में घोषणा की है कि दो हजार एकीकृत पशुधन विकास केन्द्र हम

(श्री प्रभू लाल सैनी)

लोग खोलेंगे। यह सैंटर, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम वहां खोलेंगे, जहां पर हमारी कोई भी इकाई संचालित नहीं है। जब यह दो हजार एकीकृत पशुधन विकास केन्द्र खुल जाएंगे तो निश्चित रूप से माननीय सदस्यों की जो चिन्ता है वह समय पर पूरी हो जाएगी और चिकित्सा की पूरी जिम्मेदारी देने की बात सदन के माध्यम से मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा, एक सबसे बड़ा विषय जिसके बारे में 21 माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से और वाद-विवाद में अपनी बात को जाहिर किया है, वह विषय है खाद और बीज का। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कृषि का मूल आधार बीज होता है। बीज ही वह है जिसमें कृषि का उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। यदि बीज अमानक है तो निश्चित रूप से राजस्थान के उत्पादन पर उसका प्रतिकूल फर्क पड़ता है। इसलिये बीज के बारे में राजस्थान स्टेट सीड कारपोरेशन और नेशनल सीड कारपोरेशन और राजफैड के माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग सैल्फ प्रोडक्शन करके बीजों का वितरण, जो सर्टिफाइड सीड हों, अच्छे गुणवत्ता वाले सीड हों, उनको जांचने के बाद राजस्थान के किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीज के बारे में मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा, पांच स्टेज से गुजरने के बाद बीज बनता है, पहला न्यूक्लियर सीड होता है, न्यूक्लियर सीड के बाद में जब वह आता है तो फिर वह ब्रीडर सीड बनता है और ब्रीडर सीड के बाद में वह फाउंडेशन सीड बनता है, फाउंडेशन सीड के बाद में सर्टिफाइड सीड बनता है, उसके बाद में जो स्टेज आती है वह सत्यनिष्ठ बीज की आती है। इन स्टेज के उतरने के बाद किसानों तक सर्टिफाइड सीड पहुंचाने का काम हमारे आर.एस.एस.सी. और एन.एस.सी. के द्वारा हम लोग करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निश्चित रूप से स्वीकार करता हूं कि पिछले कई दिनों से, या कई वर्षों से बीज में अमानकता की काफी शिकायतें मिलती हैं और कई माननीय सदस्य और लोग भी कहते हैं 'नकली' बीज। मैं कहना चाहूंगा कि 'नकली' बीज होता ही नहीं है। अमानक होता है, सब-स्टैण्डर्ड होता है, उसकी क्वालिटी हलकी होती है। इसलिये उसके बारे में हम लोगों ने जांच की व्यवस्था की है, उसकी प्योरिटी टैस्ट करते हैं। उसके जी.ओ.टी. टैस्ट करते हैं, उसका जर्मीनेशन टैस्ट करते हैं। राजस्थान में अभी वह व्यवस्था नहीं है, डी.एन.ए. फिंगर प्रिण्टिंग का टैस्टिंग भी होता है। शीघ्र ही राजस्थान में हम लोग इस जांच की प्रक्रिया को लागू करेंगे।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी खरीफ 2014-15 में बीज की आवश्यकता, आकलन की गई थी 8 लाख 22 हजार क्विंटल की, उसके मुकाबले अभी वर्तमान में 11 लाख 61 हजार क्विंटल बीज की हमारे पास उपलब्धता है। एक विषय था जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, 13 ऐसे माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें उनका कहना था कि राष्ट्रीय फसल बीमा योजना वही चालू होनी चाहिए जो 2003 में चालू हुई थी। अभी अध्यक्ष महोदय, दो प्रकार की बीमा योजनाएं चल रही हैं। दस जिले वे हैं जिनमें मोडिफाइड फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है और 21 जिले ऐसे हैं जहां मौसम आधारित फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा 2003 से 2009-10 तक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जब चलती थी, उसके प्रीमियम का जो पैसा ज्यादा था वह भारत सरकार और राज्य सरकार वहन करती थी। इस अवधि के दौरान मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रीमियम की राशि थी 2176 करोड़ रुपये थी, और किसानों को 2620 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला था। इसमें लगभग 51.90 लाख किसानों को बेनिफिट हुआ था। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हम इस पर परीक्षण कर रहे हैं। हमारे विभागीय अधिकारी और हम सब मिलकर दुबारा से इस पर विचार करेंगे कि इनमें सबसे अच्छी कौनसी स्कीम है, कौनसी स्कीम के बारे में, मौसम और तापमान की गिरावट, चढ़ना-उतरना, अधिक बारिश, कम बारिश, कभी शीत, कभी ओलावृष्टि, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए पूरे राजस्थान के परिदृश्य पर एक बार पुन: पुनरावलोकन होगा।

हम लोगों ने भारत सरकार को प्रस्ताव भी भिजवाये कि इसको पंचायत लेवल तक लेकर जाना चाहिए। इसकी भी कार्यवाही राजस्थान सरकार करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान में चार जिले ऐसे हैं जहां पर मोडिफाइड फसल बीमा योजना में इकाई पंचायत सर्किल को बनाकर उसका परीक्षण इस साल हम लोग कर रहे हैं। उसके रिजल्ट आने के बाद यह देख पाएंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि क्राप कटिंग पहले 16 होती थी अब वह क्राप कटिंग कम करके, 8 क्राप कटिंग करके किसानों को मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया हमारे विचाराधीन है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया 2014-15 का, उसमें मैं आपसे

(श्री प्रभू लाल सैनी)

एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रावधान किए गए हैं बजट में, उनमें आयोजना भिन्न मद में 943.55 करोड़ रुपए के हैं, आयोजना मद में 2072.31 करोड़ के हैं और सी.एस.एस. में 650.18 यानी, कि 3665.97 करोड़ रुपए का बजट इस साल माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सम्बन्धित क्षेत्र में पशुपालन और कृषि पर दिया है।

गत वर्ष का जो व्यय था, गत जो बजट था माननीय अध्यक्ष महोदय, वह 2681.38 करोड़ था। इससे यह कहा जा सकता है कि राजस्थान का इस वर्ष कृषि और सम्बन्ध सेवाओं का 36 प्रतिशत अधिक बढ़ा कर राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने, हमने पेश किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हम इस परिदृश्य पर बात करें, 2005 से 2014 तक की यदि हम विकास दर की बात करते हैं हिन्दुस्तान की तो इस पूरे देश की विकास दर थी वह 3.55 प्रतिशत थी और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की 9.50 प्रतिशत विकास दर थी, कृषि में। गुजरात में 5.36 प्रतिशत थी और राजस्थान में 5.27 प्रतिशत यानी, कि गुजरात और राजस्थान दोनों की समान रूप से हमारी विकास दर चल रही है।

अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विकास दर को कैसे बढ़ाना चाहिए। अभी सारे माननीय सदस्यों ने इस बात की चिंता जाहिर की कि राजस्थान का किसान अन्नदाता है, निश्चित रूप से अन्नदाता है। स्वयं भूखा रहकर, प्रकृति की मार झेल कर, गर्मी-सर्दी, बारिश से लड़कर और यहां तक की माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वयं भूखा रहकर दूसरों का पेट पालने वाला जो किसान, आज उसकी हालत के बारे में यदि हम चिंतन करें, यदि हम मनन करें तो बड़ा दु:खद संकेत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज देखिये प्रतिपक्ष को, सदन में लगभग 70 प्रतिशत किसानों के हितों पर चिंता होनी थी, आज वह लोग इस सदन में नहीं हैं। एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत बड़ा फैसला उनका था।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कि रामधारी सिंह दिनकर की मैं उन पंक्तियों को मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा कि –

शीत कांपता जिसके वैसे, आतप ठंडा पड़ जाता।
वर्षा से वह क्या घबराता, लिए फावड़ा लिए वह जब चलता।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

उस किसान की चर्चा आज राजस्थान के इस पवित्र सदन में हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम राजस्थान के परिदृश्य की ओर ध्यान देते हैं तो 342 लाख हैक्टेयर का हमारा जो भू-भाग है, यदि आज उसको देखते हैं तो 70 प्रतिशत आज भी वह सेमी-एरिड और रेगिस्तानी हमारा क्षेत्र है। 30 प्रतिशत मात्र ऐसा क्षेत्र है माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर सिंचित भूमि वहां होती है और 61 प्रतिशत भाग राजस्थान का शुष्क क्षेत्र है। यदि हिन्दुस्तान की हम बात करते हैं तो देश में लगभग 317 लाख हैक्टेयर भूमि शुष्क भूमि है, उसका हिस्सा 40 प्रतिशत राजस्थान में है। इन विषम परिस्थितियों के बावजूद भी माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे किसानों ने अपनी मेहनत के बलबूते पर, हमारे अधिकारियों और वैज्ञानिकों के बलबूते पर, आज यदि हम बात करें पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान ऐसा है जिसने लगभग 11 प्रकार की जिंस पर, आज देश में नम्बर-1 स्थान रखने का काम किया है। गौरव प्राप्त किया है। यह राजस्थान के लिए बहुत सुखद संकेत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हम बाजरे की बात करते हैं तो 52 प्रतिशत हमारा प्रोडक्शन राजस्थान में है। यदि हम बात करेंगे धनिया की तो 57 प्रतिशत, यदि सरसों की बात करते हैं तो 44.7 प्रतिशत, मेथी की बात करते हैं तो 78 परसेंट और ग्वार की बात करते हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, 81 परसेंट राजस्थान में पैदा हो रहा है। यदि हम इसबग़ोल की बात करते हैं तो 80 प्रतिशत उत्पादन राजस्थान में इसबग़ोल का हो रहा है। यदि हम मोठ की बात करते हैं तो 84 परसेंट राजस्थान में हो रहा है और अजवायन की बात करते हैं तो 67 परसेंट उत्पादन हो रहा है। यहां तक की ओलिव, यदि ज़ैतून की बात करते हैं तो राजस्थान पहला राज्य बन गया इस हिन्दुस्तान में जिसने अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी दस्तक देकर ज़ैतून की खेती शुरू की है।

इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह विषय है प्रोडक्शन, प्रोडेक्टिविटी, सेफ-साइज एण्ड क्वालिटी राजस्थान में कैसे इम्प्लीमेंट हो और जो मध्य प्रदेश का, इसकी जो विकास दर है, उस विकास दर की ओर राजस्थान कैसे बढ़े इसके बारे में मैं कुछ सुझाव आपको देना चाहूंगा कि अभी राजस्थान में 18 योजनाएं हमारी चली हुई हैं, उन 18 योजनाओं को समाहित करते हुए भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना में माननीय अध्यक्ष महोदय, सबको समाहित करते हुए चार मिशन के रूप में राजस्थान की कृषि व्यवस्था को बांट कर काम शुरू किया है। पहला मिशन है खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसका आपको पूरा ध्यान है। उसमें इस मिशन में गेहूं का

(श्री प्रभू लाल सैनी)

उत्पादन, कृषक प्रशिक्षण, फसल प्रदर्शन के अलावा टेक्नोलोजी मिशन, यार्न-कोटन, मक्का उत्पादन, आइसो-पाम राष्ट्रीय कृषि योजना सहित सारी योजनाओं को समाहित करते हुए राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर काम शुरू किया है। राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल मिशन, तीसरा है राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन, मिशन आन इंटिग्रेटेड हार्टिकल्चर डवलपमेंट यानी, सारी जो हमारी 18 प्रकार की कृषि योजनाएं चल रही थीं, उन सारी योजनाओं को समाहित करते हुए इन चार मिशन के अन्तर्गत काम राजस्थान में शुरू हुआ है। इसके पीछे तात्पर्य यही है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हमारी जो पहचान है, जो राजस्थान की पहचान है, विषम परिस्थितियों के बाद भी हमारे जो टैन एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन बने हुए हैं उनकी प्रसिद्धियों के बाद भी राजस्थान अपना स्थान आगे कैसे बढ़ाये इसके बारे में हम लोग और माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने काफी चिंता की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जार्ज वाशिंगटन जो हमारे फर्स्ट प्रेसीडेंट आफ यू.एस.ए. थे, उनका कृषि के बारे में जो वीजन था, उनका एक सपना था, मैं उन शब्दों को निवेदन करना चाहूंगा। Agriculture is the most helpful, most useful and the most novel employment of the men. यानी, कि माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

**श्री युनुस खान** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): राठौड़ साहब, सुनिए।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): सड़क नहीं है यह। मनुष्य कृषि के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक है, सबसे अधिक उपयोगी और सबसे अधिक रोजगार देने वाली कोई चीज है तो वह कृषि है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह वाशिंगटन, जो फर्स्ट प्रेसीडेंट थे यू.एस.ए. के, उन्होंने यह कहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की यशस्वी माननीया मुख्य मंत्रीजी का, उनका एक वीजन है, उनका एक सपना है। उन्होंने यह सोचा और जिन शब्दों में हमारे कृषि विभाग को यह डाइरेक्शन दिए हैं उन्होंने, अपने शब्दों को मैं कहना चाहूंगा, उनका यह कहना है कि मेरा एक सपना है। हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के बाद पीत क्रांति, पीत क्रांति के बाद विपणन क्रांति, विपणन क्रांति के बाद नीली क्रांति यानी, मछलीपालन और उसके बाद अभी भारत सरकार ने कहा प्रोटीन क्रांति को जोड़ते हुए अब राजस्थान सदाबहार क्रांति की ओर अग्रसर होगा, यह राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने कहा है इसलिए माननीय अध्यक्ष

(श्री प्रभू लाल सैनी)

महोदय, उनका जो वीजन है, उनका एक सपना है, उनका एक विचार है कि हम देश के सिरमौर कैसे बने? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी राजस्थान में मात्र कृषि पर ही काम हो रहा है। एग्रीकल्चर मिन्स-एग्री, कल्चर यानी, हम दो सभ्यता को स्वीकार करते हैं, यह हमारी एग्रीकल्चर है और अभी-अभी राजस्थान का किसान है वह एग्रीकल्चर पर काम कर रहा है। मात्र खाद्यान्न और तिलहन, दलहन की पैदावार कर रहा है और जब ओलावृष्टि होती है, अतिवृष्टि होती है, बाढ़ आती है, सूखा आता है तो उसको यह काफी समस्या का सामना करना पड़ता है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए माननीया मुख्य मंत्रीजी का वीजन है कि अब हम एग्रीकल्चर के साथ-साथ में हार्टिकल्चर का काम भी करेंगे, फ्लोरीकल्चर का काम भी करेंगे, प्लास्टिक-कल्चर का काम भी करेंगे, टिश्यू-कल्चर का काम भी करेंगे, ओलेडी-कल्चर का काम भी करेंगे, एक्वा-कल्चर का काम भी हम लोग करेंगे, बर्मी-कल्चर का काम भी करेंगे, सेरी-कल्चर का काम भी करेंगे, एरोमेटिक कल्चर का काम भी करेंगे, एपटी-कल्चर का काम भी करेंगे और पेप्सी-कल्चर का काम भी करेंगे यह माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने कल्चर हैं कृषि के। अभी राजस्थान में मात्र दो कल्चर शुरू हुए हैं पहला कल्चर एग्रीकल्चर और दूसरा कल्चर हार्टिकल्चर। फलोद्यान में राजस्थान में निश्चित रूप से हम लोगों ने काम शुरू किया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत हम लोगों ने काम शुरू किया है उसका नतीजा आया है। आज सस्टेनेएबल एग्रीकल्चर के रूप में यदि हम कह सकते हैं कि ओलावृष्टि भी हो गयी तो हमारे परमानेंट जो खेती है उससे राजस्थान के किसान की आय में उसके अतिरिक्त फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान कहा है कि राजस्थान में फ्लोरीकल्चर डिपार्टमेंट भी बनाएंगे। यानी फूलों का विभाग भी राजस्थान में बने, यह उन्होंने घोषणा की है। जब फ्लोरीकल्चर का विभाग होगा माननीय अध्यक्ष महोदय, फूलों का ग्लेमर धीरे-धीरे बहुत बढ़ने लगा है। आज आप शादी -ब्याह देखिए, आज सिर्फ राजस्थान में गुलाब के या हम कहें कि जरवेरा, गुलाब के या मेरीगोल्ड के फूल होते हैं या कहीं-कहीं पर मोगरा के फूल भी होते हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है माननीय अध्यक्ष महोदय, की जरवेरा हो, कारनेशन हो, ग्लोडे-पैराडाइज, बर्ड आफ पैराडाइज हो, ग्लोडियस हो, ट्यूलिप हो, ऐसे पौधे, ऐसे फ्लावर्स जो गुलदस्तों में इतने महंगे मिलते हैं, उस खेती को शुरू करने की भी योजना माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो

(श्री प्रभू लाल सैनी)

बजट पेश किया है, मैं मेरी ओर से और आप सबकी ओर से सदन की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने जिस प्रकार की बात कही है, सारे विषय राजस्थान में माननीया मुख्य मंत्रीजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मत्स्य क्रांति हम लोग लेकर आएंगे यह वीजन राजस्थान में निश्चित रूप से हम 50 करोड़ रुपये की लागत का, यह पूरे देश में सहयोग मिलेगा तो राजस्थान में मत्स्य क्रांति के क्षेत्र में भी राजस्थान आगे बढ़ेगा।

स्वदेशी फसलों और नस्लों के विकास के लिये जो 50 करोड़ रुपये देने की बात भारत सरकार के उसमें कही गयी है, उसमें भी मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान सबसे पहले, इंडीजीनिस ब्रीड जो हमारी है राठी थारपारकर, गिर, उन देशी वंश का संरक्षण-संवर्द्धन का काम हम लोग कर रहे हैं और उसको बढ़ाने के लिये हमारी भारत सरकार का जो बजट है, इससे हमारे हौंसलों को और अधिक पंख लगेंगे और निश्चित रूप से गौ-वंश का संरक्षण और संवर्द्धन करने में आगे बढ़ेंगे।

एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि प्रोटीन क्रान्ति भी हम लोग लेकर आयेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां प्रोटीन क्रान्ति का प्रश्न है, आजकल आप लोग देखते होंगे कि शाकाहारी और मांसाहारी, दोनों प्रकार के लोग होते हैं। हिन्दुस्तान में आप देखते होंगे मांस, मछली और अण्डा खाने वाले लोग प्रोटीन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन राजस्थान के वह लोग जो शाकाहारी हैं, उनको प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। राजस्थान प्रोटीन प्रोडक्शन में नम्बर दो पर है। दूध में भी हम दूसरे नम्बर पर हैं और दाल-दलहन में भी राजस्थान दूसरे नम्बर पर हैं। इस क्रान्ति की ओर भी अग्रसर होंगे।

तीसरा उन्होंने कहा लैब टू लैण्ड की ओर हम जायेंगे, यानी लैबोरेट्री से जमीन तक हम जायेंगे। यह बहुत बड़ी डिक्लयरेशन पूरे देश में की गयी है। मैं कहना चाहूंगा सोइल हैल्थ कार्ड के बारे में एक वीजन आया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने 2008 तक लगभग 30 लाख लोगों को सोइल हैल्थ कार्ड बांट दिये हैं और लगभग 68 लाख ही कुल राजस्थान में हमारी कृषि जोत हैं। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आगामी तीन वर्षों में शत-प्रतिशत प्रत्येक व्यक्ति के पास सोइल कार्ड होगा। इसके लिये भी मैं घोषणा करना चाहूंगा।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपसे और निवेदन करना चाहूंगा। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष एम.एस. स्वामीनाथन... (व्यवधान)

**श्री युनुस खान** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय, आप जब भी यह फूल पैदा करें, राठौड़ साहब को एक बढ़िया गुलदस्ता जरूर भेजेंगे आप।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): अगर यह मुस्कराते रहेंगे तो मैं दे दूंगा, कल ही भिजवा दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय गम्भीर चल रहा है, हमारे साथी लोग हैं दोनों। यह मेरा हौसला-अफजाई कर रहे हैं, कोई खास बात नहीं। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष एम.एस. स्वामीनाथन, जो एक ख्यातनाम कृषि विशेषज्ञ इस देश के हैं, और उन्होंने यह कहा कि "We need a knowledge of the Management revolution in the agriculture in Rajasthan." यानी राजस्थान में अब हमें ज्ञान के साथ-साथ में प्रबन्धन क्रान्ति की भी जरूरत होगी। राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश देकर एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में राजस्थान में जब हमारी सरकार थी, सिक्स थेमेटिक ग्रुप्स हम लोगों ने बनाये थे, कार्यबल बनाये थे, ताकि कृषि के क्षेत्र में निश्चित रूप से हमारे वैज्ञानिक मिलकर, पूरे देश के वैज्ञानिकों को जोड़कर हम लोगों ने विजन शुरू किया था और उस विजन में भूमि एवं मृदा स्वास्थ्य के बारे में एक हमने थेमेटिक ग्रुप बनाया था। दूसरा जल के प्रबन्धन वाटर का पर-ड्राप मोर क्रोप वाले सिद्धान्त को अडोप्ट करते हुए पानी का समुचित प्रबन्ध कैसे हो, उसके बारे में, तीसरा तकनीकी और आदान प्रबन्धन के बारे में और चौथा वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्द्धन के बारे में और पांचवां क्रेडिट एण्ड इंश्योरेंस के बारे में था और छठा पशुपालन और चारे के प्रबन्धन से था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यों ही 2008 में सरकार गयी। जब नई सरकार आयी, एक दिन भी थेमेटिक ग्रुप्स, जो बने थे, मीटिंग नहीं हुई। अब हम आपको यह विश्वास दिलाना चाहेंगे कि राजस्थान में नये सिरे से यह कार्यबल बनेंगे। कार्यबल बनकर कृषि के क्षेत्र में इनमें नई सम्भावनाओं को तलाशा जायेगा, यह मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं।

मैं एक निवेदन और आपसे करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में देश का 1.10 प्रतिशत मात्र सरफेस वाटर है, 1.16 प्रतिशत मात्र ग्राउंड वाटर है। ऐसी परिस्थितियों में यदि हम कल्पना करते हैं तो आजादी के 67 वर्षों में यही बात शुरू से चली आ रही है। लेकिन राजस्थान की माननीय यशस्वी

(श्री प्रभू लाल सैनी)

मुख्य मंत्रीजी को मैं बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहूंगा जिनके मन में एक विजन आया कि 2002 में भारत के प्रधान मंत्री सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी के द्वारा जो 5,600 करोड़ की जो योजना, इंटर-लिंकिंग आफ रीवर्स का जो सपना देखा था, सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस पर चिन्ता व्यक्त की थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान में फाउण्डेशन रखने का काम किया, इसलिये मैं उनको बहुत-बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। जब नदियों से नदियां जुड़ेंगी, जुड़ने के बाद निश्चित रूप से हमारे पानी का जो प्रतिशत है, निश्चित रूप से उसमें बढ़ोतरी होगी और यदि आज हम बात करें पानी की, तो माननीय सभापति महोदय, आजादी के 67 वर्षों के बाद ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: स्पीकर।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माफी चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, per drop more crop यानी एक बूंद में अधिक उत्पादन कैसे हो। यदि हम सिंचाई प्रतिशत की बात करते हैं तो अब तक प्रदेश में शुद्ध सिंचाई क्षेत्र 74 लाख 99 हजार 120 हैक्टेयर में ही मात्र सिंचाई होती है। यानी आज भी 30 प्रतिशत पानी से सिंचाई हो रही है और यदि पानी की यह उपयोगिता दुगनी हो जाती है तो मैं समझता हूं हमारा प्रोडक्शन है, हिन्दुस्तान का कोई भी राज्य उसका मुकाबला नहीं कर सकता, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। नहरों के माध्यम से अभी 19 लाख हैक्टेयर में हो रही है, तालाब से 91.668 हैक्टेयर में हो रही है और कुएं और तालाब से 53 लाख 82 हजार 194 हैक्टेयर में सिंचाई हो रही है। अब आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान में समुचित साधन, समुचित पानी, कम पानी, कम लागत, अधिक उत्पादन, ऐसी टैक्नोलोजी को अपनाना चाहिये और उसको अपनाते हुए राजस्थान में बूंद-बूंद सिंचाई योजना शुरू की है। पिछले वर्षों में 2013-14 में 32,307, इन्होंने जो लेंथ में काम करने का काम किया था, उसको बढ़ाकर 31,203 हैक्टेयर में बढ़ाने की घोषणा करता हूं। नहीं-नहीं, सारी 32,307 को बढ़ाकर 54 हजार हैक्टेयर में बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं और बूंद-बूंद सिंचाई में 31,203 से बढ़ाकर 48,119 की मैं आपके यहां इस सदन में घोषणा करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं यह बात कहने से भी नहीं चूकना चाहता, क्योंकि अवसर है, मैं निवेदन करना चाहूंगा 1947 में हिन्दुस्तान आजाद हुआ, 1948 में इजरायल आजाद हुआ। इजरायल जब बना, छोटा-सा कंट्री, जयपुर के बराबर का जो कंट्री है, उसका एक विजन था। उसने

(श्री प्रभू लाल सैनी)

सबसे पहले पानी को नेशनल प्रोपर्टी घोषित किया। उसके बाद उनके मन में नेशनलिटी की भावना प्रत्येक नागरिक में हुई और आज यह कल्पना करेंगे उन्होंने एक विजन तय कर दिया। हमारी तरह हजार योजनाओं पर एक साथ वह काम नहीं करते, उन्होंने विजन किया कि 1970 का दशक, जो हमारा होगा, उसमें हम सिर्फ उत्पादकता वृद्धि का काम करेंगे, 1980 का जो उनका काम था, उन्होंने सेफ लाइफ इम्प्रूवमेंट का काम किया और 1990 का काम था, उसमें उन्होंने सेफ लाइफ एण्ड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हुआ और 2000 से 2010 तक जो उनका काम हुआ है, वह प्रोटीन और न्यूट्रीएटस की मात्रा, फल-सब्जियों में कैसे वह काम कर रहे हैं।

इसी तरह से, मैं आपको विश्वस्त करना चाहूंगा कि राजस्थान कृषि विभाग की पूरी टीम और माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में, चरणबद्ध तरीके से 64 किसानों का दल लेकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हम लोगों को इजरायल भेजा था। इजरायल से जो तकनीक हम लोग लेकर आये थे चाहे वह ग्रीन हाउस हो, चाहे पोली हाउस हो, चाहे नैट हाउस हो, चाहे वैल्यू एडिशन हो, चाहे फिशरीज हो, चाहे एक्वा कल्चर हो, चाहे प्रोसेसिंग यूनिट्स का हो, इन सब क्षेत्रों में राजस्थान में 2008 तक हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि पिछली सरकार, 31 दिसम्बर, 2013 तक 564 करोड़ रुपये इन्होंने ड्रिप का, सोलर का, पाइप लाइन का और डिग्गी का बिना भुगतान किये वह चले गये। यह राजस्थान सरकार इसका भी वादा करती है कि हम लोग इस काम को शीघ्र किसानों के लिये करेंगे।

एक बात और मैं इस बारे में निवेदन इसलिये करना चाहूंगा इजरायल की जब बात चल गयी है तो हेनरी डेविड का यह विचार था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री, यदि कोई विजन रखता है, कल्पना रखता है तो उसको पूरा करना चाहिये। Your work need not to be lost. That we have. Now put up the foundation under them. यानी उनका जो विजन था, उनका एक सपना था कि यदि आपने हवा में भी किले बनाये हैं कि बीकानेर में, चूरू में पिण्ड खजूर की खेती हम करेंगे, सपना है। लेकिन इन सपनों को पूरा करने का काम भी राजस्थान की यशस्वी माननीय मुख्य मंत्रीजी करेंगी और इस सपने को पूरा करने के लिये माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने सबसे पहले खजूर की खेती, पिण्ड खजूर की खेती वैस्टर्न राजस्थान- बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में हम लोगों ने इस काम को 2007 से शुरू किया और आज हम लोग लगभग 400 टन के प्रोडक्शन राजस्थान में पहली बार डेट

(श्री प्रभू लाल सैनी)

पाम की पैदावार राजस्थान में होगी। यह बहुत सुखद संकेत है और अब हमारा यह प्रयास होगा, क्योंकि जो वर्ल्ड क्लास वैरायटी हम लेकर आये थे, उसमें मेडजूल, बरही, जगलूर, आप तो जानते हैं, रोजा खोलते हैं, आप वहां से लाते हैं, क्योंकि मिश्र में ही मात्र 35 प्रतिशत प्रोडक्शन होता है, पाकिस्तान में 60 प्रतिशत होता है और राजस्थान में जीरो, हिन्दुस्तान में जीरो होता था, अब उस जीरो को अंकों की तरह आगे बढ़ाने का काम भी राजस्थान की यशस्वी माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में हमारी सरकार करेगी, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

अभी हाल ही में हम लोगों ने 4 जिलों को छोड़कर 12 जिले और सम्मिलित किये हैं और 12 जिलों में हम लोग, क्योंकि खजूर का हब बनाने का काम करेंगे और हमारा प्रयास यह होगा बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के अलावा नागौर, चूरू, पाली, सिरोही, झुन्झुनूं, जालौर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, यह 12 जिले ऐसे होंगे, जहां पर हम लोग डेट पाम को आगे बढ़ायेंगे, बेतिल क्षेत्र को और हरित करेंगे और उस प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने की हमारी योजना इसी वर्ष होगी। सीकर आ गया है उसमें, दूसरे में है, आ रहा है दूसरे में।

**श्री अध्यक्ष**: शांत रहिये। हां, आप करिये।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): ज्यादा कोई नहीं है, इनोवेशन की बात है।

**श्री अध्यक्ष**: हां, आप करिये।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): हां, बिलकुल।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान में 2006-07 में ओलिव यानी जैतून की खेती शुरू की। जब जैतून की खेती हम लोगों ने शुरू की तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यू.पी.ए. की सरकार में कृषि मंत्रीजी और वहां के आई.सी.आर. के वैज्ञानिकों से बात की। तो उन्होंने मना किया कि राजस्थान में ओलिव का कल्टीवेशन नहीं हो सकता, हिन्दुस्तान में नहीं हो सकता, आप यह प्रयास मत करिये लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी का हौसला अपना कर श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर, जालौर, झुन्झुनूं, जयपुर और अलवर में जैतून की खेती हम लोगों ने 240 हैक्टेयर में शुरू की थी और आज उसका नतीजा यह हुआ कि रिफाइनरी हिन्दुस्तान में यदि पहली कोई लगने वाली होगी तो माननीय लूणकरणसर से आने वाले

(श्री प्रभू लाल सैनी)

विधायकजी के वहां होगी। वो हम लोग अगस्त में लूणकरणसर में, रिफाइनरी चार करोड़ की लागत की होगी और राजस्थान में पहली बार लगभग बीस टन से ज्यादा ओलिव आयल का प्रोडक्शन होगा, यह अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान में दस्तक दे दी है और अब कई प्रकार की कंट्रीज इसमें हैं, ब्राजील, मोरक्को, फ्रांस, इटली, इजरायल, यह सारे कंट्रीज अब राजस्थान की ओर दौड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि एम.ओ.यू. कर लें क्योंकि जैतून के प्लांट की, जैतून के पेड़ की जो लाइफ है चार सौ साल से लेकर एक हजार साल तक है और उसका जो प्रोडक्शन है वो एक हैक्टेयर में दो लाख से ज्यादा किसान को मिलने वाला होगा और उसका जो आयल है वो 700 से 800 रुपये लीटर जायेगा। उसके बाद बेबी आयल के रूप में आप देखते होंगे, वो बहुत महंगा मिलता है, उसके बाद मेडिसिन मिलते हैं, कास्मेटिक्स बनते हैं यानी कि आयल के पत्ते तक भी, अभी जम्मू और कश्मीर ने भी यहां से पत्ते और प्लांट हम से लेकर गये हैं, गुजरात पौधे हमसे लेकर गया है, पंजाब हमसे पौधे लेकर गया, हिमाचल प्रदेश हमसे पौधे लेकर गया है और अब तो सेना भी हमसे, अभी हाल ही में एक एम.ओ.यू. हुआ है, सेना भी ओलिव के पौधे लेकर जा रही है और यहां का जो हमने कहा है, वन विभाग को भी कहा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा, ओलिव हिल्स का करिये और फोरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा कि अब आपकी पहाड़ियों पर जैतून की पहाड़ियां करिये तो जैतून के वो भी हम लोगों से पौधे लेकर जा रहे हैं। हम लोग नि:शुल्क पौधे, इसको आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं और आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से राजस्थान जैतून प्रदेश बनेगा और हिन्दुस्तान में जैतून का नाम आगे बढ़ेगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

एक मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि किसान कलेवा योजना है, हम लोग ए और सुपर ए क्लास की मंडियों में इसको लागू करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान जब अपनी जिंस को बेचने मंडियों में आता है उस समय उसको 5-6 रोटी, दो सब्जी, एक छाछ और सर्दियों में गुड़, यह हम लोग उसको पांच रुपये में देने का काम करते हैं और इसमें अब हम यह घोषणा करते हैं कि जो भी मण्डी राजस्थान की इसकी डिमाण्ड करेगी, प्रत्येक मण्डी में किसान कलेवा योजना की मय भवन इसकी स्वीकृति जारी करेंगे। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

एक निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में कहा

(श्री प्रभू लाल सैनी)

था कि हम लोगों ने किसान भवन पूरे सम्भाग में और प्रत्येक जिले में बनाये गये थे और उनमें 55 करोड़ रुपये की लागत के हिन्दुस्तान में पहला राज्य राजस्थान था जहां पर किसान भवनों का निर्माण हुआ था लेकिन पिछली सरकार ने इनमें होटलें खोलने का काम कर दिया, होटलों में किराये दे दिया, उसकी दुर्दशा कर दी। आज मैं सदन में कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी की मंशा के मुताबिक एक महीने में राजस्थान के सभी जो किसान भवन बने हुए हैं उनमें ठहरने, खाने और कृषि सम्बन्धी जानकारी सारी घोषणाएं एक महीने में हम पूरी करके किसान के लिए उनको फिर से सुसज्जित कर देंगे ताकि राजस्थान के किसान को उसका लाभ मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने पिछले दिनों एक चिंता व्यक्त की कि राजस्थान में मिलावटी दूध मिलता है और मैं निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार भी करता हूं कि कई जिले ऐसे हैं जिनमें खास तौर से अलवर है, भरतपुर है, दौसा है, और क्षेत्र हैं, वहां मिलावट की शिकायतें मिलती हैं। तो, मैं आज सदन में घोषणा करता हूं कि एक विशेष अभियान चलाकर माननीय चिकित्सा मंत्रीजी के सहयोग से और गृह मंत्रीजी के सहयोग से हम लोग एक कार्यबल गठित करके निश्चित रूप से हम इसकी चैकिंग करवायेंगे और दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे और इसकी रोकथाम के लिए एडवांस मिल्क टैस्टिंग एण्ड रिसर्च लैब की स्थापना, जो लेटेस्ट टैक्नोलोजी का हिन्दुस्तान का यह दूसरा होगा, जो एक मिनट में सारे टैंकर की जांच करेगा। पहली बार यूरिया, चाहे उसमें सिंथेटिक्स हों, चाहे उसमें रेजिड्यू हों, चाहे उसमें जैनेटिक डिजीज हों, हैपेटाइटिस हो, एस.एम.एफ. हो, फैट हो या डिजरजैट हो या किसी भी प्रकार के साल्ट हो यह मिलावट सुओमोटो हमारे पशुपालन विश्वविद्यालय बीकानेर के सौजन्य से जयपुर में बी टू बाई पास पर मानसरोवर पर शुरू करने वाले हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी उसको शुरू करेंगी। निश्चित रूप से सुओमोटो, वहां पर कोई जांच करवाने नहीं जायेगा, यह सरकार का, उस यूनिवर्सिटी का काम है। प्रत्येक जिले को वो चिह्नित करेगी, चिह्नित करने के बाद अपने सुओमोटो सैम्पल्स लेगी चाहे वो डेयरी के सैम्पल हो, चाहे प्राइवेट सैक्टर के हों, चाहे प्राइवेट डेयरी से हो, चाहे जो भी बेचने वाला हो, सबके यहां से सुओमोटो टैस्टिंग करके पूरे राजस्थान का सिनेरियो सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे और

(श्री प्रभू लाल सैनी)

जब सरकार के सामने इस प्रकार के तथ्य उजागर होंगे तो निश्चित रूप से प्रभावी कार्यवाही करेंगे। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा। एक चीनी कहावत है और चीनी कहावत यह है कि "Don't give fish .Tell him how to fish.", यानी आप किसी को मछली मत देओ आप उसको मछली कैसे पकड़ें, यह सिखाओ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में हमारा विभाग राजस्थान में पासओन गिफ्ट योजना जो हम लोग महिलाओं के लिए शुरू करेंगे और इसमें लगभग 10,500 महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से पहली बार हम दो बकरियां देंगे और दो बकरी देकर हम उनको कहेंगे कि जो तुम्हारा सैल्फ हैल्प ग्रुप बनेगा उस ग्रुप में जो भी तुम्हारे बकरी पैदा होगी वो तुम तुम्हारे नैक्स्ट को गिफ्ट के रूप में पास करोगी, वो नैक्स्ट को करेगी, वो नैक्स्ट को करेगी। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि चार-पांच साल में इनके प्रत्येक के पास लगभग 15 से 20 बकरियां हो जायेंगी। इनमें एक सोसायटी की भावनाएं बढ़ेंगी और यह गिफ्ट के रूप में इनको आगे बढ़ाने का काम भी हम लोग करेंगे। (व्यवधान)

हां, गौ माता पर आ रहा हूं। अब गौ माता पर आ रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: शांत रहिये, शांत रहिये। कृपया शांत रहिये। हां, मंत्रीजी, चालू रखिये।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य और राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात पर चिंता करती हैं कि गौ वंश का संवर्धन हो, संरक्षण हो, उन्नयन हो और इस देश का पहला भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के आधार पर नस्ल सुधार कार्यक्रम बीकानेर के कोडमटेसर में शुरू किया जा रहा है। उसमें 26 करोड़ रुपये की लागत से, हमारी चारों जो गौ वंश हैं- राठी, थारपारकर, गिर और कांकरेज और सायवाल, इनके रिसर्च के साथ-साथ उसका ब्रीड कन्फर्मेशन, स्पर्म सलैक्शन, मल्टीपल ओव्यूलेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर और डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग का काम हिन्दुस्तान में यह राजस्थान दूसरा स्टेशन बन जायेगा जहां पर देसी गौ वंश को संरक्षण और संवर्धन करने का काम हम लोग करेंगे और सभी गौशालाओं को, वहां जो भी उन्नत नस्ल के सांड पैदा होंगे, सभी गौशालाओं को नि:शुल्क उपलब्घ कराने का भी मैं आज आपको कहना चाहूंगा, उनको भी हम लोग उपलब्ध करायेंगे।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

अंत में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ घोषणाएं आपकी अनुमति से करना चाहूंगा, कर दूं?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बिलकुल।

**श्री युनुस खान** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक घोषणा जरूर कर देना, साहब, जिन्होंने मेजें थपथपायी हैं उनको पेवर दूध मिलना चाहिए। (व्यवधान)

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मेरे पास पी.डब्ल्यू.डी. तो है नहीं जो सड़क बांट दूं, साहब।

स्टेट के हित में हमारा प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, हमारे किसान की माली हालत कैसे सुधरे इसके लिए मैं यह घोषणा करता हूं कि जल के कुशल उपयोग हेतु 2014-15 में पांच हजार डिग्गियां, नौ हजार फार्म पौंड और एक हजार जल होज के निर्माण हेतु किसानों को 155.50 करोड़ रुपये के अनुदान के प्रावधान की आर.के.वी.वाय. में मैं घोषणा करता हूं।

राज्य में 68 लाख जोतों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रयोगशाला स्थापित होने हेतु अभियान चलने तक किसानों के परिवार को अगले पांच वर्षों में पांच करोड़ रुपये के प्रावधान की व्यवस्था करता हूं, प्रत्येक व्यक्ति को यह उपलब्ध हो जायेगी।

इस मानसून में देरी को देखते हुए कृषि विभाग की आकस्मिक योजना बनायी गयी है जिसमें 70 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान रखा जायेगा। इस योजना में बरसात न होने, अत: प्रदेश में चारे की उपलब्धता की कमी होने की सम्भावना पर हरा चारा उपलब्ध होने तक मिनी किटों का वितरण राजस्थान में किसानों को किया जायेगा।

बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ग्रो-आउट टैस्ट हेतु, जैसा मैंने अभी जिक्र किया था, राजस्थान राज्य बीज निगम एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था की बांसवाड़ा इकाई पर एक करोड़ रुपये की लागत से ग्रीन हाउस और अन्य सुविधाओं का निर्माण कराया जायेगा।

फसलों में कीट प्रबन्धन और खरपतवार की रोकथाम के लिए आवश्यकतानुसार रसायनों के अनुदान के लिए पांच करोड़ 20 लाख रुपये के प्रावधान की भी मैं घोषणा करता हूं।

**(21.00 बजे)**

वर्ष 2014-15 में कृषकों को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, चूंकि

(श्री प्रभू लाल सैनी)

आजकल फर्टिलाइजर का बढ़ रहा है सारा, जैविक खेती की ओर डाइवर्ट करने के लिए अब की बार 2 करोड़ 14 लाख रुपये के प्रावधान की घोषणा भी मैं करता हूं।

कृषि पर्यवेक्षकों की जो भर्ती का मामला था। पहले इसकी परीक्षा महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा करायी गयी थी। पेपर आउट होने से वह कैंसिल हो चुकी थी। अब 2224 कृषि पर्यवेक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करके तत्काल उनको भरा जायेगा।

कृषि महाविद्यालय, उनियारा सुदृढ़ीकरण करने हेतु 2014-15 में 3.20 करोड़ रुपये के बजट के प्रावधान की भी मैं घोषणा करता हूं।

उद्यान विभाग की घोषणाएं मैं इस प्रकार करना चाहूंगा। राज्य में फूलों, फलों, सब्जियों, मसालों, औद्योगिक फसलों की खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2014 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 3 सेंटर, सेंटर फोर एक्सीलेंस धौलपुर, टोंक, झालावाड़ में खोलें जायेंगे। इस हेतु 2014-15 में 22 करोड़ रुपये के प्रावधान की भी मैं घोषणा करता हूं।

वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु जयपुर, सीकर, अलवर के अतिरिक्त कोटा और अजमेर जिलों को सम्मिलित किया जायेगा। इस ओर 12 करोड़ रुपये के भी प्रावधान की भी मैं घोषणा करता हूं।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 5.65 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में ग्रीन हाउस और शेड हाउस स्थापित करने के लिए 19.50 करोड़ के प्रावधान की भी मैं घोषणा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी घोषणा करता हूं कि जैतून की खेती और पिंड खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि कैबिनेट में जो फैसला हुआ था, उस फैसले के मुताबिक चूरू जिला और बीकानेर सम्भाग के सभी जिलों में जैतून और पिंड खजूर की खेती का हब बनाने के लिए मैं यह घोषणा करता हूं कि वहां पर किसान के खेत तक हम इसको लेकर जायेंगे और किसानों को समुचित अनुदान देकर वहां काम करने का हम लोग प्रयास करेंगे।

पशुपालन विभाग की मैं कुछ घोषणाएं निवेदन करना चाहूंगा। गौ-वंश का संरक्षण, संवर्धन हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस क्रम में आगामी दशक में प्रदेश को खुरपका, मुंहपका बीमारी, एफएमटी के पूर्णतया मुक्त करने

(श्री प्रभू लाल सैनी)

हेतु वृहत कार्ययोजना तैयार की गयी है। इस योजना के तहत चरणबद्व रूप से प्रतिवर्ष गौ-वंश और भैंस वंश के पशुओं का अधिकाधिक टीकाकरण किया जायेगा और प्रदेशव्यापी एफएमटी टीकाकरण करने और टीकों के शीत भण्डारण के लिए आवश्यक कोल्ड चेन सुविधा तहसील स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए 35 करोड़ की राशि की भी मैं घोषणा करता हूं।

इस वर्ष समस्त 228 पशुधन आरोग्य इकाइयों को भवन निर्माण राज्य में समस्त 34 जिलों में औषधि भण्डारों का निर्माण और प्रदेश की सभी 34 पशु चिकित्सा पोली क्लिनिकों में डार्क रुम निर्माण के लिए 23 करोड़ रुपये के प्रावधान की भी मैं घोषणा करता हूं।

**श्री युनुस खान** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 33 ही हैं।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): एक में डबल हैं। झुंझुनूं में 2 हैं। इस वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत प्रदेश में सभी 34 जिलों की पोली क्लिनिकों पर एक्सरे और सोनोग्राफी की मशीन उपलब्ध करा दी जायेगी। जिसके लिए लगभग 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लेकिन चरणबद्ध तरीके से इसको पूरा किया जायेगा।

पशुधन आरोग्य नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत 35 करोड़ रुपयों के प्रावधान की भी घोषणा करता हूं और विभागीय प्रशिक्षण संस्थाओं, प्रयोगशालाओं एवं फार्मों के सुदृढ़ीकरण हेतु 6.20 करोड़ रुपये के प्रावधान की भी मैं घोषणा करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा 2000 आईएलडीपी केन्द्रों की स्थापना बजट घोषणा में की गयी है जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करते हुए नस्ल सुधार के लिए निम्न घोषणाएं करता हूं:- राज्य में देशी गौ-वंशीय पशुओं के संरक्षण, संवर्धन, राठी, थारपारकर, गीर, कांकरेज और साहीवाल नस्ल के उन्नयन हेतु वेटेनरी विश्वविद्यालय को 11 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराने की भी मैं घोषणा करता हूं। टैक्सड सीमन के माध्यम से नस्ल सुधार की योजना पर डेढ़ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं और गौ-पालन विभाग के माध्यम से गौ-शालाओं को संधारित गौ-वंश के नस्ल सुधार एवं संवर्धन के लिए 5 करोड़ की भी मैं घोषणा करता हूं। पशुओं की नस्ल सुधार के लिए तरल नेत्रजन परिवहन के सुदृढ़ीकरण हेतु 2 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे।

बकरी विकास की जन सहभागिता के आधार पर 10 हजार परिवारों की महिलाओं को संगठित कर पास ओन गिफ्ट योजना के तहत उन्नयन

(श्री प्रभू लाल सैनी)

नस्ल की बकरियां उपलब्ध कराने पर 5 वर्ष में चरणबद्ध 10.42 करोड़ रुपये के प्रावधान की भी मैं घोषणा करता हूं।

दुग्ध भण्डारण क्षमताओं का विस्तार, दुग्ध क्षमताओं का भण्डारण विकास तथा खोआ बनाने की मशीन के लिए 4 करोड़ रुपये व्यय करने की भी मैं घोषणा करता हूं।

प्रदेश वासियों के लिए पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, जयपुर स्थित स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा संस्थान में उच्च स्तरीय दुग्ध को 4 करोड़ 90 लाख रुपये उसको स्ट्रेंथ करने के लिए भी मैं घोषणा करता हूं।

ऊंटों में शरा रोग नियंत्रण और ऊष्ट रोग सर्वेक्षण एवं रोग निदान पर लगभग एक करोड़ रुपये के प्रावधान की भी मैं घोषणा करता हूं।

राज्य के 5 जिलों में पशु चिकित्सा प्रशिक्षण, अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना वेटेनरी विश्वविद्यालय के मार्फत करने के लिए 9 करोड़ 20 लाख रुपये उपलब्ध कराने की भी घोषणा करता हूं।

पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख सेवण घास जिसका जिक्र माननीय सदस्य कर रहे थे, उत्पादन, संवर्धन एवं संरक्षण हेतु राज्य के पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय को साढ़े 6 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का भी प्रावधान मैं करता हूं।

मत्स्य फार्म, चंदलाई, टोंक के सुदृढ़ीकरण पर 2.75 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। जिसमें 2 करोड़ रुपये मत्स्य स्थान में प्रजनन सम्भव हो सकेगी। 1.50 करोड़ की लागत के रावतभाटा, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में मत्स्य के अभिजनक बैंक, फिश बैंक की स्थापना की भी मैं घोषणा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और घोषणा करना चाहूंगा, इस वर्ष वेटेनरी कालेज, बीकानेर में बीवी एंड एच साइंस की प्रवेश परीक्षा क्षमता 75 से बढ़ाकर 100 सीटें करने की भी मैं घोषणा करता हूं। वल्लभनगर, उदयपुर की 60 से बढ़ाकर 100 सीटें करने की भी मैं घोषणा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि विपणन से सम्बन्धित, कई माननीय सदस्यों ने भी कृषि विपणन से सम्बन्धित नई कृषि मण्डी बनाने की बात कही है। मैं आपके माध्यम से यह घोषणा करता हूं कि किसानों को कृषि उपज के विपणन हेतु सहज, सुगम विक्रय केन्द्र उपलब्ध कराकर राज्य के विपणन तंत्र को और सक्रिय, सुदृढ़ कराये जाने की दृष्टि से निम्न स्वतंत्र मंडियों के गठन की मैं घोषणा करता हूं, शाहपुरा (भीलवाड़ा), समरिया (बारां), बज्जू

(श्री प्रभू लाल सैनी)

(बीकानेर), बस्सी (जयपुर), मोहनगढ़ (जैसलमेर), पलसाना (सीकर), छोटी सादड़ी (प्रतापगढ़), गुढ़ागौड़जी (झुंझुनूं), दूणी, महुआ, दौसा।

**श्री युनुस खान** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दूणी कहां है?

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): दूणी टोंक में, और राजधानी मण्डी जयपुर। यह 11 मंडियों की नई, स्वतंत्र मंडियां बनाने की भी...

**श्री अध्यक्ष**: शाहपुरा भी है इसलिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): है ना आपका नाम। यह है ना वह। शाहपुरा है ना नम्बर एक पर।

**श्री अध्यक्ष**: हां।

**श्री प्रभू लाल सैनी** (कृषि मंत्री): अब मैं अंत में सभी माननीय सदस्यों को मेरी तरफ से एक प्रार्थना करते हुए मेरी बात को समाप्त करुंगा। यदि हम ईमानदारी से, हम इस सदन में यह बात करते हैं कि हम किसानों का भला करेंगे, किसानों के लिए यह करेंगे, वह करेंगे। अब इन घड़ियाली आंसुओं से काम नहीं चलेगा। वास्तविकता चाहिए, क्योंकि किसान कौन है? हम सब किसान हैं। 80 प्रतिशत किसान जीतकर आते हैं। हम सब किसान हैं। हमें चिंता करनी है, हमें फैसला करना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक कोटेशन के साथ अपनी बात को समाप्त करुंगा जो थोरो का है अंग्रेजी में, 'woods are lovely dark and deeps, but I have some promises to keep, miles to go before I sleep, miles to go before I sleep'. यानी मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि में इसके उत्थान में, इसके उपयोग में बहुत घनघोर अंधेरा है, बहुत परेशानियां हैं। लेकिन फिर भी मेरा कुछ वादा है, मैं कुछ करना चाहता हूं, सोने से पहले कुछ करके जाऊंगा, बहुत-बहुत धन्यवाद ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37 और मांग संख्या 39 को पारित किया जाये।

**श्री अजय सिंह** (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36 को पारित किया जाये।

## मांगों का पारण

### मांग संख्या-36 सहकारिता का पारण

**श्री अध्यक्ष**: मांग संख्या 36 सहकारिता।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-36, सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च,

(श्री अध्यक्ष)

2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,74,22,10,000/- (तीन अरब, चौहत्तर करोड़, बाइस लाख, दस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

## मांग संख्या-37 कृषि का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-37, कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,86,75,76,000/- (तेइस अरब, छियासी करोड़, पिचेहत्तर लाख, छिहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

## मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,34,00,80,000/- (छह अरब चौंतीस करोड़ अस्सी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि सम्मिलित है, प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 22 जुलाई, 2014 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 21.11 बजे मंगलवार, दिनांक 22 जुलाई, 2014 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)**

# सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

## आर.टी.एम. भवानी मण्डी में कार्यरत प्रदेश के बाहर के मजदूर

**102. श्री रामचन्द्र** (डग) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान टैक्सटाइल मिल्स भवानी मण्डी में आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र के एवं प्रदेश के कितने मजदूर कार्यरत हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मिल में प्रदेश से बाहर के मजदूर भी कार्यरत हैं? यदि हां, तो इन्हें किन नियमों के तहत नियुक्ति दी गई व इनमें कितने पुरुष व महिलायें कार्यरत हैं? वर्गवार सूची सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) राजस्थान टैक्सटाइल मिल्स, भवानी मण्डी, झालावाड़ में राजस्थान प्रदेश के श्रमिकों की संख्या 1903 है जिनमें से आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या-1685 है।

(2) जी हां। इस मिल में प्रदेश से बाहर के मजदूर भी कार्यरत हैं। राजस्थान टैक्सटाइल मिल्स, भवानी मण्डी एक निजी संस्थान है जिसमें श्रमिकों की नियुक्ति औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 के तहत श्रम विभाग द्वारा संस्थान के प्रमाणित स्थाई आदेशों के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार श्रमिकों की दक्षता के अनुरूप की जाती है।

इस मिल में कार्यरत प्रदेश वार श्रमिकों का वर्गवार विवरण निम्नानुसार है :-

राजस्थान के 1903, मध्य प्रदेश के 663, बिहार के 274, उत्तर प्रदेश के 281 तथा अन्य राज्यों के 47 श्रमिक कुल 3168 श्रमिक नियोजित हैं जिनमें से कुल 2546 पुरुष तथा 622 महिला श्रमिक कार्यरत हैं।

## जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष पैकेज

**103. श्री सुशील कटारा** (चौरासी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रों में किस-किस योजना में किस-किस मद में कितनी राशि आबंटित की जाती है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री सुशील कटारा)

(2) क्या सरकार जनजाति क्षेत्रों के लिए आबंटित बजट में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जनजाति क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोई विशेष पैकेज देने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रों हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से जनजाति कल्याण निधि, विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत राशि आबंटित की जा रही है, वर्ष 2014-15 हेतु प्रावधित राशि निम्नानुसार है।

| क्र.सं. | मद | राशि (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| 1. | जनजाति कल्याण निधि | 28808.02 |
| 2. | विशेष केन्द्रीय सहायता | 9215.00 |
| 3. | संविधान के अनुच्छेद 275(1) | 12024.00 |

उक्त राशि के अतिरिक्त समस्त विभागों द्वारा राज्य योजना के प्रावधान की निश्चित राशि का प्रावधान जनजाति उपयोजना प्रवाह के रूप में बजट उपशीर्ष 796 मांग संख्या 30 के अन्तर्गत किया जाता है। वर्ष 2014-15 हेतु राज्य बजट 4698933.18 लाख रुपये में से 646984.62 लाख रुपये जनजाति उपयोजना प्रवाह हेतु रखे गये हैं, जो राज्य योजना का 13.77 प्रतिशत है।

(2) जी हां। नियमित बजट के साथ-साथ आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बजट का प्रावधान करवाया जाता रहा है।

(3) जी नहीं। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भारतीय संविधान की धारा 275(1) के तहत राशि आबंटित की जाती है। इसके साथ ही टीएसपी के तहत फण्डफलों में भी सम्बन्धित विभाग द्वारा आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जनजाति क्षेत्रों में की जाती है।

## करनाली गांव (गिर्वा) के चिकित्सा केन्द्र का जीर्ण-शीर्ण भवन

**104. श्री फूलसिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री फूलसिंह मीणा)

क्या उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति गिर्वा की ग्राम पंचायत डोडावली के गांव करनाली में स्थित चिकित्सा केन्द्र भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है? यदि हां, तो इसकी मरम्मत कब तक करवा दी जायेगी?

## उत्तर

जी हां। सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (उप खण्ड प्रथम गिर्वा उदयपुर), की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भवन कभी भी गिर सकता हैं एवं असुरक्षित है।

आगामी वित्तीय वर्षों में उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण करवाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

## बिलाड़ा (जोधपुर) में मौसम केन्द्र की स्थापना

**105. श्री अर्जुन लाल** (बिलाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार फसल बीमा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों को आधार मानकर उन्हें एक इकाई बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) प्रदेश में मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ 2012-13, रबी 2012-13 में कुल कितनी फसलों का कितने किसानों द्वारा बीमा करवाया गया तथा इससे किसानों का कुल कितना प्रीमियम जमा हुआ व उन्हें कितना मुआवजा किन मानदण्डों के अनुसार दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में मौसम केन्द्र स्थापित किये गये हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में उक्त केन्द्र कहां-कहां स्थापित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किन-किन किसानों को मुआवजा दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार मौसम आधारित फसल बीमा योजना के स्थान पर पूर्व की भांति राष्ट्रीय फसल बीमा योजना में फसल कटाई के आधार पर बीमा कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) राज्य के 5 जिलों राजसमन्द, झुन्झुनूं, टोंक, भीलवाड़ा एवं अजमेर में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का क्रियान्वयन मुख्य फसलों के लिए पटवार सर्किल को इकाई मानकर किया जा रहा है। शेष जिलों में गिरदावर सर्किल को इकाई मानकर फसल बीमा योजना की क्रियान्विति की जा रही है। फसल कटाई प्रयोग कृषि विभाग द्वारा सम्पादित नहीं किए जाते हैं। यह प्रयोग राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा सम्पादित किए जाते हैं। इन प्रयोगों हेतु राजस्व मण्डल, अजमेर में उपलब्ध सीमित संसाधनों के कारण वर्तमान में पंचायत को इकाई मानकर बीमा योजनाओं को क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(2) प्रदेश में मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ 2012 एवं रबी 2012-13 में बीमित कृषक, कृषकों से प्राप्त प्रिमियम राशि एवं दिए गए बीमा क्लेम का फसलवार विवरण परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण तापमान, वर्षा, आर्द्रता के पूर्व निर्धारित मानकों में विचलन होने की स्थिति में पूर्व निर्धारित फार्मूला के अनुसार बीमा क्लेम दिया जाता है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्थापित स्वचालित मौसम केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-3 पर सलंग्न है।

(4) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा अन्तर्गत तहसील बिलाड़ा, भोपालगढ़ एवं जोधपुर में मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2010 से खरीफ 2013 तक कुल 3.89 लाख बीमित कृषकों को 21.93 करोड रुपये का बीमा क्लेम दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत उक्त अवधि में जिन कृषकों को बीमा क्लेम दिया गया, उनका तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। योजना का संचालन एरिया एप्रोच पर आधारित होता है। इसमें बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों की संख्या की सूचना का ही संधारण तहसील वार किया जाता है। सूची का संधारण कम्पनियों द्वारा नहीं किया जाता है।

(5) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जमवारामगढ़ में करन्ट से हुई मौतों का मुआवजा

**106. श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जगदीश नारायण)

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में गत पांच वर्षों में बिजली की लाइनों की चपेट में आने से कितनी मौतें हुईं व कितने लोग घायल हुए? ग्रामवार नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त दुर्घटना में मृत्यु होने पर एवं घायल होने पर कितना-कितना मुआवजा दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त दुर्घटनाओं के अन्तर्गत किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना मुआवजा दिया गया एवं कितने प्रकरण अभी तक लम्बित हैं? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में गत पांच वर्षों में बिजली के करंट लगने से हुई घातक व अघातक दुर्घटनाओं का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) विद्युत दुर्घटना होने पर मुआवजा यदि देय बनता है, तो निम्न दरों से दिया जाता है:-

**मृत्यु होने की स्थिति में:-**

1. दिनांक 09.11.2010 से पूर्व हुई घातक दुर्घटना पर अनुग्रह राशि रु. 25,000/-
2. दिनांक 09.11.2010 से 14.02.13 के मध्य हुई घातक दुर्घटना पर क्षतिपूर्ति राशि रु. 2,50,000/-
3. दिनांक 15.02.13 या उसके पश्चात हुई घातक दुर्घटना पर क्षतिपूर्ति राशि रु. 5,00,000/-

**अघातक दुर्घटना होने की स्थिति में:-**

दिनांक 09.11.2010 के पश्चात हुई अघातक दुर्घटनाओं के फलस्वरूप हुई गम्भीर चोट होने के उपरान्त एक सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती होने पर रु. 5000/- तथा एक सप्ताह से अधिक समय तक भर्ती होने पर रु. 15,000/- देय होते हैं।

इसके अतिरिक्त अघातक विद्युत दुर्घटना के फलस्वरूप स्थायी शारीरिक क्षति होने पर, मृत्यु पर देय मुआवजा राशि शारीरिक क्षति के प्रतिशत के अनुसार आनुपातिक दर पर देय होती है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में हुई दुर्घटनाओं के अन्तर्गत दिये गये मुआवजे तथा प्रकरणों लम्बित प्रकरणों का विवरण भी प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## मार्बल के छोटे खण्डों पर रायल्टी माफ करने की योजना

**107. श्री मानसिंह किनसरिया** (परबतसर) : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा परबतसर विधान सभा क्षेत्र में मार्बल के छोटे-छोटे खण्डों पर रायल्टी वसूल की जा रही है? यदि हां, तो किस-किस साइज के खण्डों पर किस दर से रायल्टी वसूल की जा रही है?

(2) क्या सरकार मार्बल के छोटे खण्डों पर रायल्टी माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों नहीं?

### उत्तर

(1) जी हां। मारबल खण्डों जिनका आकार 35 सेंटीमीटर से अधिक नहीं है, से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के शिड्यूल-1 के अनुसार रु. 65/- प्रतिटन की दर से रायल्टी वसूल की जा रही है।

(2) जी नहीं। क्योंकि मारबल खण्डों का विभिन्न उद्योगों में वाणिज्यिक उपयोग होता है ।

## जोधपुर जिले में आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त पद

**108. श्री जोगाराम पटेल** (लूणी) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने आयुर्वेदिक अस्पताल स्वीकृत हैं? उक्त अस्पतालों में वरिष्ठ चिकित्सक एवं चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जोधपुर जिले में 1 जिला चिकित्सालय, 2 चिकित्सालय एवं 120 औषधालय स्वीकृत हैं। इसके अतिरिक्त डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के अधीन 2 चिकित्सालय संचालित हैं।

(आयुर्वेद मंत्री)

उक्त अस्पतालों में वरिष्ठ चिकित्सकों के 2 पद एवं चिकित्सकों के 131 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 2 पद वरिष्ठ चिकित्सकों के तथा 40 पद चिकित्सकों के रिक्त हैं।

(2) जी हां। विभागान्तर्गत 1945 आयुर्वेद चिकित्सकों की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा सकेगी। वरिष्ठ चिकित्सकों के पद पदोन्नति प्रक्रिया उपरान्त भरे जा सकेंगे।

## फलौदी में कृषि उपज मण्डी के माध्यम से सड़कों का निर्माण

**109. श्री पब्बाराम** (फलौदी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि जिन्सों के विपणन हेतु कृषि मण्डी के माध्यम से सडकों का निर्माण कराने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में कृषि मण्डी के माध्यम से अब तक बनाई गई सड़कों का पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा कृषि मण्डी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि जिन्सों के विपणन हेतु सड़कों का निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार कृषि उपज मण्डियों के माध्यम से सडकों के निर्माण को पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 में मण्डी की सम्पर्क सड़कें बनाने का प्रावधान है। मण्डी समितियों द्वारा निर्मित समस्त सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने एवं मण्डी समितियों द्वारा नवीन सड़कें नहीं बनाने का राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लिया गया। मण्डी समितियों द्वारा हस्तान्तरित सड़कों की मरम्मत हेतु प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपये सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिये जा रहे हैं।

(कृषि मंत्री)

(2) फलौदी में कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से अब तक बनाई गई सड़कों का पंचायतवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। नीतिगत निर्णय के अनुसार वर्तमान में ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य स्वीकृत नहीं किया जा रहा है लेकिन मण्डी प्रांगणों एवं मण्डी तक पहुंच सुगम बनाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों की आन्तरिक सड़कों का निर्माण प्रावधानानुसार मण्डी समिति की अभिशंसा पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनर्विचार किया जा सकता है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## करौली जिले में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की योजना

**110. श्री घनश्याम** (टोडाभीम) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि करौली जिला पहाड़ी व पथरीला होने के कारण सरकार इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा से सम्बन्धित बिजली उत्पादन करने की कोई योजना प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु स्थान का चयन निजी सोलर पावर उत्पादकों द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में करौली जिले में किसी भी निजी सोलर पावर उत्पादक कर्ता का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## गंगापुर सिटी के थानों में दर्ज आपराधिक प्रकरण

**111. श्री मान सिंह** (गंगापुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में वर्ष 2009 से दिसम्बर, 2013 तक हत्या, लूटपाट, बलात्कार, नकबजनी तथा ट्रैक्टर, मोटर साइकिल चोरी के कितने मुकदमें किस-किस थाने में दर्ज हुए? उक्त मुकदमों में से कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया? कितने प्रकरणों में चालान पेश किया

(श्री मान सिंह)

गया तथा कितने प्रकरणों में अन्तिम रिपोर्ट दी गई? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 2009 से दिसम्बर 2013 तक हत्या लूटपाट, बलात्कार, नकबजनी तथा ट्रैक्टर, मोटर साइकिल चोरी के कुल 1148 मुकदमें दर्ज हुए। थाना गंगापुर सिटी में 986, थाना गंगापुर सिटी सदर में 73, थाना वजीरपुर में 85 एवं थाना पीलोदा में 4 प्रकरण दर्ज हुए। दर्ज हुए मुकदमों में 355 अपराधियों को गिरफ़तार किया गया । उक्त में से 134 प्रकरणों में चालान पेश किया गया तथा 1012 प्रकरणों में अंतिम रिपोर्ट दी गई एवं 02 मुकदमे पैण्डिग पुलिस हैं । वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## किशनगढ़ (अजमेर) में नेत्र शिविर में गलत आपरेशन के दोषी चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही

**112. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) व **श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माह अप्रेल, 2014 में किशनगढ़ (अजमेर) के एक निजी अस्पताल में लगाये गये नेत्र शिविर में आपरेशन कराने वाले लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों की एवं उनके आपरेशन किन-किन डाक्टरों द्वारा किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त अस्पताल के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार दोषी चिकित्सकों के विरुद्ध कोई कर्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या तथा कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) मार्बल सिटी हास्पिटल (निजी चिकित्सालय) किशनगढ़, जिला अजमेर में माह अप्रैल 2014 में मरीजों के नियमित रूप से किये गये नेत्र

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

आपरेशनों में से कुछ मरीजों की आंखों में संक्रमण का प्रकरण प्रकाश में आया। जांच कमेटी द्वारा जांच किये जाने पर 8 मरीजों की नेत्र दृष्टि कम पाई गई जिनके नाम निम्न प्रकार हैं :-

1. दाखादेवी पत्नी भंवरलाल
2. भंवरी देवी पत्नी सोहन
3. सोहनदेवी पत्नी दोकल
4. हरजीराम पुत्र रामचन्द्र
5. मोहनसिंह पुत्र शैतानसिंह
6. मनभर पत्नी लक्ष्मण
7. नंदलाल पुत्र छगनलाल
8. रामलाल पुत्र मुन्ना राम।

उक्त सभी मरीजों के आपरेशन डा. आर.पी. माथुर ने किये हैं। उक्त चिकित्सक मार्बल सिटी हास्पिटल, किशनगढ़ में कार्यरत है।

(2) मार्बल सिटी हास्पिटल, किशनगढ़ जिला अजमेर के आपरेशन थियेटर को सील कर दिया गया है।

(3) उक्त हास्पिटल एक निजी चिकित्सालय है, उसमें कार्यरत चिकित्सक उनका निजी चिकित्सक है। उक्त प्रकरण में आपरेशन में काम ली गई दवाइयों के नमूने एकत्रित कर जांच हेतु सेन्ट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता भिजवाये गये हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट वर्तमान में अपेक्षित है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

## जे.वी.वी.एन.एल. में विद्युत मीटर खरीद में अनियमितता

**114. श्री ललित कुमार** (किशनगंज) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विगत पांच वर्षों में किन-किन फर्मों से किस-किस दर पर विद्युत मीटर खरीदे गये? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि जिन दरों पर विद्युत मीटर खरीदे गये उनसे कम दरों पर अन्य राज्यों में उन्हीं फर्मों से विद्युत मीटरों की खरीद हुई है? यदि हां, तो वहां किन दरों पर खरीद की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ललित कुमार)

(3) क्या सरकार द्वारा विद्युत मीटर खरीद में हुई अनियमितता की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विगत पांच वर्ष में क्रय किए गए सिंगल फेज एवं थ्री फेज विद्युत मीटरों का मय क्रय दर विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) प्रत्येक राज्य द्वारा विद्युत मीटर राज्य के उपभोक्ताओं के उपभोग पैटर्न के अनुरूप स्पेसिफिकेशन एवं राज्य द्वारा अपनाई गई क्रय शर्तों के अनुसार क्रय किए जाते हैं, क्योंकि अन्य राज्यों के तकनीकी स्पेसिफिकेशन एवं आपूर्ति शर्ते भिन्न होती हैं। अत: मीटर की खरीद दर में अन्तर होना स्वाभाविक है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं अन्य राज्यों द्वारा खरीदे गए मीटरों का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण

**115. डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में उच्च पाठ्यक्रम मेडिकल एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिये युवाओं को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने हेतु क्या नियम/मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शिक्षा प्राप्त करने के लिये युवाओं को ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य में सरकार द्वारा उच्च मेडिकल एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए युवाओं को शिक्षा ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

(2) जी नहीं। विभाग के समक्ष वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## प्रदेश में टीकाकरण हेतु संचालित टीका एक्सप्रेस वाहन

**116. श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के कई जिलों में टीकाकरण हेतु टीका एक्सप्रेस वाहन ब्लाकवार उपलब्ध करवाये गये हैं? यदि हां, तो कब एवं कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बाडमेर जिले के चौहटन एवं शिव तहसील में उक्त वाहन उपलब्ध करवाये गये हैं? यदि हां, तो इनके आबंटन के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सिवाना विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक सिवाना एवं सिणधरी में टीका एक्सप्रेस वाहन उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) भारत सरकार के स्तर से ही अलवर जिले का चयन कर इस जिले को 64 टीका एक्सप्रेस वाहन उपलब्ध करवाये गये थे जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 01.08.2013 को अलवर जिले में विधिवत इन वाहनों की शुरूआत की गई।

अलवर जिले में वाहनों की उपयोगिता के आधार पर इसमें से 28 वाहन राज्य के अन्य 6 जिलों भरतपुर, धौलपुर, चूरू, जैसलमेर, करौली एवं बाड़मेर को निदेशालय के आदेश क्रमांक 163 दिनांक 13.02.2014 के द्वारा आबंटित किये गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

जिलों को आबंटित टीका एक्सप्रेस वाहनों की ब्लाकवार सूची परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

(2) जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर के पत्र क्रमांक 262 दिनांक 29.01.2014 के द्वारा जिले की भौगोलिक परिस्थितियों एवं दूरस्थ ढाणियों को देखते हुए चौहटन व शिव ब्लाक के चयन की अनुशंसा की गई, जो परिशिष्ट-द पर संलग्न है। इन ब्लाकों को चयन को इसलिए भी प्राथमिकता दी गई क्योंकि ये दोनों ब्लाक पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं और पाकिस्तान में पोलियो का संक्रमण बना हुआ है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) भारत सरकार से अतिरिक्त टीका एक्सप्रेस वाहन प्राप्त होने पर बाड़मेर जिले के सिवाना विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक सिवाना एवं सिणधरी को प्राथमिकता के आधार पर टीका एक्सप्रेस वाहन दिए जाने के प्रयास किये जायेंगे।

**(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)**

## सिरोही में समर्थन मूल्य पर चने की खरीद

**117. श्री ओटाराम** (सिरोही) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा किसानों की चने की उपज का खरीद मूल्य निर्धारित किया गया था? यदि हां, तो कितना व कब से? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर किसानों से चना खरीदा गया है? यदि हां, तो किस संस्था/समिति/विभाग/व्यापारी के माध्यम से व इसके लिए कहां-कहां कितने केन्द्र खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिरोही के किसानों की चने की उपज की खरीद नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो कहां कितनी खरीद हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सुमेरपुर एवं शिवगंज क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को सिरोही जिले के किसानों की चने की उपज की खरीद नहीं करने के आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब और किस स्तर से? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त जिले के किसानों की चने की उपज की खरीद नहीं करने के लिए कौन उत्तरदायी है? क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार द्वारा विपणन वर्ष 2014-15 में चने का समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है।

(2) समर्थन मूल्य पर चना खरीदने हेतु राजफैड एवं तिलम संघ को चिन्हित किया गया था। जिन्होंने क्रय-विक्रय सहकारी समितियों/तिलहन

(कृषि मंत्री)

उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से चने की खरीद की गई। खरीद केन्द्रों की संस्थावार/समिति/विभागवार सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी हां। क्योंकि सिरोही जिले में क्रय-विक्रय सहकारी समिति शिवगंज द्वारा परिवहन एवं हैण्डलिंग व्यय की दरों का अनुमोदन नैफेड से प्राप्त नहीं कर पाये। जिला कलक्टर सिरोही की अनुशंसा पर शिवंगज क्षेत्र के किसानों का चना सुमेरपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति के खरीद केन्द्र पर खरीद की जाने की व्यवस्था की गई, परन्तु सुमेरपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा भी परिवहन एवं हैण्डलिंग दरों का नैफेड से अनुमोदन नहीं होने के कारण दिनांक 16 जून, 2014 से खरीद बंद कर दी गई। इन परिस्थितियों में सिरोही जिले के कृषकों को चने की खरीद नहीं करवाई जा सकी।

(4) जी नहीं। ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये गये।

(5) राज्य में सभी खरीद केन्द्रों पर नैफेड द्वारा परिवहन हेतु पीडीएस दरें एवं हैण्डलिंग हेतु क्रय उपज मण्डी समिति की दरों पर ही कार्य करवाये जाने की अनुमति प्रदान की थी, परन्तु इन दोनों खरीद केन्द्रों पर उपरोक्त दरों पर सहमति व्यक्त नहीं की इसलिए चना उपज की खरीद नहीं हो सकी। इसके लिए कोई अधिकारी/कार्मिक उत्तरदायी नहीं है अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

**(प्रति एवं सूची पुस्तकालय में रखी गयी)**

## खेतड़ी में क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनें

**118. श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में विद्युत आपूर्ति हेतु लाइनें कब डाली गयी थीं?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के विभिन्न ग्रामों में पुरानी एवं क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों को बदलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत लाइनें एक सतत् प्रक्रिया के तहत खींची गईं।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के विभिन्न ग्रामों में पुरानी व क्षतिग्रस्त लाइनों को समय-समय पर दुरस्त/परिवर्तित किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त क्षतिग्रस्त लाइनों को परिवर्तित करने का कार्य वित्तीय वर्ष 2014-15 में फीडर रख-रखाव कार्यक्रम के तहत किया जाना प्रस्तावित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के शहरी क्षेत्र में त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम की पुन:संरचना (आर.ए.पी.डी.आर.पी.) योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 10.30 किलोमीटर 11 केवी विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाना सम्भावित है।

## बाड़मेर जिले में डोडा पोस्त सेवन करने वाले बंधाणियों को जारी लाइसेंस

**119. श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में डोडा पोस्त सेवन करने वाले बंधाणियों को अंतिम बार लाइसेंस कब जारी किये गये?

(2) उक्त जिले में लाइसेंसधारी डोडा पोस्त सेवन करने वाले बंधाणियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में बाड़मेर जिले में कितने क्विंटल डोडा पोस्त की आपूर्ति हो रही है?

(4) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में डोडा पोस्त की कमी के कारण बंधाणियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि हां, तो क्या सरकार लाइसेंसधारी डोडा पोस्त बंधाणियों को डोडा पोस्त उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में जारी किये गये लाइसेंस की तुलना में डोडा पोस्त सेवन करने वाले बंधाणियों की संख्या अधिक है?

(6) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में डोडा पोस्त का सेवन छुड़वाने के लिए कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में डोडा पोस्त व्यसनियों को अंतिम बार परमिट वर्ष 2001-2002 में जारी किये गये थे।

(2) बाड़मेर जिले में वर्तमान में कुल 2641 डोडा पोस्त सेवन करने वाले परमिटधारी हैं। इनकी सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(आबकारी मंत्री)

(3) वर्तमान में बाड़मेर जिले में परमिटधारी डोडा पोस्त व्यसनियों का मासिक कोटा 166.34 क्विन्टल है तथा इसकी अनुरूप आपूर्ति हो रही है।

(4) जी नहीं। बाड़मेर जिले में परमिटधारी डोडा पोस्त व्यसनियों के लिये डोडा पोस्त की कोई कमी नहीं है तथा अधिकृत लाइसेंसी द्वारा अपने क्षेत्र के परमिटधारी डोडा पोस्त व्यसनियों को निर्धारित मात्रानुसार डोडा पोस्त उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(5) विभाग के पास इसके अनुप्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अनौपचारिक स्रोतों से मिलने वाली जानकारी के आधार पर यह संख्या लाइसेंसधारियों से अधिक हो सकती है।

(6) राज्य में डोडा पोस्त के व्यसनियों को नशा मुक्त करने के लिये कार्ययोजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत अधिक प्रभावित जिलों के जिला अस्पताल एवं मेडिकल कालेजों में डोडा पोस्त व्यसनियों को शिविर लगाकर नशा मुक्त करने का प्रयास किया जायेगा।

**(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)**

## महात्मा गांधी चिकित्सा विश्वविद्यालय जयपुर में एन.आर.आई. कोटे की सीटें

**120. श्री रमेश** (सपोटरा) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर में महात्मा गांधी चिकित्सालय को मेडिकल यूनिवर्सिटी कब घोषित किया गया तथा इसके सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई? क्या प्रक्रिया नियमानुसार सही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. में प्रवेश के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विगत तीन वर्षों में कितने-कितने छात्रों को एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. में प्रवेश दिया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एम.बी.बी.एस. और पी.जी. में कुल कितनी सीटें स्वीकृत हैं एवं इसके विरुद्ध कितने विद्यार्थी किस-किस संकाय में अध्ययनरत हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. में प्रवेश में एन.आर.आई. का कोटा निर्धारित है? यदि हां, तो इस कोटे में प्रवेश किस प्रक्रिया के अनुसार

(श्री रमेश)

दिया जाता है एवं विगत पांच वर्षों में इस कोटे में प्रतिवर्ष कितने-कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) विगत पांच वर्षों में कितने विद्यार्थी प्रति वर्ष एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. के प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण हुए व यह कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) विगत पांच वर्षों में कुल आबंटित सीटों से कितनी अधिक सीटों पर प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. में प्रवेश दिया गया एवं किस आधार पर? क्या यह नियमानुसार उचित है? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में यूनिवर्सिटी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी आफ मेडिकल साइन्सेज एण्ड टेक्नोलोजी, जयपुर की स्थापना महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी आफ मेडिकल साइन्सेज एण्ड टेक्नोलोजी आर्डिनेन्स, 2011 एवं राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी आफ मेडिकल साइन्सेज एण्ड टेक्नोलोजी एक्ट, 2011 (2011 के अधिनियम संख्या 22) के तहत की गई है। प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी आफ मेडिकल साइन्सेज एण्ड टेक्नोलोजी, जयपुर में एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. में प्रवेश महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी आफ मेडिकल साइन्सेज एण्ड टेक्नोलोजी एक्ट, 2011, मेडिकल काउन्सिल आफ इंडिया के द्वारा बनाये गये विनियमों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर पारित निर्णयों के अनुरूप दिया जाना निर्धारित हैं। विगत तीन वर्षों में एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. में दिए गए प्रवेश का वर्षवार विवरण निम्न है :-

| | **2012-13** | **2013-14** | **2014-15** |
|---|---|---|---|
| एम.बी.बी.एस. | 150 | 150 | प्रवेश प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। |
| पी.जी. | 47 | 52 | 58 |

(3) वर्तमान (सत्र 2014-15) में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी आफ मेडिकल साइन्सेज एण्ड टेक्नोलोजी, जयपुर में एम.बी.बी.एस और पी.जी. में क्रमश: 150 और 76 सीटें स्वीकृत हैं। एम.बी.बी.एस. में वियार्थियों का प्रवेश प्रकियाधीन है तथा पी.जी. में 58 विद्यार्थी अध्यनरत हैं।

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

(4) एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. में प्रवेश में कुल सीटों को 15 प्रतिशत कोटा एन.आर.आई./एन.आर.आई. वार्ड/पी.आई.ओ. के लिए निर्धारित है । इस कोटे में प्रवेश मैरिट एवं च्वाईस के आधार पर दिया जाता है। विश्वविद्यालय की स्थापना (2011-12) से अब तक (2014-15) वर्षवार छात्रों को दिये गये प्रवेश की संख्या निम्न प्रकार है :-

| | **2011-12** | **2012-13** | **2013-14** | **2014-15** |
|---|---|---|---|---|
| एम.बी.बी.एस. | 23 | 23 | 23 | 0 |
| पी.जी. | 07 | 08 | 09 | 12 |

(5) विश्वविद्यालय की स्थापना से अब तक एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. के प्रथम वर्ष में पूरक परीक्षा के उपरान्त फेल हुए छात्रों की संख्या एवं प्रतिशत निम्न प्रकार है :-

| | **2011-12** | **2012-13** | **2013-14** |
|---|---|---|---|
| एम.बी.बी.एस. | 08 | 21 | परिणाम आना शेषहै। |
| फेल छात्रों का प्रतिशत | 5.33 | 14.00 | - |
| पी.जी. | - | - | 01 |
| फेल छात्रों का प्रतिशत | - | - | 2.63 |

(6) विश्वविद्यालय की स्थापना के अब तक एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. में कुल आबंटित सीटों से अधिक किसी भी सीट पर कोई प्रवेश नहीं दिया गया है।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

## राजस्थान बीज निगम द्वारा सोयाबीन बीज वितरण का निर्धारित लक्ष्य

**121. श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान बीज निगम एवं नेशनल सीड कार्पोरेशन द्वारा विगत पांच वर्षों में वर्षवार सोयाबीन के कितने प्रमाणित बीज का वितरण किया गया तथा उसमें बीज रथ एवं डीलर के माध्यम से कितना-कितना वितरण किया गया है? क्या सरकार द्वारा पूर्व की भांति इस वर्ष भी बीज रथ के माध्यम से सोयाबीन बीज उपलब्ध कराने की योजना है?

(2) क्या वर्तमान में सोयाबीन बीज वितरण हेतु सरकार के स्तर पर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो राज्य सीड एवं एन. एस. सी. के माध्यम से अब तक कितने सोयाबीन के बीज का वितरण किया जा चुका है? क्या सरकार के पास क्षेत्र के किसानों की मांग के अनुरूप बीज उपलब्ध है?

## उत्तर

(1) राजस्थान राज्य बीज निगम एवं नेशनल सीड कार्पोरेशन द्वारा विगत पांच वर्षों में राज्य में वितरित सोयाबीन के प्रमाणित बीज का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। इस वर्ष खरीफ 2014 में बीज रथ के माध्यम से सोयाबीन बीज उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है।

(2) खरीफ 2014 में कुल 2.244 लाख क्विण्टल सोयाबीन बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के माध्यम से लगभग 2.33 लाख क्विण्टल सोयाबीन बीज की उपलब्धता रही है। राजस्थान राज्य बीज निगम एवं एन.एस.सी. के माध्यम से अब तक क्रमश: 16647 क्विण्टल व 13254 क्विण्टल सोयाबीन बीज वितरण किया जा चुका है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## फीडर रेनोवेशन योजना में खराब ट्रांसफार्मर ठीक कराने का कार्य

**122. श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़ बास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विद्युत ट्रांसफार्मर जल जाने या खराब हो जाने पर उनको ठीक कराने के लिए कार्यालय ले जाने, लादने उतारने का समस्त कार्य किसान को ही करना पड़ता है? यदि हां, तो उक्त प्रकिया के लिये सरकार द्वारा क्या नियम बनाये हुये हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार खराब विद्युत ट्रांसफार्मर को फीडर रेनोवेशन या किसी और योजना के माध्यम से ठीक कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) वर्तमान में विद्युत निगमों में प्रचलित नियमानुसार विद्युत ट्रांसफार्मर जल जाने या खराब हो जाने पर उनको विद्युत निगमों के द्वारा ही बदला जाता है। तथापि यदि कोई किसान ट्रांसफार्मर जलने अथवा खराब होने पर ट्रांसफार्मर मौके से लाकर सहायक अभियन्ता कार्यालय में जमा कराने एवं नया ट्रांसफार्मर सहायक अभियन्ता कार्यालय से अपने कनेक्शन के स्थान तक

(ऊर्जा मंत्री)

ले जाने के लिये सहयोग करता है तो उसे निगम के आदेश संख्या आरईओ-223 के अनुसार 300/- रुपये सहयोग राशि का भुगतान आगामी विद्युत बिलों की राशि में समायोजित कर किया जाता है। नियम की प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) निगमों द्वारा खराब विद्युत ट्रांसफार्मरों को निम्न तरीकों से ठीक कराया जा रहा है:-

अ. गारंटी अवधि में जले/खराब हुये ट्रांसफार्मरों को सप्लाई करने वाली फर्मो द्वारा पुन: मरम्मत/ठीक करवाया जाता है।

ब. गारंटी अवधि के पश्चात जले/खराब ट्रांसफार्मरों को सी.एल.आर.सी. दरों पर ट्रांसफार्मर रिपेयर करने वाली फर्मों द्वारा ठीक कराया जाता है।

स. छोटी मोटी खराबी एवं मीटर बाक्स खराबी वाले गारंटी अवधि पार ट्रांसफार्मर को निगमों की ट्रांसफार्मर रि-कंडीशनिंग योजना के तहत सीएलआरसी दर पर रिपेयर कराया जा रहा है।

**परिशिष्ट-अ**

**जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड**

**कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई.)**

क्र.जे.पी.डी./मु.अ.(पवस)/अ.अ.(आर.ई.)/प.1201/प्रे 158 दिनांक 27-04-11

**<u>आदेश</u>**

विषय :- कृषि उपभोक्ताओं के ट्रांसफार्मर जलने पर उन्हें बदलने में सहयोग बाबत प्रक्रिया।

डिस्काम कोर्डिनेशन फोरम के दिनांक 17.3.2011 एवं 23.3.2011 को आयोजित 23वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालना में आदेश दिये जाते हैं कि यदि ट्रांसफार्मर जले पर कृषि उपभोक्ता जला हुआ/खराब हुआ ट्रांसफार्मर मौके से लाकर सहायक अभियन्ता कार्यालय में जमा कराने एवं नया ट्रांसफार्मर सहायक अभियन्ता कार्यालय से अपने कनेक्शन के स्थान तक ले जाने के लिए सहयोग करता है तो उसे सयोग राशि के रूपमें रुपये 300/- का भुगतान आगामी विद्युत बिलों की राशि में समायोजित कर दिया जावे।

यह आदेश तीनों वितरण निगमों पर लागू होगा।

**ए.के. गुप्ता**

मुख्य अभियंता (पवस)

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## प्रदेश में राजस्व बढ़ोतरी हेतु विशेष कार्य योजना

**108. श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली) व **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार राजस्व में बढ़ोतरी हेतु विशेष कार्य योजना लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में कर प्रदाता विभिन्न विभागों में कर चोरी रोकने हेतु कोई टास्क-फोर्स नहीं है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कर चोरी की रोकथाम के लिए विभागवार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस विभाग में कब तक एवं किस अधिकारी की तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा राजस्व वृद्धि के लिए बकाया वसूली हेतु विशेष अभियान, छूटे हुए करदाताओं को कर दायरे मे लाना तथा अपेक्षित से कम राजस्व प्राप्त होने पर कारणों की समीक्षा कर उपचारात्मक कदम उठाए जाने की कार्यवाही की जाती है।

(2) कर/राजस्व के चोरी/लीकेज को रोकने के लिए विभिन्न विभागों मे अलग-अलग व्यवस्थाएं मौजूद हैं, यथा वाणिज्यिक कर विभाग में प्रति करापवंचन शाखा तथा आबकारी विभाग में आबकारी निरोधक दल कार्यरत है। खान विभाग मे सतर्कता कार्य हेतु उपमहानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों के पद सृजित हैं। परिवहन विभाग में विभागीय उड़नदस्तों द्वारा नियमित जांच की जाती है।

(3) राजस्व अर्जन करने वाले सभी विभागों में सम्बन्धित अधिनियमों/ नियमों के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों का कर/राजस्व चोरी को रोकने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित है। कोताही बरतने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

## विधायकगण द्वारा विकास कार्य हेतु प्रेषित पत्रों पर कार्यवाही की सूचना

**109. श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधायकगणों द्वारा विभागों में विकास कार्य हेतु लिखे गये पत्रों पर किये गये विचार अथवा कार्यवाही की सूचना सम्बन्धित विधायक को विभाग द्वारा भिजवाई जाती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सभी विभागों का विधायकगणों द्वारा विकास कार्य के लिये लिखे गये पत्र के सम्बन्ध में सम्बन्धित विधायक को की गई कार्यवाही से अवगत कराने के सम्बन्ध में निर्देश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों को विधायकगणों द्वारा विकास कार्य के लिये लिखे गये पत्रों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विधायक महोदय को, की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु दिनांक 10.06.2009 व 26.02.2014 को इस विभाग द्वारा परिपत्र जारी किये गये हैं। प्रति परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

## प्रदेश में मंत्रियों/संसदीय सचिवों को आबंटित राजकीय आवासों पर व्यय

**110. श्री रमेश** (सपोटरा) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 01 जनवरी, 2009 से मई, 2014 तक प्रदेश के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों एवं संसदीय सचिवों एवं मंत्री स्तर के पदाधिकारियों को आबंटित राजकीय आवासों पर प्रतिवर्ष कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) दिनांक 01 जनवरी, 2009 से मई, 2014 तक उक्त आवासों में कौन-कौन से नवीन निर्माण कार्य कराये गये एवं क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(श्री रमेश)

(3) क्या उक्त आवासों पर प्रतिवर्ष व्यय की सीमा निर्धारित है? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) प्रदेश के मंत्रियों एवं संसदीय सचिवों एवं मंत्री स्तर के पदाधिकारियों को आबंटित राजकीय आवासों पर 1 जनवरी, 2009 से मई, 2014 तक प्रति वर्ष किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) आवश्यकतानुसार एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनुशंसा पर नवीन निर्माण कार्य कराये जाते हैं।

(3) जी नहीं। उक्त आवासों पर व्यय आवासों की दशा एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रश्न संख्या-111

**(स्थगित)**

## धौलपुर नगरपालिका का मास्टर प्लान

**112. श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका धौलपुर क्षेत्र का मास्टर प्लान बनाया गया है? यदि हां, तो कब? मास्टर प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मास्टर प्लान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) जी हां। धौलपुर मास्टर प्लान-2031 राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.04.2013 द्वारा अनुमोदित किया गया है। मास्टर प्लान की प्रति मय चार मानचित्र परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) मास्टर प्लान में संशोधन की कार्यवाही राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 73(बी) के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उक्त प्रावधानों की प्रतियां परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

**(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## दवे आयोग की सिफारिशों की पालना

**113. श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दवे आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की पालना किये जाने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को पत्र संख्या प.3(104) नविआ/95 दिनांक 17-04-1999 को भिजवाया गया है? यदि हां, तो प्राधिकरण द्वारा इसकी पालना रिपोर्ट कब भिजवायी गई? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन-कौन दोषी है एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में महाधिवक्ता राजस्थान से मांगी गई राय पर अपने पत्रांक : 342 दिनांक 04-07-2013 द्वारा पत्रावली पर अपनी राय नहीं देकर कुछ विषयों/न्यायालय के निर्णयों आदि के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई थी? यदि हां, तो महाधिवक्ता द्वारा चाही गई जानकारी की रिपोर्ट भिजवाने हेतु सरकार द्वारा दिनांक 23-07-2013 को जयपुर विकास प्राधिकरण को भेजे गये पत्र पर प्राधिकरण द्वारा कब रिपोर्ट भेजी गई? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम सोडाला तहसील जयपुर की अधिसूचना अनुसार वर्णित भूमि खसरा नम्बर 212 से 214 व 221 कुल रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज थी एवं भूमि खसरा नम्बर 209 से 211, 219 से 220, 223 से 226 एवं 236 से 248 कुल रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा खातेदारान के नाम दर्ज थी? क्या खातेदारान के नाम दर्ज भूमि को अवाप्ति से मुक्त किया गया तथा उक्त खसरों को अवाप्ति से मुक्त किये जाने हेतु की गई कार्यवाही के विरुद्ध दिनांक 27-09-2004 को सरकार में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कार्यवाही में किये गये विलम्ब के लिये कोई दोषी है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) जी हां। खसरा नं. 328 ग्राम सोडाला तहसील जयपुर के सम्बन्ध में दवे आयोग की रिपोर्ट में भाग तीन में की गई सिफारिश के क्रियान्विति हेतु राज्य सरकार द्वारा आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को पत्र संख्या प.3 (104) नविआ/95 दिनांक 17 अप्रैल, 1999 को प्रेषित किया गया है। पत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

राज्य सरकार द्वारा दिये गये पत्र के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.03.2013 से मार्गदर्शन चाहा गया था, जिसके उपरान्त राज्य सरकार से पत्र दिनांक 23.07.2013 द्वारा महाधिवक्ता राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र की प्रति भेजकर उक्त पत्र में अंकित बिन्दुओं पर बिन्दुवार रिपोर्ट भिजवाने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण को पत्र लिखा है, पत्र की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है, जिसकी पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तथ्यात्मक विवरण दिनांक 20.06.2014 द्वारा भिजवाया जा चुका है। पत्र की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। राज्य सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 17.04.1999 के सम्बन्ध में प्रकरण के जटिल होने के कारण निरन्तर कार्यवाही की गई है, जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से विलम्ब के लिये किसी का उत्तरदायित्व निर्धारण नहीं किया गया है।

(2) जी हां। महाधिवक्ता से प्राप्त पत्र की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-5/2014/डी-1194 दिनांक 20.06.2014 द्वारा रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी गई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी हां। खातेदारान के नाम दर्ज भूमि को अवाप्ति से मुक्त किया गया, जिसकी प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। दिनांक 27.09.2004 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण से तथ्यात्मक टिप्पणी दिनांक 17.01.2011 को प्राप्त हुई, जो परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। उक्त टिप्पणी पर विश्लेषण के पश्चात सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर से तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसके क्रम में दिनांक 01.02.2011 एवं 09.05.2011 को पत्र लिखा गया, जो परिशिष्ट-6 पर संलग्न है, जिसके क्रम में रिपोर्ट अप्राप्त है।

(4) प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से विलम्ब के लिये किसी का उत्तरदायित्व निर्धारण नहीं किया गया है।

**(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## जयपुर स्थित चारदीवारी क्षेत्र में काम्प्लेक्स निर्माण की स्वीकृतियां

**114. श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हीरालाल)

(1) क्या यह सही है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सी.डब्ल्यू.पी.4783/2004 ने स्वमोटो आदेश पारित कर जयपुर नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं आवासन मण्डल को यह आदेश दिया था कि वे अपने क्षेत्राधिकार में जयपुर शहर की चारदीवारी में एवं आवासीय परिसर में व्यावसायिक निर्माण की गतिविधियों को संचालित नहीं करने देवें तथा किसी आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक निर्माण/गतिविधियां संचालित की जाती हैं, तो उस परिसर को सीज कर व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगायी जावे? यदि हां, तो बगरू वालों के रास्ते में दूसरे चौराहे से पहले तत्कालेश्वर महादेव मंदिर के पास पी-39 में आस्था ग्रुप एवं हीरालाल पटेल दोनों की साझेदारी में पटेल काम्प्लेक्स के निर्माण की स्वीकृति के मानदण्ड क्या थे? निर्माण स्वीकृति की प्रति मय नक्शे के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पटेल काम्प्लेक्स के ब्रोशर (पम्पलेट) बाजार में क्रेताओं को दिये गये हैं, जिससे भूतल पर जी-1 से जी-16 प्रथम मंजिल पर, एफ-1 से एफ-16 द्वितीय मंजिल पर, एस-1 से एस-16 तक की दुकानें स्वीकृत की गई हैं? यदि हां, तो उक्त स्थान पर पार्किंग की क्या व्यवस्था रहेगी?

(3) क्या यह भी सही है कि परकोटे में व्यावसायिक निर्माण की स्वीकृति देकर राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) जी हां। नगर निगम जयपुर के हवामहल जोन (पश्चिम) द्वारा बगरू वालों के रास्ते में पत्रावली संख्या 6/2067 में श्री नरेश अग्रवाल पुत्र सांवरमल बहैसियत मु. आम गोपाल श्री हीरा भाई पटेल व अन्य को आवासीय स्वीकृति दी गयी है। मानदण्ड स्वीकृति पत्र में अंकित है। स्वीकृति नक्शा व स्वीकृति पत्र की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) पटेल काम्प्लेक्स के ब्रोसर (पम्पलेट) बाजार में क्रेताओं को दिये जाने की जानकारी नगर निगम, जयपुर को नहीं है। वर्तमान में उक्त स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया हुआ है।

(3) जी नहीं। नगर निगम, जयपुर के हवामहल जोन (पश्चिम) द्वारा आवासीय स्वीकृति दी गयी है।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

## जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट/ग्रामीण पुलिस में घटित हत्याओं के प्रकरण

**115. श्री कैलाश भंसाली** (जोधपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट और ग्रामीण पुलिस क्षेत्रों में घटित हुई हत्या की कई घटनाओं में आरोपियों का पता नहीं लग पाया है? यदि हां, तो विगत पांच वर्ष की अवधि में आदिनांक तक घटित ब्लाइंड मर्डर का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट और ग्रामीण पुलिस क्षेत्रों के थानों में ऐसे मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें आरोपी विदेश में होने के कारण जांच पूर्ण नहीं हो पाई या वर्तमान में लम्बित है? यदि हां, तो विगत पांच वर्ष की अवधि में आदिनांक तक दर्ज ऐसे मुकदमों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट और ग्रामीण पुलिस क्षेत्रों के थानों में साइबर क्राइम के मुकदमे दर्ज हुए हैं? यदि हां, तो विगत पांच वर्ष की अवधि में आदिनांक तक दर्ज ऐसे मुकदमे और की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 (30 जून, 2014) तक जिन हत्या/ब्लाइड मर्डर के प्रकरणों में आरोपियों का पता आज दिनांक तक नही लग पाया है का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 (30 जून, 2014) तक ऐसे प्रकरण जिनमें आरोपी विदेश में होने से जांच पूर्ण नहीं हो पाई व वर्तमान में लम्बित है का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। वर्ष 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 (30 जून, 2014) तक साइबर क्राइम के दर्ज प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में चरित्र प्रमाण-पत्र (पुलिस वैरिफिकेशन) के सत्यापन की प्रक्रिया

**116. डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किसी व्यक्ति का चरित्र प्रमाण पत्र (पुलिस वैरिफिकेशन) सम्बन्धित क्षेत्र के उप अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब से लागू की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उप-अधीक्षक कार्यालय द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हेतु सत्यापन के लिए सम्बन्धित के कागजात सम्बन्धित थाने पर ही भेज दिये जाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व की भांति चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया सम्बन्धित थाने तक ही सीमित रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) पुलिस द्वारा (अ) सेना/अर्द्ध सैनिक बल (ब) राजकीय/निजी संस्थानों में नियोक्ता एवं (स) परिवहन विभाग आदि द्वारा विभिन्न कार्यों के लिये करवाये जाने वाले सामान्य/फौरी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं। सामान्यत: यह चरित्र प्रमाण पत्र जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला विशेष शाखा के माध्यम से जारी किये जाते हैं। जिला अलवर तथा जिला जयपुर ग्रामीण में लोगों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये कुछ बिन्दुओं पर यह प्रमाण पत्र जारी करने हेतु वृताधिकारियों को अधिकृत किया गया है। जिला अलवर व जिला जयपुर ग्रामीण में यह व्यवस्था क्रमश: दिनांक 15-11-2009 एवं 16-09-2013 से लागू की गई है।

(2) पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र बनाये जाने से पूर्व सम्बन्धित थाने से आपराधिक गतिविधि सम्बन्धी सूचनायें प्राप्त की जाती हैं।

चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिये पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश क्रमांक 6798 दिनांक 15-07-2014 जारी किये जा चुके हैं। (परिशिष्ट "अ")

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## रामपुरिया ग्राम (महेश कालोनी) जयपुर में कृषि भूमि का आवासीय भूमि में रूपान्तरण

**117. श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम रामपुरारूपा, तहसील एवं जिला जयपुर, वर्तमान नाम महेश कालोनी, जे.पी. फाटक, जयपुर किस-किस खसरा नम्बर की कितनी-कितनी कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ अब तक भूमि रूपान्तरण किया गया? काश्तकार का नाम, खसरा नम्बर एवं कुल रकबावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किस-किस जोन की किन-किन आवासीय योजनाओं को नगर निगम, जयपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया है? जोनवार, आवासीय योजना का नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न जोन की आवासीय योजनाएं जो जयपुर नगर निगम को स्थानान्तरित कर दी गई हैं, के दस्तावेजों को भी नगर निगम, जयपुर को हस्तान्तरित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) महेश गृह निर्माण सहकारी समिति की महेश कालोनी योजना की भूमि ग्राम रामपुरारूपा तहसील जयपुर के खसरा नं. 64 रकबा 05 बिस्वा, ख. नं. 65 रकबा 12 बिस्वा, ख. नं. 69 रकबा 01 बिस्वा, ख. नं. 71 रकबा 07 बिस्वा, ख. नं. 72 रकबा 04 बिस्वा, ख. नं. 74 रकबा 03 बिस्वा, ख. नं. 61-62 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, ख. नं. 63, 66, 67, 68, 70 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, ख. नं. 210 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, ख. नं. 211 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा, ख. नं. 218 रकबा 08 बिस्वा, 219 रकबा 16 बिस्वा, 221 रकबा 06 बिस्वा, 223 रकबा 06 बिस्वा, 220 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा, 216 रकबा 12 बिस्वा, 217 रकबा 12 बिस्वा, 209 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा में स्थित है, जिसकी 90 बी के आदेश प्राधिकृत अधिकारी जोन बी-2, जविप्रा द्वारा दिनांक 07.12.1999 को जारी किये गये हैं। जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है। काश्तकार का नाम, खसरा नम्बर एवं रकबावार विवरण निम्न प्रकार है:-

(राजस्व मंत्री)

| क्र.सं. | नाम खातेदार | खसरा नं. | रकबा |
|---|---|---|---|
| 1. | गुरूबक्स प्रेमचन्द, नानछी लाल पि. सुजन हि. 1/4, मुलचन्द शिवनारायण रामधन पि. जगन्नाथ कौम कुमावत हि. 1/4 | 64 | 0.05 |
| | | 65 | 0.12 |
| | | 69 | 0.01 |
| | | 71 | 0.07 |
| | | 72 | 0.04 |
| | | 74 | 0.03 |
| **कुल योग** | | **6 किता** | **1-12** |
| 2. | गुरूबक्स प्रेमचन्द, नानछी लाल पि. सुरजन हि. 1/4, मुलचन्द श्योनारायण रामधन पि. जगन्नाथ हि. 3/4 कौम कुम्हार सा. देह हि. ब | 61 | 2.08 |
| | | 62 | |
| | | 63 | |
| | | 66 | |
| | | 67 | 6.10 |
| | | 68 | |
| | | 70 | |
| **कुल योग** | | **7 किता** | **8-18** |
| 3. | श्रीमती मथुरी देवी बेवा हरगोविन्द ब्राहम्ण नि. सी-स्कीम, जयपुर। | 210 | 1.01 |
| | | 211 | 4.10 |
| | | 218 | 0.08 |
| | | 219 | 0.16 |
| | | 220 | 3.01 |
| | | 221 | 0.06 |
| | | 223 | 0.06 |
| **कुल योग** | | **7 किता** | **10-08** |
| 4. | श्रीमती मथुरी देवी बेवा हरगोविन्द शर्मा नि. सी-स्कीम, जयपुर। | 209 | 1.08 |
| | | 216 | 0.12 |
| | | 217 | 0.12 |
| **कुल योग** | | **3 किता** | **2-12** |

(राजस्व मंत्री)

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिन आवासीय योजनाओं को नगर निगम, जयपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया है, का विवरण जोनवार एवं आवासीय योजना के नाम सहित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न जोन की आवासीय योजनाओं के दस्तावेजों को भविष्य में इन योजनाओं के पट्टा विलेख, नाम हस्तान्तरण, सड़कों, नालियों, पार्कों के रख-रखाव, भवन निर्माण स्वीकृति को मध्यनजर रखते हुए नगर निगम जयपुर को हस्तान्तरित किया गया है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रश्न संख्या-118

**(स्थगित)**

## प्रश्न संख्या-119

**(स्थगित)**

## प्रदेश में भूदान बोर्ड द्वारा किसानों/संस्थानों को आबंटित भूमि

**120. श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में गत पांच वर्षों में भूदान बोर्ड द्वारा किसानों/संस्थानों एवं अन्य को कुल कितनी-कितनी भूमि किस-किस को आबंटन की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर, सीकर, चूरू, अजमेर, नागौर, पाली एवं जोधपुर जिले में गत पांच वर्षों में भूदान की भूमि पर काश्त कर रहे कितने कृषकों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जिलों में काश्त कर रहे कितने काश्तकारों को भूदान की भूमि पर अब तक खातेदारी अधिकार नहीं दिया गया है? जिलेवार, गांव व कृषक का नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) प्रदेश में गत पांच वर्षों में भूदान बोर्ड द्वारा किसानों/संस्थानों एवं अन्य को भूदान भूमि का कोई आबंटन नहीं किया गया है।

(2) गत पांच वर्षों में भूदान की भूमि पर काश्त कर रहे कृषकों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये जिनका जिलेवार विवरण निम्नानुसार हैः-

(राजस्व मंत्री)

| क्र.सं. | जिले का नाम | योग |
|---|---|---|
| 1 | जयपुर | 246 |
| 2 | सीकर | 13 |
| 3 | चूरू | 32 |
| 4 | अजमेर | 254 |
| 5 | नागौर | 06 |
| 6 | पाली | 78 |
| 7 | जोधपुर | 0 |

(3) जिलों में भूदान की भूमि पर काश्त कर रहे जिनको खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये उनकी जिलेवार सूची परिशिष्ट 'क' लगायत 'ज' पर संलग्न है।

**(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)**

**प्रश्न संख्या-121**

**(स्थगित)**

## चित्तौड़गढ़ जिले में बीज वितरण केन्द्रों द्वारा बीज वितरण में अनियमितता

**122. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'** (चित्तौड़गढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के किसानों को बीज उपलब्ध कराने हेतु कितने राजकीय बीज वितरण केन्द्र कहां-कहां पर संचालित हैं? जिलेवार सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बीज वितरण केन्द्र में किसानों को बीज वितरित करने के क्या नियम/प्रावधान हैं तथा किन मापदण्डों के आधार पर प्रत्येक किसान को कितना-कितना बीज उपलब्ध कराया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ के बीज वितरण केन्द्रों से किसानों के साथ पक्षपात करने एवं मापदण्डों के विरुद्ध बीज कम-ज्यादा देने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) प्रदेश में संचालित राजकीय बीज वितरण केन्द्रों एवं सहकारी बीज वितरण केन्द्रों की सूची क्रमश: परिशिष्ट-1 व परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं यथा- नेशनल मिशन आन आयलसीड एण्ड आयलपाम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राज्य योजना आदि का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं के तहत प्रदर्शन/मिनिकिट आयोजन हेतु राजकीय एवं सहकारी बीज वितरण केन्द्रों के माध्यम से वितरित किये जाने वाले बीज की प्रति कृषक मात्रा एवं मापदण्डों का योजनावार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जिला चित्तौड़गढ़ में कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में वितरित बीज के संदर्भ में बीज वितरण केन्द्रों पर पक्षपात/मापदण्डों के विरुद्ध कम-ज्यादा बीज वितरण की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु राजस्थान राज्य बीज निगम चित्तौड़गढ़ की इकाई के सम्बन्ध में रबी 2013-14 में श्री कैलाश जाट पुत्र श्री रामचन्द्र जाट, मु.पो.-सिंहपुर, तह. कपासन द्वारा सुगम एकीकृत परिवाद निवारण प्रणाली के माध्यम से उत्पादन कार्यक्रम नहीं देने की शिकायत की गई थी।

(4) राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा शिकायतकर्ता को बीज उत्पादन प्रक्रिया एवं निर्धारित मापदण्डों की जानकारी दी जाकर शिकायत का निराकरण किया गया। इस शिकायत के संदर्भ में और कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## धरियावद में सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

**123. श्री गोतमलाल** (धरियावद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र धरियावद में सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं व कितने-कितने कर्मचारी कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धरियावद के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से एवं चिकित्सा अधिकारी तथा चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से प्रतिबंध हटने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी प्रथम, महिला स्वास्थ्य दर्शिका एवं रेडियोग्राफर के पद पदोन्नति के पद हैं, जिन्हे विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

शेष सीधी भर्ती के रिक्त पदों को स्थानान्तरण अथवा विभागीय भर्ती के समय भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बालोतरा में संचालित नाहटा चिकित्सालय में दवाइयों की आपूर्ति

124. **श्री अमराराम** (पचपदरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बालोतरा नाहटा चिकित्सालय वर्तमान में 150 शैय्याओं का संचालित है? क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सालय में चिकित्सकों के 45 पद स्वीकृत हैं, परन्तु मरीजों की संख्या को देखते हुए वर्तमान में मात्र 12 चिकित्सक ही कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्या सरकार अब इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बालोतरा चिकित्सालय में रोगियों के लिए सरकार की ओर से पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराने का प्रावधान है? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय में पर्याप्त दवाइयां नहीं होने के कारण मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रहीं है?

(3) सरकार द्वारा अब कब तक उक्त चिकित्सालय में दवाइयों की आपूर्ति करवा दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) जी हां। राजकीय नाहटा चिकित्सालय बालोतरा में वर्तमान में चिकित्सकों के 36 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 14 पदों पर चिकित्सक कार्यरत हैं।

वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से प्रतिबंध हटने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(2) जी हां। राजकीय नाहटा चिकित्सालय बालोतरा में मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार 258 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं। मरीजों द्वारा बाहर से दवाइयां खरीदने सम्बन्धी कोई प्रकरण अभी तक सामने नहीं आया है।

(3) राजकीय नाहटा चिकित्सालय बालोतरा में मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध हैं ।

## प्रश्न संख्या-125

**(स्थगित)**

## अलवर जिले में विद्युत अभियन्ताओं के रिक्त पद

126. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में विभाग में कुल कितने अभियन्ताओं के पद स्वीकृत हैं व उनमें से कितने पदस्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा अलवर जिले में विद्युत विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक की जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गत दिनों हुई पदोन्नति के पश्चात् कनिष्ठ अभियन्ताओं की कमी आई है? यदि हां, तो उक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों को कब तक भर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) अलवर वृत्त में विद्युत विभाग में अभियन्ताओं के स्वीकृत पदों, पदस्थापना एवं रिक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(ऊर्जा मंत्री)

| पद | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त |
|---|---|---|---|
| अधीक्षण अभियन्ता | 01 | 01 | - |
| अधिशासी अभियन्ता | 13 | 10 | 03 |
| सहायक अभियन्ता | 35 | 34 | 01 |
| कनिष्ठ अभियन्ता | 115 | 78 | 37 |
| कुल | **164** | **123** | **41** |

(2) उपरोक्त रिक्तियों को अभियन्ताओं को पदोन्नति व सीधी भर्ती के पश्चात उपलब्धता के आधार पर भर दिया जायेगा।

(3) जी हां। पदोन्नति के बाद कनिष्ठ अभियन्ता संवर्ग में कमी आई है। कनिष्ठ अभियन्ता के पदों की रिक्तियों को भरे जाने हेतु भर्ती प्रक्रियाधीन है।

## राज्य में तहसील स्तर पर 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना

127. **श्री कुंजीलाल** (बामनवास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में प्रत्येक तहसील हैड क्वार्टर पर 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन खोले जाने का प्रावधान है?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र वामनवास की तहसील वामनवास व बोली में अब तक भी 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा अब कब तक उक्त तहसील हैड क्वार्टर पर 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) जी नहीं। तथापि क्षेत्र में ऊर्जा की मांग के अनुसार राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप तकनीकी, आर्थिक परीक्षण में साध्य पाये जाने, संसाधनों की उपलब्धता एवं विभिन्न योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाती है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र वामनवास की तहसील वामनवास व बोली में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन खोलने के प्रस्तावों का राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप तकनीकी एवं आर्थिक परीक्षण किया जा रहा है। इनके तकनीकी एवं आर्थिक परीक्षण में साध्य पाये जाने पर संसाधनों की उपलब्धता एवं विभिन्न योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किये जावेंगे।

(3) उपरोक्तानुसार।

## धौलाई (मानसरोवर) जयपुर में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था

**128. श्री अर्जुन लाल** (बिलाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि धौलाई, मुहाना मण्डी रोड के नजदीक, मानसरोवर जयपुर स्थित निजी खातेदार की जेडीए द्वारा अनुमोदित योजना कृष्णा सागर में बिजली की गम्भीर समस्या है? यदि हां, तो क्यों एवं इसके क्या कारण हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी में बिजली की गम्भीर समस्या के कारण कालोनी की विकास समिति एवं नागरिकों द्वारा अनेकों बार इस सम्बन्ध में लिखित एवं मौखिक रूप से ज्ञापन दिये जाने के बावजूद भी उक्त क्षेत्र से सम्बन्धित किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर स्थित सहायक विद्युत् कार्यालय के अधिकारियों द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि कृष्णा सागर कालोनी में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वह कम क्षमता का है? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिये उच्च क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाकर जनता को राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो, क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी को पूर्व में मानसरोवर फीडर लाइन से जोड़ा हुआ था तथा तत्समय बिजली सम्बन्धी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त कालोनी को पुन: मानसरोवर अथवा पत्रकार कालोनी वाली लाइन से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

## उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) दिनांक 4 जुलाई, 2014 को विकास समिति के सदस्यों द्वारा संभागीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय में ज्ञापन दिया गया था। संभागीय मुख्य अभियन्ता द्वारा विकास समिति के साथ विद्युत समस्याओं पर विचार विमर्श कर शहर के अधीक्षण अभियन्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में तत्काल निर्देशित किया गया जिसकी अनुपालना में उपरोक्त कालोनी में 250 केवीए क्षमता का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाकर कालोनी की वोल्टेज व ट्रिपिंग समस्या का निदान कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त कालोनी में कोई विद्युत समस्या नहीं है।

(3) बिन्दु 2 के अनुसार।

(4) जयपुर शहर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार विद्युत लोड 11 केवी फीडरों पर समायोजित किया जाता है। उक्त कालोनी को पूर्व में मीरा मार्ग मानसरोवर सब-स्टेशन के 11 केवी फीडर से विद्युत आपूर्ति की जा रही थी जिसे लोड के अनुसार निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने हेतु अन्य फीडर पर समायोजित किया गया है एवं वर्तमान में उक्त कालोनी की विद्युत आपूर्ति पत्रकार कालोनी सब-स्टेशन के 11 केवी फीडर द्वारा की जा रही है।

## मारवाड़ जंक्शन के ग्राम पिलावनी की हाइटेंशन लाइन

**129. श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के पिलावनी गांव में विद्युत वितरण निगमों द्वारा आबादी क्षेत्र में जब मकान नहीं बने हुए थे, उस समय पट्टाशुदा प्लाटों पर 33 k.v. की लाइन खींच दी थी? यदि हां, तो क्या सरकार राणी विद्युत खण्ड के ग्राम पिलावनी में घरों के ऊपर से जा रही 33 k.v. की लाइन को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

जी नहीं।

## फलौदी में मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना के लम्बित प्रकरण

130. **श्री पब्बाराम** (फलौदी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में वर्ष 2008 से 2013 तक 33 के.वी. के जी.एस.एस. कहां-कहां एवं कब-कब स्वीकृत हुए तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? ग्रामवार, वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वर्ष 2008 से 2013 तक मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना में विधान सभा क्षेत्र फलौदी की कितनी ढाणियों को विद्युतीकृत किया गया व उक्त योजना में कितने आवेदन पत्र वर्तमान में लम्बित हैं? उक्त आवेदनों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में वर्ष 2008 से 2013 तक स्वीकृत 33 के.वी. के सब-स्टेशन की संख्या, स्थान, स्वीकृति व वर्तमान वस्तुस्थिति एवं व्यय राशि का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फलौदी के अन्तर्गत वर्ष 2008 से 2013 तक "मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना" में ढाणियों के 792 समूह में 3995 कनेक्शन जारी किये गये तथा उक्त योजना में वर्तमान में 1560 उपभोक्ताओं के मांग पत्र की राशि जमा है जिनका कार्य प्रगति पर है एवं 9795 उपभोक्ताओं के मांग पत्र जारी करने की प्रक्रिया जारी है। इन आवेदनों का निस्तारण सामान एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार शीघ्र कर दिया जायेगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## परबतसर में 133 के.वी.ए. का विद्युत स्टेशन

131. **श्री मानसिंह किनसरिया** (परबतसर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि परबतसर विधान सभा क्षेत्र के परबतसर कस्बा के औद्योगिक क्षेत्र में 133 के.वी.ए. का विद्युत स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई एवं कब तक स्टेशन स्थापित कर दिया जाएगा?

(श्री मानसिंह किनसरिया)

(2) क्या सरकार परबतसर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम किनसरिया, खोखर, पीपलाद, बस्सी और पीह में 32 के.वी.ए. सब स्टेशन स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) परबतसर विधान सभा क्षेत्र के परबतसर कस्बे के औद्योगिक क्षेत्र में 132 के.वी. का ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। इस सब स्टेशन को वित्तीय वर्ष 2014-15 में चालू करना सम्भावित है।

(2) खोखर गांव में 33/11 केवी उपचौकी का निर्माण करना स्वीकृत था लेकिन भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण इसका निर्माण श्यामपुरा में किया गया है। श्यामपुरा खोखर से जुडा गांव है जिसकी खोखर से दूरी लगभग दो किलोमीटर है। 11 केवी के इन्टरकनेक्शन का कार्य पूर्ण नहीं होने से खोखर गांव की विद्युत आपूर्ति 33/11 केवी उपचौकी परबतसर से की जा रही है। 11 केवी इन्टरकनेक्शन का कार्य पूर्ण होने पर खोखर गांव की विद्युत आपूर्ति 33/11 केवी उपचौकी श्यामपुरा से कर दी जायेगी। पीह में 33/11 केवी उपचौकी पूर्व में ही स्थापित है। वर्तमान में ग्राम किनसरिया, पीपलाद एवं बस्सी में 33/11 केवी उपचौकी बनाया जाना तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं है।

## प्रदेश में नवीन/स्वीकृत पशु चिकित्सालय

**132. श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में गत 5 वर्षों में पशु चिकित्सालय कहां-कहां खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में कितने चिकित्सक कहां-कहां कार्यरत हैं?

(3) वर्तमान में कितने पशु चिकित्सालय सरकारी भवनों/किराये के भवनों व अनुदानित भवनों में संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में पशुओं को होने वाली बीमारियों जैसे खुरपका व मुंहपका रोगों के निदान के लिए सरकार ने गत पांच वर्षों में कितनी राशि व्यय की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त अवधि में मुंहपका व खुरपका रोगों से कितने पशुओं की मौतें हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

(6) प्रदेश में उक्त अवधि में कहां-कहां कितने नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान में भेड़ व बकरी पालन ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय है? सरकार ने इनके विकास के लिए गत पांच वर्षों में क्या-क्या योजना बनाई तथा कितनी योजनाओं को लागू किया गया व कितनी योजनाएं लागू होने से रह गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) प्रदेश में गत 5 वर्षों में मात्र एक नवीन पशु चिकित्सालय, गौपुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया, जयपुर में खोला गया तथा 600 पशु औषधालय उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) प्रदेश के प्रत्येक पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सक का एक-एक पद स्वीकृत है तथा प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में एक वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी व एक पशु चिकित्सा अधिकारी का पद स्वीकृत है। विभाग में कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ब संलग्न है।

(3) प्रदेश के पशु चिकित्सालयों के भवनों की स्थिति निम्नानुसार है:-

| | |
|---|---|
| कुल पशु चिकित्सालयों की संख्या | 1518 |
| राजकीय भवन में संचालित पशु चिकित्सालय | 807 |
| किराये के भवन में संचालित पशु चिकित्सालय | 23 |
| दानदाता के भवन में संचालित पशु चिकित्सालय | 85 |
| ग्राम पंचायत व अन्य भवन में संचालित पशु चिकित्सालय | 603 |

(4) प्रदेश में पशुओं को होने वाली बीमारियों के निदान पर गत पांच वर्षों में कुल राशि रु. 27.15 लाख व्यय किये गये ।

(5) गत पांच वर्षों में मुंहपका व खुरपका रोगों के कारण मृत पशुओं का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

(पशुपालन मंत्री)

| वर्ष | खुरपका मुंहपका रोग से पशुओं में मृत्यु की संख्या |
|---|---|
| 2009-10 | 28 |
| 2010-11 | 47 |
| 2011-12 | 270 |
| 2012-13 | 883 |
| 2013-14 | 573 |
| **कुल** | **1801** |

(6) प्रदेश में गत पांच वर्षो में 1100 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले गये। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

(7) जी हां। सरकार ने इनके विकास के लिए गत पांच वर्षो में निम्नलिखित योजनाएं बनाकर संचालित की हैं :-

1. बकरी विकास योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एनएमपीएस योजना अन्तर्गत बकरी पालकों को 10 बकरी व 1 बकरा वितरण)।
2. बकरी विकास योजना (आयोजना मद अन्तर्गत बकरी पालकों को एक बकरा क्रय पर अनुदान)।
3. भेड़ों में नस्ल सुधार योजना (देशी नस्ल के मेढे) (चोकला, नाली, मारवाड़ी अनुदानित दर पर वितरित)।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## सिकराय के पशु चिकित्सा केन्द्र

**133. श्रीमती गीता वर्मा** (सिकराय) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में कितने गांवों में पशु/उप पशु चिकित्सालय संचालित हैं? इन पशु चिकित्सालय/उप पशु चिकित्सालय में नि:शुल्क दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तथा कितने पशु चिकित्सा अधिकारी, कम्पाउण्डर व अन्य स्टाफ के पद स्वीकृत हैं व कितने कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार पशुओं के कल्याण हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में संचालित पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

इन पशु चिकित्सा संस्थाओं में पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजनान्तर्गत औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इन पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं उपलब्धता अनुसार खोली जाती हैं।

**परिशिष्ट-अ**

**विधान सभा क्षेत्र सिकराय में कुल संचालित पशु चिकित्सा संस्थाएं**

| क्रम संख्या | संस्था | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय | 3 |
| 2. | पशु चिकित्सालय | 6 |
| 3. | पशु औषधालय | 2 |
| 4. | पशु चिकित्सा उपकेन्द्र | 5 |
| कुल | | 16 |

**विधानसभा क्षेत्र सिकराय में कुल संचालित पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण**

| पदनाम | पदों की स्थिति | | |
|---|---|---|---|
| | स्वीकृत पद | कार्यरत पद | रिक्त पद |
| वरि. पशु चिकित्सा अधिकारी | 3 | 3 | 0 |
| पशु चिकित्सा अधिकारी | 6 | 5 | 1 |
| पशु चिकित्सा सहायक | 7 | 3 | 4 |
| पशुधन सहायक | 12 | 10 | 2 |
| पशुधन परिचर | 13 | 11 | 2 |
| जलधारी | 5 | 3 | 2 |
| सफाई कर्ता | 6 | 6 | 0 |
| **कुल** | **52** | **41** | **11** |

## जालौर-सिरोही दुग्ध उत्पादन संघ रानीवाड़ा में उचित दर का निर्धारण

**134. श्री ओटाराम** (सिरोही) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर-सिरोही दुग्ध उत्पादन संघ रानीवाड़ा द्वारा सिरोही जिले की समितियों को दुग्ध क्रय दर 4.50 रुपये प्रति किलो फैट दी जा रही है, जिससे सिरोही जिले के दुग्ध उत्पादक कर्ता किसान संतुष्ट नहीं होकर बनासकाठा संघ द्वारा संचालित समितियों द्वारा दी जा रही दर 4.90 रुपये प्रति किलो फैट की ओर जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार इस प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए जालोर-सिरोही दुग्ध उत्पादन संघ रानीवाड़ा के लिए पर्याप्त एवं उचित दर निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) जी नहीं। जालौर-सिरोही जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि; रानीवाड़ा द्वारा सिरोही जिले की दुग्ध सहकारी समितियों को रुपये 550 प्रति किलो फैट की क्रय दर दी जा रही है।

(2) वर्तमान में जालौर-सिरोही जिला दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध उत्पादकों को रुपये 550 प्रति किलो फैट की समुचित दुग्ध क्रय दर का भुगतान किया जा रहा है। दुग्ध संघ अपनी आर्थिक स्थिति, दुग्ध की उपलब्धता, स्थानीय बाजार परिद्रश्य, दुग्ध विपणन, भावी संभावनाओं सहित अनेक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दुग्ध क्रय दर निर्धारित करता है।

## उदयपुर सम्भाग में संचालित रोडवेज डिपो के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त चालक-परिचालकों के पेंशन प्रकरण

**135. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'** (चित्तौड़गढ़) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर सम्भाग में वर्तमान में कितने रोडवेज डिपो कहां-कहां पर संचालित हैं तथा उक्त डिपो में कितने चालक व परिचालक के पद सृजित हैं? डिपोवार सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में उक्त डिपो से कितने चालक व परिचालक ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति किस-किस कारण से ली है? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

(3) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात् कितने चालक एवं परिचालक को पेंशन राशि उपलब्ध कराई जा रही है एवं कितने चालक-परिचालक की पेंशन अभी किस कारण से प्रारम्भ नहीं की गई है? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार पेंशन से वंचित सेवानिवृत्त चालक-परिचालक की पेंशन प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) उदयपुर सम्भाग में संचालित आगारों में चालक/परिचालकों के निम्नानुसार पद स्वीकृत हैं :-

| आगार | चालक | परिचालक |
|---|---|---|
| उदयपुर | 249 | 266 |
| चित्तौड़गढ़ | 192 | 211 |
| डूंगरपुर | 149 | 169 |
| बांसवाड़ा | 156 | 201 |
| राजसमन्द | 86 | 88 |
| प्रतापगढ़ | 35 | 49 |

गत पांच वर्षों में उक्त डिपो के जिन-जिन चालक/परिचालकों ने स्वैच्छिक सेवानिवृति ली है उनकी कारण सहित सूची परिशिष्ट "1" एवं परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(2) उदयपुर सम्भाग के तहत 25 (पच्चीस) स्वैच्छिक सेवानिवृत्त चालक/परिचालकों को राजस्थान परिवहन निगम पेंशन का भुगतान कराया जा रहा है।

1 (एक) स्वैच्छिक सेवानिवृत्त चालक श्री मांगूनाथ, चालक डूंगरपुर आगार का प्रकरण बकाया है । कर्मचारी की कुल सेवा अवधि 21 वर्ष 2 माह 6 दिवस में से कर्मचारी द्वारा 4 वर्ष 2 माह 6 दिवस के चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि नियमानुसार पूर्ण नहीं है। इसके अभाव में पेंशन के लिये 20 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि पूर्ण नहीं हो रही है । चिकित्सा प्रमाण पत्र को कर्मचारी द्वारा पूर्ण कराकर प्रस्तुत करने पर पेंशन प्रकरण का निस्तारण कर पेंशन परिलाभ जारी किये जावेंगे।

(परिवहन मंत्री)

(3) पेंशन वंचित चालकों/परिचालकों को पेंशन दिये जाने का राजस्थान परिवहन निगम का विचार नहीं है।

पेंशन योजना प्रभावी किये जाने के क्रम में राजकीय उपक्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पत्रांक 2628 दिनांक 22.08.1989 के द्वारा जारी किये गये निर्देश एवं स्वीकृति को राजकीय उपक्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अपने पत्रांक 914 दिनांक 06.4.1999 के द्वारा तुरन्त प्रभाव से वापिस लिया जा चुका है।

(4) पेंशन से वंचित सेवानिवृत चालकों-परिचालकों जिनके द्वारा पूर्व में निगम द्वारा जारी की गई अधिसूचना के क्रम में नियमानुसार समयान्तर्गत अपने विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये थे उन्हें अब निगम की वित्तीय स्थिति एवं पेंशन फण्ड की स्थिति के मध्यनजर पेंशन दिया जाना सम्भव नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि सीपीएफ योजना के तहत भी पेंशन परिलाभ देय है। इसके तहत पेंशन का भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अंशदायी भविष्य निधि कर्मचारी संगठन कार्यालय, भारत सरकार द्वारा पेंशन का भुगतान किया जाता है। निगम संचालक मण्डल द्वारा 01.01.2012 के पश्चात सभी नए कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना, 2004 राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।

**(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)**

## प्रदेश में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आबंटित राशि

**136. श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2003-04 से 2013-14 तक कुल राज्य योजना की कितनी प्रतिशत राशि का जनजाति उप योजना क्षेत्र के लिये व्यय किया गया? मदवार आबंटित राशि व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश की कुल जनसंख्या में से कितना प्रतिशत जनसंख्या जन जाति उप योजना क्षेत्र के अन्तर्गत आती है एवं उस पर प्रदेश के कुल खर्च की कितनी प्रतिशत राशि व्यय की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा आदिवासियों के विकास के लिये वर्ष 1999-2000 में महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया था? यदि हां, तो उन नीतियों के अनुसार गत पांच वर्षों में कितना बजट प्रावधान किया गया तथा वास्तविक व्यय कितना किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(4) क्या यह भी सही है कि महाराष्ट्र पैटर्न पर श्री गुलाब सिंह शक्तावत कमेटी ने राज्य योजना मद की 8 प्रतिशत राशि जनजाति उप योजना क्षेत्र के लिये आबंटित करने की अनुशंसा की थी? क्या उक्त अनुशंसा को सरकार ने स्वीकार कर लिया? यदि हां, तो इस वर्ष कितना प्रतिशत बजट आबंटन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या जनजाति क्षेत्र के लिये आबंटित राशि का उपयोग सम्बन्धित विभागों द्वारा पूर्ण रूप से किया गया है? यदि हां, तो भौतिक उपलब्धियां क्या रही? यदि पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है तो क्यों एवं भविष्य में कौन से सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

## उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2003-04 से 2013-14 तक कुल राज्य योजना की 10.76 प्रतिशत राशि का जनजाति उपयोजना के लिये व्यय किया गया। वर्षवार राज्य योजना मद एवं जनजाति उपयोजना मद में आबंटित राशि व व्यय राशि विवरण अनुलग्नक -अ पर संलग्न है।

(2) राज्य की जनगणना 2011 में कुल जनसंख्या का 13.47 प्रतिशत जनजाति जनसंख्या है। वर्ष 2014-15 हेतु कुल राज्य बजट 4698933.18 लाख रुपये मे से 646984.62 लाख रुपये जनजाति प्रवाह हेतु रखा गया है, जो राज्य योजना का 13.77 प्रतिशत है। विगत 10 वर्षो में कुल राज्य योजना की 10.76 प्रतिशत राशि का जनजाति प्रवाह हेतु व्यय किया गया है।

(3) जी हां, राज्य सरकार (वित्त विभाग) के यू.ओ. नोट दिनांक 31 दिसम्बर 1999 द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में महाराष्ट्र प्रणाली अपनाये जाने सम्बन्धित प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था जिसके सम्बन्ध में विस्तृत प्रकिया अनुलग्नक-ब पर संलग्न है। पिछले पांच वर्षो मे जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग मे जनजाति कल्याण निधि अन्तर्गत 75484.67 लाख रु. का सशोधित बजट प्रावधान किया गया तथा वास्तविक व्यय 59784.09 लाख रु. किया गया। वर्षवार एवं मदवार प्रावधान एवं व्यय का विवरण अनुलग्नक-द पर संलग्न है।

पुन: राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.10(25)आयोजना/गुप-5/09 दिनांक 30.09.2010 द्वारा राज्य योजना के 12.56 प्रतिशत राशि का प्रावधान जनजाति उपयोजना मद में करने के निर्देश दिये गये। आदेश की प्रति

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

अनुलग्नक-स संलग्न है। जनजाति उपयोजना प्रवाह अन्तर्गत गत 10 वर्षो में 23702.70 करोड़ रुपये के आबंटन के विरुद्ध विभिन्न विभागो द्वारा 21269.85 करोड रुपये व्यय किये गये। वर्षवार विवरण अनुलग्नक-अ पर संलग्न है।

(4) यह सही है कि महाराष्ट्र पेर्टन पर श्री गुलाबसिंह शक्तावत कमेटी द्वारा राज्य योजना मद की 8 प्रतिशत राशि जनजाति उपयोजना के लिये आबंटित करने की अनुशंसा की गई थी । पिछले पांच वर्षो में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में जनजाति कल्याण निधि अन्तर्गत 75484.67 लाख रु. का सशोधित बजट प्रावधान किया। वर्षवार एवं मदवार प्रावधान एवं व्यय का विवरण अनुलग्नक-द पर संलग्न है।

जनजाति उपयोजना प्रवाह अन्तर्गत वर्ष 2014-15 हेतु कुल राज्य बजट 4698933.18 लाख रुपये मे से बजट उपशीर्ष 796 मांग सख्या 30 में 646984.62 लाख रुपये जनजाति प्रवाह हेतु रखा गया है जो राज्य योजना का 13.77 प्रतिशत है ।

(5) जी हां। सम्बधित विभागों द्वारा जनजाति क्षेत्र के लिए आबंटित राशि का उपयोग किया जा रहा है। राज्य योजना अन्तर्गत जनजाति उपयोजना मद हेतु राशि विभिन्न विभागों को उनके बजट मद में ही प्राप्त होती है एवं विभागीय बजट को उनके द्वारा व्यय किया जाकर उपलब्धियां हासिल की जाती हैं। जनजाति उपयोजना हेतु व्यय भी उनके द्वारा किया जाकर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा रही है विभिन्न विभागों द्वारा जनजाति उपयोजना मद में गत पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षो (2012-13 एवं 2013-14) में वर्षवार भौतिक उपलब्धियों का विवरण अनुलग्नक-य पर संलग्न है ।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में माडा योजनान्तर्गत आबंटित राशि

137. **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में माडा योजना के अन्तर्गत कार्य स्वीकृति के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010 से मई, 2014 तक दौसा जिले में किस-किस ग्राम पंचायत से कितनी-कितनी राशि के प्रस्ताव प्राप्त हुये

(डा. किरोड़ी लाल)

तथा कितनी-कितनी राशि ग्राम पंचायतवार आबंटित की गई तथा आबंटित राशि से क्या-कया कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कुछ ग्राम पंचायत/समिति ऐसी हैं, जहां अत्यधिक राशि स्वीकृत की गई? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) माडा क्षेत्र में कार्यों की स्वीकृति हेतु मापदण्ड तय नहीं किए गए हैं। सामान्यत: क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं मांग के आधार पर विभिन्न स्तर से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों की प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कार्य स्वीकृत किए जाते हैं। माडा क्षेत्र में कार्यों की स्वीकृति हेतु राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद में विचार विमर्श कर मापदण्ड तय किए जाएंगे।

(2) वित्तीय वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 तक दौसा जिले में ग्राम पंचायतवार माननीय जनप्रतिनिधियों, ब्लाक अधिकारियों तथा सम्बन्धित कार्यकारी विभागों से प्राप्त प्रस्तावों का विवरण तथा जिले को प्राप्त राशि में से ग्राम पंचायतवार आबंटित राशि एवं उक्त आबंटित राशि से करवाये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। क्षेत्र की मांग एवं आवश्यकता अनुरूप विभिन्न स्तर से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का परीक्षण कर प्राथमिकता तय की जाती है। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर उक्त प्रस्ताव से कुछ ही ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग दवारा राशि उपलब्ध करवाई जाती है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पास सीमित संसाधनों के कारण सभी पंचायतों को राशि उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। सम्बन्धित जन प्रतिनिधियों के प्रस्तावों में से स्वीकृत किये जाते रहे है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में जनजाति वर्ग हेतु संचालित योजनाएं

**138. श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(1) प्रदेश में जनजाति वर्ग के नागरिकों को स्वरोजगार, व्यापार एवं उद्योग स्थापना में सहायता देने की क्या-क्या योजनाएं संचालित हैं?

(2) उक्त योजनाओं में विगत 5 वर्षों में प्रतिवर्ष कितने व्यक्तियों को कुल कितनी राशि के लाभ दिए गए?

(3) सरकार की जनजाति वर्ग में उद्यमिता एवं स्वरोजगार बढ़ाने के लिए नीति एवं योजना क्या है?

## उत्तर

(1) **जनजाति उपयोजना क्षेत्र** -

**1. स्वरोजगार योजना** - राजससंघ द्वारा वर्तमान में टी.ए.डी. विभाग की जनजाति स्वरोजगार (एस.टी.पोप) योजना का संचालन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत जनजाति उपयोजना क्षेत्र में निवास करने वाले बेरोजगार जनजाति के बी.पी.एल. युवक/युवतियों को उद्योग/सेवा/व्यवसाय यथा - सिलाई कार्य, सीमेन्ट जाली निमार्ण, चर्म कार्य, लौहारी कार्य, रेडीमेड गारमेन्ट, फल-सब्जी की दुकान, बैलगाडी, मनिहारी, बिजली के सामान की दुकान, मैकेनिक शोप, साईकिल दुकान, रेडियो/टी.वी. सेवा केन्द्र, आटा चक्की, किराणा दुकान इत्यादि के लिए इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा 10,000/- रुपये जो भी कम हो अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

**2 समेकित मत्स्य विकास परियोजना** - उपयोजना क्षेत्र के बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों में छोटे जलाशयों में मछली पालन के माध्यम से स्थानीय जनजाति के व्यक्तियों को रोजगार का अतिरिक्त साधन उनके घर के समीप उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समेकित आधार पर समेकित मत्स्य विकास परियोजना का क्रियान्वयन राजससंघ द्वारा किया जा रहा है। योजना अन्तर्गत जलाशयों का सर्वेक्षण चयन एवं आबंटन मत्स्य बीज संग्रहण, नाव-जाल उपलब्ध कराना, आखेट एवं विपणन में सहायता इत्यादि गतिविधियां सम्मिलित हैं। इस वर्ष उक्त योजना प्रतापगढ़ जिले में भी प्रारम्भ की जा रही है।

**3. मत्स्य बीज पालन योजना** - जनजाति वर्ग के चयनित लाभान्वितों की निजी भूमि पर मत्स्य बीज पालन की आधारभूत सुविधा विकसित की जाकर मत्स्य बीज पालन का कार्य चार स्थानों पर चार चयनित लाभान्वितों के माध्यम से कराया जा रहा है।

**माडा क्षेत्र-**

जनजाति स्वरोगार योजनान्तर्गत अनूसूचित जनजाति के व्यक्तियों हेतु पोप (पेकेज आफ प्रोग्राम) योजनाओं में अनुदान सामान्यत: इकाई लागत का

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

50 प्रतिशत अथवा राशि रु. 10000/- जो भी कम हो, उपलब्ध करवाया जाता है। अनुदान हेतु शत प्रतिशत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। माडा एवं बिखरी जनजाति क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकतानुसार लघु एवं मध्यम ऋण (निम्न व्यवसायों जैसे गाय इकाई, भैस इकाई, ऊंट गाड़ी, प्रोविजन स्टोर एवं बिजली सामान की दुकान आदि में) नियमानुसार पात्र लाभार्थियों को अनुसूचित जाति पोप योजना के समानान्तर ही बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाये जाते हैं।

राष्ट्रीय अनूसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति के पात्र व्यक्तियों को मियादी ऋण योजना, आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना एवं लघु ऋण वित्त योजना हेतु लघु व मघ्यम व्यवसायों के लिए (स्थानीय आवश्यकतानुसार रुपये 25,000/- से 2,00,000/- तक का ऋण 4 से 6 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है।

(2) जनजाति उपयोजना क्षेत्र -

1. **स्वरोजगार योजना** - राजससंघ द्वारा जनजाति स्वरोजगार योजनान्तर्गत विगत 5 वर्षो में लाभान्वितों तथा वितरित राशि का ब्योरा निम्नानुसार है :-

| वर्ष | लाभान्वितों की संख्या | वितरित राशि (राशि लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| 2009-10 | 1471 | 148.21 |
| 2010-11 | 997 | 97.28 |
| 2011-12 | 514 | 40.70 |
| 2012-13 | 2094 | 234.20 |
| 2013-14 | 3829 | 378.60 |
| **योग** | **8905** | **898.99** |

**2. समेकित मत्स्य विकास परियोजना-**

| वर्ष | लाभान्वितों की संख्या | वितरित राशि (राशि लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| 2009-10 | 332 | 5.00 |
| 2010-11 | 100 | 15.60 |
| 2011-12 | 130 | 25.32 |
| 2012-13 | 156 | 26.81 |
| 2013-14 | 125 | 27.82 |
| **योग** | **843** | **100.55** |

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

**3. मत्स्य बीज पालन योजना**

| वर्ष | लाभान्वितों की संख्या | वितरित राशि (राशि लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| 2009-10 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 0 | 0 |
| 2011-12 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 3 | 8.59 |
| 2013-14 | 4 | 8.98 |
| योग | **4** | **17.57** |

**माडा क्षेत्र**

| वर्ष | लाभान्वितों की संख्या एसटी पोप | राशि (लाख रुपये में) | लाभान्वितों की संख्या राष्ट्रीय निगम | राशि (लाख रुपये में) |
|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 1873 | 169.04 | 653 | 230.885 |
| 2010-11 | 1052 | 108.35 | 695 | 344.439 |
| 2011-12 | 1296 | 129.13 | 1216 | 640.584 |
| 2012-13 | 1306 | 125.30 | 867 | 469.493 |
| 2013-14 | 1568 | 161.50 | 1096 | 859.572 |
| योग | **7095** | **693.32** | **4527** | **2544.973** |

कुल 11622 व्यक्तियों को रुपया 3238.293 लाख की राशि से लाभान्वित किया गया।

(3) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा स्वरोजगार हेतु जनजाति समुदाय के युवाओं को अनुसूचित क्षेत्र में राजस संघ के माध्यम से तथा अन्य क्षेत्रो में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के द्वारा बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण का 50 प्रतिशत तथा अधिकतम 10 हजार रुपये अनुदान दिया जाता है।

उद्योग विभाग द्वारा भी जनजाति वर्ग मे उद्यमिता एवं स्वरोजगार बढ़ाने के लिये राजस्थान इन्वेस्टमेंट परमोशन स्कीम 2010 में टैक्स सब्सिडी में 60 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इसके साथ ही रोजगार सृजन के अनुदान,

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

आधुनिकरण/विस्तार/विविधिकरण के सम्बन्ध तथा बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुन:उत्थान के लिए रोजगार सृजन अनुदान जनजाति समुदाय के उद्यमियों को दिया जाता है। (परिशिष्ट-अ)

1. नये उद्यमियों के लिए नई इकाई हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों हेतु 18000 रुपये प्रतिवर्ष, प्रति कार्मिक पूर्ण सेवा अवधि में अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान जो कि रोजगार सृजन सब्सिडी चुकाये जाने वाले कर का 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है।
2. आधुनीकिकरण/विस्तार हेतु जनजाति के व्यक्तियों हेतु 18000 रुपये प्रतिवर्ष, प्रति कार्मिक पूर्ण सेवा अवधि में अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान जो कि रोजगार सृजन सब्सिडी चुकाये जाने वाले कर का 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।
3. बीमारू औद्योगिक इकाइयों वाले जनजाति के व्यक्तियों हेतु 18000 रुपये प्रतिवर्ष, प्रति कार्मिक पूर्ण सेवा अवधि में अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान जो कि रोजगार सृजन सब्सिडी चुकाये जाने वाले कर का 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में संचालित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सालय में रिक्त पद

**139. श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के प्रत्येक सम्भाग में कितने आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सालय किस स्तर के संचालित हैं?

(2) विगत 5 वर्षों में प्रतिवर्ष प्रत्येक सम्भाग में उक्त प्रकार के कितने नए चिकित्सालय प्रारम्भ किए गए?

(3) विगत 5 वर्षों में प्रतिवर्ष उक्त चिकित्सालयों में रिक्त पद, नव सृजित पदों एवं नई नियुक्तियों की संख्या क्या है?

### उत्तर

(1) राज्य के प्रत्येक सम्भाग में संचालित आयुर्वेद**,** होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सालय की सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(आयुर्वेद मंत्री)

(2) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक सम्भाग में प्रारम्भ किए गये उक्त प्रकार के नए चिकित्सालयों की सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) विगत पांच वर्षों में प्रतिवर्ष उक्त चिकित्सालयों में रिक्त पद, नव सृजित पदों एवं नई नियुक्तियों की संख्या परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

**(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)**

## प्रदेश में राज्यकर्मियों हेतु निजी अस्पतालों में इलाज हेतु नियम/मानदण्ड

**140. श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़) : क्या राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में दिनांक 1-1-2004 के पश्चात् सरकारी सेवा में नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए राजकीय अस्पताल एवं अनुमोदित निजी अस्पतालों में इलाज हेतु नियम बनाए गए हैं? यदि हां, तो कब से तथा क्या उक्त नियमों में संशोधन किया गया है? यदि हां, तो संशोधित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में उक्त दिनांक के पूर्व राज्य सेवा में नियुक्त राज्यकर्मियों को या उनके परिजनों को सक्षम चिकित्सक की पर्ची के आधार पर ही चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण किया जाता है, जबकि उक्त दिनांक के पश्चात् राज्य सेवा में नियुक्त राज्यकर्मियों को या उनके परिजनों को केवल अस्पताल में भर्ती होने पर ही चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण किया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस दोहरेपन की शर्त को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि दिनांक 1-1-2004 के पश्चात् राज्य सेवा में नियुक्त राज्यकर्मियों को या उनके परिजनों को गम्भीर बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट, ब्रेन आदि रोग होने के पश्चात् (अस्पताल में भर्ती नहीं होने की अवस्था में) उनकी लम्बे समय तक चलने वाली दवाइयों के चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण नहीं किया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार प्रदेश में उक्त दिनांक के पश्चात् राज्य सेवा में नियुक्त राज्यकर्मियों को या उनके परिजनों को भी आउटडोर व्यवस्था के तहत सक्षम चिकित्सक की पर्ची के आधार पर चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में दिनांक 01-01-2004 के पश्चात् सरकारी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए राजकीय अस्पताल एवं अनुमोदित निजी अस्पतालों में इलाज हेतु मेडिक्लेम पालिसी लागू की गई है। उक्त पालिसी दिनांक 1-8-2004 से लागू की गई है तथा इसमें समय-समय पर संशोधन किये गये हैं। वर्तमान में लागू समूह मेडिक्लेम बीमा पालिसी (राज मेडिक्लेम) की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। दिनांक 1-1-2004 से पूर्व राज्य सेवा में नियमित रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013 के तहत अंतरंग/बहिरंग रोगी के रूप में उपचार कराये जाने पर चिकित्सा पुनर्भरण की सुविधा उपलब्ध है।

राज्य सरकार दिनांक 1-1-2004 के पश्चात नियुक्त राज्यकर्मियों पर राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013 लागू करने का कोई विचार नहीं रखती है। क्योंकि ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तो के अनुसार उन पर समूह मेडिक्लेम बीमा पालिसी (राज मेडिक्लेम) की सुविधा का लाभ ही देय है।

(3) जी हां। दिनांक 01-01-2004 के पश्चात् राज्य सेवा में नियुक्त राज्यकर्मियों को या उनके परिजनों को अस्पताल में भर्ती नहीं होने की अवस्था में चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण नहीं किया जाता है क्योंकि समूह मेडिक्लेम बीमा पालिसी (राज मेडिक्लेम) में अस्पताल में भर्ती नहीं होने की अवस्था में चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) जी नहीं। क्योंकि दिनांक 1-1-2004 के पश्चात नियुक्त राज्यकर्मियों पर राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013 लागू नहीं है एवं इन कर्मचारियों को समूह मेडिक्लेम बीमा पालिसी (राज मेडिक्लेम) के प्रावधान के अनुसार चिकित्सा पुनर्भरण की सुविधा उपलब्ध है।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

## जैसलमेर जिले की मोहनगढ़ कृषि उपज मण्डी में व्याप्त सुविधाएं

**141. श्री छोटू सिंह** (जैसलमेर) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैसलमेर जिले की मोहनगढ़ कृषि उपज मण्डी में वर्तमान में नलकूप, चौकीदार, सड़कों की स्थिति, पेयजल हेतु पानी, बिजली व अन्य सुविधाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री छोटू सिंह)

(2) क्या सरकार मोहनगढ़ उपज मण्डी को सी श्रेणी तथा गौण मण्डी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति जैसलमेर के अधीन गौण मण्डी यार्ड मोहनगढ़ में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, जैसलमेर के अधीन मोहनगढ़ गौण मण्डी अधिसूचना दिनांक 2 मई, 2003 से स्थापित है। गौण मण्डी मोहनगढ़ को स्वतंत्र मण्डी बनाने के सम्बन्ध में कृषि उपज मण्डी समिति, जैसलमेर का प्रस्ताव दिनांक 26.06.2014 प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

**परिशिष्ट "अ"**

**कृषि उपज मण्डी समिति जैसलमेर के अधीन गौणमण्डी यार्ड मोहनगढ़ में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण**

1. **नलकूप**-गौणमण्डी यार्ड मोहनगढ़ में नलकूप नहीं है।
2. **चौकीदारी व्यवस्था**- चौकीदारी व्यवस्था ठेके पर दी हुई है।
3. **सड़कों की स्थिति**- सम्पूर्ण यार्ड में ए, बी, एवं सी ब्लाक की सभी दुकानों व प्लेटफार्म के सामने व पीछे आन्तरिक सड़कों का निर्माण कराया गया है।
4. **पेयजल व्यवस्था**- मण्डी प्रांगण में पेयजल हेतु जी.एल.आर. निर्मित है जिसको फिल्टर टैंक से मोटर पम्प लगाकर भरा जाता है।
5. **विद्युत व्यवस्था**- मण्डी प्रांगण में सम्पूर्ण सड़कों के सामने व दुकानों के पीछे स्ट्रीट लाइट, बिजली के खम्भे, तार लगाना व अन्य मरम्मत आदि के कार्य किये गये। मण्डी यार्ड में एक टावर लाइट वर्तमान में लगी हुई है। बिजली व्यवस्था पर्याप्त है।
6. **अन्य सुविधाऐं**- मण्डी यार्ड में कार्यालय भवन, कियोस्क, दो चैक पोस्ट, दो निलामी चबूतरे, 250 मैट्रिक टन का ग्रामीण गोदाम एवं चारदीवारी निर्मित है। कृषि विपणन निदेशालय के आदेश दिनांक 10.7.2014 के द्वारा कार्यालय भवन, चैक पोस्ट की रिनोवेशन हेतु राशि 8.10 लाख, दो गेटों की रिनोवेशन हेतु 30.00 लाख, ब्लाक ए व बी के सामने स्थित निलामी चबूतरें को आरसीसी से कवर्ड करने हेतु राशि 116.21 लाख व एक नया आरसीसी से कवर्ड निलामी चबूतरे हेतु 60.47 लाख रुपये की स्वीकृतियां जारी की गईं।

## धोद में प्याज मण्डी हेतु योजना

**142. श्री गोरधन** (धोद) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र धोद के रसीदपुरा में प्याज मण्डी खोलने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो अब कब तक प्याज मण्डी खोल दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी हां। रसीदपुरा में प्याज मण्डी बनाने की घोषणा वर्ष 2008 में इस शर्त के साथ की गई थी कि गौण मण्डी यार्ड लक्ष्मणगढ़ के व्यापारियों को भी रसीदपुरा शिफ्ट किया जाएगा तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/जिला परिषद द्वारा विकसित हाइवे फेसिलिटी सेन्टर रसीदपुरा की 4 हैक्टैयर भूमि इस कार्य हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।

गौण मण्डी लक्ष्मणगढ़ के व्यापारी रसीदपुरा में व्यापार स्थानान्तरण हेतु सहमत नहीं होने एवं भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण रसीदपुरा में प्याज मण्डी स्थापित नहीं हो पाई है।

## आर.पी.एम.टी. में अनियमितताओं की जांच हेतु गठित कमेटी

**143. श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आर.पी.एम.टी.-2014 में कम प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों को अधिक और अधिक अंक वाले छात्रों को कम रैंक दी गई है? यदि हां, तो किन आधारों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि आर.पी.एम.टी. में हुई गड़बड़ियों एवं धांधलियों को लेकर एक जांच कमेटी का गठन किया गया था? यदि हां, तो कब एवं किस आदेश से तथा उस जांच कमेटी में कौन-कौन सदस्य हैं एवं उन्हें क्या जांच करनी थी? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जांच कमेटी ने कोई रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है? यदि हां, तो कब व किस स्तर पर? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के दोषी अधिकारियों को दण्डित करने एवं उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। यह सही है कि आर.पी.एम.टी. 2014 में विद्यार्थियों/अभ्यर्थियों के रा स्कोर में से इक्वी परसेन्टाइल प्रणाली से जब अन्तिम परिणाम तैयार किया गया तो कुछ स्लाट में कम रा स्कोर वाले अभ्यर्थियों की रैंक अधिक व अधिक रा स्कोर वाले अभ्यर्थियों की रैंक कम हो गई थी। विज्ञप्ति के अनुसार यह परीक्षा आनलाइन पद्धति से बहुसत्रीय (Multiple Batches) प्रणाली पर आयोजित की गई। परीक्षा की सूचना विवरणिका के अनुसार इसका परिणाम इक्वेटिंग/इक्वी परसेन्टाइल प्रणाली से जारी किया जाना विज्ञापित किया गया था। परीक्षा उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों से परिवेदनायें आमंत्रित की गई थीं। परिवेदना निस्तारण के उपरांत प्रश्न पत्र एवं उत्तर कुंजी में प्रश्नों के डिलिट होने एवं उत्तर कुंजी के संशोधित होने के कारण इक्वेटिंग/इक्वी परसेन्टाइल प्रणाली से जब परिणाम जारी किया गया तो छात्रों के रा स्कोर में अत्यधिक परिवर्तन हो गया।

(2) जी हां। आर.पी.एम.टी. में कथित अनियमितता के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु एक जांच कमेटी का गठन दिनांक 06.06.2014 एवं संशोदित आदेश 10.06.2014 द्वारा किया गया। जांच कमेटी के सदस्यों का विवरण एवं उनके द्वारा की गई जांच का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। जांच कमेटी ने दिनांक 15.06.2014 को रिपोर्ट शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रस्तुत की। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(4) वर्तमान में प्रकरण से सम्बन्धित कई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। अत: समस्त न्यायिक प्रकरणों के निस्तारण के पश्चात आवश्यकता हुई तो आर.पी.एम.टी. 2014 में हुई त्रुटि के लिए जिम्मेदार कार्मिकों को चिन्हित करने हेतु जांच की जाएगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश के चिकित्सालयों में रेजिडेंट डाक्टर्स द्वारा हड़ताल एवं कार्य बहिष्कार की घटनाएं

**144. श्री रमेश** (सपोटरा) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रमेश)

(1) क्या यह सही है कि विगत तीन वर्षों में प्रदेश के चिकित्सालयों में रेजीडेंट डाक्टर्स द्वारा हड़ताल एवं कार्य बहिष्कार की घटनाएं हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब एवं कहां-कहां? उक्त घटनाओं के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में रेजीडेंट डाक्टर्स द्वारा हड़ताल एवं कार्य बहिष्कार के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई? वर्षवार, अस्पतालवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा रेजीडेंट की हड़ताल एवं कार्य बहिष्कार को रोकने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई? क्या यह सही है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी हड़ताल एवं कार्य बहिष्कार की घटनाएं निरन्तर हो रही हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार रेजीडेंट डाक्टर्स की उचित मांगों को पूरा करने एवं अनुचित मांगों पर हड़ताल एवं कार्य बहिष्कार करने की घटनाओं को रोकने हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) जी हां। रेजीडेंट डाक्टर्स की हडताल एवं कार्य बहिष्कार की घटना का दिवस व कारण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) चिकित्सा महाविद्यालयों के अधीन चिकित्सालयों में रेजीडेंट डाक्टर्स द्वारा हड़ताल एवं कार्य बहिष्कार के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है।

(3) राज्य सरकार द्वारा रेजीडेन्ट डाक्टर्स की हड़ताल एवं कार्य बहिष्कार को रोकने हेतु समस्त मेडिकल कालेजों को उनके द्वारा पी.जी. में प्रवेश के समय भरवाये गये बाण्ड एवं अण्डरटेकिंग के अनुरूप शक्ति से कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

(4) रेजीडेंट डाक्टर्स की उचित मांगों को पूरा करने एवं अनुचित मांगों पर हड़ताल एवं कार्य बहिष्कार करने की घटनाओं को रोकने हेतु मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्यों से विचार विमर्श उपरान्त कार्यवाही की जावेगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

# परिशिष्ट-1

## (तारांकित प्रश्न संख्या-113 का विवरण)

**परिशिष्ट-अ**

**जिलेवार पंजीकृत गौशालाएं 30 जून, 2014 तक की स्थिति**

| क्र. सं. | जिले का नाम | गौशालाओं की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | अजमेर | 29 |
| 2. | अलवर | 19 |
| 3. | बांसवाड़ा | 3 |
| 4. | बारां | 8 |
| 5. | बाड़मेर | 30 |
| 6. | भरतपुर | 9 |
| 7. | भीलवाड़ा | 33 |
| 8. | बीकानेर | 52 |
| 9. | बून्दी | 7 |
| 10. | चित्तौड़गढ़ | 18 |
| 11. | चूरू | 80 |
| 12. | दौसा | 6 |
| 13. | धौलपुर | 5 |
| 14. | डूंगरपुर | 5 |
| 15. | हनुमानगढ़ | 70 |
| 16. | जयपुर | 77 |
| 17. | जैसलमेर | 68 |
| 18. | जालौर | 74 |
| 19. | झालावाड़ | 14 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 20. | झुंझुनूं | 36 |
| 21. | जोधपुर | 154 |
| 22. | करौली | 5 |
| 23. | कोटा | 11 |
| 24. | नागौर | 217 |
| 25. | पाली | 112 |
| 26. | प्रतापगढ़ | 5 |
| 27. | राजसमन्द | 10 |
| 28. | सवाई माधोपुर | 18 |
| 29. | श्रीगंगानगर | 48 |
| 30. | सीकर | 135 |
| 31. | सिरोही | 21 |
| 32. | टोंक | 16 |
| 33. | उदयपुर | 12 |
| | **योग** | **1407** |

# परिशिष्ट-2

## (मांग संख्या-36 पर कटौती प्रस्ताव)

मांग संख्या-36 मुख्य शीर्षक सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) :

1. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के ग्राम बामनेरा, तहसील सुमेरपुर में ग्राम सेवा सहकारी समिति स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री हरिसिंह रावत** (भीम) :

2. विधान सभा क्षेत्र भीम के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में सहकारिता बैंकों की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री अर्जुन लाल** (बिलाड़ा) :

3. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में के.सी.सी. कार्डधारकों को रबी की फसल के नुकसान होने एवं भुगतान अदायगी के बाद भी किसानों को जोधपुर सी.सी. बैंक द्वारा अल्पकालीन ऋण का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में खरीफ फसल के नुकसान होने के बाद दिये गये अल्पकालीन ऋण की अदायगी हेतु तीन किश्तों में परिवर्तन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में बिलाड़ा भूमि विकास बैंक के माध्यम से किसानों को दीर्घकालीन ऋण से भूमि रहनयुक्त होने के कारण उन किसानों को अल्पकालीन ऋण नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
6. प्रदेश में किसानों को रबी फसल हेतु दिये गये अल्पकालीन ऋण की राशि पर पुन: शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
7. सहकारिता विभाग में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के वेतन बढ़ोतरी एवं वेतन निर्धारण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री ओटाराम** (सिरोही) :

8. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के ग्राम सुमेरपुर एवं शिवगंज मार्केटिंग सोसायटी द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर चनों की खरीद नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) :

9. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में दी पाली सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक की शाखाओं को सुदृढ़ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री सुशील कटारा** (चौरासी) :

10. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के ग्राम पंचायत सेण्डोला का श्रम एवं नरेगा का भुगतान लैम्पस दरियारी के स्थान पर सहकारी समिति कुंआ से कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के प्रत्येक ग्राम पंचायत में नई लैम्पस की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में सहकारी समिति झलाप द्वारा फर्जी तरीके से भुगतान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के तहसील चिखली में नई क्रय-विक्रय समिति की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

14. जिला डूंगरपुर में स्थापित सहकारी समितियों को कम्प्यूटर से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) :

15. पाली पि.सि. सिबि में नाबार्ड द्वारा आडिट किये जाने पर 40 लाख रुपये कैश में कम पाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. प्रदेश में सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के 15 से 20 वर्ष तक स्थानान्तरण नहीं होने से व्यवस्थापकों द्वारा अनियमितताएं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में बिना ब्याज ऋण जमा कराने के बाद वापस ऋण नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. प्रदेश में सहकारी समितियों में भण्डारण के लिए गोदाम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में पनोता सहकारी समिति द्वारा मृत व्यक्तियों के नाम से ऋण उठाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना) :

20. प्रदेश में किसानों के लिए फसली ऋण बीमा खरीफ फसल के लिए सैन्ट्रल कापरेटिव बैंक, सहकारी समितियों एवं बैंकों हेतु दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में ग्राम सेवा सहकारी समिति से वंचित ग्राम पंचायतों में नवीन समितियां सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के दो फसली एरिया में सैन्ट्रल कापरेटिव बैंक बाड़मेर द्वारा साख सीमा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्राम सहकारी समिति में नवीन गोदाम निर्माण के लिए सिवाना, काखी, सिलेर, थापण का चयन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के कई सहकारी समितियों द्वारा किसानों को खरीफ फसल ऋण वितरण समय पर नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) :

25. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गृह सहकारी समिति स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में ग्राम सहकारी समितियों एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति के भवन निर्माण में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री सुन्दरलाल** (पिलानी) :

27. सहकारिता विभाग में विगत दस वर्षों से कार्यरत (फिक्स मानदेय पद) कर्मिकों को नियमित वेतनमान व अन्य लाभ दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री अमृतलाल** (सलूम्बर) :

28. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के क्रय-विक्रय सहकारी समिति सलूम्बर-लसाड़ीया एवं सराड़ा रसद (खाद्य) लाइसेन्स हेतु कार्यवाही में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की क्रय-विक्रय समिति सराड़ा-सलूम्बर के चैयरमेनों को अतिरिक्त अधिकार नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में रिटायर्ड व्यवस्थापकों द्वारा चार्ज नहीं दिये जाने एवं अतिरिक्त प्रभार के साथ लैम्पसों के कार्यों को प्रभावित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के किसानों को अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के किसानों के फसल बीमा योजना अन्तर्गत 225/- हैक्टेयर से बढ़ाकर 865/- हैक्टेयर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर)

33. प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री लादूराम** (गुढ़ामालानी) :

34. विधान सभा क्षेत्र गुढ़ामालानी के ग्राम पीपराली की ग्राम सेवा सहकारी समिति पीपराली के व्यवस्थापक द्वारा किसानों को ऋण उपलब्ध कराने में वित्तीय अनियमितताएं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. ग्राम सेवा सहकारी समिति पीपराली (गुढ़ामालानी) के व्यवस्थापक द्वारा कूटरचित शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर व्यवस्थापक बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

36. प्रदेश में किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंक, बाड़मेर को अनुदान राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री रमेश** (सपोटरा) :

37. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में मण्डरायल उपखण्ड पर दुग्ध डेयरी की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में मण्डरायल उपखण्ड में नई सहकारी समिति का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री बाबू सिंह** (शेरगढ़) :

39. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की वंचित ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति शेरगढ़ (तहसील मुख्यालय) पर नवीन क्रय-विक्रय सहकारी समिति का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर) :

41. प्रदेश में सहकारी समितियों से राशन वितरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी क्रय-विक्रय समिति न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. प्रदेश में कृषि साख समितियों द्वारा किसानों के ऋण सीमा न बढ़ाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में क्रय-विक्रय संघ की स्थापना न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. प्रदेश में ग्राम सहकारी साख समिति द्वारा नये सदस्यों को ऋण न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी) :

46. बैंकों की ऋण की जटिल प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के किसानों को मिलने वाले विभिन्न ऋण एक ही बैंक, सैंट्रल कापरेटिव बैंक से देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. प्रदेश में सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. प्रदेश में किसानों के हितार्थ रबी व खरीफ की फसलों के ऋण चुकाने की तिथि एवं फसली ऋण देने की तिथि एक ही रखी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र लूणी की ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. किसानों की सुरक्षा व उनके हितार्थ किसान क्रेडिट कार्ड योजना का सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर) :

51. मुण्डावर सहकारिता विभाग में खाद बीज एवं अन्य सामग्री के भण्डारण की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़) :

52. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में खाद व बीज के भण्डारण की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में सहकारी बैंकों द्वारा ऋण देने में विलम्ब नहीं करने व समय पर ऋण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में सरकारी खरीद के केन्द्र खोलने की समुचित व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर) :

55. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में समय पर कृषकों को ऋण उपलब्ध नहीं करवाने तथा सरकारी स्तर पर नवीन GSS गठित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** (करणपुर) :

56. विधान सभा क्षेत्र करणपुर में करणपुर, केसरीसिंहपुर, पदमपुर में सहकारिता विभाग की जिनिंग व प्रेसिंग मिलों का आधुनिकीकरण गजसिंहपुर की तर्ज पर कर डबल रोलर मिल स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समिति में RKVY योजना में गोदाम बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

58. राज्य में कास्तकार की जमीन के आधार पर ATM कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

59. राज्य में जिन फसल खरीद केन्द्र की दूरी 15 किमी से ज्यादा है वहां ग्राम सेवा सहकारी समिति को पंजाब पैटर्न पर खरीद केन्द्र फोकल प्वाइंट बनाकर व भण्डारण व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

60 श्री गंगानगर जिले के सभी किसानों को समान रूप से ऋण वितरण की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री मान सिंह** (गंगापुर) :

61. गंगापुर सिटी कापरेटिव सोसायटी की आर्थिक स्थिति पर परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के मिनी बैंकों पर ही सोसायटी वितरण एवं मापदण्डों के अनुसार किसानों को सोसायटी नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री हीरालाल** (निवाई) :

63. विधान सभा क्षेत्र निवाई के तहसील पीपलू के बगडवा पंचायत मुख्यालय पर GSS भवन बनाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र निवाई के उपखण्ड पीपलू पर GSS भवन बनाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र निवाई के किसानों को ग्राम सहकारी समितियों द्वारा ऋण नहीं उपलब्ध कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) :

66. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में घाटे में बन्द हुये ग्राम सहकारी समितियों की पुन: जांच कर दोषी अधिकारियों/पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने, रामगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समितियों (मार्केटिंग) में हुये घोटालों, गबन की जांच करने एवं सहकारी समिति रामगढ़ की अनियमितताओं एवं गबन की जांच करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में ग्राम सहकारी समितियो द्वारा किसानों को दिये गये ऋणों की भौतिक जांच कर गड़बड़ियों को रोकने एवं पारदर्शिता प्रणाली लागू करने एवं अलवर में होलसेल कापरेटिव भण्डार में हुये भारी घोटाले व गबन की भण्डार के स्टाक की जांच कर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण) :

68. राज्य की प्रमुख सहकारी प्रोसेसिंग इकाइयों स्पिनफैड, गुलाबपुरा, गंगापुर व हनुमानगढ़ को लाभ की स्थिति में लाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. सहकारी उपभोक्ता भण्डार अजमेर अपना बाजार में हो रही अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. अजमेर में संचालित सहकारी अरबन को-आपरेटिव बैंक के संचालक मण्डल द्वारा अनियमितता करने से खाताधारकों को आ रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. सहकारी आन्दोलन को घर-घर पहुंचाने एवं सहकारी प्रशिक्षण हेतु सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र को अजमेर में स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर) :

72. सहकारी भूमि विकास बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंक के विलय के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़ बास) :

73. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में ग्राम क्रय-विक्रय सहकारी समिति की ऋण सीमा बढ़ाने, समितियों की आडिट कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं) :

74. ग्राम सहकारी समितियों को अधिकार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर) :

75. किसानों को फसलों पर मिलने वाले ऋण को ब्याज मुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

76. किसानों को ऋण की साख सीमा बढ़ाने व प्राकृतिक आपदा के समय ऋण का समय बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़) :

77. राज्य की सहकारी समितियों एवं अन्य संस्थाओं में कार्यरत संविदा/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

78. राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारियों के वेतन समझौतों को लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

79. राज्य में घाटे में चल रहे सहकारी बैंकों एवं समितियों के पुनरूद्धार हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष सहायता पैकेज मुहैया कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

80. राज्य में सहकारी समितियों एवं अन्य संस्थाओं में कार्यरत संविदा/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

81. राज्य में किसानों को दीर्घावधि व लघु अवधि फसली ऋण पर वसूल की जा रही ब्याज की दर कम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्रीमती गीता वर्मा** (सिकराय) :

82. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में खाद व बीज के भण्डारण के लिए गोदाम बनाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर) :

83. विधान सभा क्षेत्र बानसूर की पंचायत रामपुर में गोदाम भवन बनाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर) :

84. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में विभागीय डिपार्टमेन्टल स्टोर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. सहकारिता विभाग में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे सफल एवं प्रशंसनीय नवाचारों को प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. जोधपुर में सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार में गत पांच वर्षों में हुई

अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार जोधपुर के चुनाव अविलम्ब कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विभाग के दवा काउण्टर संचालन के दवाओं की खरीद सीधे दवा उत्पादक कम्पनियों से बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा) :

89. किसानों को दीर्घकालीन ऋणों में भी अल्पकालीन ऋणों की तरह ब्याज पर सब्सिडी दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

90. मार्केटिंग कोपरेटिव सोसायटी में उचित मूल्य पर कृषि उत्पाद खरीद सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

91. किसानों के अल्पकालीन फसली ऋण को बीमा ऋण आधारित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम बनाने के लिये शत-प्रतिशत सब्सिडी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**म. रणधीर सिंह भीण्डर** (वल्लभनगर) :

93. प्रदेश को नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्रीमती अनीता** (नगर) :

94. विधान सभा क्षेत्र नगर की तहसील डीग के किसानों को डीग में क्रय-विक्रय समिति के न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र नगर में क्रय-विक्रय समिति में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र नगर के ग्रामीण क्षेत्र में नए GSS स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री राम लाल गुर्जर** (आसींद) :

97. विधान सभा क्षेत्र आसींद में ग्राम सेवा सहकारी समिति का भवन निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र आसींद में ग्राम सेवा सहकारी समिति भवन निर्माण के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री छोटू सिंह** (जैसलमेर) :

99. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के किसानों के KCC योजना में बैंकों द्वारा खेती के लिये लोन नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

100. प्रदेश के किसानों को ऋण देने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम) :

101. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में किसानों को समय पर सस्ती खाद व बीज उपलब्ध करने के लिए अनुदान प्रतिशत बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के किसानों से ऋण की वसूली 30 जून तक किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़) :

103. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नई ग्राम सहकारी समितियां खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में बन्द पड़ी सहकारी समितियों को पुन: चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सहकारी समितियों में किसानों के ऋण की राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़ बास) :

106. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक की नियुक्ति, वेतन व नियंत्रण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा) :

107. मानपुर CCB द्वारा धौलपुर जिले के साथ भेदभाव किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

108. धौलपुर जिले में CCB (सैंट्रल कोपरेटिव बैंक) की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री जीतमल खांट** (गढ़ी) :

109. लेम्पस व्यवस्थापक एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां लैम्पस बोर्ड द्वारा ही करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में किसानों को बिना ब्याज के ऋण राशि को दो लाख रुपया बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

111. प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लैम्पस नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

112. सहकारिता विभाग को गुजरात पैटर्न पर विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में लैम्पस के बड़े गोदाम बनवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री कृष्णा कड़वा** (संगरिया) :

114. विधान सभा क्षेत्र संगरिया की ग्राम सेवा सहकारी समिति शाहपीनी से ग्राम अमरपुरा जालु को अलग कर नई सहकारी समिति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र संगरिया की ग्राम सेवा सहकारी समिति, चहुं पाली तहसील टिब्बी में नये सदस्य बनाकर की गई अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री बालू राम चौधरी** (सहाड़ा) :

116. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के चिड़खेड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति में AMC Computer लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री हीरालाल नागर** (सांगोद) :

117. प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के वेयर हाऊस बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

118. प्रदेश के सहकारी समितियों में व्यवस्थापक के पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

119. तहसील सांगोद, कनवास एवं दिगोद में सुपर मार्केट या उपभोक्ता भण्डार खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. केन्द्रीय सहकारी बैंकों को घाटे से उभारने के लिये 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) :

122. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किसानों को कम ब्याज पर फसली ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नई सहकारी साख समितियां स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) :

124. राजसमन्द जिले में जनमंगल आवास ऋण योजना, महिला विकास ऋण योजना एवं ज्ञान सागर योजना में कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

125. राजसमन्द एवं रेलमगरा पंचायत समिति की प्रत्येक पंचायत में ग्रामीण सहकारी समिति खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

126. राजसमन्द में पृथक से सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

127. राजसमन्द में पृथक से को-आपरेटिव जिला डेयरी बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

128. वर्ष 2013-14 के बजट में घोषित राजस्थान सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा राजसमन्द जिले में कार्य प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री जगसी राम** (रेवदर) :

129. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में सहकारी समिति द्वारा किसानों को खाद, बीज व ऋण वितरण में की गई अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी) :

130. प्रदेश की सभी सहकारी समितियों में किसानों के जिन्स को सुरक्षित रखने हेतु गोदामों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री भीमा भाई** (कुशलगढ़) :

131. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में लैम्पस समिति की संख्या में बढ़ोत्तरी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री बाबूलाल शर्मा** (केशोरायपाटन) :

133. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के ग्राम सेवा सहकारी समितियों के द्वारा किये गये घोटालों की जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर) :

134. खींवसर क्रय-विक्रय सहकारी समिति में गोदाम व भवन निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

135. केन्द्रीय सहकारी बैंक में व्यवस्थापकों के खाली पड़े रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

136. सहकारी क्षेत्र में अल्पकालीन ऋणों की साख सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

137. किसान क्रेडिट कार्ड के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से दिये जाने वाले ऋणों की प्रति बीघा सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

138. भूमि विकास बैंकों में पशु खरीद के लिए दिये जाने वाले ऋण की सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री अमराराम** (पचपदरा) :

139. बालोतरा अरबन कोपरेटिव बैंक के लाभांश के वितरण 2011-12 व 2012-13 के 20 प्रतिशत लाभांश वितरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

140. ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को तीन साल से अधिक समय तक एक ही समिति में नहीं रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

141. केन्द्रीय सहकारी बैंक बाड़मेर में स्टाफ की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री बृजेन्द्र सिंह ओला** (झुंझुनूं) :

142. प्रदेश की ग्राम सहकारी सेवा समिति के भण्डारण की क्षमता बढ़ाने एवं गोदामों का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री राजेन्द्र गुर्जर** (देवली-उनियारा) :

143. विधान सभा क्षेत्र उनियारा में फसल ऋण वितरित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री कैलाश चौधरी** (बायतू) :

144 सहकारी ऋणों का सरलीकरण करते हुए आम काश्तकारों को ऋण दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

145. सहकारी उपभोक्ता भण्डारों व सहकारी समितियों की नई स्वीकृतियां जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर) :

146. तहसील जहाजपुर कोटड़ी के नवीन स्वीकृत GSS के गोदाम निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्रीमती सुशील कंवर** (मसूदा) :

147. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में किसानों की सुविधाओं के लिए सहकारिता मुख्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती कमसा** (भोपालगढ़) :

148. प्रदेश में सहकारिता में वोट देने का अधिकार ऋणी व अऋणी दोनों को बराबर देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

149. प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति को पाबन्द कर प्रदेश में सभी किसानों को ऋण देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

150. कापरेटिव बैंकों में हिस्सा राशि नहीं काटने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

151. ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं मार्केटिंग सोसायटी की सदस्यता सभी व्यक्तियों को देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) :

152. प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं होने से काश्तकारों को होने वाली असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

153. सहकारिता विभाग द्वारा क्रोप लोन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली) :

154. जिला पाली में पूर्व की भांति फसल बीमा योजना जारी रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. कृषि सम्बल योजना व सहकारिता में किसानों को देय ऋण योजना में सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री बालू राम चौधरी** (सहाड़ा) :

156. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में पंचायत समिति सुवाणा के गांव जवासिया में GSS खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में अतिरिक्त GSS खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली) :

158. क्रय-विक्रय सहकारी समिति बाली के भवन व गोदाम निर्माण के लिए लम्बित जमीन आबंटन प्रकरण व वित्तीय स्वीकृति देकर निर्माण किये जाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र बाली के पंचायत मुख्यालय नाणा में नवीन सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र बाली में नवीन सहकारी समिति काकराडी, कोयलवाव, आना, मिरगेश्वर एवं शिवतलाव में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री सुरेश सिंह रावत** (पुष्कर) :

161. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में ग्रामवार सहकारी समितियों का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. किसानों के लोन पर ब्याज दर समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

163. यूरिया डीएपी खाद के मूल्य में कमी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

164. बैंकों में 30 जून के बाद नया ऋण नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

165. किसानों को दिया जाने वाला ऋण एक लाख पचास हजार से ज्यादा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री भागीरथ चौधरी** (किशनगढ़) :

166. अजमेर सेन्ट्रल कापरेटिव बैंक शाखा अरांई अजमेर के नवीन भवन निर्माण के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सहकारी समिति की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी) :

168. प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. तहसील उदयपुरवाटी मुख्यालय पर एक भूमि विकास बैंक खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

# परिशिष्ट-3

## (मांग संख्या-37 पर कटौती प्रस्ताव)

मांग संख्या-37 मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) :

1. प्रदेश में मानसून पूर्व ही यथा समय किसानों को बीज उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री हरिसिंह रावत** (भीम) :

2. प्रदेश के कृषकों को अपनी फसलों को (नीलगाय) रोजड़ों से बचाने हेतु महानरेगा कार्य के अन्तर्गत खेतों की बाड़बंदी के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री अर्जुन लाल** (बिलाड़ा) :

3. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के लघु एवं सीमान्त किसानों को खरीफ फसल के लिए समय पर बीज एवं खाद, पेस्टीसाइड इत्यादि नि:शुल्क उपलब्ध नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री ओटाराम** (सिरोही) :

4. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के किसानों की सुविधा हेतु सिरोही में गौण मण्डी यार्ड का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) :

5. प्रदेश में प्रशिक्षणार्थ टूर्स को कृषि प्रोत्साहन में सार्थक बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री सुशील कटारा** (चौरासी) :

6. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में कृषि हेतु कुओं के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री अर्जुन लाल** (बिलाड़ा) :

7. प्रदेश में मौसम आधारित बीमा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों पर मौसम यंत्र स्थापित नहीं होने से किसानों को फसलों के नुकसान होने पर उचित आंकलन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
8. प्रदेश में निर्मित किसान भवनों में किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

9. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में किसानों से सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर चने की खरीद नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

10. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में बिलाड़ा कृषि उपज मण्डी समिति में कृषक सुरक्षा अधिनियम के तहत कृषि कार्य करते हुए किसानों की मृत्यु हो जाने के पश्चात् कई कतिपय किसानों को क्षतिपूर्ति मुआवजा/बीमा राशि नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर) :

11. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर जिला अलवर में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना) :

12. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिवाना तथा बालोतरा में जीरा मण्डी सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सिवाना, सिणधरी क्षेत्र में अनार के बगीचों को बागवानी मिशन में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. कृषि उपज मण्डी बालोतरा/सिवाना से नवीन सड़क निर्माण एवं सिवाना शहर के मुख्य बाजार से पादरू सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. प्रदेश में किसानों के खेतों की तारबंदी करने के लिए विभाग द्वारा अनुदान प्रदान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

16. सिवाना एवं समदड़ी कृषि उपज मण्डी की डी.एल.सी. रेट कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री सुन्दरलाल** (पिलानी) :

17. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के किसानों को उत्कृष्ट किस्म के बीज उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

18. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के किसानों को समय पर बीज उपलब्ध नहीं कराने से किसानों में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) :

19. प्रदेश में फसल बीमा योजना में किसानों के साथ हो रहे कुठाराघात के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री अमृतलाल** (सलूम्बर) :

20. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में लघु सीमान्त एवं सामान्य किसानों को बीज वितरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

21. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के किसानों की फसलों के खराबे का आंकलन पंचायत स्तर पर यंत्र लगाकर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की नहरों की ऊंचाई बढ़ाने, कच्ची नहरों को पक्की करने एवं धोरों को पक्का करने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उपखण्ड सराड़ा में कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय खोलने की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री रमेश** (सपोटरा) :

24. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में फार्म पोण्डों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. करौली जिले में कृषि महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर) :

26. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जीरा मण्डी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री लादूराम** (गुढामालानी) :

27. राज्य में मौसमी बीमा के स्थान पर फसल कटाई प्रयोग बीमा योजना लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

28. प्रदेश में अनार की खेती में दीमक से होने वाले नुकसान की रोकथाम तथा किसानों को विशेष प्रशिक्षण दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के किसानों को उच्च गुणवत्ता की खाद (डी.ए.पी./यूरिया) व बीज उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी में अनार की खेती शुरू कराकर सरकार से अनुदान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री बाबू सिंह** (शेरगढ़) :

31. प्रदेश में आधुनिक खेती फव्वारा व ड्रिप योजना, बगीचे लगाने एवं फलदार

पौधे लगाने आदि को प्रोत्साहन व सब्सिडी प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. प्रदेश में फसल बीमे का सरलीकरण व खेतों में आगजनी से हो रहे नुकसान के लिए विशेष योजना बनाकर किसानों को लाभान्वित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कृषि उद्यान के अधीन कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय का पुनर्गठन एवं सहायक कृषि अधिकारियों के पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर) :

34. प्रदेश के काश्तकारों की पूर्ण कृषि भूमि का फसल बीमा कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर) :

35. प्रदेश में उर्वरकों की कीमतें कम न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

36. प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में कृषि कनेक्शनों का लक्ष्य कम तय करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

37. प्रदेश में निरन्तर डीजल कीमत वृद्धि से कृषि कार्यों की लागत निरन्तर बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

38. विगत वर्ष की तुलना में सौर ऊर्जा पम्पसेटों पर वर्ष 2014-15 के बजट में राज्य का अंश 56 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

39. प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नाम की भूमि का कृषि उद्योगों की भूमि का किस्म परिवर्तन होकर सामान्य श्रेणी के नाम सस्ती दरों पर करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी) :

40. विधान सभा क्षेत्र लूणी की प्रत्येक पंचायत पर एक 50 (पचास) हजार टन का वेयरहाउस बनाने की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र लूणी में ड्रिपिंग इर्रिगेशन का लक्ष्य पांच गुणा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. विधान सभा क्षेत्र लूणी के लिए सीड बैंक (बीज बैंक) बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. पश्चिमी राजस्थान की लाइफ लाइन खेजड़ी, केर व कुमटियां के पेड़ों की सुरक्षा व संवर्धन की योजना तथा काश्तकारों को प्रति पेड़ अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

44. प्रदेश के काश्तकारों को खेतों पर होने वाली प्राकृतिक पैदावार के लिए प्रशिक्षण देने एवं इनके अधिकतम मूल्य दिलाने हेतु विक्रय केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़) :

45. राज्य के किसानों को दीर्घावधि व लघु अवधि के फसली ऋण पर वसूल की जा रही ब्याज की दर कम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर) :

46. प्रदेश में फसल बीमा एवं क्रोप कटिंग के आधार पर मौसम आधारित बीमा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** (करणपुर) :

47. श्रीगंगानगर क्षेत्र में किन्नू का प्रोसिंग व वैक्सींग प्लांट लगाने एवं पीपीपी माडल पर भण्डारण तथा पैकिंग व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. श्रीगंगानगर क्षेत्र में किन्नू के अत्यधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक्सीलेन्सी सेन्टर की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र करणपुर में केसरीसिंहपुर, गजसिंहपुर, बीक्षबायला एवं रिडमलसर मण्डियों को नये यार्ड बनाकर बाहर स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

50. विधान सभा क्षेत्र करणपुर के ग्राम पदमपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. केन्द्र सरकार द्वारा बजट में घोषित कृषि विश्वविद्यालय श्रीगंगानगर में खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर) :

52. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में फसल बीमा में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्रीमती संजना आगरी** (सोजत) :

53. विधान सभा क्षेत्र सोजत में मेंहदी की फसल को औषधीय फसल की श्रेणी में लेकर बीमा योजना लागू करने, फसल का उचित मूल्य दिलाने व सोजत रोड एवं सोजत शहर दोनों मण्डियों को अलग कर मेहन्दी मण्डी व अनाज मण्डी घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर) :

54. प्रदेश में कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में कैम्पों द्वारा किसानों को अवगत कराने सम्बन्धी कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

55. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीजवाड़ चौहान में कृषि व्याख्याता का पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़) :

56. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ व अलवर जिले में अधिक संख्या में कृषि केन्द्र व उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में सरसों के लिए विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. अलवर जिले में फसलों को कीटों से बचाने के लिए उन्नत किस्म की कीटनाशकों की जानकारी देने एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

59. बहरोड़ तहसील में बीज बिक्री केन्द्रों की विभाग द्वारा समय-समय पर जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. प्रदेश में अधिक से अधिक किसानों को कृषि जानकारी देने के लिए प्रशिक्षित करने एवं कृषि को उद्योग का दर्जा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री मान सिंह** (गंगापुर) :

61. गंगापुरसिटी की नवीन कृषि मण्डी परिसर का निर्माण पूरा नहीं होने एवं मण्डी आय से सड़कों के निर्माण में व्याप्त अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

62. गंगापुरसिटी में कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना एवं कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री हीरालाल** (निवाई) :

63. विधान सभा क्षेत्र निवाई के किसानों को सोलर पम्पसेट एवं फव्वारा पद्धति पर अनुदान उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई उपखण्ड पर सहायक निदेशक कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

65. विधान सभा क्षेत्र निवाई में विभाग के रिक्त पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) :

66. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में कृषकों को खाद एवं प्रमाणित बीज सही मात्रा में उपलब्ध कराने, बड़ोदामेव उप तहसील में पूर्व की भांति सहायक निदेशक, कृषि का कार्यालय खुलवाने एवं नौगांवा जिला अलवर में नवीन कृषि उपज मण्डी स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में कृषि उपज मण्डी, अलवर एवं कृषि उपज मण्डी, बड़ोदामेव में हुए भारी घोटाले एवं गबन की जांच करने तथा फलों एवं सब्जी की गौण मण्डी खुलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण) :

68. बाजार में जैविक खाद्यान्न की मांग को देखते हुए जैविक खेती को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69. जल संरक्षण एवं जल के कुशलतम उपयोग हेतु फार्म पोण्ड का निर्माण सम्पूर्ण राजस्थान में किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. सन्तुलित खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग से प्रति इकाई गुणवत्ता पूर्वक अधिक उत्पादन प्राप्त करने की दृष्टि से मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं पंचायत समिति स्तर पर स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर) :

71. कोटा में कृषि विश्वविद्यालय खोलने एवं फसल बीमा योजना में सुधार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं) :

72. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में खाद बीज उपलब्ध कराने, बूंद-बूंद सिंचाई को प्रोत्साहन देने एवं मण्डियों को सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर) :

73. किसानों को ड्रीप व पाइप लाइनों की दी जाने वाले सब्सिडी की पुरानी फाइलों का निस्तारण शीघ्र करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. प्रदेश के किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज समय पर उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर) :

75. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के कस्बे में कृषि मण्डी में सब्जी की आवक को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्रीमती गीता वर्मा** (सिकराय) :

76. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में गीजगढ़ की कृषि मण्डी में किसानों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा) :

77. किसानों को जालोर जिले में बीज एवं खाद समय पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. कृषि उपकरण के ऊपर लगने वाला कर समाप्त करने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. कृषि के प्रशिक्षण टूर में कृषि के बारे में जानकार व्यक्तियों को भिजवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर) :

80. जोधपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में जीन डवलपमेंट बैंक व बायोकेमिस्ट्री की उन्नत प्रयोगशाला स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81. प्रदेश में रूफटाप एग्रीकल्चर एवं सब्जी उत्पादन की तकनीक के व्यापक अनुसंधान एवं प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82. प्रदेश के किसानों को जीरो बजट खेती के लिए प्रोत्साहित, प्रशिक्षित करने और कान्टेक्ट खेती के खतरों से समय रहते पूर्ण सजगता से अवगत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. पंजाब में रसायनिक खादों के प्रयोग से उपज रहे विशाल स्तर पर कैंसर रोग की स्थिति से सबक लेते हुए प्रदेश में किसानों को यूरिया सहित रसायनिक खादों के उपयोग के स्थान पर जैविक खाद यथा-देशी गायों के गोमल और गौमूत्र के सम्मिश्रण से बनी जैविक खाद के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता और समग्र कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. प्रदेश के किसानों को सनातन भारतीय परम्परा अनुसार एक तिहाई भूमि पर मिश्रित फसलों की कृषि, एक तिहाई पर फलदार और औषधीय उद्यानिकी और एक तिहाई पर पशुपालन की तकनीक में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री पब्बाराम** (फलौदी) :

85. फलौदी में उप निदेशक, कृषि कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. फलौदी एवं बाप उपखण्ड मुख्यालय पर भूमि/जल/बीजों के उपचार हेतु जांच केन्द्रों की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

87. फलौदी उपखण्ड मुख्यालय पर कृषि विभाग के कार्यालयों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर) :

88. प्रदेश में विभाग द्वारा समय पर डी.ए.पी. यूरिया खाद की आपूर्ति सुचारू रूप से करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण) :

89. प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को उचित मूल्य एवं सही समय पर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री राम लाल गुर्जर** (आसींद) :

90. विधान सभा क्षेत्र आसींद में कृषि सम्बन्धी यंत्र व सोलर ऊर्जा की लाइट कुएं के कनेक्शन के लिये अधिक संख्या में दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र आसींद में कृषि प्रसार अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री छोटू सिंह** (जैसलमेर) :

92. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर की कृषि मण्डियों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) :

93. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में कृषि पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री पब्बाराम** (फलौदी) :

94. प्रदेश में कृषि की नई तकनीकों की जानकारी कृषकों तक पहुंचाने के लिए संगोष्ठी एवं सेमीनार आयोजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम) :

95. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में फव्वारा सिस्टम का टारगेट बढ़ाकर किसानों को लाभान्वित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में सोलर पम्प का टारगेट बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में फार्म पौण्ड का टारगेट व अनुदान राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) :

98. कृषि बीमा के तहत फसल हानि का सही मूल्यांकन करवाकर राशि दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री श्रीराम भींचर** (मकराना) :

99. विधान सभा क्षेत्र मकराना में वर्षा यंत्रों को प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़) :

100. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में किसानों की फसलों को रोजड़ों और आवारा गायों से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के कृषकों को कृषि हेतु उचित मात्रा में खाद बीज की दुकानें खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

102. प्रदेश में किसानों की फसल का बीमा किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़ बास) :

103. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के कोटकासिम कस्बे में गौण मण्डी यार्ड का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

104. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के खैरथल कस्बे में प्याज मण्डी का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (खाजाखेड़ा) :

105. धौलपुर जिले में आलू अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री कृष्णा कड़वा** (संगरिया) :

106. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के रतनपुरा में नई मण्डी यार्ड स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री जीतमल खांट** (गढ़ी) :

107. प्रदेश में कृषकों को बागवानी लगाने के लिये माल खरीद का चैक सीधे किसानों को देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

108. प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट होने पर मुआवजा राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

109. लघु एवं सीमांत कृषकों को 50 वर्ष की उम्र में पेंशन राशि रुपये 2000/- देने एवं छोटी सादड़ी कृषि उपज मण्डी को स्वतंत्र मण्डी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

110. कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री हीरालाल नागर** (सांगोद) :

111. कृषि सिंचाई हेतु प्लास्टिक पाइप पर दिये जाने वाले अनुदान की राशि विगत 20 वर्षों से स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

112. सांगोद कार्यालय सहायक निदेशक (कृषि विस्तार), कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण), कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) एवं 35 पद कृषि पर्यवेक्षक व 7 पद सहायक कृषि अधिकारी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के दिगोद उपखण्ड पर राजकीय कृषि महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. किसानों के लिए कृषि यांत्रिकी पोर्टेबल बीज ग्रेडिंग मशीन को अनुदान में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115. सांगोद, कनवास एवं दिगोद उपखण्ड स्थान पर डी.ए.पी. खाद की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) :

116. जोबनेर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) :

117. राजसमन्द जिले में बूंद-बूंद सिंचाई एवं फव्वारा सिंचाई संयंत्रों की स्थापना में पर्याप्त कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

118. राजसमन्द जिले में खेत तलाई एवं जल हौज निर्माण कार्य स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

119. कृषि उपज मण्डी, कुरज जिला राजसमन्द में नियमित कार्य सम्पादन करने एवं नियमित कर्मियों का पदस्थापन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

120. कृषि उपज मण्डी उदयपुर में किराना व्यापारियों को भूखण्ड आबंटन कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

121. राजसमन्द जिले में हरित गृह, पाली गृह एवं नेट गृह निर्माण के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री रतन लाल जलधारी** (सीकर) :

122. विधान सभा क्षेत्र सीकर के किसानों को समय पर उच्च गुणवत्ता के खाद (डी.ए.पी. यूरिया) व बीज उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री जगसी राम** (रेवदर) :

123. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में किसानों के कृषि कुओं पर तारबंदी करवाने के लिए सरकार द्वारा अनुदान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

124. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में टमाटर, आलू की पैदावार को कोल्ड स्टोरेज में रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी) :

125. किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य दिलाने हेतु विपणन बोर्ड द्वारा भण्डारण की उचित व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

126. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में कृषि कार्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

127. विधान सभा क्षेत्र राजगंजमण्डी में बढ़ती जिन्स की मात्रा एवं यातायात के बढ़ते दबाव के कारण कृषि उपज मण्डी के लिए जमीन आबंटित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी सहित पूरे कोटा जिले में कृषि यंत्रों हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कृषकों को अनुदान समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री भीमा भाई** (कुशलगढ़) :

129. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में उप निदेशक/सहायक निदेशक उद्यान कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री बाबूलाल वर्मा** (केशोरायपाटन) :

130. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में कृषि विभाग से सम्बन्धित विभिन्न पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में कृषि विभाग द्वारा किसानों को प्रदान की जाने वाली अनुदानित बीज, औजार की मात्रा व अन्य सामग्री की मात्रा बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर) :

132. नागौर जिले में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित कृषि विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

133. खींवसर में कृषि महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

134. प्रदेश में किसानों को आवश्यकतानुसार अच्छी वैरायटी का हर किस्म का बीज मुफ्त में देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

135. प्रदेश में डी.ए.पी. व यूरिया खाद सस्ती दरों पर किसानों को उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

136. नागौर एवं खींवसर के किसानों को फसल बीमा का पूरा लाभ देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री अमराराम** (पचपदरा) :

137. काश्तकारों के खेतों के चारों तरफ तारबंदी के लिये अनुदान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

138. कृषि उद्यानों पर अनुदान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

139. प्रत्येक काश्तकार को कृषि कुण्ड आबंटित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री बाबू सिंह** (शेरगढ़) :

140. प्रदेश में कृषि-फसली ऋणों पर ब्याज पर रियायत होते हुए भी आवश्यकता एवं मांग के अनुरूप ऋण न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

141. डीजल एवं रसायनिक खाद की कीमत बढ़ने से किसानों को हो रहे घाटे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री बृजेन्द्र सिंह ओला** (झुन्झुनूं) :

142. प्रदेश में पाली हाउस के माध्यम से कृषि व उद्यानिकी का उत्पादन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

143. प्रदेश में खजूर तथा जैतून की खेती के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

144. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में कृषि प्रशिक्षण केन्द्र खोलने व मृदा नवीन बीज व कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशाला खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) :

145. कृषि उपज मण्डी अलवर में भारी मात्रा में आने वाली प्याज की फसल के लिए पृथक से प्याज मण्डी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

146. अलवर में गंदे नालों के पानी से हो रही सब्जी की फसल से पड़ने वाले स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**डा. मंजू बाघमार** (जायल) :

147. विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) के ग्राम पंचायत सोनेली व रातंगा में कृषि सेवा केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री कैलाश चौधरी** (बायतू) :

148. राज्य में क्राप कटिंग आधारित फसल बीमा पुन: लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
149. कृषि को बढ़ावा देने के लिए नर्मदा नहर का पानी सिंचाई के लिये बायतू गांव तक पहुंचानेकी आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
150. बायतू में आयुर्वेदिक औषधियों के विषय में जानकारी के लिए सहायता केन्द्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
151. रा.उ.मा. विद्यालय बायतू में कृषि विज्ञान विषय को छात्रों के अध्ययन हेतु शुरू करवाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
152. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरने एवं पर्यवेक्षकों के तहसील जहाजपुर एवं तहसील कोटड़ी में कृषि पर्यवेक्षकों के नवीन पद स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री शैतानसिंह** (पोकरण) :

153. विधान सभा क्षेत्र पोकरण के राममथाई में गौण मण्डी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल** (खण्डार) :

154. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में बीज उत्पादन केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
155. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में खेती को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन हाउस परियोजना चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
156. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्रीमती कमसा** (भोपालगढ़) :

157. प्रदेश के किसानों को हौज के लिए सब्सिडी की राशि बढ़ायी जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
158. प्रदेश में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
159. प्रदेश की फसल बीमा के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

160. प्रदेश के किसानों को रियायत दर पर बीज, खाद एवं कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

161. आसोप कस्बा में कृषि उपज मण्डी निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा** (चाकसू) :

162. कृषि उपज मण्डी चाकसू में किसानों के अनाज रखने के लिए प्लेट फार्म बनाने एवं उन पर टीनसेट लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

163. कृषि उपज मण्डी चाकसू में लेवी के पेटे जल्दी भुगतान कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

164. किसानों को खाद एवं बीज समय पर उपलब्ध कराने तथा सस्ते रियायती दर पर कृषि उपकरण दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली) :

165. पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में अनुदानित सोलर ऊर्जा पम्पसेट योजना के असफल होने से सरकार को करोड़ों रुपये की हुई आर्थिक हानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री बालूराम चौधरी** (सहाड़ा) :

166. राज्य में फसल बीमा की राशि की पुनर्भरण सीमा बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167. विभाग द्वारा कृषकों के लिये उन्नत बीज समय पर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री सुरेश सिंह रावत** (पुष्कर) :

168. कृषि विपणन मार्केटिंग विभाग में प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वापस पैतृक विभाग में पदस्थापन कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री भागीरथ चौधरी** (किशनगढ़) :

169. कृषि उपज मण्डी समितियों में व्यापारियों को राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन योजना में भूखण्डों के आबंटन पर देय शुल्क रीको की दर के समान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. किशनगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर कृषि आदान भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. किसानों को सिंचाई एवं बुवाई कार्यों में मदद हेतु सरकारी योजनान्तर्गत फव्वारा क्रय पर देय अनुदान को बढ़ाना एवं उनकी संख्या में वृद्धि तथा पाइप लाइन पर विगत दो वर्षों में देय अनुदान को बंद कर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

**श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी) :

172. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के गुढागोडजी कस्बा में कृषकों की सुविधा व जनता की मांग को देखते हुए एक कृषि उपज मण्डी की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

173. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के गुढागोडजी कस्बे में सहायक निदेशक कृषि का कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

174. नरेगा कार्य को प्रोडेक्टिव बनाकर कृषि कार्यों में श्रमिकों की कमी पूरी करने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175. प्रदेश में मंदिर माफी देवस्थान व वक्फ बोर्ड की कृषि भूमियों पर कृषि कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण) :

176. अजमेर संभाग में कृषकों की आवश्यकता को देखते हुए उन्नत कृषि के लिये केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्रीमती अलका सिंह** (बांदीकुई) :

177. बांदीकुई कृषि उपज मण्डी में डी.एल.सी. रेट निर्धारित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

178. कृषि उपज मण्डी बांदीकुई में सम्पर्क सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

# परिशिष्ट-4

## (मांग संख्या-39 पर कटौती प्रस्ताव)

मांग संख्या-39 मुख्य शीर्षक पशुपालन एवं चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) :

1. प्रदेश में गौवंश बैल के उपयोग के लिये बैल ट्रैक्टर निर्माण प्रोत्साहन राशि घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री हरिसिंह रावत** (भीम) :

2. विधान सभा क्षेत्र भीम के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री ओटाराम** (सिरोही) :

3. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के पशु चिकित्सालयों में रिक्त खाली पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** (नदबई) :

4. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के गांव कटारा में संचालित पशु उप केन्द्र के लिये भवन निर्माण कराने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के गांव भदीरा में संचालित पशु चिकित्सालय भवन में कमरे निर्माण कराने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के गांव कबई, बरौलीदार, ऐंचेरा, बछामदी एवं नाम में नवीन पशु उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के गांव हन्तरा में संचालित पशु उपकेन्द्र भवन के निर्माण कराने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के गांव डहरा में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण कराने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**म. रणधीर सिंह भीण्डर** (वल्लभनगर) :

9. वेटेनरी कालेज वल्लभनगर में आडीटोरियम निर्माण कराने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) :

10. सुमेरपुर के भीड़-भाड़ वाले व्यस्त क्षेत्र से पशु चिकित्सालय स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री सुशील कटारा** (चौरासी) :

11. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के ग्राम माण्डली, सरथुना, पुनावाडा-कोचरी, बासिया एवं गैजी में पशु दवाखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र चौरासी एवं जिला डूंगरपुर में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

13. जिला डूंगरपुर में पूर्व में संचालित डेयरी को पुन: संचालित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में दुग्ध डेयरी की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री अर्जुन लाल** (बिलाडा) :

15. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्थित पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सा उपकेन्द्र नहीं होने से पशुपालकों को होने वाली कठिनाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. प्रदेश के पशुपालकों द्वारा डेयरी में दूध देने पर प्रति किलो दूध पर अनुदान के रूप में रुपये 2/- प्रति लीटर पुन: कटौती करने से किसानों एवं पशुपालकों में उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के पशुपालकों को पशुओं के लिये पशु आहार खरीद पर रुपये 2/- प्रति किलोग्राम अनुदान नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर) :

19. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के ग्राम हट्टूण्डी में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना) :

20. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पशु चिकित्सालय, राजी इन्द्राणा को "अ" श्रेणी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पशुओं की विभिन्न बीमारियों के उपचार हेतु मोबाइल यूनिट की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के रिक्त पशु चिकित्सकों एवं सहायक कर्मचारियों के पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्राम भाता, मोतीसरा, सेवाली, भूकाभगतसिंह, चाडो की ढाणी, करमावास एवं सिणेर में नवीन पशु चिकित्सालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पशुओं के लिये नि:शुल्क दवाइयों की समय पर आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण) :

25. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. अजमेर में वेटेनरी कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में स्थित माखुपुरा पशु चिकित्सालय को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. अजमेर के ग्राम बालुपुरा में नया पशु चिकित्सालय खोलने एवं कल्याणीपुरा स्थित पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. देशी गौ वंश को राज्य के बाहर परिवहन कर ले जाने पर की गई असन्तोषजनक कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) :

30. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं पशु चिकित्सालयों के नवीन भवन बनाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री सुन्दरलाल** (पिलानी) :

31. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के ग्राम हमीनपुर, लोनागोठडा, बेरी एवं बुडानिया में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री अमृतलाल** (सलूम्बर) :

32. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सलूम्बर एवं सराड़ा में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पशु चिकित्सालय भवनों की मरम्मत कराने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पशु बीमारियों सम्बन्धी दवाइयों का नि:शुल्क वितरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर) :

37. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पशु उपकेन्द्रों पर पशुधन सहायकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में भवन विहीन पशु उपकेन्द्रों के भवन निर्माण में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में ग्राम रावतसर, मूठों की ढाणी एवं बोथिया में नये पशु उपकेन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री बाबू सिंह** (शेरगढ़) :

40. तहसील शेरगढ़ में पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सक सहायक एवं पशुधन सहायक के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पशु उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालय में एवं पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नवीन पशु शिविर खोलने, पशुओं के चारे की पर्याप्त व्यवस्था करने एवं उत्तम पशु आहार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. प्रदेश में हो रही ऊंटों की तस्करी की रोकथाम, संवर्धन एवं संरक्षण के लिये कारगर उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री विश्वनाथ** (खाजूवाला) :

44. ग्राम पंचायत थारूसर में आर.डी. 646 हरि गौशाला पर पशु चिकित्सालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में आर.डी. 465 ग्राम पंचायत राणेर, ढामोलाई पर पशु चिकित्सालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री शंकरसिंह** (ब्यावर) :

46. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के किशनपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय नाईकला एवं सधुधालिया में पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर) :

47. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में पशुपालन कार्मिकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

48. प्रदेश में पशु बीमा की प्रीमियम राशि न घटाने एवं बीमा मूल्य न बढ़ाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

49. प्रदेश में गुजरात की तरह मोबाइल पशु चल चिकित्सालय पर्याप्त न होने तथा पशु सर्जरी की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर की प्रत्येक पंचायत में पशु स्वास्थ्य केन्द्र न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में विगत वर्ष पशुओं में फैली बीमारी से भैसों की हुई मौतों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी) :

52. विधान सभा क्षेत्र लूणी के गांवों में पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. पशु चिकित्सा उप केन्द्र घटियाला, जिला जोधपुर में कम्पाउण्डर एवं प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय तथा केरू, जिला जोधपुर में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी व अन्य स्टाफ की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित सभी 12 पशु चिकित्सा उप केन्द्रों के लिये भवन निर्माण में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र लूणी में पशु औषधालय ग्राम चोखा तथा सर जिला जोधपुर, पशु चिकित्सा उपकेन्द्र लूणावास खारा, सालावास, भोगड़ाकला, घटियाला व गुडा विश्नोइयां जिला जोधपुर को क्रमोन्नत करने एवं स्टाफ व डाक्टरों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र लूणी में पशुओं की ऊन, खाल इत्यादि के विक्रय का केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) :

57. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में पंजीकृत गौशालाओं को समय पर अनुदान व सुविधाएं देने एवं पशु चिकित्सा केन्द्रों पर दवाइयां व चिकित्सकीय संसाधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के कार्यालय का सृजन तहसील मुख्यालय गोविन्दगढ़ में करने एवं ग्राम पंचायत पाटा, रसगल, सेदेमपुर, भैंसड़ावत एवं इन्दपुर में पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री हीरालाल** (निवाई) :

59. विधान सभा क्षेत्र निवाई के पशु चिकित्सालयों में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र निवाई की तहसील पीपलू के पंचायत मुख्यालय बोरखड़ी एवं कुरेडा पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र निवाई की तहसील पीपलू एवं ग्राम पंचायत झिराना में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री मान सिंह** (गंगापुर) :

62. गंगापुर सिटी में जिला स्तरीय पशु औषधालय एवं वजीरपुर नौगांव में पशु औषधालय व पशु चिकित्सा कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़) :

63. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के बहरोड़ चिकित्सालय में लेबोरेटरी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के भवन रहित पशु चिकित्सालयों में भवन निर्माण के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम पंचायत जखराना में बकरी की नस्ल सुधार केन्द्र व शोध संस्थान की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के पशुपालकों के लिये बीमा योजना का सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के पशु चिकित्सालय में जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री मान सिंह किनसरिया** (परबतसर) :

68. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के ग्राम बागोट, पीलवा, मंगलाना, किनसरिया में राजकीय पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** (करणपुर) :

69. विधान सभा क्षेत्र श्री करणपुर के पशु चिकित्सालय में नस्ल सुधार हेतु सीमन बैंक स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र करणपुर एवं पदमपुर में पैकेजिंग व प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र करणपुर के पदमपुर में चिलिंग प्लांट की 23 बीघा भूमि में कैटलफीड प्लांट स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र करणपुर में मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र करणपुर में पशुपालन डेयरी विकास प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर) :

74. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में काकरेन नस्ल की गायों को बचाने तथा गौशालाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर) :

75. प्रदेश में सिंथेटिक दूध के संग्रहण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर) :

76. विधान सभा क्षेत्र आहौर के ग्राम रामा में पशु चिकित्सालय खोलने एवं गुडा में पशु चिकित्सक की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़) :

77. राज्य में गौधन को बचाने व संरक्षण के लिये कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

78. राज्य में गौशालाओं को पर्याप्त अनुदान नहीं देने के कारण गौधन की हो रही हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

79. राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर) :

80. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में खानपुर पशु चिकित्सालय का नया भवन बनाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. खानपुर क्षेत्र के भरापता, भगवानपुरा एवं सोजपुर में पशु उपकेन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं) :

82. विधान सभा क्षेत्र चौमू में पशु चिकित्सालय खोलने एवं गौशालाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री लादूराम** (गुढामालानी) :

83. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के ग्राम धोलानाड़ा में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के ग्राम आडेल में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के ग्राम मौखावा में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के ग्राम भाखरपुरा में पशु चिकित्सालय का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के ग्राम राणासर कलां में पशु चिकित्सालय का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**राजकुमारी दियाकुमारी** (सवाई माधोपुर) :

88. विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के ग्राम जटवाड़ा में पशु चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर) :

89. राज्य के पशुपालकों की माली हालत को देखते हुए पशु बीमा सरकारी स्तर पर कराये जाने एवं नस्ल सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर) :

90. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के कस्बे में तकनीकी युक्त बड़े पशु चिकित्सालय बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर) :

91. प्रदेश के पशुपालकों को गोबर और गौमूत्र द्वारा आर्थिक सम्बलन उपलब्ध

कराने हेतु राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर वृहद गोबर गैस प्लान्ट, जैविक कम्पोस्ट-वर्मी कम्पोस्ट खाद और कीटनाशक बनाने के केन्द्र चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. प्रदेश में देशी नस्ल की गायों यथा थारपारकर, राठी, कांकरेच, रेन्डी, साहीवाल एवं गिर आदि के संवर्धन के लिये प्रभावी कार्य योजना बनाकर लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. प्रदेश के गौवंश एवं पशुपालन प्रवृत्तियों के संरक्षण के लिये समस्त गौचर भूमि को जनसहभागिता से नि:शुल्क उन्नत किस्म की घास के चरागाह के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. प्रदेश में गौ हत्या को प्रतिबन्धित करने और गौ तस्करी के विरुद्ध कानून को कठोर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. प्रदेश में गौ अभयारण्य विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा) :

96. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में स्थित पशु चिकित्सा सब सेन्टर पर चिकित्सकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के ग्राम पांचला, गुन्डाउ, पंसरी में पशु सब सेन्टर खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के सिलासन, बामनवाडा एवं मेतीवाड़ा में पशु उप केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री पब्बाराम** (फलौदी) :

99. फलौदी उपखण्ड मुख्यालय पर उप निदेशक एवं संयुक्त निदेशक, पशुपालन के कार्यालयों की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

100. प्रदेश में पशुओं की बीमारियों की जांच हेतु फलौदी मुख्यालय पर प्रयोगशाला की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. फलौदी मुख्यालय पर अच्छी नस्ल की गाय, भैंसों आदि पशुओं की नस्ल सुधार हेतु संगोठी तथा सेमीनार आयोजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री राम लाल गुर्जर** (आसींद) :

102. विधान सभा क्षेत्र आसींद में पशुओं के इलाज हेतु चल पशु चिकित्सालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र आसींद में पशु चिकित्सा अधिकारी एवं कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री छोटू सिंह** (जैसलमेर) :

104. जैसलमेर जिले में पशु चिकित्सालय के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री जीतमल खांट** (गढ़ी) :

105. ग्रामीण क्षेत्र के उपकेन्द्रों/पशु चिकित्सा केन्द्रों के रख-रखाव हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

106. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित पशु स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में पशु चिकित्सकों के लम्बे समय से पदों के रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम) :

109. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के पशु चिकित्सालयों में पशुओं की दवाओं में हो रही कमी की पूर्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम तहसील नादौती के बड़ी पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) :

111. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के ग्रामों में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्वीकृत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के विभिन्न गांवों में चल पशु चिकित्सालय स्वीकृत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़) :

113. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नये पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पशुओं हेतु पशु चिकित्सालयों में डाक्टरों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़ बास) :

115. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के ग्रामों में पशु स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा) :

116. राज्य की गौशालाओं को सूखे के बावजूद अनुदान न दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री नरेन्द्र कुमार** (मण्डावा) :

117. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा की ग्राम पंचायत रामपुरा, घुन्घुरी, टांई, निराधनू में पशु उपकेन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा की ग्राम पंचायत चूड़ी-चतरपुरा में पशु स्वास्थ्य उपकेन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री हीरालाल नागर** (सांगोद) :

119. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में पशु चिकित्सालयों में भवन सहित अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के पशु चिकित्सालय एवं पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पदों को अतिशीघ्र भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) :

121. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में पशु चिकित्सा केन्द्रों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नये पशु चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री हीरालाल** (निवाई) :

123. विधान सभा क्षेत्र निवाई में भूखण्ड संख्या 53, अकेलगढ़, कोटा को मुर्गीखाने हेतु गलत तथ्यों एवं सरकारी सेवारत रहने के तथ्य को छुपाकर आबंटित कराने के प्रकरण में आबंटी की लीज निरस्त कर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज नहीं कराने तथा विभाग द्वारा अब तक कब्जा नहीं संभालने एवं जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) :

124. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्राम जूणदा में पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्राम सथाना पंचायत भाटोली में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्राम खण्डेल पंचायत लापस्या में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र में पशु चिकित्सक एवं परिचालक के रिक्त पदों की पूर्ति कर पुन: चालू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्राम पंचायत लापस्या में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्राम सापोल पंचायत सागठकलां में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री रतन लाल जलधारी** (सीकर) :

129. विधान सभा क्षेत्र सीकर के ग्राम पुरोहित का बास एवं जुराण्डा में पशु चिकित्सालय स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

130. विधान सभा क्षेत्र सीकर के ग्राम गुढाखुर्द में पशु चिकित्सालय के भवन का निर्माण और ग्राम चारण का बास में पशु चिकित्सालय स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र सीकर के ग्राम पंचायत श्यामगढ़ में पशु चिकित्सालय स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र सीकर के ग्राम सकराय में पशु चिकित्सालय का भवन स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री जगसी राम** (रेवदर) :

133. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के ग्राम पंचायत दताणी में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी) :

135. प्रदेश की प्रत्येक गौशाला में सप्ताह में एक बार चिकित्सक की उपस्थिति अनिवार्य करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी की तहसील में चल पशु चिकित्सा इकाई प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

137. प्राकृतिक आपदा एवं बिजली के करंट से मृत पशुधन का ऋण माफ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

138. कोटा जिले में चल पशु चिकित्सा इकाई स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में पशुधन अधिक होने से प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री भीमा भाई** (कुशलगढ़) :

140. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के ग्रामों में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री बाबूलाल वर्मा** (केशोरायपाटन) :

142. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर) :

143. प्रदेश में नि:शुल्क पशु दवा की मानिटरिंग को सुदृढ़ कर इसका लाभ प्रत्येक पशुपालक को देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

144. नागौर में पशुधन की अधिकता को देखते हुये वेटनरी कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. नागौर जिले में रिक्त पड़े पशु चिकित्सकों व पशुधन सहायक के पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

146. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में कम से कम 10 पशु उपकेन्द्र व 5 पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

147. प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्रीमती सुशील कंवर** (मसूदा) :

148. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में पशु चिकित्सालय खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री अमराराम** (पचपदरा) :

149. प्रदेश के सभी पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

150. प्रदेश में आवरा पशुओं के लिये गौशाला का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री बाबू सिंह** (शेरगढ़) :

151. प्रदेश के पशुओं में होने वाली मौसमी बीमारियों से पशुओं को बचाने हेतु समय-समय पर टीकाकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री बृजेन्द्र सिंह ओला** (झुंझुनूं) :

152. जिला झुंझुनूं में इन्टेग्रेटेड लाइव स्टाक डवलपमेंट सेंटर खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

153. जिला झुंझुनूं में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

154. प्रदेश में गौ संवर्धन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

155. पशु चिकित्सालयों में नि:शुल्क दवा केन्द्रों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

156. राज्य में दुग्ध की मांग व पूर्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्रीमती अलका सिंह** (बांदीकुई) :

157. ग्राम सोडाला बांदीकुई के ग्राम सोडाला में पशु चिकित्सालय के लिये जमीन आबंटन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

158. ग्राम कोलवा (बांदीकुई) में पशु चिकित्सालय के लिय पट्टा आबंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

159. ग्राम खूंटला (बांदीकुई) में पशु चिकित्सालय के लिये जमीन आबंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) :

160. प्रदेश में बीमार एवं आवारा गौधन की चिकित्सा हेतु मोबाइल चिकित्सा यूनिट एवं ऐसे गौधन को अस्पताल तक पहुंचाने हेतु पशु एम्बुलेन्स की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**डा. मंजू बाघमार** (जायल) :

161. विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) के ग्रामों में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री कैलाश चौधरी** (बायतू) :

162. पशुधन के विकास हेतु प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर राजकीय पशु चिकित्सालय की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. प्रदेश में गरीब परिवारों को उन्नत नस्ल की गायें उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर) :

164. जहाजपुर व कोटड़ी क्षेत्र में नवीन पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

165. तहसील कोटड़ी के पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री शैतानसिंह** (पोकरण) :

166. भादरीया गौशाला में पशु चिकित्सालय बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) :

167. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में पशु चिकित्सकों व कम्पाउण्डरों के रिक्त पद होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा** (चाकसू) :

168. ग्राम तितरिया में स्वीकृत पशु उपकेन्द्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में सभी पशु चिकित्सालयों में चिकित्सक की नियुक्ति एवं दवाइयां उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली) :

170. विधान सभा क्षेत्र बाली में पशु उपकेन्द्रों पर रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र बाली के पशु चिकित्सालयों में चिकित्सालयों एवं मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र बाली में नवीन पशु चिकित्सालय व उपकेन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. विधान सभा क्षेत्र बाली में अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं की संख्या में निरन्तर आ रही कमी की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री बालूराम चौधरी** (सहाड़ा) :

174. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के ग्राम बरडोद में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री सुरेश सिंह रावत** (पुष्कर) :

175. ग्राम पंचायत भूगेल में प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

176. ग्राम पंचायत बुबानी के मुहामी ग्राम में प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में।

177. ग्राम पंचायत माथापुर में प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

178. ग्राम पंचायत बडलिया में प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

179. ग्राम पंचायत मुख्यालय गगवाना पर प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री भागीरथ चौधरी** (किशनगढ़) :

180. पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अराई (अजमेर) में विभागीय मापदण्डानुसार पशु चिकित्सा हेतु नवीन मोबाइल यूनिट की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

181. अजमेर संभाग मुख्यालय पर पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

182. मदनगंज-किशनगढ़ के गांधीनगर क्षेत्र में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नवीन पशु उपकेन्द्रों की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी) :

184. प्रदेश में प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर असहाय पशु पक्षियों के लिये पशु एम्बुलेन्स का संचालन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

185. पशुओं की जीवनरक्षक दवाओं के भण्डारण हेतु प्रत्येक पशु चिकित्सा केन्द्र को फ्रिज उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

186. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के ग्रामों में पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

187. प्रदेश में भेड़ व बकरी पालन हेतु अंशदान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के मुरलीधर एवं करमीसर में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

# परिशिष्ट-5

## लिखित वक्तव्य

**(मांग संख्या 36-सहकारिता, मांग संख्या 37-कृषि व मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा पर माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र पाल सिंह द्वारा सदन पटल पर रखा गया वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया)**

**मांग-पत्र**

**सहकारिता**

1. श्रीकरणपुर विधान सभा क्षेत्र में सहकारिता विभाग की जिनिंग प्रेसिंग मिलों का आधुनिकीकरण कर गजसिंहपुर की तर्ज पर डबल रोलर मिल स्थापित की जाये।
2. श्रीकरणपुर विधान सभा क्षेत्र में जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जहां गोदाम नहीं है या छोटे हैं वहां आर.के.वी.वाई. योजनान्तर्गत गोदाम बनाये जायें।
3. श्रीकरणपुर विधान सभा क्षेत्र में जहां फसल खरीद के अन्दर 15 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर स्थित है वहां ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से फसल खरीद केन्द्र/फोकल पोइन्ट बनाये जायें, जहां खरीद के साथ भण्डारण की व्यवस्था हो।
4. क्षेत्र में काश्तकार की जमीन की बाजार कीमत को आधार मानकर हैसियत ए.टी.एम. कार्ड बनाये जायें।
5. क्षेत्र में सभी किसानों को 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर समान रूप से फसली अल्पावधि ऋण उपलब्ध करवाये जायें।
6. क्षेत्र में सहकारी विभाग की जमीन व सम्पत्ति बैचान करने की बजाय उस स्थान पर कृषि आधारित कुटीर उद्योग धन्धे स्थापित किये जावें।
7. क्षेत्र में खरीफ एवं रबी की फसल की बुआई से एक माह पूर्व खाद का भण्डारण सुनिश्चित किया जावे।
8. चना खरीद का भुगतान शीघ्र करवाया जाये।
9. हनुमानगढ़ स्पिनिंग मिल्स के अधिशेष कर्मचारियों का समयोजित किया जाये।
10. GSS पर कार्यरत कर्मचारी पर सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण रहे। ताकि कर्मचारी की मनमानी पर रोक लगे।

दिनांक 21.7.2014 को आसन की अनुमति से उक्त पत्र 5 पृष्ठ सदन की मेज पर रखे।

## मांग-पत्र

## कृषि एवं पशुपालन

1. केन्द्र सरकार द्वारा बजट 2014 में घोषित कृषि विश्वविद्यालय कृषि प्रधान क्षेत्र के किसानों की आवश्यकता एवं मांग के अनुरूप श्रीगंगानगर जिले में खोला जावे।
2. पदमपुर में आई.सी.ए.आर. की स्वीकृति से कृषि विज्ञान केन्द्र मंजूर किया जावे।
3. श्रीगंगानगर में स्थापित Tissue Laboratory को बजट दिया जावे एवं सभी रिक्त पद को भरा जावे।
4. श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में फल प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जावे।
5. श्रीगंगानगर जिला प्रमुख किन्नू उत्पादक क्षेत्र है यहां किन्नू एक्सीलेन्सी सेन्टर की स्थापना की जावे।
6. श्रीकरणपुर विधान सभा क्षेत्र के गजसिंहपुर एवं बीझबायला जहां वेयर हाउस के गोदाम नहीं पी.पी.पी. प्रणाली पर वेयर हाउस स्थापित किये जावें।
7. पशुधन नस्ल सुधार के लिये पशु सीमन हौलेण्ड, इजराइल व अन्य देशों आयत किया जाकर उन्नत नस्ल के पशु प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम चलाया जाये।
8. पदमपुर में डेयरी चिलिंग प्लांट के पास 23 बीघा भूमि है जिसमें केटल फीड का कारखाना एवं मिनरल मिक्सचर प्लान्ट की स्थापना की जावे।
9. पदमपुर स्थित डेयरी प्लान्ट में दुग्ध अवशीतन केन्द्र पर पैकेजिंग एवं प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जावे।
10. क्षेत्र में कास्तकारों द्वारा सिंचाई हेतु डिग्गी निर्माण विभाग द्वारा देय अनुदान राशि 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक की जावे एवं जमीन के ऊपर बनी डिग्गीयों पर अनुदान दिया जावे।
11. श्रीगंगानगर जिले में डिग्गीयों से सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा विद्युत कनेक्शन पर अनुदान पूर्व की भांति जारी किया जावे।
12. राज्य में लघु सीमान्त एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे किसानों को राज्य सरकार द्वारा अनुदानित दर पर उन्नत नस्ल के 10 बकरियां व 1 बकरा उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान किया जावे, जिससे कृषि के साथ उन्हें अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हो सके।

13. पशुपालक किसानों को प्रशिक्षित करने के लिये ए.टी.सी. फार्म श्रीकरणपुर में पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री एवं मछली पालन के प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाये।
14. श्रीकरणपुर विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति श्रीकरणपुर व पदमपुर में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की स्थापना की जाये।
15. मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु कृषि विज्ञान पदमपुर में मछली प्रजनन की स्थापना की जाये जिससे ग्रामीण क्षेत्रों जोहड़ एवं खेत की डिग्गीयों में मछली पालन को बढ़ावा मिले एवं ग्रामीणों को अतिरिक्त आय हो।
16. क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी समिति की आय का पैसा कृषि उपज मण्डी बोर्ड के प्रस्ताव से गांव को कृषि उपज मण्डी सड़क से जोड़ने हेतु खर्च करने की अनुमति दी जावे, एवं पूर्व की भांति 60 प्रतिशत राशि सड़क एवं 40 प्रतिशत राशि मण्डी यार्ड पर खर्च करने का प्रावधान किया जावे।
17. श्रीगंगानगर जिले में कृषि विभाग के विभिन्न केडर में 147 पद रिक्त पड़े हैं एवं मेरे विधान सभा क्षेत्र में 46 पद रिक्त पड़े हैं जिन्हें शीघ्र भरा जावे।
18. क्षेत्र में कृषि अनुसंधान केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र एवं प्रयोगशालाओं में कृषि वैज्ञानिकों के रिक्त पद भर जायें एवं रिसर्च पूरी होने तक उन्हें अन्य कार्यों में एवं स्थानान्तरण नहीं किया जाये।
19. क्षेत्र में कृषि ए.टी.सी. फार्मों पर योजना बनाकर किसानों को कृषि से सम्बन्धित नई तकनीक, नये बीज एवं रिसर्च के प्रदर्शन लगाकर प्रशिक्षण प्रदान किया जावे।
20. जिले में पंचायत समिति स्तर पर किसानों को दिये जाने वाले अनुदानित कृषि यंत्रों की मरम्मत हेतु कम्पनी द्वारा डीलर नियुक्त किया जावे।
21. क्षेत्र में किसानों को अनुदानित कृषि यंत्र व सामग्री प्राप्त करने हेतु उनके मूल्य के मोल भाव कर उचित मूल्य पर खरीदने की छूट दी जावे एवं अनुदान की राशि कम्पनी के खाते में जमा न होकर सीधे किसान के खाते में जमा की जावे।
22. क्षेत्र में किसानों को कृषि की उन्नत एवं नवीनतम तकनीक से अवगत करवाने हेतु अन्तरराज्य एवं अन्तरराष्ट्रीय कृषि भ्रमण करवाये जायें।
23. श्रीकरणपुर में बीज विधायन केन्द्र पर इलैक्ट्रोनिक वजन कांटा एवं भण्डार ग्रह का निर्माण करवाया जाये।
24. श्रीकरणपुर विधान सभा क्षेत्र में गजसिंहपुर, केसरीसिंहपुर, रिडमलसर, बीझबायला आदि अनाज मण्डियों में नये मण्डी यार्ड स्थापित किये जायें।

25. कृषि विपणन विभाग द्वारा अनाज मण्डी में दुकानें आबंटन नीति पर पुर्नविचार कर ऐसी व्यवस्था की जाये कि सभी पुराने लाइसेन्स धारकों को दुकान आबंटन करने के बाद ही नये लाइसेन्स धारकों को दुकाने आबंटित की जायें।

26. क्षेत्र में गेहूं की खरीद पंजाब पैटर्न पर व्यापारियों के माध्यम की जायें।

27. कृषि उपज मण्डियों समितियों में आपसी सहमति से दुकान स्थानान्तरण करने पर प्रतिबन्ध है जिन्हें पूर्व की भांति 10-15 प्रतिशत राशि जमा करवाकर दुकान स्थानान्तरण की अनुमति दी जाये जिससे मण्डी समिति को आय होगी एवं व्यापारी को लाभ होगा।

28. कृषि उपज मण्डी समितियों में आबंटित दुकान की रजिस्ट्री करवाने में प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में काफी अन्तर है। इस नीति की समीक्षा कर इसे दोनों चरणों में एक समान राशि किया जावे।

29. श्रीगंगानगर जिले में जिप्स्म काफी मात्रा में पाया जाता है जिसका उपयोग सिंगल सुपर फास्फेट खाद बनाने में होता है। अतः सुपर फास्फेट का कारखाना श्रीगंगानगर जिले में स्थापित किया जावे एवं राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को यूरिया, डी.ए.पी. खाद का कारखाना श्रीगंगानगर जिले में स्थापित करने हेतु परियोजना बनाकर भिजवाई जावे।

30. श्रीगंगानगर जिले में फफुन्द का प्रकोप बढ़कर फसलों को नुकसान पहुंचाता है जिससे बचाव हेतु फफुन्द नाशक दवा ट्राइकोड्रमा एवं रेडीमा जैसी दवायें किसानों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करवाई जायें।

31. D श्रेणी की मण्डियों को विकसित करने के लिए सीमा से लगती A श्रेणी की मण्डी से जोड़कर वित्तीय सहायता दिलाई जाये।